राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ५] तृतीय विधान सभा के पंचम् सत्र, १९६४ का ११वां दिवस [संख्या ६

सोमवार, दिनांक २ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बज कर २ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(पंचायत, शिक्षा, वन, यातायात, समाज कल्याण, आबकारी, वित्त, श्रम, विकास व पुनर्स्थापन–विभाग)

ग्राम पंचायत अकोदा की ऑडिट रिपोर्ट

९१. **श्री अमरसिंह (दूदू)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(अ) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत अकोदा, पंचायत समिति दूदू का ऑडिट सन् १९५५ के बाद आज तक नहीं हुआ है ?

(ब) अगर नहीं, तो नवीनतम ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : १. जी हां।

२. प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अमरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर बात है कि ९ साल हो गये, तीन-तीन सरपंच आ गये लेकिन ऑडिट नहीं हुआ। इस प्रश्न को इतना हल्का सा ले लिया। अब आप क्या यह विश्वास दिलायेंगे कि ऑडिट जल्दी से जल्दी करवाया जायगा ?

श्री भीखाभाई : जी हां।

श्री अमरसिंह : इतने अर्से तक ऑडिट नहीं कराना क्या आप उचित समझते हैं ?

श्री भीखाभाई : जी नहीं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : इतने अर्से तक ऑडिट नहीं होना क्या नियम विरुद्ध नहीं है ?

श्री भीखाभाई : सरकार की इच्छा है कि जल्दी से जल्दी ऑडिट करवाया जाय।

(श्री भीखाभाई)

कलेक्टर को भी लिखा गया है, इसके साथ साथ सरपंच को भी नोटिस दिया गया है कि क्यों न आपको हटाया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या यह नियम है कि पंचायतों का ऑडिट प्रत्येक वर्ष कराया जाय ?

श्री भीखाभाई : जी हां।

श्री मानिकचन्द सुराणा : नियम का पालन नहीं किया गया और ६ साल तक नियम के खिलाफ कार्यवाही होती रही तो उसका जिम्मेदार कौन है ?

श्री भीखाभाई : सरपंच को ताकीद की गई, किन्तु उसने रेकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया।

श्री रामकिशन (वैर) : क्या सन् ५५ से लेकर ६४ तक एक ही सरपंच रहा है जिसने रेकार्ड देने से इन्कार कर दिया ?

श्री भीखाभाई : मेरे पास जो सूचना थी वह मैंने दे दी है।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल बहुत मोटा है। तीन बार चुनाव हो चुका। क्या हर सरपंच ने रेकॉर्ड देने से इन्कार किया या यही वहां की परम्परा रही है ?

श्री भीखाभाई : यह इत्तला मेरे पास नहीं है कि वही सरपंच चल रहा है, सूचना मंगा कर माननीय सदस्य को दे दी जायगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह नियम है कि पंचायतों को अनुदान तभी दिया जाय जब कि उसका ऑडिट हो जाय ?

श्री भीखाभाई : युटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट पर दिया जाता है।

श्री हीराभाई : ६ साल से ऑडिट नहीं हुआ, क्या सरपंच एक ही चला आ रहा है या अलग अलग है, तो सरपंच बदला गया है तो पहले वाले के समय का गबन होगा तो क्या होगा ?

श्री भीखाभाई : मेरे पास जो जानकारी थी वह मैं दे चुका, बाकी की जानकारी उपलब्ध कर माननीय सदस्य को दे दी जायगी।

श्री कैसरीसिंह (पाली) : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि अनुदान जो दिया जाता है युटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद दिया जाता है। युटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट अनुदान मिलने के बाद दिया जाता है या युटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट के बाद अनुदान दिया जाता है यह समझ में नहीं आया, जरा समझा दें।

श्री भीखाभाई : जहां तक अनुदान का सवाल है युटिलाइज़ेशन होता है उसका युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। जैसा उत्तर प्राप्त हुआ है उसके अनुसार मैंने जवाब दिया है। जहां तक ऑडिट का सवाल है वह शीघ्रातिशीघ्र करवाया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : युटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट के बाद में अनुदान दिया गया है ?

श्री भीखाभाई : अनुदान देने के नियम हैं उनके अनुसार युटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट के बाद ही अनुदान दिया जाता है।

क्युरेटरों की नियुक्तियां

६२. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कैलिफोर्निया युनिवर्सिटी के द्वारा भरतपुर में खुदाई हो रही है ? यदि हां, तो उसमें निकलने वाली वस्तुओं पर अधिकार किसका होगा तथा इस बारे में क्या शर्तें तय हुईं ?

(२) क्या यह सही है कि राज्य की ओर से एक्सकेवेशन ऑफिसर की नियुक्ति इसलिये नहीं हो सकी कि अभी तक क्युरेटरों की नियुक्ति के नियम तय नहीं होने के कारण क्युरेटर अस्थाई हैं और उन्हें कई कई महीनों तक वेतन नहीं मिलता ?

(३) यदि हां, तो क्युरेटरों की नियुक्ति के नियम कब तक तय हो जायेंगे ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं। भरतपुर के निकट नोह ग्राम में खनन् कार्य राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा माह अक्टूबर, ६३ से प्रारम्भ है। खनन् से प्राप्त सामग्री पर राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग का अधिकार होगा। यूनिवर्सिटी खुदाई में सहयोग सम्बन्धी शर्तों के अनुसार वे वस्तुयें हीं जो बहुत संख्या में एक सी निकलेंगी, केलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को दी जा सकेंगी, यदि भारत सरकार उन्हें ले जाने की अनुमति दे देगी। ऐसी वस्तुओं में मिट्टी के बर्तन के टुकड़े आदि होंगे।

(२) जी नहीं। एक्सकेवेशन ऑफिसर के पद पर नियुक्ति की गई थी, पर कुछ परिस्थितियों वश अस्थाई नियुक्ति करनी पड़ी। क्युरेटरों की नियुक्ति के नियम १९६० में बन चुके थे, पर उनमें कुछ संशोधन का कार्य विचाराधीन है। उस कार्य को पूरा किया जा रहा है। नियमों में संशोधन कार्य समाप्त होने पर क्युरेटर पर की गई नियुक्तियों की कमीशन (लोक सेवा आयोग) स्वीकृति दे देगी और वे नियमित रूप से वेतन पाने लग जायेंगे। क्युरेटरों को वेतन ३१ दिसम्बर तक प्राप्त हो चुके हैं; वित्त-विभाग की अनुमति से आगे का वेतन दिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(३) नियुक्ति के नियमों में संशोधन किया जा रहा है, उसके शीघ्र ही तय होने की संभावना है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : एक्सकेवेशन अफसर आज कल है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : परिस्थितियों वश रखना पड़ा है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूडावत : पर्मानेन्ट क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कुछ परिस्थितियां हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : ६० से ये चल रहे हैं, क्युरेटरों को कई कई महीनों तक की तनख्वाह नहीं मिली, अब मिली है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब मिल तो गई है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : ये नियम फाइनल कब तक हो जावेंगे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह खनन् और खुदाई में क्या फर्क है ?

प्रश्न संख्या ६३.

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रविशंकर याज्ञिक।

चारे की नीलामी, सिरोही

६४. **श्री रविशंकर याज्ञिक** (पिंडवाड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सन् १९६३ में सिरोही के वन अधिकारियों द्वारा अल्पकालीन सूचना पर गैर कानूनी ढंग से १६ हजार मन चारा ४ हजार रुपये में नीलाम कर दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि इस नीलामी के लिए उचित मात्रा में नियमानुसार प्रचार नहीं किया गया ?

(३) क्या यह भी सही है कि नीलामी करने वाले अधिकारी ने नीलाम की स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की ?

(४) क्या यह भी सही है कि इस भीषण अकाल का लाभ उठाकर वही चारा ठेकेदार तीन रुपये प्रति मन के हिसाब से बेच रहा है ?

(५) इस तरह की गैर कानूनी कार्यवाही से सरकार को कितना नुकसान हुआ ?

(६) सरकार सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

वन मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी नहीं। पिण्डवाड़ा बीड़ का अन्दाजन १६ हजार मन पुराना घास नियमानुसार सातवीं बार नीलाम किया गया तो इस घास की आखिरी बोली ४,२००) रुपये की प्राप्त हुई।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

(५) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(६) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रविशंकर याज्ञिक : उपाध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया गया है, यह बिल्कुल गलत है। इसकी नीलामी का समय सिर्फ दो दिन का दिया गया है और तारीख २२ जुलाई को इसकी नीलामी की सूचना निकली और २४ जुलाई को नीलामी कर दी गई। उस वक्त परिस्थिति अकाल की थी और इसका जितना प्रचार होना चाहिये था नीलामी का वह कतई नहीं हुआ। एक डी० एफ० ओ०, वहां के ठेकेदार हैं, म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन हैं। इनने मिलकर ये सारी बातें

Page No. 5

(श्री रविशंकर याज्ञिक)

की हैं तो मेरा निवेदन करना यह है कि इसके लिए योग्य कार्यवाही की जावे और जिसने ऐसा काम किया है उसको दण्ड दिया जाना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह नीलामी की सूचना किस प्रकार से प्रकाशित की गई थी ?

श्री भीखाभाई : जो प्रश्नकर्त्ता ने प्रश्न किया उसके बारे में निवेदन यही करूंगा कि जो तथ्य उन्होंने बताये हैं उन पर सी० सी० एफ० को वहां भेजा गया था पर ये बातें सही नहीं पाई गईं। इनके अलावा और कोई सूचना वे दें तो जांच करवाई जा सकती है। जहां तक घास की बिक्री का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि अलग अलग सालों में कई बार इसकी नीलामी हुई, १९६१ में भी हुई जिसमें १००१) बोली आयी, जून ६२ में २३०१) की आई, ६३ में ६ जून, ६३ को कोई बोली नहीं आई। इसके बाद काफी मुस्तैदी से काम करने के बाद जब नीलाम किया गया तो ४२०१) की आयी और वह भी वहां की म्यूनिसिपैलिटी ने और दूसरे लोगों ने कहा कि अकाल में जानवरों के लिए देना है तो वह नीलामी छोड़ी गयी। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कह सकता कि कहां गड़बड़ी हुई। अब वहां दो प्रकार के गुट चल रहे हैं, इसकी जानकारी मुझे है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप यह बताइये कि नीलामी की सूचना ६३ में किस प्रकार से किन चीजों के जरिये प्रकाशित की गई ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : नियमानुसार कितने दिन पहले सूचना प्रकाशित की गई ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अखबारों के जरिये, गजट के जरिये या ढिंढोरा पिटवा कर ?

श्री भीखाभाई : प्रणाली की जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह किस तारीख को की गई, यह बता सकते हैं आप ?

श्री भीखाभाई : १७–७–६३ को।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर नीलामी किस तारीख को हुई ?

श्री भीखाभाई : २२ तारीख को।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय ले लिया था कि चूंकि राजस्थान में अकाल की छाया पड़ गई है इसलिए कोई घास नीलाम न किया जावे ?

श्री भीखाभाई : यह निर्णय २३ को लिया गया था और इसकी सूचना उनको २२ तारीख तक नहीं पहुंच सकी थी, फिर उन्होंने कलेक्टर की राय भी इसके लिये ले ली थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार ये जो केवल ५ दिन बीच में रहे हैं, इस समय को नीलामी के लिये नियमानुसार पर्याप्त समय समझती है।

(उत्तर नहीं आने पर)

श्री उपाध्यक्ष : क्या पांच दिन का समय सूचना के लिये प्रर्याप्त समझा गया नीलामी के लिये ?

श्री भीखाभाई : सात दिन का समय दिया गया था ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि सात दिन का दिया गया और साथ ही यह भी कह रहे हैं कि १७ को प्रकाशित की गई सूचना और २२ को नीलामी की गई, तो इसमें तो पांच दिन ही होते हैं, सात नहीं । तो मन्त्री महोदय के अनुसार सात दिन देना वाजिब था जो नहीं दिया गया । फिर मन्त्री महोदय ने जांच भी करवाई पर उसमें किस तरह की परिस्थिति पैदा हुई इसकी जानकारी भी उनको नहीं । ठीक तरह से जितने दिन सूचना के लिये देने चाहिये थे वे भी नहीं दिये गये और यह तथ्य मन्त्री महोदय की फाइल पर मौजूद है । फिर भी मन्त्री महोदय कहते हैं कि उसमें गड़बड़ी नहीं हुई, यह बड़ी आश्चर्य की बात है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप प्रश्न २ का भी जवाब दे दीजिये ।

श्री भीखाभाई : मेरे पास पूरी सूचना नहीं है, तो फिर पूरी जानकारी करके आपको सूचना दे दूंगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो फिर इसे पोस्टपोन करियेगा, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : यह पोस्टपोन किया गया ।

श्री भीमसेन

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): May I be permitted to ask this question वे नहीं हैं ।

(मौन स्वीकृति दी गई)

महारानी सुदर्शना कॉलेज, बीकानेर

६५. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) [श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि महारानी सुदर्शना कॉलेज, बीकानेर के लिये साइन्स लेबोरेटरी एवं होस्टल के लिये स्थान का नितान्त अभाव है । यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ।

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : यह कहना सही नहीं है कि महारानी सुदर्शना कॉलेज, बीकानेर में साइन्स लेबोरेटरी एवं होस्टल के लिये स्थान का नितान्त अभाव है । उक्त कॉलेज में दो लेबोरेटरीज़ फिजिक्स एवं केमिस्ट्री भी हैं और इनको बढ़ाने के लिये एवं बोटेनी और जूलौजी की नई लेबोरेटरीज़ बनाने के लिये राजकीय आदेश दिनांक २४। २। ६४ द्वारा ३६,०००) रु० की स्वीकृति प्रदान हो चुकी है । निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ हो जायगा । इसी प्रकार कॉलेज के पास एक होस्टल २५ छात्राओं के स्थान का है । नये होस्टल के निर्माण हेतु कोई योजना नहीं है । परन्तु कोई दूसरी सरकारी अथवा किराये की ऐसी बिल्डिंग लेने का विचार है जिसमें छात्राएं अधिक संख्या में रह सकें ।

ग्राम पंचायत नेठवा के सरपंच के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं गबन के आरोप

६६. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या ग्राम पंचायत नेठवा (पंचायत समिति तारानगर) का बजट सन् १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ का मंजूर शुदा है ?

(२) क्या उक्त पंचायत में १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ का हिसाब तैयार है ? यदि हां, तो इनमें से किस किस साल का हिसाब ऑडिट हुआ है ?

(३) क्या इस पंचायत के सरपंच श्री तेजसिंह के खिलाफ जनता ने भ्रष्टाचार, गबन और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के आरोप लगाये हैं ?

(४) क्या सरकार ने उक्त सरपंच के खिलाफ कोई जांच करवाई है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पंचायत मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां।

(२) जी हां। हिसाब तैयार हो चुके हैं। वर्ष १९६२–६३ का ऑडिट अभी नहीं हुआ है।

(३) जी हां।

(४) जांच जारी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ६१–६२ का ऑडिट हुआ, उस ऑडिट में क्या इस पंचायत के सरपंच के खिलाफ गबन के आरोप हैं।

श्री भीखाभाई : पूरी ऑडिट रिपोर्ट इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न साफ पूछा गया है कि ६२–६३ का ऑडिट हुआ है ? अब अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आखिर प्रश्न के उत्तर की आपने तैयारी क्या की ? ६१–६२ का ऑडिट हो चुका, जांच जारी है, आप कह रहे हैं। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या ऑडिट रिपोर्ट में गबन के चार्जेज़ लगाये गये हैं।

श्री भीखाभाई : मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट नहीं है और जो अभियोग लगाये गये हैं, उसकी जानकारी है वह बता सकता हूँ और वह यह है :-

(१) नियमानुसार पंचायत की बैठक नहीं बुलाना।

(२) श्री भवरसिंह, उप-सरपंच व श्री नारायण राम पंच, को लगातार पांच बैठकों में बिना सूचना दिये अनुपस्थित रहते आने पर भी उनके स्थान रिक्त घोषित न करना।

(३) सन् १९६१–६२ में ग्राम सभा न बुलाना।

(४) फाटक के ऊंट व दागल झोटे का निजी उपयोग में लाना।

(५) पंचायत के सदस्यों को आय-व्यय की जानकारी न देना।

(श्री भीखाभाई)

ये गबन के चार आरोप हैं

कलेक्टर को जांच के लिये लिखा है हमने इस पर। रिपोर्ट उनकी प्रस्तुत नहीं हुई है। दूसरी तरफ से उनको नोटिस दिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ६१–६२ की ऑडिट रिपोर्ट कब पेश की गई ?

श्री भीखाभाई : मेरे पास नहीं है। पर विभागीय इत्तिला आई है कि उसके अनुसार ऑडिट हो चुकी है। केवल ६२–६३ की नहीं हुई है। यह मैंने निवेदन किया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े खेद का विषय है कि गबन और भ्रष्टाचार के आरोप हों, उसका प्रश्न इस असेम्बली में पूछा जावे और मन्त्री महोदय उसके प्रति इतनी उदासीनता बरतें कि जानकारी भी प्राप्त करने की वे कोशिश न करें। ऑडिट रिपोर्ट का क्या कहना है, यह भी जानकारी आप देना नहीं चाहते। तो फिर यह क्या उत्तर है। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न की भी पूरी जानकारी करके फिर मन्त्री महोदय उत्तर दें तो अच्छा है; वरना इतने अर्से के बाद असेम्बली मिलती है और प्रश्न पूछते हैं, उसमें छः महीने लग जाते हैं, तो फिर आगे के लिये यह पड़ जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय इसकी पूरी जानकारी करेंगे और ऑडिट रिपोर्ट भी दे देंगे और सब बातों की पूरी जानकारी रखेंगे।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह पंचायत समिति तारानगर में तो है नहीं कहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी फिर सदन में करावेंगे तब आप पूछ लेना।

श्री हरिराम

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, वे उपस्थित नहीं हैं अतः हरिराम जी के प्रश्न का उत्तर दे दिया जाये।

अलवर-दिल्ली वाया तिजारा सरकारी बसें

६७. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा) [श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) द्वारा पूछा गया] : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अलवर-दिल्ली वाया तिजारा रूट अलवर-दिल्ली के डाइरेक्ट रूट से छोटा पड़ता है और पूरे रास्ते में पक्की सड़क है ?

(२) क्या यह सही है कि यदि अलवर-दिल्ली वाया तिजारा सरकारी बसें चलाई जावें तो काफी आमदनी सरकार को हो सकती है ?

(३) क्या यह सही है कि तिजारा, किशनगढ़ तहसील की जनता इस रूट पर सरकारी गाडियां चाहती है ? यदि हां, तो कब तक सरकारी गाडियां चलाने की योजना है और यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, यातायात (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) दोनों मार्ग लगभग बराबर हैं तथा अलवर-दिल्ली वाया तिजारा सड़क सिर्फ राजस्थान की सीमा तक की पक्की है।

(२) बिना सर्वेक्षण के इस संबंध में कुछ कहना सम्भव नहीं।

(३) ऐसा कोई मांग-पत्र अभी तक सरकार के पास नहीं आया। फिलहाल इस रूट पर सरकारी गाड़ियां चलाने की कोई योजना नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार इस रूट का सर्वेक्षण कराने का आश्वासन देगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : क्योंकि अभी तक योजना में लेने के लिए विचाराधीन भी नहीं है इसलिए सर्वेक्षण का सवाल पैदा नहीं होता। जब इस रूट पर गाड़ियां चलाने का प्रोग्राम होगा उस समय इसका सर्वेक्षण कराये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रोग्राम में तो तब ही रखा जा सकता है जब कि सर्वेक्षण की रिपोर्ट फेवरेबल हो और यह रिपोर्ट आये कि इस रूट पर चलाने से फायदा हो सकता है और जनता को उसकी आवश्यकता हो। जब तक आप सर्वेक्षण नहीं करायेंगी और वह रिपोर्ट फेवरेबल नहीं होगी तब तक आप योजना में कैसे ले सकते हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : साधारण तौर पर जब यह मालूम है कि दोनों सड़कों की लम्बाई बराबर है और जितने इम्पोर्टेन्ट टाउन्स वर्तमान रूट्स पर पड़ते हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट टाउन्स उस रूट पर नहीं पड़ते हैं। इसलिए इस सड़क को चलाने में ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी ओर जो और दो स्टेट्स के साथ एग्रीमेन्ट है वर्तमान रूट को चलाने के लिए जब तक वह एग्रीएबल नहीं हो तब तक हम टेक-अप नहीं कर सकते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस रूट पर जो मौजूदा है उससे माइलेज दुगुना पड़ता है। अलवर से नौगांवा तक केवल २२ मील पड़ता है और जब कि इस रूट पर करीब ५० मील से भी कुछ अधिक रेवाड़ी तक पड़ता है और इसमें दो कस्बे पड़ते हैं। किशनगढ़, तिजारा और टकूड़ा काफी बड़े बड़े कस्बे पड़ते हैं इसलिए मंत्राणी महोदय का यह कहना दुरुस्त नहीं है....

श्री रामकिशन (वैर) : 'महोदय' नहीं 'महोदया', हिन्दी ही गलत कह गये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हिन्दी के मामले में तो आपकी बात मान लूंगा— 'महोदया' सही। जो इस प्रकार गवर्नमेन्ट की तरफ से कहा गया है कि उस रूट पर कस्बे इतने इम्पोर्टेन्ट ज्यादा पड़ते हैं जितने इस पर यह, बात तथ्यपूर्ण नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान की जनता के हित की दृष्टि से इस रूट पर गाड़ियां चलाना ज्यादा हितकर होगा और इस रूट पर जितना कन्जेशन है उस दृष्टि से भी इस रूट पर सरकारी गाड़ियां चलाना उचित होगा। यह बात अलग है कि सरकार, जो निजी गाड़ियां चलाती हैं उनको संरक्षण देना चाहे, वर्ना बार बार इस सदन में इस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्रश्न को उठाया गया है कि इस रूट पर भी काफी कन्जेशन है। इस रूट पर आर० टी० ए० ने गाड़ियां बढ़ाई हैं। आल्टर्नेटिव रूट इसमें दिया है, लेकिन बारबार कहने पर भी सरकार नेशनलाइज़ नहीं कर रही है और दिल्ली से आज डाइरेक्ट लिंक नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा कर दें तो किशनगढ़, तिजारा और टूकूड़ा की जनता को डाइरेक्ट दिल्ली तक जाने का मौका मिल सकता है, इसलिए इस रूट का सर्वेक्षण कराया जाये, यह मेरा निवेदन है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि अलवर का अभी दिल्ली तक जो वर्तमान रूट है उसको और अलवर वाया तिजारा-दिल्ली रूट है उनमें कोई ज्यादा फर्क, कोई सौ, डेढ़ सौ मील का, नहीं पड़ता है। जितने बड़े बड़े गांव इस वर्तमान रूट पर हैं उतने उस पर नहीं हैं। लेकिन जैसा आपने कहा है कि इसका सर्वेक्षण जरूर कराना चाहिए, एक कमेटी इस तरह की बैठी हुई है। अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम कि इधर के जाने से ज्यादा लाभ हो सकता है तो वह आगे देखा जा सकता है, लेकिन अभी इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल

अध्यापकों की छुट्टियां

९८. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि परीक्षा के दिनों में जिन जिन सेन्टरों पर बोर्ड ऑफ हायर सेकेन्डरी एजूकेशन की परीक्षाएं होती हैं वहां पर उस स्कूल के अध्यापकों की उतने ग्रही दिनों की छुट्टियां शुमार की जाती हैं?

(२) क्या यह सही है कि छुट्टियां शुमार होने के बावजूद इन अध्यापकों को उन दिनों में अपने अपने स्कूल में हाजिर रहना पड़ता है और उपस्थिति पंजिका में हाजरी भी लगाई जाती है?

(३) क्या यह सही है कि इन छुट्टियों के एवज में इन अध्यापकों को अन्य छुट्टियों के दिनों में क्लासें लेनी पड़ती हैं?

(४) क्या सरकार इस सिस्टम को अनुचित मानकर इसको बन्द करने के आदेश जारी करेगी?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया था इस प्रश्न की अभी तक इन्फोर्मेशन नहीं आई है; इसके पोस्टपोन के लिए मैं निवेदन करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : इसको शीघ्र ही ले लें।

प्रश्न संख्या ९९

श्री श्रवणलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १००

श्री मोहनराज।

(अनुपस्थित)

श्री जुझारसिंह।

हाई स्कूल सांगोद में विज्ञान की कक्षाएं

१०१. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Minister for Education please state:—

) Is it a fact that a sum of Rs. 6,000/—was deposited by the Gram Panchayat Sangod in the year 1959 for the purchase of science equipment on condition that a 'Science Room' will be constructed for them by the Government and science classes started in the High School ?

(2) What have been the reasons for delay in starting the science classes in High School, Sangod, and when should the people expect the Government to fulfil its promise now ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) यह सही है कि ग्राम पंचायत सांगोद ने सन् १९५९ में वैज्ञानिक उपकरणों के लिए ६,०००) रु० की राशि जमा करवाई थी। ५,०००) रु० की धन-राशि जुलाई से सितम्बर तक जमा कराई थी। राशि जमा करने के साथ यह शर्त नहीं थी कि सरकार साइन्स रूम का निर्माण करा देगी। विभागीय परिपत्र के अनुसार विज्ञान की कक्षाएं चालू करना अवश्य निर्धारित था।

(२) जी नहीं। कक्षाएं चालू करने में कोई देरी नहीं हुई। ग्राम पंचायत ने ५,०००) रुपये सितम्बर, १९६० तक जमा करवाये जब कि सत्र आरम्भ हुए दो माह व्यतीत हो गये थे। विज्ञान की कक्षाएं अगले सत्र १९६१ से आरम्भ कर दी गईं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हीराभाई।

घास की कटाई तथा मजदूरों को मजदूरी

१०२. श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) इस वर्ष अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिए घास एकत्रित करने के लिए क्या जिला बांसवाड़ा से मांग की गई थी ? यदि हां, तो कितने मन घास का लक्ष्य निर्धारित किया गया ?

(२) घास एकत्रित करने का तरीका क्या अपनाया गया था ? क्या इसके लिए डिपो कायम किये गये थे और वहां घास खरीदा गया था ?

(३) क्या यह सही है कि लोगों की कटी हुई घास में से हिस्सा वसूल किया गया और उसके लिये कोई भाव निश्चित नहीं था ?

(४) क्या यह सही है कि जो घास लिया गया है उसके लिए घास काट कर ले जाने वालों को चार आना, आठ आना से ज्यादा दिन भर की मजदूरी नहीं मिल सकी है ?

(५) डिपो पर घास लाने की मजदूरी क्या निर्धारित की गई ?

वन मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां, ४०,००० मन घास इकट्ठा करने का लक्ष्य था।

(२) घास इकट्ठा करने के लिए अलग अलग डिपो कायम किये थे। कुशलगढ़, डूंगरा, सालमगढ़ व बांसवाड़ा रेंजों के डिपो

(श्री भीखाभाई)

पर वहां के ग्रामीणों से आठ आना प्रति ५० किलोग्राम की दर से, घाटोल रेंज के पीपलखूंट क्षेत्र में १० आना प्रति ४० किलोग्राम की दर से, घाटोल रेंज के अमरथून क्षेत्र से आधी, पांती पर घास एकत्रित किया गया था।

(३) कुशलगढ़, डूंगरा, सालमगढ़ व बांसवाड़ा रेंजों के डिपो पर आठ आना प्रति ४० किलोग्राम तथा घाटोल रेंज के पीपलखूंट क्षेत्र के डिपो पर १० आना प्रति ४० किलोग्राम की दर से स्वेच्छा से देने वालों से लिया गया। सिर्फ अमरथून क्षेत्र से आधी पांती पर घास लिया गया था।

(४) जी नहीं, घास जिस प्रकार व जिस भाव से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लिया गया है, वह प्रश्न संख्या २ के उत्तर में दिया जा चुका है।

(५) कुछ नहीं, जो रेट निर्धारित की गई थी वह डिपो पर घास खरीद करने की थी। अतः डिपो पर घास लाने की मजदूरी का अलग से कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री हीराभाई : क्या आपने जो रेट कायम की थी वह राजस्थान मजदूर कानून के मुताबिक की थी या वैसे बेगार के रूप में रेट ८ आना प्रति मन के हिस्साब से कायम की गयी ?

श्री भीखाभाई : यह तो डिमाण्ड एण्ड सप्लाई का प्रश्न है, मिनिमम वेजेज़ का प्रश्न नहीं था। जो रेट निर्धारित की थी वह उस पर थी कि जिसको सुविधा हो उसके मुताबिक बेच दे।

श्री हीराभाई : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अभी आपने आधा हिन्दी में और आधा अंग्रेज़ी में लोपापोती की, बाकी मैं जानना चाहूँगा कि जो रेट कायम की गयी थी वह कितने मील के एरिया से घास मजदूरों को लिवाई गयी थी और कम से कम जो हमारा कानून है उसको देखते हुए यह रेट कायम की गयी थी या इकट्ठी घास थी और वहां से उठा कर वहां डाल दी। किस आधार पर रेट कायम की ?

श्री भीखाभाई : मैंने अपने उत्तर के भाग (५) में कहा है कि कुछ नहीं। जो रेट निर्धारित की गई थी वह डिपो पर घास खरीद करने की थी। अतः डिपो पर घास लाने की मजदूरी का अलग से कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री हीराभाई : फिर कहां से इकट्ठा करने का था, वह भी आप बता दें ?

श्री भीखाभाई : मैंने उसका निवेदन कर दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार अपनी यह जिम्मेदारी नहीं समझती कि जिस प्रकार से एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए मिनिमम वेजेज़ फिक्स्ड हैं वह इस घास इकट्ठा करने में भी न्यूनतम वेजेज़ जो कि मिनिमम वेजेज़ एक्ट के अनुसार मिलनी चाहिए, वह मिली या नहीं। मैं यह समझता हूं कि सरकार ने यह तरीका अपनाकर अपने ही बनाये हुए कानून को इवेड करने की कोशिश की है। इस सवाल का उत्तर देते समय भी मंत्री महोदय जो खुद श्रम मंत्री भी हैं—खाली फोरेस्ट मिनिस्टर ही नहीं हैं उनको श्रमिकों का ख्याल रखना चाहिए। अब शर्म

Page No. 13

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है या नहीं, वह तो दूसरी बात है, लेकिन श्रम मंत्री जरूर हैं, श्रमिकों को वाजिब वेतन मिला या नहीं, वह मैं जानना चाहता हूं।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि इसमें न्यूनतम वेतन, मिनिमम वैजेज़ का सवाल नहीं है। इसमें तो डिपो पर सप्लाई का सवाल था जिसमें डिमाण्ड एण्ड सप्लाई का सवाल था। हम जितना घास खरीदना चाहते थे वह नहीं खरीद सके। यही तो सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय। तो मैंने निवेदन किया था कि इसमें इस बात का ख्याल रखने का सवाल नहीं था। दूसरा भी कोई आदमी दे सकता था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, हर प्रश्न पर जहां भी वेतन तय होता है वहां पर डिमाण्ड और सप्लाई का सवाल होता है। यह तो पूंजीवादी इकोनोमिस्टों ने यह थ्यौरी रखी है कि मिनिमम वेजेज़ फिक्स करने का कानून ही गलत है क्योंकि यह तो डिमाण्ड और सप्लाई का सवाल है। जिसको गरज होगी वह करेगा। मंत्री महोदय, फोरेस्ट डिपार्टमेंट में बैठेंगे तो डिमाण्ड और सप्लाई की थ्यौरी लागू करना चाहते हैं तो जब श्रम मंत्रालय में बैठेंगे तो मिनिमम वेजेज़ की गारन्टी को कैसे लागू कर सकेंगे ? क्या यह लोगों को मिनिमम स्टैन्डर्ड ऑफ लिविंग देना चाहिए इस गवर्नमेंट की घोषित नीति के टकराव में नहीं आता ? गवर्नमेंट अपने आपको कुछ प्रोपोज़ीशन्स के कमिटेड मानकर डिमाण्ड और सप्लाई की थ्यौरी या मिनिमम वेजेज़ मजदूरों को मिले इस पर चलना चाहती है ?

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, यह मैंने निवेदन किया है कि यह कम से कम वेजेज़ का सवाल नहीं। मिनिमम वेजेज़ तो उन पर लागू होता है। यहां तो डिमान्ड और सप्लाई का सावाल है। यह मैंने स्पष्ट कर दिया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायात) : आपको ४० हजार मन घास इकट्ठा करना था, उसमें से कितनी घास इकट्ठी कर पाये हैं आप अब तक ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : (माननीय मंत्री के मौन पर) जानकारी है नहीं।

श्री भीखाभाई : जानकारी है मेरे पास। (फाइल देखकर) कुशलगढ़ रेन्ज पर हम १५,००० मन इकट्ठा करना चाहते थे, सामलगढ़ रेंन्ज से १०,००० मन, घाटोल रेन्ज से ५,००० मन। जो डूंगर रेन्ज से मिला है वह मिला है करीब २,६६० मन।

श्री रामानन्द अग्रवाल : १५,००० के मुकाबले में।

श्री भीखाभाई : और बांसवाड़े से ६४३ मन।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कुल कितना मिल गया है, यह बता दें जोड़कर।

श्री भीखाभाई : सामलगढ़ रेंज से १,८७१ मन और उसी तरह से घाटोल रेन्ज से १,५१४ मन।

Page No. 14

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप ४०,००० मन घास इकट्ठा करना चाहते हैं, यह आपका टार्गेट है और आपने जो फीगर्स दिये हैं उसमें आप ७००० मन के करीब घास इकट्ठा कर पाये हैं और इसके बावजूद डिमाण्ड एण्ड सप्लाई का प्रश्न करते हैं। एक तरफ तो आप कोट कपूरा से ३), ३॥) रुपये मन का घास खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ १) या २) रुपये में आपकी डिमाण्ड मीट हो जाय और राजस्थान के एक हिस्से के लोगों को मजदूरी भी मिल जाय, वह नहीं कर रहे हैं। उसके एवज में ३) और ३॥) रुपये मन का पंजाब से घास खरीद रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन रेट्स को रिवाइज़ करें। यदि वहां से सप्लाई मिल सकती है तो उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिये ताकि वहां के लोगों को मजदूरी मिले और पंजाब और दूसरे प्रांतों के घास से राजस्थान का घास सस्ता पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री हीराभाई : सवाल यह है कि वहां पर क्या किया है वह कुशलगढ़ १ रेन्ज का मैं कहना चाहता हूं कि यदि वहां पर घास हिस्सा के रूप में लाने का तय नहीं किया जाता तो कितना ही घास इकट्ठा हो सकता था। अगर जायज़ मजदूरी लोगों के दी जाती तो पूरा घास इकट्ठा हो सकता था। वहां पर इन्होंने मजदूरी ४ आना व ८ आना पक्का मन देकर बेगार के रूप में लेना चाहा क्योंकि लोग ५–६ मील से सिर पर लादकर लाते थे तो कच्चा केवल डेढ़ या दो मन दिन भर में ला सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण नहीं दें।

श्री हीराभाई : इनको जानकारी देनी पड़ेगी तभी तो ये बतायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी उनको है।

श्री हीराभाई : आप आठ आने रोज मजदूरी का देते हैं, ऐसी हालत में घास इकट्ठा नहीं हुआ। आपने घास लोगों के खेतों से और लोगों के कटे हुए घरू घास में से जुल्म करके वसूल किया है। इससे जितना घास वहां इकट्ठा होना चाहिये था वह नहीं हो सका। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको बिल्कुल जानकारी देने को तैयार हूं कि जिस स्टेशन पर घास लाना चाहिये था उसको छोड़कर कम से कम ४० या ६० मील दूर रतलाम स्टेशन ले जाना क्या आप उचित समझते हैं। आपके कर्मचारी इस ढंग से करते हैं कि उदयगढ़ स्टेशन जो कि वहां से १२ या १८ मील दूर है.......

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री हीराभाई : मैं अर्ज कर रहा था कि उसको छोड़कर ४० या ६० मील दूर रतलाम स्टेशन है.......

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री हीराभाई : तो इस तरह से वहां पर घास की वसूली में भ्रष्टाचार किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! आप भाषण नहीं दें।

श्री भीखाभाई : I take very serious objection to this that force has been used on labour.

श्री रामकिशन (वैर) : आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं और वे हिन्दी में बोल रहे हैं।

श्री भीखाभाई : यह जो फोर्स्ड लेबर का चार्ज लगाया है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर माननीय सदस्य और उनकी पार्टी ने इस तरह का प्रचार किया है, इस कारण से घास इकट्ठा नहीं हुआ है। इन्होंने कहा है कि ये बेगार करा रहे हैं, इनको घास मत दो। मैं स्वयं वहां पर गया था तो कुशलगढ़ की तरफ इस तरह का प्रचार किया गया, इस कारण से जो घास मिलना चाहिए था वह नहीं मिला।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप यह चाहते हैं कि आप लोगों से इस तरह से बेगार लें। चार आने मन या आठ आने मन कम से कम आप लेना चाहते थे जब इस तरीके से आप अपने कानून को खुद ही नहीं मानते हैं और मिनिमम वेजेज़ नहीं देते हैं और उसको सरकम्वेन्ट करने की कोशिश करते हैं तो यह सीरियस ऑब्जेक्शन करने की बात है और उसके खिलाफ प्रदर्शन वगैरह के रूप में विरोध करेंगे और हालत पैदा कर दी जायगी कि आप ऐसा नहीं कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि सरकार उचित रेट देने के बारे में विचार करेगी इस विषय में।

(विराम)

नेक्स्ट।

ग्राम बिलान्दरपुर के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध गबन एवं दुरुपयोग की रिपोर्ट

१०३. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील बैराठ के अन्तर्गत ग्राम बिलान्दरपुर पंचायत के भूतपूर्व सरपंच श्री लक्ष्मीनारायण के विरुद्ध अनुयुटिलाइज्ड सब्सिडी की बकाया की वसूली के हेतु संबंधित विकास अधिकारी ने तहसील को लिखा था? यदि हां, तो कब और कितनी रकमों के वास्ते?

(२) क्या उक्त रकम वसूल हो गई है? यदि नहीं तो क्यों?

(३) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच के खिलाफ कई शिकायतें इस प्रकार की राज्य सरकार के पास भी आई? यदि हां, तो कितनी बार और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(४) क्या यह सही है कि ऑडिट पार्टी ने इन्हीं सरपंच के खिलाफ धन के गबन एवं दुरुपयोग की रिपोर्ट की है? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां, दिनांक २१-१२-६२ को २७६५.७० नये पैसे की वसूली के लिए लिखा गया था।

(२) अभी तक २०१.५६ नये पैसे की वसूली हुई है।

(३) जी हां, दो-तीन शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांच जारी है।

(४) जी हां। जांच जारी है।

Page No. 16

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और क्या कार्यवाही की गई सरपंच के खिलाफ वसूली के अलावा ?

श्री भीखाभाई : जांच जारी है अभी । मैंने कहा कि कलेक्टर को लिखा गया है कि जल्दी से जल्दी इसकी रिपोर्ट दें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जांच किस बात की जारी है ?

श्री भीखाभाई : ये जो उनके खिलाफ शिकायतें आयी थीं फरवरी ४३ से; तो उपजिलाधीश, शाहपुरा को जांच अधिकारी नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिये थे । जांच का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अनयुटिलाइज़्ड सब्सिडी की जो बकाया है उसके सम्बन्ध में पूछ रहा हूं ।

श्री रामकिशन (वैर) : ४३ में कौनसा सरपंच था ? मंत्रीजी ने कहा है कि ४३ में जांच के आदेश दे दिये गये हैं तो क्या वह ४३ में दिये गये थे ?

श्री भीखाभाई : वह ६३ है, I am sorry.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अनयुटिलाइज़्ड सब्सिडी की रकम उनके पास रह गई है तो क्या यह सरकार यह समझती है कि इस प्रकार से बकाया रखना एक प्रकार का गबन है । उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि वह गबन में नहीं आता है क्योंकि अनयुटिलाइज़्ड सब्सिडी अगर उनके पास में पड़ी हुई है तो गबन कैसे हो सकता है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या अनयुटिलाइज़्ड सब्सिडी सरपंच अपने पास रख सकता है ?

श्री भीखाभाई : This is a question of law, लेकिन अनयुटिलाइज़्ड सब्सिडी अपने पास रखना ही तो गबन नहीं हो जाता है । अनयुटिलाइज़्ड सब्सिडी उनके पास होती है तो अनियमितता होती है ।

(हंसी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कैसे कहते हैं कि उसके पास नहीं है ? अगर उसने अपने पास नहीं रखी तो आप वसूली उससे कैसे कर रहे हैं ? अगर उसने अपने पास रखी है तब तो वह गबन है और अगर नहीं रखी हैं तो गबन नहीं है । अगर उसने अपने पास नहीं रखी है तो आप उससे बकाया वसूल कैसे कर रहे हैं ? अगर उसने रखी है तो वह गबन है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि किसी भी विषय पर प्रश्न किया जाता है तो सरकार द्वारा पूरी जानकारी उपलब्ध करके फिर उसका उत्तर दिया जाना चाहिए ।

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि रिपोर्ट कलेक्टर जैसे अधिकारी से नहीं आई है, तो फिर सरकार क्या कह सकती है कि किस प्रकार की बात है । इसके लिए शीघ्रातिशीघ्र रिपोर्ट भेजने के लिए उनको लिखा गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर जवाब नहीं आये तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सवाल प्रिन्ट नहीं किया जाय। यदि सवाल प्रिन्ट किया जायगा तो जवाब देना होगा. This question may be postponed, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : The question is postponed.

(विराम)

नेक्स्ट।

जूनियर डिप्लोमा कोर्स के सेन्टर्स

१०४. **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली) [श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान से कहां कहां कितने जूनियर डिप्लोमा कोर्स के सेन्टर्स हैं?

(२) प्रत्येक सेन्टर पर सालाना कितन-खर्चा होता है?

(३) इन सेन्टर्स पर अब तक कितने कितने विद्यार्थी प्रतिवर्ष दाखिल हुए हैं और उनमें से कितने पास हुए?

(४) क्या यह सही है कि इन सेन्टर्स पर पढ़ने वाले सरकारी नौकरों के बच्चों की फीस माफ होती है?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर व अजमेर में जूनियर डिप्लोमा कोर्स सेन्टर्स हैं।

(२) प्रत्येक सेन्टर पर सालाना खर्चे की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) ३२०) रु० माहवार तक पानेवाले सरकारी कर्मचारियों व उनके बच्चों की फीस माफ है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रामकिशन (वैर) : यह डिप्लोमा काहे का है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसका क्या जवाब दिया जाय?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि जो विद्यार्थी पास होते हैं उनका पर्सेन्टेज बहुत कम है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रारम्भ में कम था, अब ठीक आ रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कैसे कह सकते हैं कि अब ठीक आ रहा है? यह कितना पर्सेन्टेज़ है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पर्सेन्टेज मुझे मालूम नहीं, मगर जो स्टेटमेंट सदन की मेज पर रखा है उसमें विद्यार्थी जो एडमिट हुए, विद्यार्थी जो एपियर हुए और जो पास हुए उनका नम्बर दिया हुआ है। पर्सेन्टेज नहीं निकाला हुआ है। आप कहें तो निकाल सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितने विद्यार्थी एपियर हुए और कितने पास हुए ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह स्टेटमेंट सदन की मेज पर रख दिया गया है। उसको मैं पढ़ दूं अगर उपाध्यक्ष आज्ञा दें।

श्री रामकिशन : आपके पास है कहां ?

श्री उपाध्यक्ष : आप पढ़ दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : १९६१–६२ में :

कॉमर्स कॉलेज, जयपुर : पार्ट १

एडमिटेड	एपियर्ड	पासड
१३	१०	७
	पार्ट २	
५	४	२

गवर्नमेंट कॉलेज, कोटा : पार्ट १

८	२	२
	पार्ट २	
२	२	२

इसी प्रकार १९६२–६३ में कॉमर्स कॉलेज

जयपुर के	पार्ट १	
२१	१८	१०
	पार्ट २	
१०	८	४

इस तरह से सारे के सारे कॉलेजों के हैं। अगर कहें तो आगे भी पढ़ दूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप नम्बर बतला दीजिये कि कितने विद्यार्थी बैठे और कितने पास हुए ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : It is given in the statement.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि ६२–६३ में पार्ट २ में १० एडमिट हुए और ४ पास हुए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार इसको इम्प्रूवमेंट समझती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह सन् १९६०–६१ से तो इम्प्रूवमेंट ही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सन् ६२–६३ में ४ पास हुए और ५९–६० में भी १६ में से ४ पास हुए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपका इससे मतलब यह है कि यह जो खर्चा हो रहा है वह बेजा हो रहा है। मगर मैं यह कहूँगा कि यह खर्चा हो रहा है वह होना जरूरी है और इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। यह खर्चा सेक्रेटेरियेट में यू० डी० सी० और एल० डी० सीज़० के लिए जरूरी है। इसके बिना एल० डी० सीज़० और यू० डी० सीज़० अच्छे नहीं होते। इसलिए यह खर्चा होता है और यह खर्चा करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

सांचोर में बीकानेर बैंक की शाखा

१०५. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि सांचोर में तहसील व पंचायत समिति हैडक्वार्टर्स होते हुए भी अभी तक कोई बैंक की शाखा नहीं है ? अगर हां, तो अब तक बैंक के न खुलने के क्या कारण हैं ?

(२) क्या यह सच है कि बीकानेर बैंक का सरकार के साथ एक शर्तनामा हो चुका है कि जहां पर सब-ट्रेज़री होगी वहां पर बीकानेर बैंक की शाखा खोल दी जावेगी ? अगर हां, तो सांचोर में अब तक ऐसा न करने के क्या कारण है ?

(३) अब बीकानेर बैंक की शाखा सांचोर में कब तक खुल जाने की संभावना है ?

उप-मंत्रिणी, वित्त (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) जी हां। यहां बैंक की शाखा न खुलने का कारण यह है कि अभी तक यह जगह बैंक के एक्सपेन्शन प्रोग्राम में शामिल नहीं है।

(२) जी नहीं।

(३) इस सम्बन्ध में बैंक को लिखा जा चुका है। पत्र–व्यवहार जारी है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जब दूसरी जगह जहां उसकी उपयोगिता नहीं है खुल चुके हैं तो यहां पर क्यों नहीं खुला ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : बैंक का यह कहना है कि व्यवसायिक शक्ति इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिये, इसलिये प्रोग्रेस में इसको टैक-अप नहीं किया गया।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैं यह कहूंगा कि जब आहोर में बैंक खोल दिया, वहां पर उसकी कोई उपयोगिता नहीं है तो ऐसी सूरत में सांचोर में बैंक खुलना चाहिये।

श्रीमती कमला बेनीवाल : बैंक की शाखा अपनी सुविधा के अनुसार, व्यवसायिक शक्ति के अनुसार खोली जाती है। इसलिए इस सम्बन्ध में हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैं यह कहूंगा कि सांचोर में बैंक खोला जाता है तो ज्यादा जनता को लाभ होगा और उसकी उपयोगिता ज्यादा होगी। सांचोर तहसील हैडक्वार्टर भी है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इस सम्बन्ध में बैंक से पत्र-व्यवहार जारी है। आपकी बात को ध्यान में रखते हुए कोशिश की जावेगी।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

१०६. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) [श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सन् १६५६ में पब्लिक सर्विस कमीशन के अप्रूवल के द्वारा असिस्टेन्ट पंचायत इन्सपेक्टर्स नियुक्त किये गये थे ?

Page No. 20

(श्री भैरोंसिंह)

(२) क्या यह सही है कि सन् १६५८ में असिस्टेन्ट पंचायत इन्सपेक्टर के पद को समाप्त करके पंचायत एक्सटेन्शन ऑफिसर बनाये गये ? यदि हां, तो इन पंचायत एक्स-टेन्शन ऑफिसर्स में प्रश्न (१) की सूची के कितने इन्सपेक्टर्स को लिया गया और कितने को नहीं ?

(३) क्या यह सही है कि पी.ई.ओ. के पदों पर ऐसे असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर्स को लिया गया जिनका इस पर पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्शन नहीं हुआ था और वे टेम्पोरेरी थे ? यदि हां, तो किन किन को ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(४) क्या यह सही है कि सन् १६६१ में पी. ई. ओ. का पद समाप्त करके वापिस असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर बना दिये गये ? यदि हां, तो प्रश्न (१) से संबन्धित इन्सपेक्टर्स की तथा पी. ई. ओज़. बनकर सीनियर ग्रेड लेने वाले असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर्स की सीनियोरिटी कैसे शुमार की जायगी ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां ।

(२) जी हां । १६५६ में ५४ असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर्स पंचायत का लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किया गया था उसमें से ४६ व्यक्तियों को पंचायत प्रसार अधिकारी बनाया गया। शेष ५ व्यक्ति नहीं लिए जा सके क्योंकि वे असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर्स के पद समाप्त होने के दिनांक को विभाग की सेवा में नहीं थे ।

(३) जी हां । अस्थाई असिस्टेन्ट इन्स-पेक्टर जो लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये हुए नहीं थे परन्तु उनका कार्यकाल आयोग की अनुमति से बढ़ाया जा रहा था ऐसे व्यक्तियों को पंचायत प्रसार अधिकारी बनाया गया । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(४) जी हां । केवल जो व्यक्ति ८०-१७५ वेतन शृंखला में थे उन्हें सहकारी विभाग में असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर के स्थान पर एब्ज़ोर्ब किया गया था । इन्सपेक्टर्स केवल उन्हीं पंचायत प्रसार अधिकारियों को बनाया गया है जो पंचायत प्रसार अधिकारी ग्रेड प्रथम (११०–२२५) वेतन शृंखला में थे । इन्स-पेक्टर एवं असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर्स की सीनियो-रिटी पृथक पृथक होती है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न के भाग (३) में आपने बताया है कि असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर के चयन को पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था । जब उनको रिजेक्ट कर दिया गया था तो उनकी नियुक्ति आपने क्यों की ?

श्री भीखाभाई : ऐसा तो मैंने नहीं कहा कि उनको रिजेक्ट कर दिया था । मैंने तो यह कहा कि अस्थाई असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर को जो लोक सेवा आयोग द्वारा चयन हुए नहीं थे, परन्तु उनका कार्यकाल आयोग की अनुमति से बढ़ाया जा रहा था ; ऐसे व्यक्तियों को पंचायत प्रसार अधिकारी बनाया गया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिलेक्ट नहीं किया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उनको आपने क्यों नियुक्त किया ? क्या आपने जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया है वे लोक सेवा आयोग द्वारा रिजेक्ट नहीं किये गये थे ?

श्री भीखाभाई : मैंने यही कहा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अपना प्रश्न फिर से दोहराता हूँ। प्रश्न के भाग (३) में आपने बताया कि असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर को जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया था उनको आपने पंचायत प्रसार अधि-कारी के पद पर क्यों लिया ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि रिजेक्ट नहीं किया था। मैंने कहा कि जो लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये हुए नहीं थे परन्तु उनका कार्यकाल आयोग की अनुमति से बढ़ाया जा रहा था ऐसे व्यक्तियों को पंचायत प्रसार अधिकारी बनाया गया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पंचायत प्रसार अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी जो पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने एपियर नहीं हुए, सिलेक्शन जिनका नहीं किया गया। जिस समय प्रश्न पूछते हैं तो पूरा जवाब नहीं मिलता । प्रश्न में कोई इन्ट्रेस्ट नहीं आता है ।....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा(नसीराबाद): This is highly objectionable that you are remarking against the Minister.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप भी इनके साथ पान खाकर चले आ रहे हैं। आपका ही प्रश्न पूछ रहा हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

रूई के गोदाम में आग

१०७. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (राय-सिंहनगर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि जिला गंगानगर की मण्डी केसरीसिंहपुर में माह जनवरी, १९६३ में स्थानीय बिड़ला मिल्स जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री के रूई के गोदाम में आग लग गई ?

(२) यदि हां, तो क्या यह सही है कि यह आग काफी भड़क गई तथा बहुत सारे मजदूर इस आग की चपेट में आकर झुलस गये या फूंक गये तथा धुंआ देखकर मण्डी निवासियों ने आकर इस आग को बुझाया ?

(३) क्या यह सही है कि मिल की तरफ से आग बुझाने का कोई प्रबन्ध नहीं था ?

(४) क्या यह सही है कि यदि मण्डी निवासी नहीं पहुंचते तो आग बुझ ही नहीं सकती थी ?

(५) क्या यह सही है कि कुछ जले हुए मजदूरों को जीप में लादकर गुलाबेवाले ले जाया गया तथा वहां तड़प तड़पकर वे मर गये और उन्हें ठिकाने लगा दिया गया ?

(६) क्या यह सही है कि उपरोक्त मज-दूरों को गुलाबेवाले न लेजाकर सीधा गंगानगर ले जाया जाता तो वे बच सकते थे ?

(७) कितने मजदूर इस आग से मरे तथा घायल हुए तथा क्या इनमें गर्भवती औरतें तथा बालक भी थे ?

(८) क्या यह सही है कि उपरोक्त हानि का गलत जायजा लगवा कर बीमें की भारी रकम प्राप्त की जा रही है ?

Page No. 22

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(६) क्या यह सही है कि इस आग से झुलसे व मरे मजदूरों के लिए कोई कम्पेन्सेशन नहीं दिया गया ?

(१०) क्या यह सही है कि उपरोक्त कान्ड को दबा दिया गया है ? क्या सरकार उपरोक्त कान्ड की जुडिशियल जांच करायेगी ?

श्रम मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां।

(२) (अ) जी हां, रूई के एक गोदाम में।

(ब) ४ मजदूर झुलस गये।

(स) जी हां।

(३) यह सही नहीं है।

(४) यह कहा नहीं जा सकता।

(५) मालूम नहीं।

(६) प्रश्न नहीं उटता।

(७) १ मर्द, २ औरतें और १ बच्चा (४-५ महीने का) मरे तथा २ औरतें घायल हुईं।

(८) इस विभाग से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

(९) वर्कसमैन कम्पेन्सेन कमिश्नर द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(१०) यह सही नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि मिल की ओर से, जीनिंग प्रेस की ओर से आग बुझाने का कोई प्रबन्ध नहीं था ? इसके सम्बन्ध में आपकी ओर से, लेबर डिपार्टमेंट की ओर से क्या कार्यवाही की गई ?

श्री भीखाभाई : लेबर डिपार्टमेंट का प्रश्न नहीं उठता। फैक्टरी एक्ट का सवाल है। मेरे पास जो जानकारी आई है उसके अनुसार फैक्टरी एक्ट के किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस जीनिंग प्रेस में आग बुझाने का कोई भी प्रबन्ध नहीं है, क्या यह फैक्टरी एक्ट में नहीं आता ?

(विराम)

आप चुप क्यों हैं ?

श्री भीखाभाई : फैक्टरी एक्ट के प्रोविज़न्स का कन्ट्रावेन्शन करने की मेरे पास इत्तला नहीं है। जो जांच की गई उससे पता चलता है कि फैक्टरी एक्ट के प्रोविज़न्स का कोई उल्लंघन नहीं किया गया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जीनिंग फैक्टरी में आग बुझाने का पूरा प्रबंध रखा जाय, क्या इस प्रकार का प्रोविज़न फैक्टरी एक्ट में है ?

श्री भीखाभाई : वह तो एक्ट में होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा बिल्कुल स्पष्ट क्वेश्चन है....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : श्रम मंत्री को फैक्टरी एक्ट की धाराओं की

Page No. 23

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जानकारी होनी चाहिये, मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली धाराओं से जानकारी होनी चाहिये। हम स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आग बुझाने का प्रबन्ध नहीं था इसलिये इतनी जानें गईं। फैक्टरी एक्ट के मुताबिक यह जरूरी था कि आग बुझाने का समुचित प्रबन्ध उस जीनिंग मिल में हो।

श्री भीखाभाई : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने निवेदन किया कि ६ जनवरी को तार द्वारा सूचना मिली....

श्री उपाध्यक्ष : Order please! माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि फैक्टरी एक्ट में ऐसा प्रोविज़न है कि इस प्रकार के जीनिंग प्रेस में आग बुझाने का समुचित प्रबन्ध हो ; तो वह प्रबन्ध वहां था या नहीं ?

श्री भीखाभाई : The questions are put in the House only to elicit information. This is a question of law and its interpretation.

श्री रामानन्द अग्रवाल : श्रम मंत्री अपने, कानून से इतनी नावाकफियत बता रहे हैं, यह अफसोस की बात है। श्रम सम्बन्धी इतनी जानकारी भी नहीं बता रहे हैं जो कि फैक्ट की बात है। आपसे यह पूछा जा रहा है कि आग बुझाने का इन्तजाम था या नहीं ? अगर आग बुझाने का इन्तजाम इस जीनिंग प्रेस में नहीं था तो श्रम मंत्री के नाते आपको यह जानना जरूरी है कि फैक्टरी एक्ट के मुताबिक आग बुझाने का प्रबन्ध वहां होना चाहिये या नहीं। जीनिंग प्रेस के मालिक ने कानून का उल्लंघन किया है, जिससे इतने मजदूरों की जानें गईं, तो श्रम मंत्री ने मजदूरों के हितों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की ? यह डाइरेक्ट क्वेश्चन है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी करके पूरी कार्यवाही करे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष, इस क्वेश्चन को स्थगित रखा जाय मजदूरों की जानें गई हैं मालिक की असावधानी के कारण और कानून को नहीं मानने के कारण। अगर मालिक की असावधानी से मजदूरों की जानें गई हैं तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिये। इसलिये इस क्वेश्चन को स्थगित रखा जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय उपाध्यक्ष, यह एक बड़ी गम्भीर समस्या है, यह बिड़लाजी का जीनिंग प्रेस है, वहां पर आग बुझाने का प्रबन्ध नहीं था....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बिड़लाजी का था तो कोई कार्यवाही नहीं होवेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बीमा का पैसा बिल्कुल नाजायज़ तौर से लिया गया है। गर्भवती औरतें, बच्चे और आदमी जल कर मरे हैं। निश्चित रूप से सरकार के सामने यह तथ्य लाया गया है कि वहां पर आग बुझाने का प्रबन्ध नहीं था, पर हजारों रुपये खर्च करके बिड़लाजी ने इस प्रश्न को छिपाया है और इसके बाद गंगानगर की जितनी जीनिंग प्रेसेज़ हैं उनमें एक के बाद

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

एक में ऐसी घटनाएं हुई हैं ।। वहां फैक्टरी एक्ट को पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता है, फैक्टरी एक्ट के प्रोविज़न्स का पालन नहीं किया जाता है, उसका नतीजा यह है कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं । पेड़ीवाल के जीनिंग प्रेस में ऐसी घटना हुई । पर चूंकि यह बिड़लाजी से सम्बन्ध रखता है इसलिये इसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह समझता हूँ, जब तकसरकार पूरी जानकारी नहीं कर ले तब तक यह प्रश्न आगे के लिये स्थगित रखा जात है ।

श्री भीखाभाई : माननीय उपाध्यक्ष जितनी इन्फोर्मेशन होनी चाहिये वह सरकार के पास है, रिलेवेन्ट सवाल जितने हैं उनके उत्तर दिये गये हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आसान व्यवस्था दे दी है, आसन के लिये सम्मानने, रखें !

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में माननी सदस्य यह जानकारी करना चाहते हैं कि आग बुझाने के पर्याप्त साधन वहां थे या नहीं, और पर्याप्त साधन आग बुझाने के लिये रखना फैक्टरी एक्ट के अनुसार आवश्यक है कि नहीं ।

श्री भीखाभाई : इसके लिये दूसर सवाल पूछना चाहिये था ।

श्री उपाध्यक्ष : This question is implied.

श्री भीखाभाई : दस सवाल पूछे गये हैं और १० सवालों के जवाब दिये गये हैं, १० सवालों में से एक एक के अनेकों सप्लीमेंटरीज़ पूछे जायेंगे तो यह तो बड़ा मुश्किल हो जायगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह असेम्बली का काम है । नाजुक तो जरूर होता है, पर अपनी योग्यता के अनुसार पूरी तैयारी करके आना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : This question implies that and it is directly relevant to the issue.

The question is postponed.

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : बीमा का पैसा लेने के लिये जान-बूझ कर आग लगा देते हैं ।

प्रश्न संख्या १०८

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलाल !

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०९

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल !

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रा ।

चावल का वितरण, जिला झुंझुनू

११०. **श्रीमती सुमित्रा** (झुन्झुनू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती सुमित्रा)

(१) राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ ने झुंझुनूं में राशन के चावल के वितरण के लिये किस फर्म अथवा व्यक्ति को नियुक्त किया है ?

(२) क्या यह सही है कि उस फर्म ने या व्यक्ति ने जिले भर में अभी तक किसी भी व्यक्ति को चावल वितरित नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप,मंत्री सहकारिता (श्री भीमसिंह) : (१) संघ ने स्वयं के नाम से कोटा मंगवाने की व्यवस्था की और किसी फर्म अथवा व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया।

(२) हां। संघ को वितरण हेतु चावल का कोटा झुंझुनूं जिले के लिये मिला, मगर इसका चावल वास्तव में संघ को अभी तक नहीं मिला है। अतः वितरण करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्रीमती सुमित्रा : कोटा मिलने के बाद भी चावल नहीं मिलने के क्या कारण है ?

श्री भीमसिंह : संघ की तरफ से कोशिश जारी है, पर संघ को उपलब्ध नहीं हुआ।

श्रीमती सुमित्रा : कोटा किस तारीख को दिया गया ?

श्री भीमसिंह : २१-११-६३ को।

श्रीमती सुमित्रा : चार महीने के बाद भी चावल नहीं मिलने के क्या कारण हैं ?

श्री भीमसिंह : यह पृथक से प्रश्न है।

श्रीमती सुमित्रा : यह प्रश्न पृथक् कैसे हो सकता है ?

श्री भीमसिंह : नं० २ में पूछा है कि क्या यह सही है कि उस फर्म ने या व्यक्ति ने जिले भर में अभी तक किसी भी व्यक्ति को चावल वितरित नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

इसका कारण मैंने निवेदन किया है।

श्रीमती सुमित्रा : नवम्बर में कोटा देने का कहा है। चार महीने बीत गये, चार महीने के बाद भी संघ को कौनसी दिक्कत आ रही है कि वहां चावल वितरित नहीं किया जा रहा है, बाकी सब जिलों में चावल मिल गया और यहां नहीं मिला। यही तो कारण मैंने पूछा है कि कोटा मिल गया, फिर भी क्या वजह है कि वहां लोगों को चावल वितरित नहीं किया जा रहा है ?

श्री भीमसिंह : मैंने निवेदन किया न कि संघ को चावल उपलब्ध नहीं हुए हैं।

श्रीमती सुमित्रा : बाकी सब जिलों ने चावल का कोटा उठा लिया तो केवल झुंझुनूं जिले का ही कोटा क्यों नहीं उठाया गया ?

श्री उपाध्यक्ष : चावल संघ को उपलब्ध नहीं हुआ है तो आर्थिक कठिनाइयों के कारण उपलब्ध नहीं हुआ है या और दूसरी कोई कठिनाइयां हैं ?

श्री भीमसिंह : इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। दूसरा प्रश्न पूछा जायगा तो उत्तर दे दिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष, यह बहुत ऑब्जेक्शनेबल एटीट्यूड इस गवर्नमेंट का है। एक तरफ खाद्यान्नों की एक्यूट प्रोब्लम है और दूसरी तरफ लोगों को चावल नहीं दिया जाय और गवर्नमेंट यह जानकारी भी नहीं रखे कि कोटा संघ को क्यों नहीं मिल रहा है; यह बहुत खेद की बात है। सरकार को इस तरह के मामलों में पूरी जानकारी करके सही उत्तर देना चाहिये? इस तरह के टैक्निकल ऑब्जेक्शन उठा कर आन्सर को अवोइड नहीं करना चाहिये।

(६.०० म० पू०)

श्री भीमसिंह : सेन्ट्रल स्टोरेज से उनको अभी तक चावल नहीं दिया गया, इसलिए संघ द्वारा वितरित नहीं हुआ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मंत्री महोदय गलत फर्मा रहे हैं, गलत तथ्यों को असेम्बली के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में सरकार को जल्दी कार्यवाही वितरित करने के लिए करनी चाहिये।

श्रीमती सुमित्रा : झुंझुनू जिले के अलावा और कौन से ऐसे जिले हैं जहां चावल का कोटा वितरित नहीं किया गया है?

श्री उपाध्यक्ष : This is a different question. I think the Government should be vigilant about such questions. This is a most important thing that rations are distributed at proper places.

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा........

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : कामराज योजना इन पर लागू कर दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

कंजरों की कॉलोनी बसाने हेतु अनुदान

१११. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, तालेडा के अन्तर्गत रामनगर के कंजरों की कॉलोनी बसाने हेतु ३५,०००) रु० एक सौ मकान बनाने व २०,०००) रु० अन्य अनुदान और इस प्रकार ७५,०००) रु० दिये गये हैं?

(२) क्या यह सही है कि ५२ परिवारों के नाम पर सन् ६१–६२ में ३६,०००) रु० बूंदी समाज कल्याण विभाग के मार्फत दिये गये?

(३) क्या यह सही है कि १ लाख १४ हजार रुपये १५२ परिवारों के लिए हाउस स्कीम के अन्तर्गत बूंदी जिले में दिये गये हैं?

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(४) क्या यह सही है कि गढवा शिड्यूल्ड कास्ट के लिए २७ मकानों के लिये २७,७५०) रु० तालेडा क्षेत्र में दिये गये ?

(५) यदि हां, तो क्या उक्त योजनाओं के अनुसार मकानों का निर्माण करवा दिया गया है और सबके सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिये गये हैं ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां। सर्व प्रथम १९५५-५६ में रामनगर कंजर बस्ती में १०० मकानों के लिए ३५०) रु० प्रति मकान की दर से ३५,०००) रु० दिये गये थे।

तत्पश्चात् दिनाङ्क २८—१—५६ को २०,०००) रु० इन्हीं १००) मकानों के लिए २००) प्रति मकान की दर से अतिरिक्त सहायता दी गई, इसके बाद दिनाङ्क ३०-३-६२ को २०,०००) रु० की अतिरिक्त सहायता उपरोक्त १०० मकानों के लिए २०० रु० प्रति मकान की दर से पंचायत समिति, तालेड़ा को हस्तान्तरित की गई। इस प्रकार १०० परिवारों को ७५० रु० प्रति परिवार के हिसाब से ७५,०००) रु० दिये गये थे।

(२) संचालक, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से ५२ परिवारों के लिए ७५०) रु० प्रति परिवार की दर से १९६२ में ३९,०००) रु० मकान सहायता के लिए पंचायत समिति, तालेड़ा को पी०डी० एकाउन्ट में हस्तान्तरित किये गये।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं।

(५) रामनगर कन्जर बस्ती में कुल १५२ मकान में से ९८ मकान पूर्ण हो चुके हैं जिनके उपयोगीकरण प्रमाण-पत्र भेजे जा चुके हैं। ५१ मकान का कार्य चालू है तथा ३ का कार्य अभी चालू नहीं हुआ है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि आपने जितने मकानों की जानकारी दी है उतने मकान नहीं बने हैं और उनके सर्टिफिकेट आपको प्राप्त नहीं हुए हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जो तथ्य मैंने बताये हैं वे सही हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि नियमों के अनुसार जहां आपने रकम दे दी, वह उपयोग में नहीं आ जाय और उसके सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हो जायं तब तक दुबारा रकम नहीं दी जानी चाहिये ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सर्टिफिकेट मिलने के बाद दी गई है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कृपया यह बतायें कि नियमों के अनुसार कितने दिनों के अन्दर हाउसेज़ कम्प्लीट हो जाने चाहिए ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : रूल्स में दिया हुआ है, आप कृपया रूल्स पढ़ लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि रूल्स के अनुसार छः माह के अन्दर अन्दर मकान का निर्माण हो जाना चाहिये। यदि नहीं हुआ तो क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की गई ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कानून की बात है, लॉ डिपार्टमेंट को रेफर करेंगे।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मकान जल्दी से जल्दी बनवाने की सरकार द्वारा कोशिश की जाती है। पंचायत समिति को यह पैसा दिया गया है और उसकी देखभाल में मकान बन रहे हैं। सरकार द्वारा यह कोशिश की जाती है कि जल्दी से जल्दी मकान बन जायं। वैसे यह पंचायत समिति की जिम्मेदारी है और वही कोई कार्यवाही करे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि जो दुबारा अनुदान दिया गया है वह कुछ मकान बन जाने के बाद दिया गया है ? कुछ कुछ मकान बनते गये और अनुदान दिया जाता रहा ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर तीन मकान का निर्माण चालू नहीं हुआ तो उनको सब्सीक्वेन्ट अनुदान क्यों दिया गया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : पैसा पंचायत समिति द्वारा वितरित किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : जो मकान नहीं बने हैं या अधूरे पड़े हैं उनको एक किश्त का रुपया दिया, लेकिन मकान नहीं बने या अधूरे पड़े हैं तो दूसरी किश्त का रुपया कहां जमा है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : पंचायत समिति को पैसा दे दिया जाता है सरकार की ओर से और एक एक को अलग अलग नहीं दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : वह तो सही है, लेकिन वह रुपया कहां है ? जो मकान नहीं बने हैं उनको रुपया पंचायत समिति के पास है या जिन लोगों को मकान बनाने थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मेरे विचार से तो पंचायत समिति के पास है।

श्री भैरोंसिंह : पंचायत समिति के पास पैसा है तो भवन-निर्माण की बात कहां पैदा होती है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : आपका प्रश्न दूसरे इन्स्टालमेंट का है। जो मकान नहीं बने या अधूरे हैं उनको दूसरा इन्स्टालमेंट कैसे दिया गया ? वह पूरा होने के बाद दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : जिन मकानों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, क्या उनकी किश्त पंचायत समिति में बाकी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : नहीं साहब, एक सप्लीमेन्ट्री और पूछना चाहता हूँ। क्या यह सही है कि ४ मील कॉलोनी के लिए मकान बने हैं वे उनकी राय के अनुसार नहीं बने हैं और इसी कारण खाली पड़े हुए हैं और वे उनमें नहीं रह रहे हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इस प्रकार की जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं बताना चाहता हूँ कि यह कॉलोनी उनकी राय के अनुसार नहीं बनाई गई है इसलिए भीलों ने उनमें जाना शुरू नहीं किया है और यही कारण है कि रुपये का उपयोग नहीं हुआ है ? क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करने का आश्वासन देंगी ?

प्रश्न संख्या ११२.

श्री उपाध्यक्ष : वैद्य श्री गोविन्दसहाय ।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन (वैर) : नहीं हैं क्या कोई भी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चतुर्भुज उपाध्याय ।

चित्तौड़गढ़-बूंदी रोड पर बसें

११४. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तोड़-गढ): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चित्तौड़गढ़ से बूंदी रोड पर कुल कितनी बसें चल रही हैं ?

(२) क्या चित्तौड़ से यात्रियों की सुविधा के लिए ४ बजे सायं के पश्चात् भी कोई बस चलाने की स्वीकृति देने का विचार है ? अगर हां, तो कब तक ?

(३) इस रूट पर इस साल कितने मुकदमें बस मालिकों के खिलाफ बसों में निर्धारित सीटों से अधिक यात्री बिठाने पर विभाग द्वारा दायर हुए और उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए किस प्रकार का दण्ड दिया गया ?

(४) क्या ये बसें निर्धारित समय पर चलती हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उप मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) चित्तौड़गढ़ से बूंदी इस समय कुल ४ बसें चल रही हैं ।

(२) ऐसी कोई मांग नहीं है । प्रार्थना-पत्र आने पर आर. टी. ए. विचार करेगी ।

(३) नवम्बर, १९६३ में मैसर्स कृष्णा मोटर सर्विस, बूंदी, मालिक गाड़ी नं० आर. जे. आर २९१५ के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया और इस पर ५०) रु० का दण्ड अदालत द्वारा किया गया ।

(४) इस विषय में इस कार्यालय में कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं हुई है ।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बस के द्वारा डाक आती है और बस दस बजे चलती है और दो बजे डाक मिलती है । मेरा निवेदन है कि समय पर बस चलाने के लिए पाबन्द किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : प्रश्न संख्या ११३ ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, श्री महेन्द्रसिंह ।

श्री विजयसिंह झाला ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आ गये साहब, दे रहे हैं जवाब ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला ।

विकास मंत्री (श्री भीखाभाई) : कौनसा जवाब देना है।

श्री उपाध्यक्ष : ११५।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं ११३ का जवाब पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : He is not here.

श्री हरिप्रसाद शर्मा : महेन्द्रसिंह जी लिखकर दे गये हैं मेज पर मौजूद है।

कुंए के लिए रकम-ग्राम ढाबा

११३. **श्री महेन्द्रसिंह** (दीगोद) [श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) द्वारा पूछा गया] : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत ढाबा पंचायत समिति सुलतानपुर जिला कोटा के ग्राम ढाबा में पानी के कुए के लिए कुछ कम पंचायत समिति द्वारा मंजूर हुई है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रामवासियों ने श्रमदान करके कुए को करीब ११ हाथ खोद कर करीब ३ फुट पक्का भी बांध दिया है, लेकिन पंचायत द्वारा सरकारी रकम जो सरपंच के पास है, नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या ग्राम वालों ने इसकी जानकारी विकास अधिकारी को भी कई दफा दी है, परन्तु विकास अधिकारी इस बाबत में मौन हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां ?

(२) जी हां। गांव वालों ने जो खर्चा किया उसका हिसाब पंचायत को नहीं देने से सरपंच ने रकम नहीं दी।

(३) जी हां। जानकारी दी और विकास अधिकारी ने पंचायत को हिसाब पेश करने के लिए समय समय पर नोटिस दिया।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह हिसाब क्यों नहीं दिया ? यह उनकी सारी जिम्मेदारी है और उनके कहने के अनुसार श्रमदान दिया और जमीन में कुआ खोदा गया तो पैसा क्यों रोका गया ?

श्री भीखाभाई : मैंने जवाब दे दिया भाग (२) में, उन्होंने पंचायत को हिसाब नहीं दिया।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : सारी रकम पंचायत में आई है और उनके कहने के अनुसार श्रमदान दिया और ११, १२ फीट कुआ बना दिया तो वह रकम क्यों रोक ली है ?

प्रश्न संख्या ११५

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

(अनुपस्थित)

विकास मंत्री (श्री भीखाभाई) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके (प्रश्न संख्या ११५ के) पोस्टपोनमेंट के लिए लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'काला बादल'।

विद्यालयों का परीक्षा-फल

११६. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

(१) सन् १९६३ में राजस्थान सैकेन्डरी बोर्ड, अजमेर की परीक्षा में राज्य के किन विद्यालयों का परीक्षा-फल अच्छा रहा और किन किन का खराब रहा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) जिन विद्यालयों का परीक्षा फल प्रशंसनीय रहा उनको क्या पुरस्कार दिया गया तथा जिनका रिज़ल्ट खराब रहा उनके बारे में सरकार ने क्या विचार किया ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) सन् १९६३ के राजस्थान सैकेन्डरी एजूकेशन बोर्ड, अजमेर की हाई स्कूल व हायर सैकन्डरी स्कूल की परीक्षाओं का नतीजा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(२) सैकन्डरी एजूकेशन बोर्ड द्वारा एक शील्ड सेन्ट एनसेल्म्स हायर सैकन्डरी स्कूल, अजमेर को सबसे अच्छा नतीजा होने के के उपलक्ष में प्रदान की गई है।

प्रशंसनीय परीक्षा-फल लाने वाले विद्यालयों के हैड मास्टर तथा अध्यापकों को पुरस्कार देने के बारे में तथा खराब परीक्षा फल लाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

प्रश्न संख्या ११७

श्री उपाध्यक्ष : श्री मजलिस खां।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ११८

श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री विट्ठल

एनीकट एवं मेड़बन्दी

११९. श्री विट्ठल (बांसवाड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति, पीपलखूंट में एनीकट और मेड़बन्दी के लिये सरकार द्वारा कोई धन-राशि सन् १९६३ में दी गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(२) क्या पंचायत समिति द्वारा उस रकम को खर्च करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो किस किस गांव में और नहीं तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी सारी सूचना एकत्रित नहीं की जा सकी है, क्योंकि काफी लम्बी-चौड़ी सूचना माननीय सदस्य चाहते हैं। वैसे उन्हीं की यह पंचायत समिति है। इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया इसलिए इसके पोस्टपोनमेंट के लिए लिखा है।

श्री रामकिशन (वैर) : यह क्या जवाब हुआ कि उन्हीं की पंचायत समिति है। उनकी हो या किसी की हो, सरकार से जवाब चाहा गया है और उनको जवाब देना है।

श्री उपाध्यक्ष : खैर, पोस्टपोनमेंट के लिए कहा है।

श्री रामकिशन : नहीं, उन्होंने टाल दिया है। आदिवासियों के सवाल को हमेशा ही टाल देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Vithal, I am sorry; Shri Shankarlal.

कन्या माध्यमिक शाला–बड़ी सादड़ी में

१२०. **शंकरलाल** (सादड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बड़ी सादड़ी में अभी तक कन्या माध्यमिक शाला नहीं है? यदि हां, तो क्यों नहीं?

(२) बड़ी सादड़ी में कन्या प्राथमिक शाला की छात्र संख्या कितनी है तथा उसमें से कितनी पांचवीं कक्षा में हैं?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आज तो सब में तारीख पड़ गई है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रावतराम।

हरिजनों को मकान बनाने हेतु अनुदान, जिला चूरू

१२१. **श्री रावतराम** (सादूलपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चूरू जिले में चालू साल के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग की ओर से कितने परिवारों को मकान बनाने हेतु सहायता दी गई है और वह कहां कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र में हरिजनों को मकान बनाने के लिए सहायता केवल स्वीपर्स को ही दी जाती है? यदि हां, तो हरिजनों में अन्य जातियों को क्यों नहीं? क्या सरकार इस पर विचार करने का इरादा रखती है?

उप-मन्त्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) सन् १९६३–६४ में छापर म्यूनीसिपेलिटी क्षेत्र (जिला चूरू) के १२ मेहतर परिवारों को केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत ७५०)रु० प्रति परिवार की दर से ९,०००) रु० मकान सहायता हेतु स्वीकृत किए गए जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

राज्य योजना के अन्तर्गत रतनगढ़ एवं रतननगर पंचायत समितियों को १९६३–६४ के वित्तीय वर्ष में क्रमशः १,५००) रु० और २,२५०) रु० अनुसूचित जाति के कृषि भूमि पर बसने वाले परिवारों को मकान सहायता के लिए पंचायत समितियों को हस्तान्तरित किए गए।

(२) केन्द्रीय अनुदान (सेन्ट्रली स्पोंसर्ड) से संचालित योजना के अन्तर्गत मेहतरों व झाड़ू लगाने वाले व मैला उठाने वाले

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

व्यक्तियों को ही सहायता देने का प्रावधान है। जिसके अनुसार राजस्थान में भी नगरपालिका क्षेत्र मेहतरों व झाड़ू लगाने वाले व मैला उठाने वाले हरिजनों को मकान बनाने की सहायता दी जाती हैं।

इसके अतिरिक्त प्लान स्कीम (राज्य योजना) के अन्तर्गत कृषि की भूमि पर बसाने के दृष्टिकोण से अनुसूचित जाति के परिवारों को मकान सहायता दी जाती है। नगरपालिका क्षेत्र में कृषि के लिये जमीन पर्याप्त उपलब्ध होना सम्भव नहीं है। अत: यह धन-राशि निर्धारित कार्यक्रम के लिए पंचायत समितियों को हस्तान्तरित कर दी जाती है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति की सूची में प्रगट होने वाली समस्त जातियों को उपलब्ध हो सकता है। कार्यक्रम योजना आयोग द्वारा स्वीकृत होने से इसमें परिवर्तन करना सम्भव नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री रावतराम : क्या राज्य सरकार इसमें परिवर्तन करने का इरादा नहीं रखती?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जो तथ्य थे मैंने आपके सामने रख दिए हैं।

श्री रावतराम : क्या यह सही है कि पंचायत समिति एरियाज़ में दूसरी जातियों को भी हाउसिंग सब्सिडी दी जाती है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां।

श्री रावतराम : तो फिर नगरपालिका एरिया में क्या दिक्कत आती है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सेंटर की स्कीम बनी हुई है, वहां जिस मद के लिए पैसा मिलता है उसी के लिए ही खर्च होता है।

श्री रावतराम : तो फिर नगरपालिका एरियाज़ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जैसा मैंने निवेदन किया, वह रिहैबिलिटेशन की स्कीम है; उसके अन्दर केवल मकान बनाने का प्रश्न नहीं है, उनको बसाने का भी प्रश्न है। इसलिए पंचायत समिति को पैसा दिया जाता है कि वह रूरल एरियाज़ में मकान बनवाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रभुलाल।

अध्यापकों के तबादले—झालावाड़

१२२. **श्री प्रभुलाल सेन्टर** (खानपुरा) [श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) द्वारा पूछा गया]: क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि इन्सपेक्टर शिक्षा विभाग, झालावाड़ द्वारा एक वर्ष में दो-दो एवं तीन-तीन मर्तबा एक एक मास्टर का तबादला किया गया है? यदि हां, तो ऐसे कितने मास्टर हैं तथा इस प्रकार तबादले करने के क्या कारण हैं?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : व्यक्तिगत रूप से किसी अध्यापक का तबादला होने पर उसने शिकायत प्रस्तुत नहीं की लेकिन कुछ गुमनाम बिना

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

दस्तखती शिकायती पत्र अवश्य प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है। जांच होने पर यह कहा जा सकता है कि एक अध्यापक का २–३ मर्तबा तबादला हुआ है या नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या गुमनाम की भी जांच होती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कभी २ तथ्य ऐसे होते हैं जिन पर जांच कर लेते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यहां प्रश्न तो तथ्यों का है। किसी अध्यापक का दो-तीन बार एक साल के अन्दर तबादला किया जाय और उसकी चिट्ठी न भी आती हो तो भी इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट तो आनी ही चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य :उसकी जांच हम कर रहे हैं कि एक ही साल में दो–तीन बार किसी अध्यापक का तबादला हुआ या नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यह कोई जांच का विषय है ? आप इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स से रिपोर्ट ले लेते।

श्री उपाध्यक्ष : जांच तो प्रत्येक मामले की करनी पड़ती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा प्रश्न यह है कि इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ने इस संबंध में अपनी कोई रिपोर्ट भेजी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे नेचुरल कोर्स में इस प्रश्न को पोस्टपोन करवाना था लेकिन फिर भी मैंने जवाब दे दिया। यद्यपि अभी तक सही स्थिति की जानकारी मुझे प्राप्त नहीं हुई है, मैंने समझा इसमें एक–दो मास्टरों का सवाल है इसलिए मैंने जवाब दे दिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप गुमराह कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर-कोटा रूट पर यात्रियों को सुविधायें

२८. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या यातायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान स्टेट रोडवेज के जयपुर से कोटा तक कितने रुकने के स्टेशन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इन स्टेशनों में से कहां कहां यात्रियों के ठहरने के लिये, बैठने, पानी व धूप से व वर्षा से बचने की व्यवस्था है ? जहां नहीं है वहां कब तक यह व्यवस्था करने का विचार है ?

उत्तर

(१) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये वाजिहत सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(यातायात मंत्री)

(२) मुख्य बस स्टेशन्स, चाकसू, निवाई टौंक, देवली, बून्दी तथा कोटा पर बुकिंग ऑफिस स्थापित हैं जहां पानी की व्यवस्था है। जयपुर, टौंक तथा देवली बस स्टेशनों पर यात्रियों के ठहरने, बैठने तथा धूप एवं वर्षा से बचने की सुविधा उपलब्ध है। शेष बस स्टेशन्स चाकसू, निवाई, बूंदी तथा कोटा पर शीघ्र ही उक्त सुविधायें दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

(कृपया परिशिस्ट ४ देखिए)

कोटा ट्रांसपोर्ट कम्पनी के श्रमिकों की मांगें

२६. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि १६ अगस्त, १६६३ को श्रम अधिकारी की उपस्थिति में कोटा ट्रांसपोर्ट कम्पनी की वर्क्स कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें कम्पनी के श्रमिकों की मांगों के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया गया था? यदि हां, तो क्या २ निर्णय लिये गये थे ?

(२) क्या इन मांगों को अब तक पूरा करवाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? श्रम विभाग की ओर से अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

उत्तर

(१) जी हां। निर्णयों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(२) कौन २ से निर्णयों का पालन नहीं हुआ है, यह श्रम विभाग की जानकारी में नहीं लाया गया है। श्रम विभाग की जानकारी में लाने पर कार्यवाही की जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

आबकारी एवं कर से आमदनी-निम्बाहेड़ा

३०. श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : क्या आबकारी तथा कर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) निम्बाहेडा नाका आबकारी तथा कर द्वारा सन् १६६२–६३ और ६३–६४ से कुल कितनी आमदनी राज्य को हुई है ? अलग अलग सालवार बताएं।

(२) क्या यह सही है कि सन् ६२-६३ की अपेक्षा ६३–६४ में आमदनी ज्यादा हुई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(३) सन् ६२–६३ के माह मई, जून, जुलाई और अगस्त की आमदनी की सूची तथा सन् ६३–६४ के माह मई, जून, जुलाई और और अगस्त की सूची सदन की मेज पर रखें। इस आमदनी का कितना अन्तर है और इस अन्तर का क्या कारण है ?

उत्तर

(१) निम्बाहेड़ा नाका आबकारी व कर २७-६-६२ को कायम हुआ था। सन् १६६२-६३ तथा १६६३-६४ में आमदनी निम्न प्रकार से हुई है:

(आबकारी तथा कर मंत्री)

१९६२-६३	१९६३-६४
३३,६२६.९४	७४,४६३.७२

(२) जी हां । अधिक आमदनी के निम्नलिखित कारण हैं :-

सन् १९६२-६३ में केवल राजस्थान यात्री कर नाका की आमदनी शामिल है तथा ६३-६४ में खरीद कर की आमदनी अधिक समय की है । इसके साथ ही ६३-६४ में निरीक्षक स्टॉफ भी अधिक मात्रा में पोस्ट किया गया तथा Flying Squad Excise preventive Force की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई थी इससे भेड़-बकरी कर की आमदनी अधिक हुई ।

(३) सूची संलग्न है । अन्तर का कारण उत्तर (२) में निहित है ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

राज्य सरकार पर ऋण

३१. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) केन्द्रीय सरकार का कितना ऋण राज्य सरकार को देना है ?

(२) इस ऋण के मद कितना ब्याज अभी तक चुकाया जा चुका है ?

(३) सन् ६१-६३ में कितना ब्याज दिया गया और कितना देना था ?

(४) क्या यह सही है कि सन् ६२-६३ में जितना रुपया असल ऋण के पेटे राज्य सरकार को चुकाना था वह नहीं चुकाया जा सका ?

(५) यह सम्पूर्ण ऋण कब तक चुकाना है और इसके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था सोची है ?

(६) अगर और ऋण नहीं लिया जावे तो भुगतान की वर्तमान दर से कितने वर्ष में इसका पूरा भुगतान हो सकेगा ?

(७) चालू वित्तीय वर्ष में कितना ऋण लिया जाने वाला है और कितना लिया जा चुका है ?

(८) केन्द्रीय सरकार के अलावा और किस किसका ऋण कितना बाकी है जिसका भुगतान करना है ?

(९) क्या यह सही है कि जितना ब्याज राज्य सरकार को देना पड़ता है उसका रिटर्न उक्त योजनाओं से नहीं होता जिन पर यह राशि लगाई गई है ?

उत्तर

(१) तारीख ३०-११-६३ तक ऋण की राशि १,९१,७६,८५,६९५. ०४ थी ।

(२) १९५०-५१ से लेकर ३०-११-६३ तक २२,२३,०४,०५७ रुपये ब्याज पेटे चुकाया जा चुका है ।

(३) भारत सरकार को इस वर्ष में कुल ५,७६,२३,३४२.१४ रुपये ब्याज पेटे भुग-

(वित्त मंत्री)

तान करने थे। राज्य सरकार ने इसमें से ३,८८,७१,६६३.३७ का भुगतान कर दिया। शेष ब्याज की रकम १.८८ करोड़ जो चम्बल परियोजना के लिये ऋण पर ब्याज के पेटे ऋण प्राप्त करने हेतु भारत सरकार से पत्र व्यवहार चल रहा है क्योंकि यह ब्याज पूंजीगत खाते में ही शुमार किया जाता रहा हैं।

(४) ऋण के पेटे असल रकम जो चुकानी थी यह पूरी २ चुकाई जा चुकी है।

(५) भिन्न २ ऋणों की शर्तें भी भिन्न २ ही होती हैं। ३०–११–६३ तक जितने ऋण प्राप्त हुए हैं उनका भुगतान पूर्ण रूपेण १६ ६८–६६ तक होगा। जैसे जैसे ऋणों का भुगतान वाजिब पड़ता है उसके अनुसार भुगतान करने वाली राशि का प्रावधान बजट में कर दिया जाता है व चुकाया जा रहा है।

(६) जैसा कि प्रश्न के भाग ५ के उत्तर में उल्लेख है ३०–११–६३ तक प्राप्त ऋणों का भुगतान सन् १६६८–६६ तक पूरा होगा।

(७) तारीख ३०–११–६३ तक २६,५८ २२, ४६३ रुपये का ऋण लिया चुका है। चालू वर्ष में इस सहित कुल ४४,६६,२८ ००० रु० का ऋण प्राप्त होने का अनुमान है।

(८) अन्य संस्थाओं से ३०–११–६३ तक प्राप्त ऋणों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

(१) रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि निधि से प्राप्त १,०५,२१,२००.०० ।

(२) जीवन बीमा निगम से प्राप्त ३,३६,६४,०३६.१५ ।

(३) राष्ट्रीय सहकारी विकास और वेयर हाउसिंग बोर्ड से ५१,२६,१५६.०५ ।

(४) राजस्थान राज्य के विकास ऋण २४,३१,४५,०००.०० ।

(६) जी हां, यह सही है। योजनाओं पर व्यय होने वाली राशि का 'रिटर्न' उन परियोजनाओं से अभी उतना नहीं होता जितनी राशि उन पर व्यय होती है। जैसे जैसे परियोजनायें आगे बढ़ती जावेंगी और सफल होती जायेंगी वैसे वैसे ही उनसे आय बढ़ती जायेगी और उम्मीद की जाती है धीरे धीरे लक्ष्यों की प्राप्ति होती रहेगी।

न्याय पंचायतों द्वारा मांगी गई धन-राशि

३२. **श्री मजलिसखां (कामां)** : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

पंचायत समिति कामां, डीग और नगर में किन २ ग्राम पंचायतों ने न्याय पंचायतों द्वारा मांगी गई धन-राशि उन्हें नहीं दी है ! इसकी सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

पंचायत समिति, कामां व डीग में जिन ग्राम पंचायतों ने न्याय पंचायतों द्वारा मांगी गई धन-राशि नहीं दी है उसकी सूची संलग्न

(पंचायत मंत्री)

है। पंचायत समिति, नगर की सभी पंचायतों ने नियमानुसार न्याय पंचायतों को अंशदान की धनराशि का चुकारा कर दिया है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिए)

बंध माधोसागर तक सड़क

३३. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे :—

क्या बांदीकुई—गंगापुर सड़क को बन्ध माधोसागर से मिलाने के लिये एक मील लम्बी सड़क बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरी हो जावेगी और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं।

मेव आबादी वाले क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या

३४. श्री रामकिशन (वैर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भरतपुर जिले की कामां तथा नगर पंचायत समिति के अन्तर्गत मेव आबादी वाले क्षेत्रों (देहातों) में स्कूलों की संख्या क्या है और प्रत्येक स्कूल की औसतन छात्र उपस्थिति संख्या क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिए)

पाली जिला सहकारी संघ

३५. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) पाली जिला सहकारी संघ कब स्थापित हुआ और राज्य सरकार से कितनी सबसिडी किस किस वर्ष में किस किस कार्य के लिये मिली व कितनी २ राशि कब कब खर्च हुई ?

(ख) पाली जिला सहकारी संघ को सोसायइटीज़ से कितना कितना चन्दा प्राप्त हुआ ?

(ग) पाली जिला सहकारी संघ को जीप खरीदने हेतु किस किस समिति से कितनी राशि किस किस तारीख को प्राप्त हुई ?

(घ) संघ की कितनी कितनी रकम किस किस में किस किस तारीख से उद्‌रत बकाया है व अब तक वसूल न करने का क्या कारण है ?

(ङ) संघ के संचालक मण्डल का चुनाव कब हुआ था व उसका कार्यकाल कब समाप्त होता है ? किस किस सदस्य, संचालक मंडल का चन्दा नियमानुसार वसूल हुआ ?

(च) संघ के वैतनिक मन्त्री के पद पर किस किस को कब कब रखा व कितना कितना रुपया उन्होंने उठाया ?

(छ) संघ का ऑडिट कब कब हुआ व ऑडिट के क्या क्या एतराज थे व उनकी कम्प्लायन्स की गयी या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(क) पाली जिला सहकारी संघ दिनांक १७-१०-५८ को रजिस्टर्ड हुआ। राज्य सरकार से अनुदान जिस जिस वर्ष में जिस जिस कार्य हेतु व उनमें से कितनी राशि खर्च हुई, इसका विवरण संलग्न सूची परिशिष्ट (क) में है।

(ख) पाली जिला सहकारी संघ को समितियों से २०८६)रु० चन्दे के रूप में प्राप्त हुए जिनका समितिवाइज़ विवरण संलग्न सूची परिशिष्ट (ख) में है।

(ग) पाली जिला सहकारी संघ को जीप खरीदने हेतु २५८०)रु० प्राप्त हुए। जिन समितियों से यह चन्दा जिस-जिस तारीख को प्राप्त हुआ उसकी सूचना संलग्न सूची परिशिष्ट (ग) में है।

(घ) संघ की २०१२)७१ नं०पै० उदरत बकाया है। यह रकम किस किस में कब से कितनी कितनी बकाया है, उसका विवरण संलग्न सूची परिशिष्ट (घ) में है।

यह तमाम-उदरत रकम समितियों के सालाना नक्शे बनाने, सेमीनार व स्टाईपण्ड बाबत किये गये थे। इनमें से आइटम नं० ४ व ५ का, जिनका कि सैमीनार के लिये रकम दी गई थी, उन्होंने हिसाब दे दिया है परन्तु कार्यकारिणी समिति द्वारा हिसाब स्वीकृत नहीं हुआ है; अतः खर्च नहीं लिखा जा सका। इन सभी से वसूली की कार्यवाही जारी है।

(ङ) संघ के संचालक का चुनाव १९-८-६३ को हुआ था और उसका कार्यकाल दिनांक १८-८-६६ को समाप्त होगा। संचालक मण्डल के सदस्यों का चन्दा नियमानुसार वसूल होता है जो संलग्न सूची परिशिष्ट (ङ) में हैं।

(च) संघ के वैतनिक मन्त्री किस किसको कब कब रखा व कितना कितना रुपया उन्होंने उठाया, इसका विवरण संलग्न सूची परिशिष्ट (च) में वर्णित है।

(छ) संघ का ऑडिट वर्ष ५८-५९ का माह मई ६० में, ५९-६० का फरवरी ६१ में, वर्ष ६०-६१ का माह दिसम्बर ६२ में व ६१-६२ का माह जून, ६३ में हुआ है। ऑडिट एतराजों का वर्णन व उसकी पूर्ति का विवरण संलग्न सूची परिशिष्ट (छ) में वर्णित है।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भरतपुर जिले की ऋण दात्री सहकारी समितियां

३६. श्री रामकिशन (वैर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) भरतपुर जिले में ऋणदात्री (क्रेडिट कोऑपरेटिव) सहकारी समितियां कितनी हैं?

(२) क्या नियमित रूप से हर वर्ष इनके कार्य का लेखा-जोखा का निरीक्षण कराया जाता है?

(श्री रामकिशन)

(३) अगर हां, तो भरतपुर जिले में कितनी समितियों के विरुद्ध गबन, भ्रष्टाचार, अनियमितता आदि के आरोप पाये गये हैं और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखा जावे ।

उत्तर

(१) भरतपुर जिले में १२५७ ऋण-दात्री सहकारी समितियां हैं ।

(२) जी हां । परन्तु १४ समितियों का ऑडिट रेकॉर्ड नहीं मिलने से नहीं करवाया जा सका ।

(३) भरतपुर जिले में १२८ समितियों के विरुद्ध गबन, भ्रष्टाचार, अनियमितता आदि के आरोप पाये गये हैं जिसकी सूची परिशिष्ट (क) व (ख) सदन की मेज पर रख दी है और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस, अदालत व विभाग द्वारा वसूली की कार्यवाही भी चल रही है । इनमें से १८ मामलों में निर्णय लिया जा चुका है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बसों के परमिट-जिला झुन्झुनूं

३७. श्री शिवनारायण छाछिया (सूरतगढ़) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला झुन्झुनू में कच्चे और पक्के मार्गों पर किन व्यक्तियों को बस चलाने के परमिट दिये हुए हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जिला झुन्झुनू में कच्चे और पक्के मार्गों पर (ए० बी० और सी० क्लास रूट्स) बस चलाने के परमिट दिये हुए । सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

डेयरी फार्म खोलने हेतु अनुदान पंचायत समिति, सिवाना

३८. श्री भगराज चौधरी (रानीवाडा) : क्या सामुदायिक विकास एवं पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) पंचायत समिति सिवाना (जिला बाडमेर) में विकास खंड के प्रारंभ से अब तक कितने कृषकों को डेयरी फार्म खोलने हेतु कितना कितना कर्जा दिया जा चुका है तथा प्रत्येक कृषक ने अब तक कितनी कितनी उन्नत नस्ल की गायें एवं बछड़े खरीद लिये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(२) इनमें से कितने कृषकों को निर्धारित अवधि में उन्नत नस्ल की गायें एवं बछड़े खरीदने व ऋण उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिये जा चुके हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

उत्तर

(१) सूची संलग्न है ?

(२) यह सूचना भी संलग्न सूची में अंकित है ।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिए)

वन महोत्सव पर व्यय

३६. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राजस्थान में वर्ष १९६२–६३ में कितने वृक्ष वन महोत्सव के अन्तर्गत सरकार की ओर से लगाये गये ? कृपया जिलेवार संख्या की सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) इस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

(३) इसमें से कितने वृक्ष अभी तक जीवित हैं तथा कितने नष्ट हुए ?

(४) वर्ष १९६१ में कितने वृक्ष लगाये गये थे और उनमें से कितने नष्ट हुए, नष्ट होने का क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) वन महोत्सव में पौधे राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाये जाते हैं, वन विभाग व अन्य संस्थायें केवल स्थानीय शासन संस्थाओं जैसे पंचायत तथा अन्य संस्थाओं को पौध सप्लाई करती है। जो वृक्ष लगाए गए हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) राज्य सरकार ने कोई खर्चा नहीं किया है।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। नष्ट होने का कारण साधारण है जो मौसम व अन्य बातों पर निर्भर करते हैं।

(कृपया परिशिष्ट ११ देखिये)

अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का वार्षिक अधिवेशन

४०. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सच है कि भरतपुर में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का १७ वां वार्षिक अधिवेशन १६ मई, सन् १९६३ ई० को किया गया था ?

(२) उक्त अधिवेशन पर कितना खर्चा किया गया ? अलग अलग आइटमवार हिसाब की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) इस अधिवेशन में प्रांत के दलितों के कितने प्रतिनिधि इकट्ठे हुए ? आंकड़े बताने की कृपा करें।

उत्तर

(१) जी हां।

(२) इस विभाग से इस अधिवेशन में कोई खर्चा नहीं किया गया।

(३) यह अधिवेशन राजस्थान दलित वर्ग संघ के तत्वाधान में मनाया गया था।

अतः यह सूचना इस कार्यालय में नहीं है।

समाज कल्याण बोर्ड का वार्षिक खर्च

४१. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) समाज कल्याण बोर्ड राज्य के कौन २ से भागों में क्या क्या कार्य करता है और उन पर कितना रुपया सालाना खर्च होता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) यह बोर्ड कब से बना है ? इसका क्या उद्देश्य है और अब तक उद्देश्य पूर्ती में कितनी कामयाबी मिली है ?

(समाज कल्याण मंत्री)

उत्तर

(१) समाज कल्याण बोर्ड राज्य के प्रायः सब भागों में कार्य करता है। कार्य का विवरण तथा उनका सालाना खर्च की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना सन् १९५४ में हुई थी। राज्य बोर्ड का उद्देश्य महिलाओं व बच्चों के कल्याण कार्य करना, स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्यक्रमों को समान्वित करना, उन कार्यक्रमों को मजबूत बनाने के लिए अनुदान देना व केन्द्रीय बोर्ड का उन कार्यों के सम्बन्ध में सलाह देना है। बोर्ड द्वारा भौतिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के विवरण की तालिका सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(९. १४ म. पू.)

बीकानेर मेडीकल कॉलेज में विद्यार्थियों के दो दलों में झगड़ों के कारण कॉलेज के अनिश्चित काल तक बन्द करने विषयक स्थगन-प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : बीकानेर मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों के दो दलों में २३ फरवरी, १९६४ को हुए झगड़े से उत्पन्न स्थिति एवं इस झगड़े के कारण राज्य सरकार द्वारा कॉलेज को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिये जाने से सम्बन्धित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं श्री मुरलीधर व्यास, श्री मानिकचन्द सुराणा, श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल एवं श्री रामानन्द अग्रवाल से प्राप्त हुई हैं।

इस मामले का सम्बन्ध केवल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर के छात्रों से ही है और यह इतना अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर आज इस पर विचार किया जाये। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यहां यह भी बताना चाहता हूं कि इसी विषय पर, कल दिनांक ३ मार्च, १९६४ को, एक माननीय सदस्य द्वारा नियम १३१ के अन्तर्गत दिये गये एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर माननीय चिकित्सा मन्त्री द्वारा सदन में दिये जाने वाले वक्तव्य में उपरोक्त माननीय सदस्यों द्वारा अपने अपने स्थगन-प्रस्तावों में उठाये गये मुद्दों पर भी वे प्रकाश डालें।

ऐसी स्थिति में मैं उपरोक्त माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए स्थगन-प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं। लेजिस्लेटिव बिज़नेस।

श्री माणिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका स्टेटमेंट आज ही क्यों न दिलाया जाय?

श्री उपाध्यक्ष : वह कल के लिए निश्चित हो चुका है ऑलरेडी। लेजिस्लेटिव बिज़नेस श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(९. १५ म. पू.)

राजस्थान दाई, स्वास्थ्य वीक्षक और सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रेशन विधेयक, १९६४

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा परिनियता संकल्प की प्रस्तुति-विधेयक पर विचार-विमर्श)

Page No. 43

[श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत परिनियत (statutory) संकल्प इस प्रकार है :—

"यह सदन राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित राजस्थान नर्स-दाई स्वास्थ्य वीक्षक, सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रेशन अध्यादेश, १९६४ (संख्या २, १९६४) को अस्वीकृत करता है।"]

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने जो एक प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है, वह राजस्थान नर्सेज़, मिडवाइव्ज़, हेल्थ विज़ीटर्स एण्ड ऑग्ज़ीलियरी नर्सेज़, मिडवाइव्ज़ रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेन्स, १९६४ को प्रख्यापित किया गया उसके अस्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में मैंने संकल्प प्रस्तुत किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में कई बार इस बात की चर्चा की गई कि जब विधान सभा का अधिवेशन नहीं हो उस अवधि में राज्यपाल महोदय द्वारा कम से कम ऑर्डिनेन्सेज़ जारी किए जायें। इस सदन में माननीय सदस्यों ने पिछली बार और पिछले सत्र में भी अपने विचार प्रस्तुत किए कि अध्यादेश जारी करने की परम्पराएं अच्छी नहीं हैं। संविधान के आर्टिकल्स के अनुसार, उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी किए जाते हैं, लेकिन हमारी राजस्थान सरकार को एक आदत पड़ गई है कि विधान सभा का अधिवेशन जिस समय न हो उस समय इस प्रकार के अध्यादेश जारी करके वह कानून बनाने के अधिकार का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के जो एक्स्ट्रा-ऑर्डिनरी पॉवर्स हैं, जो संविधान की धारा २१३ के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को दिए गए हैं उन अधिकारों का प्रयोग बहुत विशेष परिस्थितियों और बहुत ही विशेष कारणों के वजह से होना चाहिए। दो की जगह चार अधिवेशन हो सकते हैं लेकिन एक लम्बा समय उसके बीच में गुजरने के कारण राज्य सरकार को अध्यादेश जारी करने की नौबत आती है।

जहां तक इस अध्यादेश का सवाल है इसमें कोई ऐसी एमर्जेन्सी नहीं है कि इसको ८ जनवरी १९६४, को किसी प्रकार से भी प्रोमल्गेट किया जाता। यह कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के हटाने का सवाल नहीं था, या कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को रखे जाने का सवाल नहीं है। इसमें कोई राजस्थान विश्वविद्यालय या राज्य सरकार की किसी आज्ञा को अध्यादेश द्वारा निरस्त किए जाने के फलस्वरूप बहुत दूरगामी परिणाम होते हों, यह बात नहीं है।

मैं पूछना चाहूंगा और यह सदन भी जानना चाहेगा, कि आखिर ८ जनवरी, १९६४ कि अगर ८ जनवरी का यह अध्यादेश जारी न करते और सदन के अधिवेशन का इंतजार करते तो ८ जनवरी से लेकर ८ मार्च तक इन दो महीनों के समय में कौन सी ऐसी बड़ी बात, आपत्ति, दुविधा, संकट या जटिल समस्या राज्य सरकार के सामने खड़ी होती ? इस अध्यादेश में केवल एक व्यवस्था की गई कि जो मिडवाइव्ज़, नर्सेज़ हैं, हेल्थ विज़िटर्स हैं या जो ऑग्ज़ीलरी नर्स मिडवाइव्ज़ हैं, उनके

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाय । मैं स्वास्थ्य मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि १२ वर्ष में रजिस्ट्रेशन का इन्तजाम नहीं किया, पेन्डिंग रहा तो क्या दो महीने के लिए यह मामला पेन्डिंग नहीं रह सकता था ? यह सही है कि अध्यादेश जारी किया गया । यह भी सही है कि इसको आप अपनी मेजोरिटी के बल पर पास कर देंगे । लेकिन सदन के अन्दर यह भावना व्यक्त की जाती है कि यह एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से अध्यादेश जारी किया गया है । मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इस अध्यादेश का सवाल है, इसमें यह बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी, कौंसिल कॉन्स्टिट्यूट की जायगी, किस प्रकार से फॉर्म्स होंगे और क्या फीस होगी,यह बताया गया है । यह भी कहा गया है कि रूल्स एन्ड रेगुलेशन्स बनाये जावेंगे और उनको बनाये जाने के बाद ही अध्यादेश के अन्तर्गत कार्यवाही हो सकती है । जब आपने (राज्य सरकार ने) इसकी इतनी एमर्जेन्सी समझी और यह ऑर्डिनेन्स जारी किया तो इसके अन्तर्गत जो रूल्स एन्ड रेगुलेशन्स होने चाहिये वे कहां हैं ? मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि वे रूल्स एन्ड रेगुलेशन्स कहां है ? कहां हैं ? नहीं बनाये आपने उनसे क्या पूछते हैं । बनाये होते तो सदन की मेज पर रखे जाते । इस अध्यादेश में यह लिखा गया है कि राजस्थान सरकार रूल्स एन्ड रेगुलेशन्स बनायेगी वे सदन की मेज पर रखे जायेंगे । दस दिन हुए सदन को चलते हुए, लेकिन कोई रूल्स एन्ड रेगुलेशन्स नहीं रखे गये । दो महीने के समय में आप रूल्स एन्ड रेगुलेशन्स नहीं बनाते,कौंसिल को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया, रजिस्ट्रार का आपने अपॉइन्टमेन्ट नहीं किया, फॉर्म्स सेट नहीं किये, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और फीस क्या होगी,यह भी तय नहीं किया । जब आपने ये जो सारी व्यवस्थाएं इसके अन्तर्गत होनी चाहिये थीं, उनको नहीं किया तो इस ऑर्डिनेन्स के इम्प्लीमेन्टेशन की दृष्टि से जारी करने का क्या अभिप्राय था ? दो महीने में आपने इसको क्यों जारी किया ? रूल्स एन्ड रेगुलेशन्स नहीं बनाये, फॉर्म्स नहीं बनाये, फीस की व्यवस्था नहीं की, कौंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया, नोमिनेशन आपने नहीं किा, कोऑप्शन आपने नहीं किये, दो महीने में ये सारी व्यवस्था आप नहीं कर सके तो यह अध्यादेश जारी क्यों किया ? सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी इस बात का जवाब दें कि अध्यादेश जारी करने के बाद कब कब क्या क्या कार्यवाही की ? मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, कितने रजिस्ट्रेशन हुए, कितने फॉर्म्स इश्यू किये ?

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ऑर्डिनेन्स जारी कर. देती है, उसके बाद संतोष करके बैठ जाती है । कब, कैसे इम्प्लीमेन्ट किया जायगा , इसकी उसको चिन्ता नहीं होती । सदन की बैठक होगी, छः सप्ताह में कानून बन जाना चाहिये, इसीलिए सरकार की ओर से यह कोशिश की जाती है कि अध्यादेश को पहले ले लिया जाय । यह सदन माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता है कि दो महीने के समय में राजस्थान सरकार ने कोई रूल्स नहीं बनाये, जैसी मेरी मान्यता है, ऑर्डिनेन्स में जैसी व्यवस्था है, सदन के पटल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पर नहीं रखे गये, मैं मानता हूं कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, फॉर्म्स प्रेस्क्राइब नहीं हुए, कौंसिल का कॉन्स्टिट्युशन नहीं हुआ, जब कि इस अध्यादेश की हर धारा में यह व्यवस्था की गई है कि एज़ प्रेसक्राइब्ड बाइ दी रूल्स एन्ड रेगुलेशन्स। अब कहीं पर रूल्स एन्ड रेगुलेशन्स प्रेस्क्राइब नहीं किये हैं, उनका अध्यादेश की धाराओं में इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता है तो क्या मजाक करने के लिए यह अध्यादेश जारी किया गया है ? संविधान की धारा २५३ के अन्तर्गत जो विश्वास व्यक्त किया गया है क्या उसका मजाक उड़ाने के लिये यह किया गया है ? राज्यपाल महोदय के द्वारा स्वीकृत कराने का मतलब उसी प्रकार मजाक बनाये जिस प्रकार गवर्नमेन्ट ने मजाक बनायी है, मखौल उड़ाया है। हम संविधान के इस समय उन सवालों को खड़ा नहीं करना चाहते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किस हल्के ढंग से, किस हल्के तरीके से यह ऑर्डिनेन्स जारी किया गया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): On a point of order, sir, यह सरकार ने किया है गवर्नर ने नहीं किया है। वे तो फोर्मल सेन्क्शन करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी (श्री सतीशचंन्द्र अग्रवाल) भाषा ही पृथक थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं पहले ही नोन-कमिटल चल रहा हूं। आपकी भावना सही है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह अध्यादेश ८ जनवरी, १९६४ को जारी किया गया। आज २ मार्च, १९६४ है। लगभग दो महीने पूरे होने आये हैं। इस अध्यादेश के अन्तर्गत जो रूल्स एन्ड रेगुलेशन्स का प्रावधान है उनकी पूर्ति नहीं हो पायी है राज्य सरकार के द्वारा और जो व्यवस्था होनी चाहिये थी वह नहीं हुई है। जब उनकी पूर्ति नहीं हुई है तो संविधान की धारा २१३ के अन्तर्गत जो इस प्रकार के अधिकार दिये गये हैं उनको काम में लेने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह सदन इस अध्यादेश को रिजेक्ट करदे एक दफा और सरकार को इस बात का सबक दे दे कि जिस अध्यादेश के अन्तर्गत कोई कार्यवाही न हो, जिसका कोई मतलब न हो, ऐसा अध्यादेश, एक वेस्ट पेपर रहा हो वैसा जारी न कर दे। इसी अभिप्राय और इसी दृष्टि से मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है। मामला वैसे सोचें तो गम्भीर है, संविधान में दिये गये अधिकारों का दुरुपयोग है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस संविधान की आस्था और श्रद्धा से हम शपथ लेते हैं, माननीय सदस्य और माननीय मंत्री महोदय भी लेते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम एक दफा इसकी शपथ लेते हैं और माननीय मंत्री जब वे मंत्री बनते हैं तो दुबारा शपथ लेते हैं। दो बार कसम खाने के बाद भी एक बार कसम झूंठी हो जाय, लेकिन दुबारा वह झूंठी हो जाय, संविधान की पवित्रता की जो भावना होनी चाहिये वह आपकी नहीं रहती है। आपकी यह प्रवृत्ति बड़ी घातक है। यदि आप यह बिल सदन में ही प्रस्तुत कर देते तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम उसको पास कर देते। थोड़े बहुत संशोधन होते वे रख दिये जाते। आप बिल पारित करा ले जायें लेकिन सदन के माननीय सदस्यों के सम्मुख जो तर्क

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दिये हैं कि सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, दो महीने होने पर भी सरकार ने रूल्स एन्ड रेगुलेशन्स नहीं बनाये, यह अध्यादेश केवल वेस्ट पेपर की तरह रहा है, सरकार को एक सबक देने की दृष्टि से इसको अस्वीकृत कर देना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसी भावना से ये संकल्प प्रस्तुत किये हैं।

अधिक विचार न रखते हुए इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, जैसा पहले निवेदन किया, कि राजस्थान में रजिस्ट्रेशन होना चाहिये। राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसा विधेयक पहले लाया जा सकता था। किन्तु वह नहीं लाया गया। उन्हें सोचने की फुर्सत नहीं थी कि नर्सेज़ और कम्पाउन्डर्स की क्या हालत है और अपने विभाग की क्या हालत है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि दो साल का समय हो गया। आपने अपने घर की व्यवस्था संभाल ली है। अब थोड़ा विभाग को भी सम्हालें। विभाग की बड़ी बुरी हालत है। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। बीकानेर का मेडीकल कॉलेज बन्द हो गया है। राजस्थान सरकार ने अनिश्चित काल के लिए बीकानेर के मेडीकल कॉलेज को बन्द कर दिया; इस कारण से इसको बन्द कर दिया कि विद्यार्थियों में झगड़ा हो गया, विद्यार्थियों में वर्ग संघर्ष फैल गया, ऐसा समुदाय बन गया और जो तथ्य उप-समिति की रिपोर्ट में आये हैं, माननीय सदस्यों को मालूम है, मेडीकल कॉलेज, बीकानेर में स्टूडेन्ट्स का डिवीज़न हुआ है, स्टाफ का भी डिवीजन हुआ है....

श्री बरकतुल्ला खां (स्वास्थ्य मंत्री) : We are discussing the Bill and not the strike of the Bikaner Medical College.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन कर रहा हूं कि डिपार्टमेंट की यह हालत है जो स्थिति चली आ रही है उसकी आपको चिंता नहीं। मेडीकल कॉलेज बन्द हो रहा है, पार्टीबाजी चल रही है, आपको चिन्ता नहीं! श्रीमान्जी को डाइरेक्टर बना रहे हैं, इसके अन्तर्गत वे उसको एक्स-ऑफिशियो चेयरमैन हो जाते हैं, इसलिए मैं उस बारे में कह सकता हूं और उसी दृष्टिकोण से कह रहा हूं। डिटेल्स में मैं इस समय नहीं जाना चाहूंगा। दो-ढ़ाई महीने तक बीकानेर का झगड़ा चलता रहा, आप तय नहीं कर पाये। डेपुटेशन मुख्य मंत्री से मिले। उन्होंने फैसला लिया। बीकानेर में झगड़ा खड़ा हो गया, राजस्थान सरकार ने फैसला लिया क्योंकि वह कॉम्युनिकेट नहीं हुआ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं एक तरफ तो जहां हमारे राजस्थान में डॉक्टरों की कमी है दूसरी तरफ डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं उनको छः-छः महीनों से वेतन नहीं मिलता है। आज सैकड़ों डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिली है। आप कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होनी चाहिये, पब्लिक सर्विस कमीशन से कोन्करेन्स नहीं मिलती। यह उन डॉक्टरों का कुसूर नहीं है कि उनकी कोन्करेन्स, पब्लिक सर्विस कमीशन से कोन्करेन्स नहीं मिली। राजस्थान सरकार यह महसूस करती है कि राजस्थान में डॉक्टरों की कमी है, दूसरी तरफ डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिलती, पब्लिक सर्विस कमीशन से कोन्करेन्स नहीं मिलती। आपको पता है कि कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जिनको तीन महीने, छः महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और तनख्वाह के लिये मारे मारे फिर रहे हैं, आपके सेक्रेटेरिएट के चक्कर लगाते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन इन्टर्व्यू नहीं करता, कोन्फरेन्स नहीं मिलती। डॉक्टर्स बिना तनख्वाह के मारे मारे फिर रहे हैं,इसलिए मैं यह कहता हूं कि यह जो मेजर प्रोब्लम्स हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आप इन मेजर प्रोब्लम्स की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

यह विधेयक ज्यादा डिस्प्यूटेड नहीं है, मैं तो यह चार्ज लगाता हूँ कि यह विधेयक पहले लाना चाहिये था, अब तक के सदन के सत्र में क्यों नहीं लाये। अब जो ऑर्डिनेन्स द्वारा व्यवस्था की है उसमें मूलभूत कमियां हैं। नर्सेज़ के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे यहां मेल नर्सेज़ और फीमेल नर्सेज़ में इतना बड़ा भारी डिस्क्रिमिनेशन है, मेरे पास भी पर्चा भेजा है, उनकी तनख्वाह में कितना डिस्क्रिमिनेशन है। तीन साल तक ट्रेनिंग के लिये ४० रुपया स्टीपेन्ड दिया जाता है, तीन साल तक नर्स का काम सीखते हैं, उस पर भी ४०) रुपया स्टीपेन्ड। इस तरह से छःसाल के बाद उनको थर्ड ग्रेड कम्पाउन्डर्स में लिया जाता है। उसके बाद भी मेल और फीमेल नर्सेज़ के वेतन के अन्दर भारी अन्तर है। इससे मेल नर्सेज़ के अन्दर भारी असन्तोष है और जहां तक काम का सवाल है हमारे राजस्थान के अन्दर ८० प्रतिशत मेल नर्सेज़ काम करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ अगर उनमें असन्तोष रहता है तो वह जनाना अस्पताल जयपुर हो,अजमेर का अस्पताल हो,उदयपुर जोधपुर का अस्पताल हो,उनकी शिकायतें आपके पास आयेगी जब तक कि स्टाफ में असन्तोष रहेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी मरीज को पहले–हलप डॉक्टर अटेन्ड नहीं करता, कम्पाउन्डर अटेन्ड करता है, चाहे वह थर्डग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड का। मेल नर्सेज़ का जो ऑल इन्डिया वाइड एसोसियेशन हैउन्होंने भी इस बात के लिये रिप्रेज़ेन्ट किया है। इस बारे में विचार किया जाय, लेकिन आप उस संबंध में मौन हैं। जितने भी मेल नर्सेज़ हैं, कम्पाउन्डर्स हैं उनमें बड़ा असन्तोष व्याप्त है। जब तक इनमें व्याप्त असन्तोष दूर नहीं होगा और रजिस्टर्ड डॉक्टर और नीचे के जो डॉक्टर हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, जिनको आप ७५ या १०० रुपया देते हैं वह भी तनख्वाह उनको छः छः महीने तक नहीं मिलती है। बड़े डॉक्टर्स तो केवल दो घंटे आते हैं, इससे राजस्थान के अस्पतालों में घोर अव्यवस्था व्याप्त है, मरीजों में घोर असन्तोष व्याप्त है, जनता में इस विभाग की व्यवस्था को दृष्टि से जहां तक अस्पतालों का सवाल है उदासीनता और असन्तोष है।

जहां तक इस ऑर्डिनेन्स का सवाल है उस का मैं इस बात से विरोध करता हूं कि सदन के बीच के समय में आप इसको इम्प्लीमेन्ट नहीं करवा पाते। मैं इस बिल का विरोधी नहीं हूं,सरकार की इस मनोवृत्ति का विरोधी हूं कि सदन के बीच के समय ऑर्डिनेन्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। यह जो संविधान की उपेक्षा आप कर रहे हैं उसके लिये मैं विरोध करना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूं कि इस ऑर्डिनेन्स को अस्वीकृत कर दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of clarification, Sir, इस ऑर्डिनेन्स पर विचार करने से पहले मैं एक जानकारी करना चाहूँगा। इस ऑर्डिनेन्स के इश्यू करने के बाद से लेकर सरकार ने क्या क्या एफर्ट्स किये और कौन से रूल्स बनाये हैं, वे बता दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : गवर्नमेंट को पूरे का ही उत्तर देना चाहिये। मैं की जानी हूँ कि पहले इस पर बहस अलाउ समझना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर पूरी बहस होगी। कायदा यह है कि पहले बिल विचारार्थ मूव कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : इस ऑर्डिनेन्स के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन आदि के पॉवर्स हैं, जिनके द्वारा इस ऑर्डिनेन्स को इफेक्टिव बनाया जा सकता है उसके बारे में सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की है, क्या क्या रूल्स बनाये हैं, इसका जरा स्पष्टीकरण हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : वे स्पष्टीकरण करेंगे। बिल और संशोधन दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे।

श्री भैरोंसिंह : पहले जो ऑर्डिनेन्स के बारे में मोशन मूव किया है उस पर हाउस के वोट लिये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अपने यहां की परम्परा है कि दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। अगर रिज़ोल्यूशन या मोशन पास हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बिल रिजेक्ट हो जाता है।

श्री भैरोंसिंह : यह उस स्थिति में लागू है कि कोई एतराज नहीं करे। ऑर्डिनेन्स के बारे में एतराज किया गया है, बिल के लाने के बारे में एतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : रूल्स में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है, लेकिन लोक सभा द्वारा यह निर्धारित किया हुआ है समय की बचत को देखते हुए और दूसरी चीजों को देखते हुए दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। अगर मोशन पास हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ऑर्डिनेन्स रिजेक्ट हो जाता है और बिल पास नहीं हो सकता है। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे बिल को मूव करें, उसके बाद स्पष्टीकरण दें।

श्रीमती प्रभा मिश्रा (उप–मंत्री, स्वास्थ्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि राजस्थान राज्य में नर्सों, दाइयों, स्वास्थ्य वीक्षकों और सहायक नर्स–दाइयों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करने के लिए विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : On a point of order, Sir, रूल्स के अनुसार उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल ६४ की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें यह स्पष्ट है कि जैसा कि सरकार की ओर से और प्रभारी सदस्य की ओर से कहा गया कि बिल को विचारार्थ लिया जाय। इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर इस बिल का विरोध किया जा सकता था और उसके सम्बन्ध में बहस की जा सकती थी। इसका निर्णय हो जाने के पश्चात विचारार्थ या कन्सीडरेशन का मोशन मूव किया जा सकता है। इसलिये बिल का जब तक इन्ट्रोडक्शन का मोशन मन्जूर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं किया इसलिये वह हाउस में बहस तलब है। इसलिये इस समय विचारार्थ लिये जाने का मोशन मूव नहीं हो सकता। इसलिये यह मोशन मूव किया गया है वह आउट ऑफ ऑर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो आपत्ति पेश की है वह उस प्रकार से माननीय नहीं है। बिल २६ तारीख को पेश हो चुका था अब जो स्टेज है वह है विचारार्थ लिये जाने की। विचारार्थ लिये जाने के बाद यदि मोशन जो इस समय मूव होने को है, अमेन्डमेन्ट्स जो मूव होने को हैं उनका नाम मैं तारतम्य के अनुसार बोलता हूँ और साथ ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा कि कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन है उसमें छः दिन का समय छः विधेयकों के लिये निर्धारित किया हुआ है। उसी अवधि में हमें इन्हें रिजेक्ट करना या पास करना है। इसलिये मैं प्रत्येक माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे जितना कम समय लें उतना ही अच्छा रहेगा। जो प्रस्तावक महोदय हैं वे १५ मिनट से ज्यादा समय न लें तो अत्युत्तम होगा।

(विराम)

श्री दुर्गालाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : On a point of order, Sir......

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of order, Sir......

श्री उपाध्यक्ष : (श्री अग्रवाल एवं श्री भैरोंसिंह की ओर संकेत करते हुए) Will you raise or you will raise ?

श्री भैरोंसिंह : It is for the Chair to decide......

श्री रामानन्द अग्रवाल : I am moving, Sir. उपाध्यक्ष महोदय, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल ६४ की तरफ इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें यह कहा है :

"If a motion for leave to introduce a Bill is opposed the Speaker, after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion, may, without further debate, put the question :"

श्री उपाध्यक्ष : I have already stated.

श्री रामानन्द अग्रवाल : Just let me finish it, Sir.

"Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon."

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह तो ऑलरेडी हो चुका।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Let me have my say, Sir.

इस ६६ में कहा है : "When a Bill is introduced, or on some subsequent occasion, the member-in-charge may

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

make one of the following motions in regard to his bill." यह जो विचारार्थ लिया जाने वाला प्रस्ताव है यह रूल ६६ के तहत उस समय मूव किया जा सकता है जब रूल ६४ के तहत मोशन बाकायदा मूव हो चुका हो और ऑपोज़ करने का संकल्प के ऊपर निर्णय लिया जा चुका हो। यह सदन की परम्परा है कि आम तौर पर इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर बहस नहीं होती, ऑपोज़ नहीं किया जा सकता और इस ओर के माननीय सदस्य उस परम्परा को निभाते भी रहे हैं। लेकिन जब कोई बहुत बेसिक प्रिन्सिपल का क्वेश्चन उत्पन्न होता है, ऐसा कि उस प्रश्न पर ऑर्डिनेन्स अनुचित तौर पर निकाल कर सरकार के अधिकारों का दुरुपयोग करने का प्रश्न है तो अब यह डिसक्शन ६६ के तहत ही होना चाहिये। यह इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर ही होना चाहिये और जो कन्सीडरेशन की स्टेज बाद में आवेगी। इसलिये मैं जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य के संकल्प पर पहले बहस के लिये निवेदन करूंगा, फिर ही यह सदन इस संकल्प को विचारार्थ ले सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है, रूल ६४ और ६६ की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, दोनों की मंशा इस प्रकार से है कि जिस वक्त इन्ट्रोडक्शन की स्टेज हो उस वक्त आपत्ति उठाई जानी थी। पहले इसका निराकरण होना चाहिये। इन्ट्रोडक्शन के वक्त आपत्ति नहीं उठाई थी और अब जो स्टेच्यूटरी मोशन इस बिल के साथ में दूसरों का आया है वह निर्णय को स्टेज पर है तो उसका निर्णय जो यहां की प्रणाली पहले से रही है और पार्लियामेन्ट ऑफ इण्डिया के अन्दर जो प्रणाली है उसके अनुसार वह मोशन इस बिल के कन्सीडरेशन के मोशन के साथ ही साथ विचार में लिया जावेगा और पहले उस मोशन पर वोट होगा और यदि वह मोशन पास हो जाता है तो स्वतः यह ऑर्डिनेन्स और बिल दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। यदि नहीं होते हैं तो फिर बिल के अन्दर जो अमेन्डमेन्ट्स आये हैं उनको डिस्पोज़ ऑफ किया जावेगा। उनके डिस्पोज़ल के बाद अगर ऐसी स्थिति में रहेंगे तो क्लॉज़ बाई क्लॉज़ के अन्दर आवेंगे। तो उस पद्धति के अनुसार कार्यवाही नियमानुसार ही चल रही है।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir,...

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं अर्ज कर रहा था........

श्री भैरोंसिंह : Point of order dispose of हो गया है यह।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्योंकि हमारी परम्पराएं इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर ऑपोज़ करने की रही हैं और इसने नियम का रूप धारण कर लिया है........

श्री उपाध्यक्ष : वह तो स्पष्ट कर चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir...

मैं सदन का ध्यान रूल ६३ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें लिखा है :

Page No. 51

(श्री भैरोंसिंह)

'Statement in connection with Ordinances......"

इसके साथ नहीं है।

श्री रामकिशन : वह तो पहले रख दिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कुर्सियों पर रख दिया है ?

श्री भैरोंसिंह : पूरे मेम्बर्स को नहीं मिला है। आप टेबल पर कुछ भी रखें। यह जरूरी नहीं है इससे कि वह मेम्बरों को मिल जावेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह टेबल पर रखने की प्रथा गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : It has been allowed and probably it has been circulated also; टेबल पर ले हो चुका है तो।

जहां तक हो सके सर्कुलेट भी किये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री रामकिशन (वैर) : जहां तक हो सके यह नहीं हो, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आप व्यवस्था ही दे डालिये न कि सर्कुलर के साथ आया करे।

श्री उपाध्यक्ष: Any amendment. Shri Durga Lal Bardar.

श्री दुर्गालाल बारदार : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) उन्होंने ऑर्डिनेन्स इश्यू किया, पर इसके रीज़न्स सर्कूलेट नहीं किये। तो इसके बिना पता नहीं लगता और इसीलिये क्लेरिफिकेशन मांगा था कि गवर्नमेन्ट ऑर्डिनेन्स के लागू करने के बाद क्या क्या कार्यवाही कर चुकी है, उसके बारे में यदि हमको जानकारी हो जावे तो डिबेट में उसी पर बहस करेंगे ; वर्ना तो यह करना चाहिये था, यह नहीं करना चाहिये था, सारी बातें ही कहना शुरू कर देंगे। इससे सदन का समय यों ही जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस विषय में यदि आप जानकारी चाहते हैं तो इसके लिये आदेश दे सकता हूँ कि वे इसे स्पष्ट कर दें, मन्त्री महोदय।

श्रीमती प्रभा मिश्रा, (उप-मंत्री, चिकित्सा) : उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री उपाध्यक्ष : जितना संक्षेप में हो सके।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जैसा आपका आदेश है मैं उन कारणों को जिनके कारण यह ऑर्डिनेन्स निकालना पड़ा, सदन के समक्ष उपस्थित करती हूँ।

यह तो मुझे पूरी आशा है कि सदन का हरेक मेम्बर रियलाइज़ करता है कि आज ट्रेन्ड परसन्स की कमी है। एमर्जेन्सी के बाद हिन्दुस्तान में भी कितनी कमी है यह रियलाइज़ करते हैं। मैं तो समझती थी कि

Page No. 52

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

सदन इसका स्वागत करेगा कि इस कमी को पूरा करने की दिशा में सरकार ने जो कदम उठाया है उसमें आपका भी सहयोग प्राप्त होगा, पर वह आशा पूरी न हो सकी और जो कुछ भी ...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह आपको किस दिन मालूम हुआ, इसकी जरूरत इतनी जोरों से ? किस तारीख को ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : बहुत दिनों से यह विचाराधीन था। जिस दिन जरूरत महसूस हुई, प्रयत्न किया और ऑर्डिनेन्स के रूप में निकालने की कोशिश की गई। जहां तक ट्रेन्ड पर्सोनल्स का प्रश्न है, इनकी नितान्त आवश्यकता है और इसे जल्दी से जल्दी पूरा करने के प्रति सरकार जागरूक रही।

जहां तक यह सवाल है कि ऑर्डिनेन्स के बाद किन किन चीजों का कम्प्लायेन्स हुआ है उसके उत्तर में कहना चाहूंगी कि जहां तक कौंसिल के फोर्मेशन का सवाल है कौंसिल का फोर्मेशन हो चुका है, उसकी मीटिंग हो चुकी है और उसके अन्तर्गत जितनी विचाराधीन चीजें थीं उनके ऊपर विचार किया जा चुका है और रूल्स किस तरह से बनें और कहां के एडॉप्ट होने चाहिए, वे हो चुके हैं और इस अगस्त के पहले एग्ज़ामिनेशन्स हो जायें, यह कोशिश हो रही है और ये पर्सोनल्स राजस्थान में दे सकें, यही सरकार की इच्छा है और यही सोचकर यह ऑर्डिनेन्स निकाला गया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ये रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स बन गये क्या ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : विचाराधीन हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह कौंसिल कैसे बन गयी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह कौंसिल और सरकार के बीच में बनने हैं और नेक्स्ट मीटिंग में वे एडॉप्ट कर लिये जायेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब रूल्स नहीं बने हैं तो इसमें जो लिखा है कौंसिल के कॉन्स्टीट्यूशन के सिलसिले में :

"The Council shall Co-opt in the prescribed manner two persons, possessing the prescribed qualifications, considered to be specially suited to advise the Council in relation to the business coming up before it :"

यह जब तक आप प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे रूल्स में और रूल्स जब तक नहीं बनेंगे तब तक कौंसिल का कॉन्स्टीट्यूशन कैसे पूरा होगा। कौंसिल बन कैसे गयी ?

श्री बरकतुल्ला खां (स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में अर्ज करना चाहूँगा कि जो बहस ऑर्डिनेन्स को सामने लेकर खड़ी हुई है मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जो मेरा जवाब हो वह आज का जो ऑर्डिनेन्स है उस तक ही सीमित रहे और डाक्टरों की तनख्वाह, कम्पाउन्डर्स और नर्सेज़ की तनख्वाह आदि पर तो जब बजट के टाइम पर मौका आयेगा उस समय उसका जवाब दे दूंगा। जहां तक इस ऑर्डिनेन्स के

(श्री बरकतुल्लाखां)

लाने का ताल्लुक है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हिन्दुस्तान के अन्दर सिर्फ ३ रियासतें ऐसी हैं कि जिनके अन्दर नर्सेज़ का रजिस्ट्रेशन नहीं होता और वे हैं हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। बाकी करीब करीब जितनी भी रियासतें हैं उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कौंसिल्स बना रखी हैं। मैं इसके बारे में यह बताऊं कि राजस्थान के लिए जितने भी एग्ज़ामिनेशन्स होते थे रजिस्ट्रेशन के लिए वह पंजाब की रजिस्ट्रेशन कौंसिल (P.N.R.C.) करती थी और उसके अन्दर आमतौर से जो रिज़ल्ट्स निकलते थे वे बड़े ही अजीबोगरीब होते थे। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूं कि सन् १९६२ के अन्दर पी० एन० आर० सी० के अन्दर जो १९० लड़के बैठे थे उनमें से १३५ फेल हो गये, लड़कियों के अन्दर से ७७ गयीं और उनमें से ३७ फेल हो गयीं। इसी तरह से ऑग्ज़ीलियरी नर्सेज़ और मिडवाइव्ज़ के अन्दर १३२ गयीं उनमें से ११८ फेल हुईं, लेडी हैल्थ विज़िटर्स के लिए १४ गयीं और उनमें से १२ फेल हो गयीं। इसी तरह से १९६३ के अन्दर ३८७ मेल में से १७५ मेल फेल हुए, ८३ फीमेल गयीं और उनमें से ३३ फेल हो गयीं, ऑग्ज़िलियरी नर्सेज़ और मिडवाइव्ज़ के लिए २९३ गयीं उनमें से ११३ फेल हो गयीं। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ यह भी होता था कि जो एग्ज़ामिनेशन्स किये जाते थे वे राजस्थान गवर्नमेन्ट को कन्सल्ट करके नहीं किये जाते थे। रिज़ल्ट्स तीन तीन महीने के बाद निकलते थे और इसी कारण नये लोगों को हम रजिस्टर नहीं कर पाते थे। यही नहीं, बल्कि इसमें यह भी होता था कि ऑग्ज़ि-यलरी नर्सेज़ और मिडवाइव्ज़ का जो फाइनल कोर्स होता था उसके लिए। भी दिल्ली या लुधियाना इम्तिहान देने के लिए हमारे राजस्थान के लोगों को जाना पड़ता था। लेडी हैल्थ विज़िटर्स के लिए भी दिल्ली जाना पड़ता था और इम्तिहान देना पड़ता था और जो एग्ज़ामिनर्स राजस्थान में भी आते थे वे पंजाब के अपोइन्टेड आते थे और ज्यादातर उनमें प्राइवेट प्रेक्टीशनर्स आते थे और राजस्थान के साथ परिचित नही होने के कारण और यहां के हालात को नहीं जानने के कारण हमारे लड़के और लड़कियां फेल होते थे और उनका रुपया भी ज्यादा खर्च होता था। इसलिए मुनासिब समझा गया कि राजस्थान के अन्दर ही रजिस्ट्रेशन किया जाये।

इसके साथ ही साथ एक चीज और थी। राजस्थान सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि और नये ट्रेनिंग सेन्टर्स खोले जायें और जहां भारत सरकार के जरिये १०० पर्सेन्ट एड मिले और वह मुमकिन उसी समय हो सकता है जब कि रैडक्रॉस जैसी संस्थायें उन इन्स्टीट्यूशन्स को रन करें। अब तक सेन्टर्स उस समय एप्रूव होते हैं जब कि पंजाब नर्सेज़ रजिस्ट्रेशन कौंसिल का इन्सपेक्टर आकर उनको एप्रूव करे तब तो सेन्टर्स खोले जा सकते थे, नहीं तो नहीं खोले जा सकते थे। अगर वह देरी से एप्रूव करे तो देरी से खुलने की गुंजाइश थी, कोई जल्दी खुलने की गुंजाइश नहीं होती थी और २६ जो नये सेन्टर्स खोलना चाहते हैं उसका मतलब यही था कि ये सेन्टर्स खुलें जिससे करीब करीब हर डिस्ट्रिक्ट में लोकल लड़के और लड़कियें ट्रेनिंग लें। क्योंकि आज सबसे

Page No. 54

(श्री बरकतुल्लाखां)

बड़ी समस्या यह आ रही है कि ट्रेन्ड आॅग्ज़िलियरी नर्सेज़ और मिडवाइफ्ज़ नहीं मिलती हैं और आज हमारे प्राईमरी हैल्थ सेन्टर्स इसलिए नहीं खुलते कि लेडी हैल्थ विज़िटर्स ट्रेन्ड नहीं मिलती हैं। अगर मेरे ऊपर चार्ज लगाया जा सकता है तो यह लगाया जा सकता है कि मैंने दो साल क्यों लगायें। यह नहीं लगाया जा सकता कि आॅर्डिनेन्स क्यों लाये। अगर कुसूरवार हो सकता हूं तो इसके लिए कि इस कदम को पहले उठाना चाहिए था लेकिन कुसूरवार इसलिए नहीं हो सकता हूँ कि कदम को जल्दी उठाने में आॅर्डिनेन्स की मदद ली। लेकिन यह कहना कि आॅर्डिनेन्स क्यों निकाला गया, वह इसलिए निकाला गया कि मैं यह मानता था कि यह जो बिल लाया जा रहा है वह राजस्थान के और खास तौर पर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के हित के अन्दर है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अगर आॅर्डिनेन्स नहीं लाते तो क्या होता ?

श्री बरकतुल्लाखां : उसमें देरी होती। हमने तय किया है कि अगस्त में अगले इम्तिहान शुरू कर दें क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर एक दिन में तो बनता नहीं है। आखिर कौंसिल नोमीनेट हो गई, उसकी मीटिंग हो गयी, फिर यह भी तय कर लिया कि फीस क्या होगी, इम्तिहान कब होंगे, साल में दो बार कब होंगे, यह भी तय कर लिया कि सप्लीमेन्टरी इम्तिहान कब होंगे। यह भी बात नहीं है कि सरकार हाथ पर हाथ रखकर सो रही थी। सरकार ने जिस समय आॅर्डिनेन्स निकाला उसके बाद सारी मशीनरी सेट-अप की, कौंसिल स्थापित की और उसके साथ ही साथ जो कार्यवाही होने को थी वह कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि इम्तिहानों का श्रीगणेश अगस्त में हो जाये और हमारे लड़के और लड़कियों को बाहर न जाना पड़े।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कौंसिल ने रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स बना लिये ?

श्री बरकतुल्लाखां : कौंसिल की मीटिंग हो गयी, उसने अपने टेन्टेटिव सजेशन्स रख दिये....

श्री भैरोंसिंह : बगैर रेगुलेशन्स के मीटिंग कैसे हो गयी ?

श्री बरकतुल्लाखां : गवर्नमेन्ट के पास पॉवर्स हैं कि कौंसिल को कॉन्सटीट्यूट कर सकती है और उनकी मीटिंग कन्वीन कर सकती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कौंसिल रेगुलेशन्स बनायेगी, रूल्स बनायेगी और उसके बाद वह गवर्नमेन्ट को सब्मिट करेगी और उनका आपके यहां से एप्रूवल होगा। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कौंसिल ने रजिस्ट्रेशन के बारे में या और दूसरे एग्ज़ामिनेशन्स के बारे में या और दूसरे प्रोसीजर के बारे में या किन किन सर्टीफिकेट्स को रिकॉगनाइज़ करना है, इस बारे में जितना भी है क्या इनके बारे में रूल्स बन गये, उन्होंने सब्मिट कर दिये और आपने क्या एप्रूव कर दिये ?

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि मीटिंग हो गयी, वह नहीं हो सकती क्योंकि इसकी धारा १० इस प्रकार है :

(श्री भैरोंसिंह)

"The council may make regulations consistent with this Act and with the rules made thereunder for all or any of the following matters, namely—

(a) the time and place of its meetings.

(b) the issue of notices of such meetings to the members."

तो जब रेग्युलेशन्स ही नहीं हैं और न बने हैं, गजट नोटीफिकेशन भी नहीं हुआ तो मीटिंग कैसे हो गयी और वह कैसे वेलिड है, यह क्वेश्चन सबसे बड़ा आता है।

श्री बरकतुल्ला खां : कौंसिल का नोटीफिकेशन हो गया गजट में और उसके बाद जो टेन्टेटिव सजेशन्स के लिए मीटिंग बुलानी होती है वह बुलाई गई। इसको चाहे लीगल आस्पेक्ट न दिया गया हो। वह मीटिंग जब तक बैठेगी नहीं तब तक कैसे सुझाव देगी और जितनी तब्दीलियां करनी हैं वह नहीं करेगी। तो मैं यह इन्फोर्मेशन देना चाह रहा था कि इस कमेटी का नोटीफिकेशन हो गया, वह मिल भी गयी, सरकार से बातचीत भी जारी है, टेन्टेटिव प्रपोज़ल्स भी बना दिये तो ऐसी बात नहीं थी कि सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैटी थी।....

(१०.०० म० पू०)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद दिक्कत एक आती है कि आप यह बताइये कि आपकी कौन्सिल का कॉन्स्टीट्यूशन कम्प्लीट हो गया क्या ? और कौंसिल का कॉन्स्टीट्यूशन अगर कम्प्लीट नहीं हुआ है तो कौंसिल फन्क्शन ही नहीं कर सकती।

श्री उपाध्यक्ष : वह आप कह रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अर्ज करूं कि इसमें लिखा है सेक्शन ५ में: "The Council shall consist of the following members, namely......"

(a) "Ex-officio members" ; इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

(b) "members nominated by the State Government" ; वह आपने कर दिया होगा, मुझे मालूम नहीं।

परन्तु जब नम्बर दो की तरफ आते हैं तो कौंसिल किन किन से कॉन्स्टीट्यूट होगी :

"The council shall co-opt in the prescribed manner two persons possessing the prescribed qualifications, considered to be specially suited to advise the Council in relation to the business coming up before it" :

तो 'प्रेस्क्राइब्ड मैनर' और 'प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन्स', ये आपने प्रेस्क्राइब नहीं कीं और प्रेस्क्राइब करने के लिए आपने रूल्स नहीं बनाये और कोऑप्शन हुआ नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : Probably in the urgency and emergency of things it has been over-looked

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल नहीं। वे ओवरलुक करें

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

या न करें, मगर आप ओवरलुक मत करिये। मेरा यह लीगल ऑब्जेक्शन है कि रूल्स अभी तक बने नहीं हैं, कौंसिल का कॉन्स्टीट्यूशन कम्प्लीट नहीं हुआ है और जब तक कि कौंसिल कॉन्स्टीट्यूट नहीं हो जावे उसकी मीटिंग नहीं हो सकती है।

श्री बरकतुल्लाखां : कोऑप्शन नहीं हुआ, लेकिन कौंसिल कॉन्स्टीट्यूट हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय मानते हैं कि थोड़ा सा फर्क तो रहा है।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय उपाध्यक्ष, मैं इसको इस तरीके से एडमिट नहीं करता हूं कि आप बताइये कि जब कोई हाउस कॉन्स्टीट्यूट होता है, मैं समझता हूं कि हम सभी लोग वैल-स्टडीड हैं। हममें से कई कइयों को पंचायतों और म्युनिसिपेलिटीज़ में काम करने का मौका मिला होगा तो आपको मालूम होगा कि पंचायतों में या म्युनिसिपेलिटीज़ में वे अपनी मीटिंग्ज़ कन्वीन करती हैं, उसके बाद में लोगों को कोऑप्ट करती हैं।

श्री केसरीसिंह (पाली) : इसके बाद में चेयरमैन बनाते हैं, तब फन्क्शन शुरू होता है।

श्री बरकतुल्लाखां : माननीय उपाध्यक्ष, मैं कॉन्स्टीट्यूट कर दूं कमेटी, यह मेरे अख्त्यार में है, लेकिन कोऑप्शन का मुझे अख्त्यार नहीं है। कोऑप्शन कमेटी खुद करेगी। मैं जो कह रहा था वह यह कह रहा था कि सरकार की तरफ से जो करने की चीज थी वह कर ली।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : On a point of information, Sir,...

श्री उपाध्यक्ष : वह ठीक है, लेकिन सेक्शन ४ में यह है कि:

"The Council shall consist of the following members..."

इसलिए यह जो चीज है इसमें यह तो लेकुना रहा ही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरी यह अर्ज है कि कोऑप्शन हुआ नहीं और कोऑप्शन के बिना कार्यवाही नहीं हो सकती। पंचायत समिति और जिला परिषद् जहां कहीं भी कोऑप्शन होगा वहां उसके कम्प्लीट हो जाने के बाद वह मीटिंग हो सकती है। कोऑप्शन के बिना वह कम्प्लीट नहीं होगी और जब तक कोऑप्शन नहीं होगा पंचायत समिति या जिला परिषद् कोई भी काम नहीं कर सकती है। कोऑप्शन होने के पहले रूल्स बनाने चाहिये।

उसमें लिखा है : "all the members of the council".

Co-opted members are also the members of the council. उनके नाम पब्लिश होंगे उसके बाद में कार्यवाही आगे होगी। न तो रूल्स ही बने, न क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब की गई। बिना रूल्स बनाये ही लोगों को कैसे कोऑप्ट कर सकते हैं?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें कहीं नहीं है कि सरकार किसी को कोऑप्ट कर सकती है कौंसिल में।

श्री उपाध्यक्ष : There has been a lecuna in the whole thing. Now let us proceed.

श्री रामानन्द अग्रवाल : On a point of information, Sir, क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि इस ऑर्डिनेन्स को इश्यू करते समय राज्यपाल महोदय की ओर से यह ऑब्जेक्शन भेजा गया गवर्नमेंट के पास कि यह मुनासिब नहीं है कि इस बिना पर यह इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स जारी किया जाय और फिर भी गवर्नमेंट ने इन्सिस्ट करके इस ऑर्डिनेन्स को जारी किया है।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय उपाध्यक्ष, गवर्नर ने गवर्नमेंट को क्या लिखा गवर्नमेंट ने गवर्नर को क्या जवाब दिया, अगर आप यह मुनासिब समझें कि इस पर यहां डिस्कशन होना चाहिये और प्रिविलेज नहीं हो तो यह बिल्कुल ठीक है। मैं इसका जवाब दे सकता हूं, गवर्नर ने गवर्नमेंट को क्या कम्युनिकेट किया है।

It is a privileged document and it comes into the definition of privilege.

अगर आप यह उचित समझते हैं कि इस पर डिस्कशन किया जाय तो मैं तैयार हूँ।

जहां तक कोऑप्शन के तरीके का सवाल है तो इसकी इस उप-धारा २ के अन्दर यह प्रोवाइड किया गया है :—

"Provided that if the Council fails so to co-opt persons as it smembers within three months from the date of its first meeting, the State Government shall nominate such persons as members of the council."

श्री उपाध्यक्ष : It has been just a sort of oversight.

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने दिल की यहां पर कोई इन्फोर्मेशन न छिपाने के लिए कई बातें कह दीं जो कि ऑर्डिनेरिली एक मिनिस्टर को कहनी नहीं चाहिए थीं। वह गलती मैं एडमिट करता हूँ और इसलिए करता हूं कि मैं बहुत आसानी से इसका यह जवाब दे सकता था कि गवर्नमेंट को जिनको नोमीनेट करना था उनको कौंसिल में नोमीनेट कर दिया है और यह कह सकता था कि बाकी की कार्यवाही कौंसिल करने जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : I think, your straight forward reply was better.

श्री रामानन्द अग्रवाल : बात को छिपाने से क्या फायदा? सामने आये तो अच्छा ही है।

श्री बरकतुल्ला खां : मैंने सारी बातें कही हैंऔर जब मैं कह रहा था तो बार-बार यह लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था कि टेन्टेटिव सजेशन किये हैं, फाइनल सजेशन का लफ्ज़ काम में नहीं लाया। आप मुलाहिज़ा कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : Shri D. L. Bardhar.

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया जो कुछ मैंने पूछा उसका तो मैं यह मानकर चलूं कि यह सही है।

श्री उपाध्यक्ष : Yes please. Shri Bardar.

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय उपाध्यक्ष, आप कुछ भी इन्फरेंन्स निकाल सकते हैं। मेरी हंसी से भी आप कुछ निकाल सकते हैं, मेरे रोने से भी कुछ निकाल सकते हैं और आपकी नज़र से मेरी नज़र मिलने पर मैं भी कुछ निकाल सकता हूं।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, नर्सेज़, मिडवाइफ और हैल्थ इन्सपेक्टर के रजिस्ट्रेशन के बिल पर विचार का प्रश्न आज सदन के समक्ष पेश हुआ है। यह बात सही है कि संविधान के अन्दर शक्तियां हैं और जिनके द्वारा ऑर्डिनेन्स प्रोमल्गेट किये जा सकते हैं, लेकिन किन सूरतों में और किन हालतों में ऑर्डिनेन्स जारी किये जाने की आवश्यकता होती है, इन सब बातों पर यदि ठीक रूप से विचार नहीं किया जा सकता, तो मैं यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि जो राज्य सरकार प्रजातन्त्र-प्रणाली का एक प्रकार का ढोंग लेकर आगे बढ़ रही है वही वास्तव में सारी शासन-प्रणाली के प्रतिकूल कार्यवाही करने को अग्रसर होती है। जैसा कि आपको अभी मालूम हुआ और सदन के माननीय सदस्यों के सामने स्पष्ट रूप से यह बात आज हमारे सामने आ गई है कि इस ऑर्डिनेन्स को बनाने के लिए जो रीज़न्स मंत्री महोदय की तरफ से दिये जाते हैं और जिन रीज़न्स के ऊपर हमको विचार करना है उनको जारी करने में एक सवाल आता है कि हमारे सामने जो यह समस्या रखी जाती है कि अभी तक जो नर्सेज़ और मिडवाइफ दूसरे देशों के अन्दर इम्तिहान देने के लिए सैंकड़ों की तादाद में लोग जाते हैं उनमें कुछ फेल हो जाते हैं। कुछ सामाजिक परिस्थितियां यहां पर लागू होती हैं उनका ज्ञान हो, उसको नहीं समझने के कारण, एग्ज़ामिनर्स के लिए राज्य सरकार को कन्सल्ट नहीं किया जाता था, उन सब कारणों से वह फेल हो जाते हैं और चूंकि हमें नर्सेज़ की आवश्यकता है, मिडवाइफ की आवश्यकता है, तो राज्य सरकार ने यह उचित समझा कि इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स से काम लिया जाय और ऑर्डिनेन्स निकाल लेने की शक्ति का प्रयोग किया जाय, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से मंत्री महोदय और राज्य सरकार के सारे अधिष्ठाताओं से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपने इसके ऊपर यह विचार किया होता कि यह पब्लिक हैल्थ का मेटर है वह इतनी इम्पार्टेन्स रखता है कि कोई नई चीज या नई समस्या आपके सामने नहीं थी। यह भी नहीं कहा जा सकता कि राज्य सरकार का निर्माण यानी राजस्थान सरकार का निर्माण अभी साल भर पहले ही हुआ हो, यानी हैल्थ की जितनी इम्पोर्टेन्स है, शफाखानें जितने हैं, उनमें नर्सेज़ की आवश्यकता, मिडवाइफ की आवश्यकता और इन्सपेक्टर की आवश्यकता है, इनको राज्य-सरकार ने कल ही सोचने की जरूरत समझी है। यह एक आश्चर्य की बात है? यह इतना बड़ा मेटर आपके सामने शुरू से चला आ रहा है जिसके लिए राज्य-सरकार की सारी आवश्यकताओं को एक तरफ रखकर प्राथमिकता देनी चाहिए थी, ऐसी प्राथमिक आवश्यकताओं के ऊपर इस प्रकार की उदासीन प्रवृत्ति रखकर सहसा ऑर्डिनेन्स के रूप में कानून को थोपने की बात कहां तक शोभनीय हो सकती है, राज्य-सरकार के लिए या मंत्री महोदय के लिए, यह विचारने का प्रश्न है।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

एक दूसरी बात यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक ऑर्डिनेन्स प्रोमल्गेट करने का सवाल है तो ऐसी सरकार जो संविधान की शक्तियों का सम्मान करती है, जो संविधान की प्रोवीज़न्स का सम्मान करती है, वह उचित नहीं कहा जा सकता है कि इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स हो। ऑर्डिनेन्स को चलाने के लिए बहुत एमर्जेन्सी की जरूरत होती है, और अगर एमर्जेन्सी भी मानी जाय तो उस प्रकार की एमर्जेन्सी हमारे सामने नहीं थी और एमर्जेन्सी के नहीं होते हुए भी यह जारी किया गया।

(श्री भैरोंसिंह और श्री बरकतुल्ला खां के अधिकारी-दीर्घा के पास अधिकारियों से मन्त्रणा करने पर)

श्री केसरीसिंह (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय Point of Order, Sir. इस तरह से जो आप कर रहे हैं वह बिल्कुल गैर-वाजिब है। कोई छोटी-मोटी इन्फोर्मेशन वहां से लेनी हो वह ले लें। घन्टों डिसक्शन इस तरह से होने लगेगा तो वह ठीक नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : This is against the dignity of the House.

श्री उपाध्यक्ष : The Hon. Member will please look to it.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ऑपोज़िशन वाले आकर डिस्टर्ब करते हैं। (श्री भैरोंसिंह से) आपको किसने बुलाया था।

श्री भैरोंसिंह : हाउस की सबसे बड़ी बेइज्जती इसमें है कि कोई मेम्बर पान मुँह में रख कर और थूक मुंह में भर कर बोले।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह बात बिल्कुल सही है।

श्री उपाध्यक्ष : केवल थूक उछालना नहीं चाहिए।

एक माननीय सदस्य : जिस तरह उपाध्यक्ष महोदय, ये उसका उपयोग करते हैं उस तरह।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर) : मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक यह कहा जाता है कि ऑर्डिनेन्स की आवश्यकता समझी गई क्योंकि एमर्जेन्सी का टाइम चल रहा था। मैं कहूँगा कि राज्य सरकार की चलने की प्रक्रिया सर्वथा वही है, 'नौ दिन चले अढ़ाई कोस'। दो कोस एक दिन चल लिये तो कहा कि बाकी के सात कोस बाकी के दिनों में चलेंगे, तो जहां तक राज्य सरकार का सवाल है, वह एक तरफ ऑर्डिनेन्स कायम करना चाहती है लेकिन दूसरी ओर जो ऑर्डिनेन्स कायम किया गया है उसके अन्दर जो प्रावधान दिये गये हैं और जो प्रोवीज़न्स उसमें हैं उनको कहाँ तक फोलो किया गया? क्या आवश्यकता थी इस ऑर्डिनेन्स को बनाने की? जब ऑर्डिनेन्स बनाना जरूरी समझा गया तो ऑर्डिनेन्स बन जाने के बाद दो महीने के इतने ज्यादा लम्बे अर्से तक राज्य सरकार कानों में तेल डाले क्यों पड़ी रही? क्यों इस तरह के स्टेप नहीं लिये गये कि इसके प्रावधानों को कार्यान्वित किया जाय? यह कहा जा सकता है कि कोऑप्शन तब ही किये जा सकते हैं। राज्य सरकार की

Page No. 60

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

शक्तियां हैं उनका उपयोग करते हुए कोऑप्ट नहीं किया जा सकता और नोमीनेट किया जा सकता है। तो जहां तक सवाल है, नोमीनेट कर सकते हैं, तो डेमोक्रेटिक तरीके को छोड़ कर आप एरिस्ट्रोक्रेटिक तरीके का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वह कर सकते थे। लेकिन आप में कुव्वत नहीं थी। आपने नियमों का पालन नहीं किया और जो एरिस्ट्रोक्रेटिक तरीका इस्तेमाल करना चाहते थे उसको इस्तेमाल करने में कामयाब नहीं हो सके, तो क्या जरूरत थी आपको ऑर्डिनेन्स कायम करने की ? हमारे संविधान का जो सम्मान है, उसको आघात पहुंचाने की आपने कोशिश की है। ऐसी क्या आवश्यकता थी कि आपने ऑर्डिनेन्स के द्वारा कानून थोपने की कोशिश की। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सारे सम्माननीय सदस्य....

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्ष, आप किस पर बोल रहे हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : व्यवस्था की जा चुकी है कि दोनों पर बोल सकते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : बिल पर बोलिये।

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था की जा चुकी है।

श्री मोतिलाल चौधरी : The Bill has been introduced in the House.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : दोनों पर बोलने की व्यवस्था की जा चुकी है, अन्यथा इस बिल के पेश होने के समय बोल सकते थे।

श्री मोतीलाल चौधरी : But the bill has already been introduced in the House.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : व्यवस्था इस प्रकार की दी जा चुकी है।

पहला प्रश्न है, यह महत्वपूर्ण है। इस पर विचार करने से पूर्व मैं समस्त सम्माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब तक आप लोग इस ओर ध्यान नहीं देंगे, जब तक इस बात के लिए एकाग्र होकर, एकमत होकर, एकनिष्ठ होकर विचार-धारा नहीं बनायेंगे कि किसी न किसी ऑर्डिनेन्स का कट्टर विरोध करना है, तब तक उचित नहीं रहेगा। साथ ही राज्य सरकार ने इस प्रकार की प्रणाली मनमाने, ढंग से किसी भी कानून को थोपने की प्रणाली अपनाई है, इसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाय, इसको रोका जाय— इसके लिए एकमत होना आवश्यक है। तो इस दृष्टिकोण से, गलत ढंग के कानून थोपे जाते हैं उनको रोकने का और तरीका नहीं हो सकता है; सिर्फ एक मात्र तरीका यह है कि ऑर्डिनेन्स को निरस्त किया जाय, इस बिल को इन्ट्रोड्यूस करने की आज्ञा न दी जाय।

मैं जो दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूँ वह भी इतनी ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ आप देख लीजिये....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

Page No. 61

(श्री दुर्गालाल चाड़दार)

जहां तक राज्य सरकार की जन-स्वास्थ के सम्बन्ध में व्यवस्था है उसमें नर्सो की आवश्यकता है, मिडवाइव्ज़ की आवश्यकता है, हैल्थ इन्सपेक्टर्स की आवश्यकता है–यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए आर्डिनेन्स का पहला वाला रूप है, वह बाद वाले रूप में बिल के रूप में आ रहा है, इस पर हमें विचार करना है। मैं निवेदन करूंगा कि यह कोई साधारण विषय नहीं है। वह इस प्रकार का विषय है जिसका हमारे राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य से सम्बन्ध है, राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के जीवन से इसका सम्बन्ध है। इस विषय पर जैसा अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले यह बतलाया गया कि कौंसिल इस प्रकार कॉन्स्टीट्यूट हो जायगी इसके अन्दर राज्य सरकार चाहेगी तो लोगों को कोऑप्शन करने के बजाय नोमीनेट कर सकती है। जहां तक इस प्रिडोमिनेट फेक्टर है इसे राज्य सरकार हाथ में लेना चाहती है। मैं समझता हूँ कि हमें ऐसे योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है जिनके द्वारा वास्तव में समाज-सेवा की जा सकती है। जहां तक जन-स्वास्थ्य सुधारने का प्रश्न है, इस ओर अच्छी सेवायें कर सकें, इसके लिए ऐसे व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन का प्रश्रय मिलना चाहिये। जहां तक नियमों का सवाल है, यह सवाल अभी अन्धकार में पड़ा हुआ है। नियम कब बनेंगे, किस प्रकार के होंगे और किस प्रकार कार्यान्वित किये जायेंगे, ये सब प्रश्न अन्धकार में पड़े हुए हैं और राज्य सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की किरण मात्र भी प्रकट नहीं की गई है! ऐसी अवस्था ये जिस बिल का इतना भारी महत्व है, जिस बिल का सारे राजस्थान की जनता से सम्बन्ध है, इसके ऊपर जब तक प्रतिष्ठित व्यक्तियों, ऐसे व्यक्ति जो इस विषय की जानकारी रखते हों, ऐसे व्यक्ति जो विषय में मान्यता रखते हों–की ओपीनियन न ले ली जाय तब तक इस प्रकार के कानून को सहसा जनता के ऊपर थोपना अनुचित होगा। इस दृष्टिकोण से मैं आवश्यक समझता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। वह प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और प्रवर समिति इसका जो अध्ययन करती है और अध्ययन के परिणाम स्वरूप नतीजा निकालती है उसके अन्दर यह सदन अपने विचारों के द्वारा एक मान्यता तक पहुंच सकता है। ये दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं, इन दोनों पर विचार करते हुए कोई कानून बनाते हैं तो उचित होगा नहीं तो मनमाने रूप से कानून थोपने में हमारी मान्यता नहीं होनी चाहिए और जनता पर इस प्रकार के कानून को नहीं थोपना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पतिलाल बोहरा।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास

(अनुपस्थित)

श्री केदारनाथ।

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुलजब्बार।

(अनुपस्थित)

श्री मानिकचन्द सुराणा।

Page No. 62

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी बहुत लम्बी–चौड़ी बहस इस ऑर्डिनेन्स और इस बिल के मुतल्लिक इस सदन के अन्दर चल रही है। जहां तक इस बिल के उद्देश्य का ताल्लुक है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उससे सदन के किसी भी सदस्य का कोई मतभेद नहीं होगा और जहां तक ऑर्डिनेन्स का ताल्लुक है और उसको जारी करने का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने जो परिस्थितियां बताई हैं उन परिस्थितियों को देखते हैं....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, Sir, हाउस में आप (श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत) काम कर सकती हैं और अखबार पढ़ सकती हैं ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): कॉन्स्टीट्यूएन्सी का काम है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कॉन्स्टीट्यूएन्सी का काम सदन में नहीं हो सकता।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : कॉन्स्टीट्यूएन्सी का काम सदन में करना सदन का अपमान है।

श्री उपाध्यक्ष : No other business can be carried in the House.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह पर्चा जब्त कर लिया जाय और सदन की मेज पर रखा जाय।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : अध्ययन कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो परिस्थितियां इस ऑर्डिनेन्स के जारी होने के मुतल्लिक बताई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ऑर्डिनेन्स को जारी करने का विरोध करने की परिस्थिति में मैं नहीं हूं। लेकिन सरकार की एक आदत बन गई है, प्रत्येक मुद्दे........

श्री मानसिंह महार : On a point of order, Sir, सदन के सदस्यों (श्री भैरोंसिंह व श्री बरकतुल्ला खां) का सरकारी ऑफिसरों से बातचीत करना बहुत ही आपत्तिजनक है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : This point has been decided many a times.

श्री मानसिंह महार : I think a new Minister has been appointed.

श्री बरकतुल्ला खां : He was consulting.

श्री मानसिंह महार : If it is so then...

फिर सभी हम बात करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Generally Ministers can consult their officers.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : This should not be allowed.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : I was only consulting...

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इन्ट्रप्ट किया है, यह मेरे बोलने के समय में से निकाला जाय।

श्री मानसिंह महार : फिर भी राइट नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत आपत्तिजनक है।

श्री निरजननाथ आचार्य : आप ख्वामाख्वाह चिढ़ रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह इन्ट्रप्शन में जो टाइम निकला है वह मेरे समय में से निकाल दिया जाय।

श्री मानसिंह महार : On a point of order, उपाध्यक्ष महोदय, आप रूलिंग दे दीजिये; फिर हम भी बात कर सकेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उधर से तुम सब आ जाओ बात करने।

श्री मानसिंह महार : अभी आ जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार बातें करना सदन में ठीक नहीं है, आपत्तिजनक है।

श्री उपाध्यक्ष : परस्पर बात कर लें इस सम्बन्ध में।

श्री मोतीलाल चौधरी : On a point of order, उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकार बात करना अनुचित है। हाउस का डिकोरम मेंटेन करना चाहिए।

श्री मानसिंह महार : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को बात करनी है तो बाहर जाकर बात करें। सदन में माननीय सदस्य भाषण कर रहे हों और आप बात करें, यह उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please! सदन में दो प्रकार के नियम नहीं हो सकते। जब माननीय मंत्रियों को सरकारी ऑफिसर्स से बात करने की इजाजत है, ऐसी स्थिति के अन्दर अगर कोई दूसरे सदस्य थोड़ी बात पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। यह बात जरूर है कि इस प्रकार वहां जाकर खडे ही नहीं हो जायं जिससे सदन के दूसरे सारे सदस्यों का ध्यान आकर्षित हो जाय और कार्यवाही में हानि पहुंचे।

श्री मानसिंह महार : वह तो सब बात कर लेंगे। आप तय कर दें तो उचित है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं समझता हूं कि वे जाकर बात कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आयेगी।

तो उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार की आदत बन गई है कि प्रत्येक मुद्दे पर ऑर्डिनेन्स जारी करे—मैं उसका विरोध किये बिना नहीं रह सकता। इस सदन के अन्दर करीब सात-आठ अध्यादेश रखे गये हैं और उस सम्बन्ध में बिल पेश किये गये हैं। सरकार से बहुत बार यह मांग की गई कि दो सैशन के बजाय तीन सैशन किये जाएं, मगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। पिछले वर्ष में गवर्नर महोदय को ७० एम० एल० एज़० ने हस्ताक्षर करके एप्लीकेशन और दरख्वास्त दी कि आप एसेम्बली का विशेष सत्र बुलावें और दो सैशन के बजाय तीन सैशन बुलायें जावें, मगर जो एप्लीकेशन माननीय सदस्यों ने दी थी वह एप्लीकेशन उन्होंने मंजूर नहीं

Page No. 64

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

की। मैं यह कहूंगा कि आपको १०–१२ अध्यादेश जारी करने पड़ते हैं और ये अध्यादेश जारी करना इस बात का सुबूत है कि इस विधान सभा के दो सैशन के बजाय तीन सैशन होने चाहिये। जब विधान सभा के तीन अधिवेशन होंगे तो सरकार इस बात को कह कर कि अभी विधान सभा का अधिवेशन नहीं चल रहा है इसलिये अध्यादेश जारी किये जावें, इस बात को नजरअन्दाज नहीं कर सकेगी। अधिवेशन फरवरी में होगा या सितम्बर में होगा, इसलिये अध्यादेश जारी करने पड़ते हैं। इससे हमारे जो अधिकार हैं उन पर कुठाराघात होता है। इसलिये मैं इस ऑर्डिनेन्स को डिस्एप्रूव करता हूं। जो अधिकार इस विधान सभा के हैं, राजस्थान के १७६ प्रतिनिधियों के हैं, कि वे उस पर मिलजुल कर विचार करें और जब कोई कानून पास होता है तो फर्स्ट रीडिंग, सैकन्ड रीडिंग और थर्ड रीडिंग पर अपने विचार व्यक्त कर सकें और उसके बाद वह कानून पास होता है, इन सारे अधिकारों का हनन अध्यादेश द्वारा किया जाता है। मैं यह कहूंगा कि यह जनतन्त्र और डेमोक्रेसी की हत्या है और मैं इस प्रकार से अध्यादेश जारी करने के तरीके को जनतन्त्र और डेमोक्रेसी की हत्या मानता हूं।

आपको अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है, मगर वह बहुत ही विशेष परिस्थितियों में दिया गया है। कम्पाउन्डर्स, मिड वाइव्ज़, हैल्थ विज़िटर्स की जरूरत है। उनकी कौंसिल होनी चाहिये, यह मामला पिछले दो महीनों में ही इतना जरूरी हो गया। मंत्रीजी ने कहा कि दो वर्षों से यह पोर्टफोलियो उनके पास है। आपने दो साल के अर्से में यह बिल पहले क्यों नहीं पेश किया, यह इल्ज़ाम आप पर लगाया जा सकता है। आप पर तो यही चार्ज हो सकता है, लेकिन सरकार पर क्या चार्ज होगा जिनको रूल करते हुए १५ वर्ष हो गये। आप कहते हैं कि स्टूडेन्ट्स दिल्ली, लुधियाना आदि में मिड वाइव्ज़, हैल्थ विज़िटर्स और ऑग्ज़िलरी नर्स, मिडवाइव्ज़ की ट्रेनिंग के लिये पिछले ५ वर्षों से जाते रहे हैं और सैकड़ों रुपये खर्च होते हैं। मैं यह कहूंगा कि आपकी सरकार ने आज से १०–१५ वर्ष में इससे पहले कभी नहीं सोचा इस बात से आपकी सरकार बरी नहीं हो सकती। आप पर इल्जाम दो वर्ष का है, तो आपकी सरकार पर १५ वर्षों का है। इसका जवाब न तो आप और न आपके चीफ मिनिस्टर दे सकते हैं।

जहां तक बिल का ताल्लुक है, उपाध्यक्ष महोदय, आपने एक कौंसिल का निर्माण किया। यह कहा जाता है कि यह कौंसिल ठीक नहीं बनी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कौंसिल का निर्माण किया गया है वह कानून है और इसको गैर-कानूनी इसलिये नहीं कहा जा सकता कि दो कोऑप्टेड मेम्बर्स इसमें नहीं लिये हैं इसलिये कौंसिल का गठन बिल्कुल अन-कॉन्सटीट्यूशनल है। अगर चेअरमैन का चुनाव के जरिये एपोइन्टमेंट होता तो कहा जा सकता था कि यह गैर-कानूनी है, मगर आपने चेअरमैन एक सरकारी अधिकारी को रखा है। इसलिये इस सारे गठन को गैर-कानूनी करार दिया जावे, इससे मैं सहमत नहीं हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से रूल्स और रेगुलेशन्स बना सकते हैं और सारी

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कार्यवाही की जा सकती है उसके बारे में सरकार का जवाब है वह किसी भी प्रकार से संतोषजनक नहीं है। चूंकि इसमें ढिलाई हुई है, यह बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिये मैं चाहूँगा कि इस बिल के पास होने के बाद में क्या फीस ली जावेगी, किस तरह से उनका एग्ज़ामिनेशन होगा, इसका बहुत जल्दी निर्णय किया जावे।

बिल में एक प्रावधान है जिसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इसका क्लॉज़ १५ (२) के अन्दर जो पुरानी नर्सेज़ हैं उनके लिये कुछ क्वालिफिकेशन्स क्लॉज़ १४ में रखी हैं और रजिस्ट्रार को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह यह समझे कि नियम के अनुसार नहीं है तो वह उसकी एप्लीकेशन को नामंजूर कर सकता है। मैं समझता हूँ कि राजस्थान में जितनी पुरानी नर्सेज़ और मिड वाइव्ज़ और स्त्रियें और पुरुष कार्य कर रहे हैं, उनके लिये रजिस्ट्रार को यह अधिकार नहीं होना चाहिये। इसके लिये कौंसिल ही विचार करे और उसके बाद में अगर कौंसिल मुनासिब समझे तो नामंजूर कर सकती है। यदि आपने ऐसी पोलिसी कर दी तो इससे बहुत नुकसान हो सकता है और जो लोग १०-१० और २०-२० सालों से यही काम कर रहे हैं उन लोगों को नुकसान होने की संभावना है। क्योंकि अगर रजिस्ट्रार उनकी एप्लीकेशन्स नामंजूर कर देगा तो उनको बाद में कौंसिल के सामने अपील करनी होगी और इससे लोगों को परेशानी होगी। इससे अच्छा तो यह हो कि उन लोगों को अपील में जाना ही न पड़े और अपने आप उनका फैसला कौंसिल करे।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि आपने यह प्रावधान रखा है कि लोकल बोडीज़ के एरिया में जो लोग क्वालिफाइड नहीं हैं वे प्रेक्टिस नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि इसके बजाय आप यह प्रावधान रखते कि जो भी कौंसिल द्वारा रजिस्टर्ड नहीं हैं वे राजस्थान में किसी प्रकार से प्रेक्टिस नहीं कर सकते हैं। आपने जो हुक्म दिया है और निर्णय लिया है उसका मतलब यह है कि जहां राजस्थान नर्सेज़, मिडवाइवज़ का एक्ट लागू नहीं, उन लोगो को अलग छोड़ देता है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि जो रजिस्टर्ड प्रेक्टिशनर्स नहीं हैं उनको रूल्स और बाइ लॉज़ द्वारा कभी भी जाकर रोका जा सके। मैं समझता हूँ कि साधारण रूप से कानून से कानून में यह संशोधन करना चाहिये कि जो हमारे रजिस्टर्ड नर्सेज़ और मिड वाइव्ज़ नहीं हैं उनको राजस्थान के किसी भी हिस्से में प्रेक्टिस करने का हक नहीं होगा।

इसके साथ साथ मैं यह कहूँगा कि जो बिना क्वालिफाइड और बिना रजिस्टर्ड कार्य करेंगे उन पर ३००) रु० या २००) रु० का फाइन होगा, मैं समझता हूँ कि यह प्रावधान रखा है वह बहुत कम है।

आज राजस्थान के नागरिकों और देश के नागरिकों को नर्स मिड्वाइव्ज़, हैल्थ विज़िटर्स के सम्पर्क में आने से ऐसे मौके आते हैं कि मरीजों की जान इन नर्सेज़, कम्पाउन्डर्स, मिड्वाइव्ज़ के भरोसे होती है। यदि कोई रजिस्टर्ड नहीं है और प्रेक्टिस करता है तो उस पर केवल २०० रु० या ३०० रु० जुर्माना कर देना ही काफी नहीं है। सिम्पल इम्प्रिज़नमेंट जैसी सजा का भी प्रावधान कानून में होना चाहिये। मामूली सी बातों में

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

सिम्पल इम्प्रिज़नमेंट का प्रावधान रखते हैं तो नर्सेज़, कम्पाउन्डर्स, मिड्वाइव्ज़, हैल्थ विजिटर्स-जिन्होंने अपने आपको रजिस्टर नहीं करवाया है और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके लिये इस तरह की सजा का प्रावधान रखना चाहिये। तो मैं यह चाहता हूँ कि इसमें संशोधन किया जाय और जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, फिर भी प्रेक्टिस करते हैं उनके लिये इसमें स्ट्रिक्ट प्रावधान रखा जाय।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष, इसमें यह भी रखा हैं कि प्रोफेशनल मिसकन्डक्ट के साथ साथ इन्फेमस कन्डक्ट करेगा तो उसका नाम कौंसिल के रजिस्टर से काट दिया जायगा। इन्फेमस कन्डक्ट से आपका क्या मतलब है? इन्फेमस कन्डक्ट का डिक्शनेरी मतलब तो शेमफुल कन्डक्ट है। जब आप इन्फेमस कन्डक्ट इसमें रख रहे हैं तो मैं यह चाहूँगा कि 'इन्फेमस कन्डक्ट' की डेफिनिशन दी जाय कि कौन कौन से कन्डक्ट इन्फेमस कन्डक्ट हैं। यदि इस प्रकार की डेफिनिशन नहीं देंगे तो जो लोग रोजाना कन्डक्ट करते हैं, रोजाना जो एक्ट करते हैं, उनके इस एक्ट को इन्फेमस न समझ कर वही एक्ट किसी नर्स, मिड्वाइफ, कम्पाउन्डर या हैल्थ विज़िटर द्वारा किया गया है तो उस एक्ट को इन्फेमस कन्डक्ट समझ कर कौंसिल के रजिस्टर से नाम काट दिया जा सकता है। हमें किसी भी कौंसिल को इस प्रकार के अधिकार नहीं देने चाहिये जो कि डिफाइन्ड नहीं हों। नर्सेज़ और कम्पाउन्डर्स का व्यवहार मरीजों के साथ राजस्थान के बहुत से अस्पतालों में अच्छा नहीं है, वह प्रोफेशनल मिसकन्डक्ट में आ सकता है। इसलिये इन सारे मुद्दों में परिवर्तन करने के बाद इस बिल को पारित किया जाय। इस बिल के जो मूल उद्देश्य हैं, उनसे किसी को कोई विरोध नहीं हो सकता, सिर्फ यही विरोध हो सकता है कि यह बड़ी देरी से लाया गया है, जब कि इसे बहुत पहले ही लाना चाहिये था। फिर भी मैं इस बात को मानता हूँ कि २ वर्ष के अर्से में ही हमारे मौजूदा स्वास्थ्य मंत्रीजी के ध्यान में यह बात आ गई जब कि पिछले स्वास्थ्य मंत्रियों के ध्यान में दस दस साल के अर्से में भी यह बात ध्यान में नहीं आई।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वाई० एन० हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नर्सेज़, मिड्वाइव्ज़, हैल्थ विज़िटर्स एण्ड ऑग्ज़िलियरी नर्सेज़ मिड्वाइव्ज़ के रजिस्ट्रेशन का यह बिल आया है। देरी से आया है और ऑर्डिनेन्स के जरिये पहले ही लगा दिया जा चुका है, जब कि भारतवर्ष के दूसरे प्रान्तों में १९५३ से इस प्रकार के बिल मौजूद थे। यहां यह बहुत देर से आया। आया तो बहुत जल्दबाजी से आया और सदन के माननीय सदस्यों के स्वाभाविक अधिकारों की मजाक उड़ाते हुए आया। शायद जो मंत्री इस बिल के इन्चार्ज हैं, वे इस सदन के माननीय सदस्यों के सद्भाव से ताल्लुक नहीं रखते। सदन के माननीय सदस्यों की सद्भावना और ईमानदारी में उन्होंने एक प्रकार से अविश्वास प्रकट किया है। ऑर्डिनेन्स जनवरी में लाया गया है। बिल के प्रावधानों का अध्ययन किया जाय तो पता चलेगा कि डेलिगेटेड लेजिस्लेशन्स की लिस्ट जो दी हुई है उसके अनुसार बहुत से लेजिस्लेशन्स कौंसिल को बनाने

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हैं और उनको बना कर सरकार को सबिमट करने हैं, उन पर सरकार को अपनी एसेंट देनी है, सरकार द्वारा एसेंट देने के बाद ही वे लागू होंगे । कौंसिल का कम्पोज़िशन भी ऐसा नहीं है कि सरकार कौंसिल बना दे और कौंसिल फोरन फंक्शन करने लग जाय । बनाते ही कौंसिल फोरन काम करने लग जाय, ऐसी कौंसिल इस बिल में नहीं लाई गई है । डाइरेक्टर, पब्लिक हैल्थ इसके प्रेसिडेन्ट होंगे, वाइस प्रेसिडेन्ट का इलेक्शन होगा, २ को कोऑप्ट करने का प्रावधान है और नर्सेज़, मिड्वाइव्ज़, हैल्थ विज़िटर्स का रजिस्ट्रेशन करने के लिये एक रजिस्ट्रार को कौंसिल मुकर्रर करती है । रजिस्ट्रार के पॉवर्स की बड़ी लिस्ट है, सारे कार्यों को रजिस्ट्रार ही करता है । कोई इस बिल के प्रोविज़न्स वायोलेट करता है तो रजिस्ट्रार कोर्ट को लिखता है, बिना रजिस्ट्रार के लिखे किसी भी केस का चालान नहीं हो सकता, केस नहीं बन सकता । रजिस्ट्रार ही इन लोगों को रजिस्टर करेगा और रजिस्टर्ड लोगों की लिस्ट राजस्थान गजट में पब्लिश कराता है । एक सिरे से आखिरी सिरे तक देखा जाय तो इतना सारा काम करना है कि पांच-छः महीनों में जाकर यह कौंसिल फंक्शन कर सकेगी और चालू हो सकेगी ।

तो उस आधार पर यह दलील कि जनवरी के महीने में ही इसको लागू किया जाता है तो एग्ज़ामिनेशन्स लिये जा सकते थे, यह लचर दलील है । राजस्थान की जो स्थिति है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के जो आंकड़े दिये हैं उनसे स्पष्ट है कि नर्सेज़, मिड्वाइव्ज़, कम्पाउन्डर्स, डॉक्टर्स, हैल्थ विज़िटर्स की राजस्थान को जितनी जरूरत है उससे जो राजस्थान का आउटपुट है वह बहुत कम है । राजस्थान की पोपुलेशन को लें, पर केपिटा के हिसाब से देखें कि कितनी नर्सेज़, मिड्वाइव्ज़, हैल्थ विज़िटर्स और डॉक्टर्स की हमारे यहां आवश्यकता है तो पता चलेगा कि हम बहुत दुर्लदयपूर्ण स्थिति में हैं । हमारा आउटपुट बहुत कम है । नर्सेज़ की ३५० की रिक्वायरमेंट बताई है जब कि हमारा आउटपुट २०० है, ६३६ मिड्वाइव्ज़ की रिक्वायरमेंट बताई है वहां ८८८ का आउटपुट है, ऑग्ज़िलियरी नर्सेज और मिड्वाइव्ज की ६९६ की रिक्वायरमेंट है वहां आउटपुट केवल ३३६ ही हो पायेगा । यह स्थिति राजस्थान की है; जिनकी जनता को नितान्त आवश्यकता है उनके सम्बन्ध में हमारी यह स्थिति है जो कि बहुत ही गम्भीर है । इस अनिवार्य आवश्यकता को देखते हुए यह बिल बहुत पहले ही आ जाना चाहिये था जिससे कि हम नर्सेज़, मिड्वाइव्ज़, हैल्थ विज़िटर्स को अधिक संख्या में ट्रेन कर सकते और रजिस्टर कर सकते ।

जो लोग इस दिशा में काम करते हैं वे प्रोपर्ली क्वालिफाइड नहीं होने के कारण, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं । ऐसे केसेज़ रात-दिन होते हैं जो लज्जापूर्ण और समाज के लिये कलंकपूर्ण हैं । जच्चाओं और बच्चों की जो स्थिति चल रही है वह बहुत ही दुर्लदयपूर्ण है । एक ओर तो इनका बड़ा अभाव है और दूसरी ओर जो हैं वे जन-जीवन के साथ भयंकर खिलवाड़ कर रहे हैं, गलत तरीकों से कार्य करने के कारण गलत तरीके के काम सामने आ रहे हैं ।

आज राजस्थान में मंहगाई इतनी बढ़ रही है, संकटपूर्ण स्थिति में जन-जीवन बीत रहा है, स्लम्स बढ़ रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य

Page No. 68

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

की सुविधाएं न्यूनतम हो रही हैं, राज्य में पिछले १०-१२ सालों में स्लम्स बढ़ रहे हैं, स्लम्स में आबादी बढ़ रही है, जहां १९५० में १,२५,००० लोग स्लम्स में आबाद थे वहां आज ढाई लाख स्लम्स की आबादी हो गई है। ऐसी स्थिति में जब कि कई साल पहले नर्सेज़, मिडवाइव्ज़, हैल्थ विज़िटर्स आदि को रजिस्टर करने का कानून लाया जाना चाहिये था वहां आज ला रहे हैं; जो इम्तिहानों का प्रबन्ध पहले ही करना चाहिये था वह अब कर रहे हैं।

मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने यह कानून बनाया, लेकिन जिस प्रकार से इसमें रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है और जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन की स्थिति बनाई है कि कौंसिल नियम बनाएगी कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स और एग्ज़ामिनेशन्स रिकग्नाइज़ किए जायं, कौन कौन से एग्ज़ामिनेशन्स हैं जिनको पास करने के बाद नर्सेज़ और मिडवाइव्ज़ रजिस्टर हो सकें, वह अगर कुछ सरल बनाती और कौंसिल को पूरे अधिकार देने के बावजूद सरकार भी इस संबंध में कोई डाइरेक्टिव्ज़ देती तो अधिक अच्छा होता ताकि हम अपने रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कर सकते।

इसमें एक और चीज दी है कि अगर किसी नर्स का चाल-चलन खराब है या वह अपने प्रोफेशन के अन्दर नेग्लीजेंट हैं तो इसके अन्दर सजा की एक्सटेंट ३००) रुपया और २००) रुपया दी है। लेकिन कोर्ट को इसके लिए पॉवर्स नहीं हैं। जब रजिस्ट्रार कोर्ट को लिखेगा कि कोई नर्स बाकायदा रजिस्टर्ड नहीं है, या जालसाजी करती है, तब कार्यवाही हो सकती है। मेरे जो अनक्वालीफाइड नर्सेज़ के संबंध में तजुर्बे हैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ। इसकी माननीय सदस्यों को जानकारी है। एक्ट में प्रोवीज़न है कि जालसाजी का पट्टा कोई भी लगा दे तो उसके बाद केवल २०० रुपया सजा होगी। साल भर वह अपना प्रोफेशन करता रहे, समाज को धोखा देता रहे, गलत पट्टा लगा दे, कौंसिल को धोखा दे, वह यदि रजिस्ट्रार के नोटिस में आए और वह कोर्ट को लिखे तब केवल उसको २०० रुपये की सजा होगी। तो क्या यह पीनाल्टी का प्रोवीज़न ऐसा जुर्म करने के लिए एन्करेज नहीं करता है ? अगर कोई रजिस्ट्रेशन के मामले में जालसाजी करता है तब भी केवल ३०० रुपये से अधिक सजा का प्रावधान नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस एक्ट में जालसाजी को प्रोत्साहन देने के लिए काफी लीनियन्सी है। इस संबंध में कुछ कठोर नियम होने चाहिए। इसके अतिरिक्त जो एग्ज़ामिनेशन्स वगैरह के संबंध में....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कौंसिल को इस बिल में एन्टायर पॉवर्स दी गई हैं कि किस प्रकार से वह अनक्वालीफाइड नर्सेज़ और हैल्थ विज़िटर्स के एग्ज़ामिनेशन्स होल्ड करेगी। यह तो ठीक है कि इस कौंसिल में डाइरेक्टर और राजस्थान के खास खास हॉस्पीटल्स की चीफ मैट्रन्स इसके मेम्बर्स होंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जहां तक एग्ज़ामिनेशन का प्रावधान है, उसके अन्दर स्पेशलाइज़ड व्यू जरूर होनी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

चाहिए । दो चीजों में बैलेंस कायम करते हों। एक तो हमारे पास नर्सेज़, मिडवाइव्ज़ और हैल्थ विज़िटर्स की कमी है और दूसरी ओर एग्ज़ामिनेशन्स की टैक्निक क्या हो, उसको एन्टायरली इस कौंसिल पर छोड़ देना; तो जहां तक मैं इस कौंसिल के मैम्बर्स की लिस्ट को देखता हूँ, मैं उसे ठीक नहीं समझता । हमारे लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स मैडीकल कॉलेजों के अन्दर पढ़ाते हैं, उनका निश्चित रूप से दखल होना चाहिए और बाकायदा डीन आॅफ फैकल्टी आॅफ मैडीसिन्स इसके अन्दर मौजूद होने चाहिए और बाकायदा नर्सेज़ स्कूल की कोई प्रिन्सीपल या लेक्चरार इसके अन्दर मौजूद होना चाहिए; ताकि ये जो एग्ज़ामिनेशन्स हैं, वे ठीक ढंग से चलें, दोनों चीजों में बैलेंस करते हुए इग्ज़ामिनेशन्स होल्ड किये जा सकें और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको भी ज्यादा सिम्प्लीफाइ किया जाना चाहिए ।

(समय-सूचक समाप्ति घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्षजी, जिस बिल पर इस समय बहस चल रही है उसके मैरिट्स पर जाने से पहले मैं जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं उसके लिए मैं महसूस करता हूँ कि अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति हमारे संविधान में आर्टीकल २१३ द्वारा दी गई है इसे किसी भी सरकार को बहुत ही ध्यान पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए । यह शक्ति हमारे संविधान में इस हद तक दी हुई है कि इस शक्ति को जस्टीफायेबल नहीं रखा है । इसका मतलब है कि संविधान के बनाने वालों ने यह मानकर यह शक्ति दी है कि इसका उपयोग बहुत ही एमरजेंट सिचुएशन में किया जाएगा। राज्यपाल महोदय या राष्ट्रपति को केंद्र में इस प्रकार के अधिकार इस कारण नहीं दिए गए कि कोई सरकार किसी वक्त पर कोई काम नहीं कर सके या कोई एग्ज़ामिनेशन वक्त पर होल्ड करने में उनको सहूलियत न रहे या इधर या उधर किसी कार्य को करने में सुविधा न हो । इस दृष्टिकोण से अध्यादेश निकालने की शक्ति का प्रयोग किया जाना मैं समझता हूं कि इस प्रोवीज़न की, जो हमारे संविधान में दिया गया है, अहमियत को नहीं समझना है, उसे बहुत ही हल्केपन से आंकना है और ऐसे प्रिसीडेंट्स कायम करना है जो हमारे देश में एक नये तरीके से जो हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन्स बना रखी हैं, प्रजातंत्र प्रणाली को कायम कर रहे हैं, उसका उपहास उड़ाना है ।

नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस हो रही थी, इस सदन का ध्यान वाजिबी तौर पर इस ओर दिलाया था कि इस सरकार ने ७ आॅर्डिनेन्सेज़ इन पिछले दिनों में, इस पिछली अवधि में निकाले हैं । उपाध्यक्षजी, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस पर विचार करें कि जब सरकार के सामने ७ अध्यादेशों के निकालने की आवश्यकता मौजूद थी, जब सरकार के सामने ऐसी विकट समस्याएं मौजूद थीं, महंगाई की समस्या जनता के सामने उमड़कर आ रही थीं तो क्या सरकार इतनी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गम्भीर स्थिति में भी इस सदन को बुलाना आवश्यक नहीं समझती ? क्या यह डेमोक्रेसी का उपहास नहीं है ? सरकार ने आर्टीकल २१३ के तहत संविधान में दी गई पॉवर्स का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया है, अनकॉन्स्टीट्यूशनल तरीके से किया है। यदि यह मामला किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाये तो मुझे इसमें संदेह नहीं कि कोई भी कोर्ट इस अध्यादेश को गैरजरूरी. अनुचित तरीके से जारी किया हुआ मानेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में मैं आपके ध्यान में जस्टिस सरजूप्रसाद का फैसला जो उन्होंने १६२६, पटना, ४१० में १६५० को, हमारे यहा गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया १६३६ का एक्ट लागू था, उसके तहत भी जब कि हमारे यहां एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, एक स्वेच्छाचारी गवर्नमेंट थी, जो हमारी पिपुल्स के प्रति रेस्पोन्सिबल नहीं थी, वह गवर्नमेंट उस वक्त थी। उसको भी अध्यादेश निकालने के पॉवर्स के बारे में उन्होंने अपने जजमेंट में कहा है :

"Wherever the legislation uses the word 'satisfied' it must mean reasonably satisfied. Therefore, an Ordinance that is irrational and unreasonable on the face of it would certainly be held by the Court as invalid and unforseenable."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जब इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल २१३ के अनुसार माननीय राज्यपाल महोदय को सेटिस्फाई होना चाहिये कि ऐसी स्थिति है, ऐसी आवश्यकता है, उस सेटिस्फेक्शन के लिये, उस संतोष के लिए केवल यही मान कर नहीं चलना चाहिये कि वे केवल मात्र इस बात को कह दें, वह संतोष किसी रीज़नेबल ग्राउन्ड पर होना चाहिये। इस फैसले के अनुसार और यदि उस दृष्टिकोण से, उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम यह देखें, जिन परिस्थितियों में इस अध्यादेश को जारी किया गया तो ऐसी कोई वजह नहीं थी। एक तरफ इस कानून की आवश्यकता होते हुए भी, उसको मैं इन्कार नहीं करता, लेकिन उसके लिए संविधान की धारा २१३ का सहारा लिया जाय और ऐसा प्रिसिडेंट कायम किया जाय जिसमें किसी सरकार को कॉम्प्लेसेन्ट होने का मौका मिले; आपने दस वर्ष में, १५ वर्ष में कोई कदम नहीं उठाया, दूसरी ओर गलती करके आप ऐसा प्रिसिडेन्ट कायम कर देते हैं जो भविष्य में बहुत हानिकारक हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं लार्जर इम्प्लीकेशन्स इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स निकालने के होते हैं, जिनका नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने भी जिक्र किया था, इस सरकार ने उन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस दृष्टिकोण से भी देखिये कि कम्पेरेटिवली गवर्नमेन्ट के सामने और सिचुएशन्स थीं जिन पर गवर्नमेन्ट को फौरन एक्शन लेना चाहिये था; उस ओर भी दृष्टिपात करें। एक तरफ जनता को इतनी बड़ी भारी महंगाई को फेस करना पड़ रहा है, जहां १८) रुपया मन से बढ़ कर गेहूं ३२) रुपया मन चला गया है, सरकार ने फेयर प्राइस शोप्स कितनी खोली हैं ? सरकार द्वारा बार बार यह घोषणा की गई कि हम प्राइस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लेवल को चैक करेंगे। चैक नहीं हुई, बढ़ती ही गई। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं सरकार की आंख खुली, क्यों नहीं आॅर्डिनेन्स निकाला कि गेहूं की कीमत १८) रु० मन से अधिक नहीं बढ़ने दी जायगी और जितना स्टॉक गेहूं का राजस्थान में है उसको १८) रु० मन के हिसाब से ही बेचना पड़ेगा ? अगर इस प्रकार की शक्तियां लेकर सरकार आती तो हम इस सरकार को मुबारिकबाद देते, इस सरकार की सराहना करते। लेकिन क्या किया इस सरकार ने ? उस तरफ वह आंखें मूंदे पड़ी रही। यह करती रही। इस दौरान में फ्लोर मिल्स के द्वारा ३६) रु० पर आटा देने की रेट मुकर्रर है, सरकार उनको सस्ता गेहूं देती है लेकिन आज ५२) रु० में आटा बाजार में बिक रहा है। मिल्स को खुली छूट मिली हुई है।

जयपुर में यहां पर एक मिल है, मैं जानता हूं, राजगढ़ के हमारे जिले के रहने वाले हैं, उनकी मिल है, पांच हजार रुपये रोजाना की आमदनी ब्लेक से है। क्या सरकार की आंखें खुलीं ? कोई आॅर्डिनेन्स निकाला ? क्या सरकार ने कोई पॉवर्स ली ? क्या सरकार की आंखें तब खुलेंगी जब जनता दूकानों को घेर लेगी ? सरकार तब आंखें खोलेगी जब कि जनता मिनिस्टर की कोठियों को घेर लेगी और कहेगी कि कुर्सियां छोड़ कर बाहर निकलो या भाव तय करो ? आपकी आंखों के सामने लोग बिलबिलाते फिरें और आप कह दें कि फेयर प्राइस शोप्स खोल रहे हैं, एक एक शहर और कस्बे कस्बे में खोल देंगे ! इसका क्या नतीजा होगा ? उस पृष्ठभूमि में आप अपने इस आॅर्डिनेन्स को देखें कि मिडवाइफ का रेगुलेशन करने के लिए, नर्सेज़ को रेगुलराइज़ करने के लिए आप संविधान की आत्मा का हनन करते हैं, डेमोक्रेसी को कुचलने की कोशिश करते हैं और अपने आपको तानाशाह जताने की कोशिश करते हैं और जहां जनता को रोटी देने का सवाल है, लोगों को भूखों मरने से बचाने का सवाल है, छोटे २ कर्मचारियों को मंहगाई देने का सवाल है, मंहगाई भत्ता देने का सवाल है, राज्यपाल महोदय अपने भाषण में कहें कि सरकार विचार करेगी। अभी आप विचार नहीं करते। पॉवर्स का इस प्रकार से दुरुपयोग करना, मैं समझता हूं, संविधान की भावना के खिलाफ है, संविधान की आत्मा के खिलाफ है। फेक्चुअली यह कानून गलत है। यह प्रिसिडेन्ट गलत है। इस प्रकार के प्रिसिडेन्ट को इस सदन को रोकना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि इस विधान सभा का जब पिछला सेशन समाप्त हुआ था, जो आश्वासन इस सदन में दिये गये थे, जिस तरह की बात गवर्नमेन्ट से कही गई थी, उन आश्वासनों का भी हनन किया गया है। उनको सरकार ने पूरा नहीं किया। उस वक्त बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी ने हाउस को उस समय समाप्त कर देने के लिए इस बिना पर एग्री किया था कि सरकार ने कहा था कि जल्दी ही दूसरा सेशन बुलायेंगे, हम दिसम्बर या जनवरी में सेशन बुलायेंगे, उस वक्त जनता की समस्याओं को सामने लेंगे। लेकिन क्योंकि जनता पर आयी हुई समस्या मंहगाई की, मंहगाई भत्ते की, बड़ी बड़ी समस्यायें थीं, जिनको सरकार हल नहीं

Page No. 72

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कर रही थी, हल ही नहीं कर रही थी बल्कि बेशर्मी के साथ लोगों की मुसीबत के टाइम में ब्लेक मार्केट करने वाले जमाखोरों के साथ मिली हुई थी, उनसे सांजिश कर रही थी और उनसे चन्दा कमाने की चिन्ता में थी। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री नहीं हैं इस समय, बोर्डर पर गये मुख्य मंत्रीजी, हमारे जिले में माजन में गये। जहां फाइनेन्स मिनिस्टर मेंढार में गये। वहां से दो मील के ऊपर, दस मील के ऊपर उनके सामने ब्लैक मार्केट हो रहा था। उनके सामने स्मग्लिंग वहां पर हो रहा था। दस बीस ट्रक। लोग जीप के अन्दर बंदूकें लेकर बैठे हुए चले आ रहे थे। क्या किया इस सरकार ने उनको रोकने के लिए? क्या यह सही नहीं है, इस सरकार ने सेबोटेज किया? इस सरकार ने जो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की वफादार रहने के लिए वचनबद्ध है, इसकी कॉन्स्टिट्युशन के अन्तर्गत जो जिम्मेदारी है, इस सरकार ने राह देकर, अपने अधिकारियों को राह देकर, अपने व्यापारियों को राह देकर, संविधान की उस बात को तोड़ा है, सरकार ने उस पॉलिसी का सेबोटेज किया है।

मैं सरकार की उस पॉलिसी से, जिसके तहत हमारे स्टेट में गुड़ आने पर रोक लगायी है उससे सहमत नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि उसको हटाया जाय। जो सरकार इस समय सेन्टर में है उसकी इस बारे में जो नीति है मैं उससे सहमत हूं। यदि हमारी सरकार उससे सहमत नहीं है तो खुले तौर पर सरकार को यह एलान करना चाहिये था कि हम उस नीति के विरोधी हैं, मुख्य मंत्रीजी इसको पोशिदा नहीं रखते और उनको एक स्टेटमेन्ट इस विषय पर दे देना चाहिये था या इस्तीफा दे देना चाहिये था। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस चीज़ पर पाबन्दियां लगायी हैं। सरकार गुड़ के स्मग्लिंग को रोक नहीं पायी है, लेकिन यह तो तस्कर व्यापारियों से मिली हुई है। उनको कैसे रोके?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : ये विषय से बाहर चले गये हैं।

(११.०० म० पू०)

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं अपने विषय के अनुकूल ही बोल रहा हूं। आपने अनुभव किया है कि जब आप एमर्जेन्सी की सिचुएशन देखते हैं तो ऑर्डिनेन्स लागू करते हैं। सरकार ने मिडवाइव्ज़ और नर्सेज़ को रेगुलेट करने की बात के लिये एक एमर्जेन्ट पॉवर का इस्तेमाल करके ऑर्डिनेन्ट जारी किया और दूसरी तरफ इतनी इम्पोर्टेन्ट सिचुएशन डेवलप हो रही है उसके बारे में सरकार कोई कदम नहीं उठाती है। इससे क्या यह जाहिर होता है कि वास्तव में संविधान की धारा २१३ के अनुसार क्या ऐसी एमर्जेन्ट सिचुएशन थी जिसकी वजह से गवर्नर महोदय को ऑर्डिनेन्स जारी करना जरूरी था? मैंने यह प्रश्न पूछा था कि आखिर ऐसे बिल के लिये एमर्जेन्सी पॉवर्स को काम में क्यों लिया गया? मेरे पास इस बारे में पूरी खबर तो नहीं है लेकिन जो खबरें सुनता हूं, जिस तरह से गवर्नमेन्ट जवाब को इबेड करने की कोशिश करती है उससे यह जाहिर होता है कि इसको मन-मर्जी से थोपने की कोशिश की है। बजाय इसके कि बैटर एडवाइस मिले, इस तरह से पॉवर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्थिति में जहां सरकार ने इस प्रकार के पॉवर्स का इस्तेमाल किया है सदन को डट कर विरोध करना चाहिये। इसके साथ साथ मैं सरकारी पक्ष से भी यह निवेदन करूंगा, वे आज सरकार में, हो सकता है कल उनको ऑपोज़ीशन में आना पड़े प्रजातन्त्र में हम ऐसी परम्पराओं को कायम करें, ऐसी स्वस्थ परम्परा कायम करें जिससे आने वाले इतिहास में मिसाल कायम हो। आने वाली विधान सभाओं में इसके कोटेशन्स दिये जायेंगे, हमें इस तरह का प्रिसीडेन्ट कायम करना चाहिये ताकि भविष्य में वह परम्परा चल सके। आपको अपनी गलती को महसूस करना चाहिये और इस ऑर्डिनेन्स को विथड्रा करना चाहिये। चूंकि समय नहीं है इसलिये मैं इसके अन्य मेरिट्स पर जाने में असमर्थ हूं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की हमारे राज्य को पूरी पूरी जरूरत है। आज से कई दिन पहले यह बिल आ जाना चाहिये था लेकिन आज भी यह आया इससे बहुत बड़ी जो कमी थी वह पूरी हुई है। इसके साथ साथ खेद-पूर्वक यह भी कहना पड़ता है कि यह बिल जो इन्ट्रोड्यूस किया गया है वह आर्डिनेन्स द्वारा हुआ है। अच्छा होता, यह आर्डिनेन्स द्वारा न होता। साधारण से बिल के लिए ऑर्डिनेन्स लाने की जरूरत नहीं होनी चाहिये। असेम्बली की बैठक यदि समय पर बुलायी जाती तो इसकी आवश्यकता नहीं रहती। मैं इस बिल का स्वागत करती हूँ और मैं चाहती हूं कि इस पर ठीक प्रकार से कार्यवाही हो।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैंने इस बिल का स्वागत करते हुए भी यह प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। यह इसलिए रखा है कि मौजूदा कानून की जो शब्दावली है उसको यों का यों रख दिया गया, तो फायदा होने की जगह हानिकर हो जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो शब्दावली है उसमें रद्दोबदल होना चाहिये। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने क्लॉज़ १६ रखना चाहूंगी। इस क्लॉज़ में लिखा गया है:

"That he has been found by the Council to beguilty of an offence which, in its opinion indicates professional incompetence, negligence or contravention of regulations, ordinarilyi ncluded in the performance of his duty"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि इससे इसको बड़ा जनरेलाइज़ किया गया है, स्पेशलाइज़ नहीं किया गया है। मेट्रन अगर नाराज है पार्टी पोलिटिक्स की वजह से, जो कि आज कल अस्पतालों में बहुत नजर आती है, जिसका उदाहरण बीकानेर मेडिकल कॉलेज हमारे सामने है। मेट्रन की नाराजगी की वजह से, डॉक्टर्स की नाराजगी की वजह से नर्स पर आफत आ सकती है। इसलिए मैं कहती हूं कि इस शब्दावली में चेन्ज किया जाय।

दूसरा इसमें रखा गया है:

"That there are defects in his character which, in the opinion of the Council, would render the entry or

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

retention of his name on the register undesirable :"

(११.५ म० पू०)

(श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन)

इसमें कैरेक्टर ऐसा वेग टर्म है जिसका मतलब नहीं निकलता है। मान लीजिये कोई नर्स झगड़ालू स्वभाव की रही तो उसके प्रोफेशन में वह कमी नहीं मानी जा सकती। झगड़ालू होने की वजह से उसका रजिस्ट्रेशन खारिज किया जा सकता है। इससे प्रोफेशनल इनकॉम्पीटेन्स नहीं माना जा सकता। किसी नर्स को मान लोजिये, नींद की झपकी आ गई; यदि यह हेबीचुअल आदत है तो ठीक नहीं; लेकिन कभी कभी आ जाय और उस पर कार्यवाही हो तो ये बातें स्पष्ट हो जानी चाहिये। इसको डिफाइन कर दिया जाय। स्पष्ट इसका उल्लेख हो। ताकि बिना किसी कारणवश नर्सेज़ को सजा नहीं भुगतनी पड़े।

इसी प्रकार सभापति महोदय क्लॉज़ २८ में लिखा गया है कि यदि कोई फर्जी सर्टिफिकेट दे दे तो उस पर ३००) रुपया जुर्माना किया जा सकता है। सभापति महोदय, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि फर्जी लाइसेन्स लिये जाते हैं, वाकई यदि गलत सर्टिफिकेट दिया जाता है तो संस्था के मैनेजर या उच्चाधिकारी की भयंकर गलती मानी जानी चाहिये। स्कूलों और कॉलेजों के फरजी लाइसेन्स दिये जा रहे हैं, यह स्पष्टतः सोश्यल करप्शन है। ३००) रुपया जो रखा गया है उसकी जगह ५००) रुपया रखा जाय। सरकार को यह बराबर ध्यान रखना चाहिये कि फर्जी लाइसेन्स किसी भी संस्था को न दे।

तीसरा अमेन्डमेन्ट मेरा जो इसमें फाइनेन्शियल प्रावधान रखा है १८ हजार रुपये का वह मेरी समझ में इस इमर्जेन्सी के वक्त में अनावश्यक है; हमें १८ हजार की जरूरत नहीं एकाध क्लर्क दे दिया जाय और जो वर्तमान में डिप्टी डाइरेक्टर आदि काम करते हैं उनको यह काम दे दिया जाय और उसके एवज में उनको कुछ अलाउन्स दे दिया जाय। इसलिये मैंने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में देने के लिये प्रस्ताव रखा है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदय, मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कह गये हैं समय देने का।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : हम तो इसका विरोध करना चाहते हैं।

श्री सभापति : (श्री मुरलीधर व्यास से) आपका अमेन्डमेन्ट जब आया था तब आपका नाम पुकारा गया था, आप उपस्थित नहीं थे; इसलिए आपका अधिकार चला गया।

श्री मुरलीधर व्यास : मुझे उपाध्यक्ष महोदय कह गये हैं समय देने का।

श्री सभापति : I allow you.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदय, जिस बारे में बहस चल रही है उसमें खास मुद्दा यह है कि जो ऑर्डिनेन्स इश्यू किया गया है उसका माननीय सदस्यों ने विरोध किया था। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही

(श्री मुरलीधर व्यास)

कहना चाहता हूं कि ऐसे मसलों पर जब कि आज हम बिल पर विचार करते हैं, ८ जनवरी, ६४ को ऑर्डिनेन्स जारी हो जाता है, जिस प्रकार से हम ऐसी बातों को महत्व देते हैं; इससे भी महत्वपूर्ण प्रोब्लम्स हमारे सामने हैं, लेकिन उन पर हमारी सरकार ध्यान नहीं देती हैं। आज मैं भी इस ऑर्डिनेन्स का विरोध करता हूं। लोकतन्त्र के आधार पर हमें इसका विरोध करना चाहिये। मेरी मान्यता है कि चाहे कोई भी सरकार हो, आज जिस बात को लेकर यह ऑर्डिनेन्स जारी किया गया है उससे भी बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दे ऐसे थे; जिस प्रकार फेमीन कोड में आर्डिनेन्स के जरिये परिवर्तन किया जाता, बड़ा भारी अकाल हमारे सामने है, अगर हम ऑर्डिनेन्स द्वारा फेमीन कोड में परिवर्तन करते तो आम लोगों को मजदूरी ठीक ढंग से मिल सकती।

इसके अलावा सभापति महोदय, मुझे अच्छी तरह से याद है कि गत विधान सभा के सत्र के समय जब वह समाप्त हुआ तो उस समय यह आश्वासन दिया गया था, इस प्रकार के कोई प्रोब्लम्स होंगे तो उनके लिए विधान सभा का सेशन जल्दी बुलाया जायगा और विधान सभा में वे मामले प्रस्तुत किये जायेंगे। मुझे बड़ा खेद है कि जिसको सदन में बिज़नैस एडवाइज़री कमेटी में तय कर लेते हैं और स्पीकर के आश्वासन पर यह महसूस करते हैं कि दो महीने बाद बैठक बुलाई जावेगी, पर बैठक न बुलाना, मैं स्पीकर पर कोई रिमार्क की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ; पर उसके जरिये इस बारे में कुछ कहा भी नहीं बाद में कि सदन में यह तय हुआ था पर किसी कारण से, सरकार की वजह से या अन्य किसी कारण से नहीं बुला सके।

तो यह लोकतान्त्रिक परम्परा की उपेक्षा है और इस प्रकार की उपेक्षा जारी रहेगी तो जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि इसका डटकर विरोध होगा, तो मैं भी चाहता हूँ कि होना चाहिये और इसके लिये लोकतान्त्रिक परम्पराओं की रक्षा करनी है तो सरकार को नाराज भी नहीं होना चाहिये।

मैं दो बातें इस बिल के बारे में कहना चाहता हूँ। एक तो इसके गठन के बारे में। जहां तक इसका गठन किया गया है उसमें हम यह देखते हैं कि मेडिकल लाइन के एक्सपर्टों को लिया गया है और लिया जाना चाहिये, मैं इसका विरोधी नहीं; चाहे उदयपुर से लिये जावें, चाहे जोधपुर, बीकानेर या जयपुर से। पर साथ ही ऐसे गठन में जिसका जनता के हिताहित से अधिक सम्बन्ध है और उस दृष्टि से उसमें जो खामियां रह जाती हैं तो उनको भी दूर करने के लिये ऐसे भी लोगों को इसमें रखना चाहिये जो जनता से सम्बन्धित हों और उसके दुःख-दर्दों को नजदीक से देखते और समझते हों और इस दृष्टि से उस गठन में जो कुछ खामियां रहने का अन्देशा रहता है वह भी दूर किया जा सके।

(११.१ म० पू०)

बीकानेर मेडिकल कॉलेज बन्द होने सम्बन्धी समिति के गठन विषयक

आज हम देखते हैं कि मेडिकल कॉलेज का सवाल है बीकानेर का, उसके सवाल पर आज सरकार की नीतियों और हकीकतों को

(श्री मुरलीधर व्यास)

देखते हैं तो खेद होता है। इस प्रकार के गठन में मेडिकल एक्सपर्टों में आपस में बड़े व्यक्तिगत मतभेद चलते है। चल रहे हैं, डाक्टरों डाक्टरों में चल रहे हैं, लेक्चरार्स लेक्चरार्स में चल रहे हैं। इन मतभेदों से ही आज इस कॉलेज की एक समस्या बड़ी समस्या बन गई है। तो इन मतभेदों के रहने से यहां इसमें भी ऐसी समस्या खड़ी हो सकती है, जैसी बीकानेर मेडिकल कॉलेज में आज खड़ी हो गई है क्योंकि उसमें बाहर के लोग नहीं रखे गये। अगर वे होते तो समस्या पर सही ढंग से विचार करते।

आज क्या हुआ बिकानेर में? स्वास्थ्य मन्त्री ने घोषणा कर दी कि अनिश्चित काल तक बन्द। पर मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर आप इसके कारणों पर भी गये? मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें कुछ मन्त्रियों का हाथ था। मेडिकल कॉलेज की लड़ाई के पीछे जिस प्रकार मंत्री आपस में बंटे हुए थे वे अपनी नीति चलाना चाहते थे। तो इसके पीछे मन्त्रियों का हाथ था। हम कहना चाहते हैं, उसी प्रकार से मेडिकल कॉलेज में भी दो पक्ष थे। पी० एम० ओ० का और बनर्जी साहब का पक्ष था। लेक्चरारों के बीच में भी दो पक्ष थे वे लड़कों को हर तरह से भड़काते रहते थे। वे भेजते थे उनको मन्त्रियों के पास में, एक पक्ष अपनी तरफ से मोटरें करके। मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि किन लोगों ने किस किस प्रकार से....

श्री सभापति : Excuse me To dwell upon it is besides the point.

श्री मुरलीधर व्यास : गठन में खामी की तरफ मैं ध्यान दिला रहा हूं।

श्री सभापति : इस पर ज्यादा बोलना बिसाइड्स दी पोइन्ट रहेगा। आपने मेन्शन कर दिया, that is all right!

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार से ये दो पक्ष लड़े और लड़कों में दो पक्ष हो गये। आज नतीजा यह हो गया। मेडिकल कॉलेज, मैं चाहता हूँ, फौरन चालू होना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : गठन में कौनसी खामी थी?

श्री मुरलीधर व्यास: आप इसको बराबर पढ़िये। डाइरेक्टर को लिया है, डिप्टी डाइरेक्टर को लिया है, उदयपुर के भी ट्यूटर को लिया है। इसी प्रकार बीकानेर के भी लिये हैं। यह जो गठन किया गया है, मैंने जैसा पहले कहा, आज मेडिकल लाइन में डॉक्टर डॉक्टर में और लेक्चरार लेक्चरार में आपस में मतभेद चल रहे हैं, उसी आधार यह झगड़ा खड़ा हुआ। उसको आज इतना बड़ा रूप दे दिया गया। इसका नतीजा यह हो गया कि बीस पच्चीस छात्रों के हाथ पांव टूट गये, सिर फूट गये, जगह जगह से फ्रेक्चर हो गये, डॉक्टरी करने लायक नही रहे। यह झगड़ा नीचे बच्चों तक पहुंचा दिया। अगर यह गलत हो तो मैं इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग करता हूं। आप जुडीशियल ऑफीसर अपॉइन्ट करें और जांच करें। अगर मंत्री महोदय दोषी हैं तो उनको भी सजा मिले। आज बीस बच्चों के सिर फूट गये आपकी आपसी लड़ाई की वजह से।

श्री बरकतुल्लाखां : माननीय सभापति महोदय, मैं इस चार्ज को रिफ्यूट करना चाहता हूँ। मेरे पर आरोप लगाया जा रहा है। अगर चाहें तो मैं और आनरेबल मेम्बर दोनों, हाउस की कमेटी बन जावे और वह निर्णय दे-दे कि मेरा इसमें हाथ था या नहीं, इसके लिये तैयार हो जावें। यह कमेटी जिस निर्णय पर पहुँचे, उसमें अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझे चैस्टाइज़ किया जावे, या श्री मुरलीधर व्यास पाये जावें तो उनको चैस्टाइज़ किया जावे।

श्री मुरलीधर व्यास : आप हाउस की कमेटी की कहते हैं। मैं तो जुडीशियल कमेटी अपोइन्ट करने की बात कहता हूँ। यह अगर उसमें प्रमाणित नहीं हो जावे कि मन्त्रियों का इसमें हाथ नहीं था तो उसमें किसी प्रकार से, मैं हर तरह से तैयार होता हूँ। आप जुडीशियल एन्क्वायरी करावें इसको।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप दोनों तैयार हैं, तो कमेटी बना देनी चाहिये हाउस की।

श्री मुरलीधर व्यास : हम पूरी तरह से तैयार हैं। और हम इसके लिए भी तैयार हैं कि जिन बच्चों के हाथ-पांव टूटे हैं उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हों तो सजाएं भी उनको मिलनी चाहिये। यह छोटी चीज नहीं है। इस बात को लेकर बड़ा तूल दे दिया गया है। इसमें जुडीशियल एन्क्वायरी हो जिसमें कुसूरवार को सजा भी हो।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Point of Order, Sir, अभी जो है, जैसा मिनिस्टर साहब ने और सम्माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है उससे निकलना तो गलत है। पिछली दफा देखा जमीन के बारे में कि जमीन खरीद ली। तो उस पर काफी बहस हुई। तो यह जो गलत परम्परा सदन में चलती है तो इसकी वजह चुप रहना है। इसलिये हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने सही स्टेप लिया है सदन के सामने कि सदन की एक कमेटी जांच के लिए बना दें और वह चैस्टाइज़ करे जिसने झूठ बोला हो। अब टालने की नीति गलत है उसे। जिस इश्यू पर हमारी सरकार के मंत्री महोदय ने जिसको एक्सेप्ट किया है और जो प्रोपोज़ किया है उसको मानने के लिए सभापति महोदय, आप माननीय सदस्य से पूछ लीजिये कि उनकी मर्जी क्या है। कमेटी बना दी जावे। अध्यक्ष महोदय कमेटी बना देंगे। इसके अलावा टालना गलत है।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार की कमेटी न बनाकर जूडीशियल अफसर को अपोइन्ट किया जावे। आप उस कमेटी को अपोइन्ट किस प्रकार से करेंगे? मंत्री महोदय अपनी मर्जी से कर देंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह अध्यक्ष महोदय पर छोड़ा जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसे मधोक कमेटी का गठन किया गया था न।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको अपने पर आत्म-विश्वास होना चाहिये। यहां पर जो मेम्बर्स हैं उनमें सदन का विश्वास है। एक लाख लोगों का विश्वास लेकर आते हैं, इसलिए सदन की कमेटी ज्यादा महत्व रखती है। आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं सदन के सदस्यों के महत्व को कम नहीं करना चाहता। कमेटी बनावें। पर साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि उस कमेटी को पॉवर नहीं है कि कमेटी किसी प्रकार से सजा दे। कमेटी रिपोर्ट दे देगी।

श्री सभापति : फिर कार्यवाही और आवश्यक हो तो वह भी की जावेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): सभापति महोदय.... .. ....

श्री बरकतुल्ला खां (स्वास्थ्य मंत्री) : मेरे पर चार्ज लगाया गया, मैं उसके लिए रिफ्यूट करता हूँ और चाहता हूं कि सदन की कमेटी अपोइन्ट कर दी जाय जो माननीय सदस्य ने जो चार्ज लगाये हैं उनको वह देखे और अपना निर्णय दे।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने चार्ज लगाया है मिनिस्टरों पर और इसके साथ ही साथ डाक्टरों पर, लेक्चरारों पर भी। इन सब पर चार्ज लगाये हैं। मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि क्या घटना हुई है। सारे पॉवर्स आपको हों तो आप करिये। मैं प्रमाणित कर दूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप प्रमाणित यहां कर देंगे. कमेटी के सामने नहीं कर देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह चीज इससे सम्बन्धित नहीं है, पर फिर भी जब यह मुद्दा सदन में आ चुका है और जैसी स्पोर्टसमैन स्पिरिट से स्वास्थ्य मंत्री ने उसे स्वीकार किया है तो मैं समझता हूँ कि जनता के चुने हुए नुमाइन्दों से बढ़ कर कोई दर्जा जुडीशियल एन्क्वायरी को देने को तैयार नहीं। सदन सुप्रीम बोडी है। मैं तारीफ करूंगा कि वे ही एक मंत्री हैं जिन्होंने इस तरह के चैलेन्ज को स्वीकार किया है। तो आवश्यक रूप से सदन की कमेटी का गठन करके एन्क्वायरी हो जावे तो बहुत ठीक रहे।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : सभापति महोदय, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ कि सदन के सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाये और उसके लिए सदन ही उत्तरदायी रखा जाये कि सदन में उसकी रिपोर्ट आये ताकि उसके ऊपर कुछ विचार किया जा सके, वर्ना इस प्रकार से आरोप और प्रत्यारोप लगते रहें तो इनका कहीं अंत नहीं होगा।

श्री सभापति : Have you any objection to it ?

श्री मुरलीधर व्यास : मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर माननीय मंत्रीजी घोषणा करते हैं तो वह करें, लेकिन मैं इस चीज का हामी हूँ कि जिन्होंने इस प्रकार से किया उनको सजा मिलनी चाहिए।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय सभापति महोदय, इसका जो सम्बन्ध था वह यह था कि मेरे ऊपर पर्सनल चार्ज लगाया-मैं उसके लिए अपनी तरफ से कोई रिफ्यूट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने एक बात कही और मैंने उसका जवाब दिया। मैं सदन से यह चाहता हूँ कि सदन हर चीज को बहुत ईमानदारी के साथ चैक करे, अपना फैसला दे और मैं डेमोक्रेसी में यह मानता हूँ कि मैजोरिटी का जो डिसीज़न है वह सही होता

Page No. 79

(श्री बरकतुल्ला खां)

है। अगर मैंने वहां स्ट्राइक कराने में हिस्सा लिया है तो यकीनी तौर पर इस हाउस को अधिकार है कि वह मुझे चेस्टाइज़ करे और यह साबित हो जाये कि मेरा किसी प्रकार का हाथ नहीं था तो मुझे क्लियर चिट मिल जाये ।

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की समिति का गठन करेंगे और वही नामों की घोषणा करेंगे और एक दल की तरफ से एक एक आदमी उस समिति में हों, उसका भी ध्यान रखा जायेगा और उसकी जो रिपोर्ट होगी वह सदन के सामने प्रस्तुत की जायेगी ।

श्री मुरलीधर व्यास : उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेन्स क्या होंगी, जैसा आप कह रहे हैं कि मंत्रियों के ऊपर चार्जेज़ थे। दूसरा उसमें यह आना चाहिए कि क्या मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स और लेक्चरार्स शामिल थे....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of order, Sir, अब यह सब आप स्पीकर साहब पर छोड़ दें। आप तो यह बतायें कि आपको मन्जूर है या नहीं ?

श्री मुरलीधर व्यास : मुझे मन्जूर है।

श्री सभापति : टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में जो मुद्दे उठाये गये हैं मुख्य रूप से वही होंगे। वह जो टंटा हुआ उसका मूल कारण क्या है, इसकी भी जांच की जायेगी ।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं यह कह रहा था कि जहां तक मैंने आपको समझा है और सुना है वह यही सुना है कि हैल्थ मिनिस्टर इसके लिए जिम्मेदार हैं ।

श्री सभापति : मिनिस्टर्स इसके लिए जिम्मेदार हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, आपने अनाउन्स कर दिया है फिर बहस कैसी ?

श्री बरकतुल्ला खां : सभापति महोदय, यह मुझ तक ही महदूद होनी चाहिए क्योंकि माननीय सदस्य का यह कहना कि मैंने वह स्ट्राइक करवाई, उसमें मदद दी, लड़कों को बहकाया और स्टाफ को बहकाया, **that should be confied to the Health Minister.**

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा भाषण तो पंक्तिबद्ध हो गया ...

श्री सभापति : We will leave it to the Speaker. The thing has been decided. A Committee will be set up.

श्री मुरलीधर व्यास : तो मुझे खुशी है कि माननीय सभापति महोदय ने जो कमेटी नियुक्त करने के लिए घोषणा की है मैं उसके लिए बहुत बधाई देता हूँ । टर्म्स ऑफ रेफरेन्स के सम्बन्ध में मुद्दे उठाये हैं उनके लिए भी धन्यवाद मैं अपनी तरफ से उनको देता हूँ। अब इस विषय से अलग मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ ।

(११. २३. म. पू.)

राजस्थान नर्स-दाई, स्वास्थ्य-वीक्षक और सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रेशन विधेयक १६६४,

(पूर्व क्रम से संकला पर विचार, विधेयक पर विचार-विमर्श एवं उसका पारण)

यह तो कौंसिल के गठन का सवाल था, उस पर मैंने अपनी बात कही। इसके अलावा दो मुद्दे और रखना चाहता हूँ। एक तो यह है कि अभी जो देवगढ़ (भीम) से आने वाली माननीय सदस्या ने एक सवाल रखा कि नर्सेज़ के ऊपर किस प्रकार से तलवार उनकी गर्दन पर रखी हुई है तो उसके सम्बन्ध में जो मुद्दे उन्होंने उठाये उसी के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ कि नर्सेज़ के व्यवहार आदि को जब तक हम डिफाइन नहीं करेंगे तब तक बड़ा मुश्किल होगा। आपने तो इस प्रकार की बात उसके अन्दर कह दी—एक तो नर्सेज़ वे होती हैं जो सर्टीफिकेट्स वाली हैं, आज ऐसी भी मिडवाइव्ज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं और प्राइवेट प्रेक्टिस करती हैं और अपना काम करती हैं और ऐसे मामले में किसी मिडवाइफ की किसी ने शिकायत की और आपने इस प्रकार से फैसला कर दिया कि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो प्रणाली उसमें रखी गयी है वह नहीं रखी जाये। जब तक आप इसको डिफाइन नहीं करेंगे कि आप किन मुद्दों के ऊपर उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करेंगे, इस मामले में कोई डेफीनिशन नहीं होती तब तक इतना ही कर देते हैं तो इसका दुरुपयोग होगा। क्योंकि किसी भी सर्विस के अन्दर काम करने वाले के ऊपर इस प्रकार का अगर प्रतिबन्ध हो जाता है और उसके पीछे कोई डेफीनिशन न हो तो उसका हमेशा दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसको क्लियरली डिफाइन करना चाहिए; अगर नहीं करेंगे तो दुरुपयोग होगा। इसलिए सरकार को इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए। मैं और अधिक इस मुद्दे पर नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार इन मुद्दों के ऊपर विचार करे।

श्री सभापति : अब और भी कोई माननीय सदस्य इस विषय में बोलना चाहें तो कृपया खड़े हों, I shall give ten minutes more.

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : चेयरमैन महोदय, जो संशोधन का प्रस्ताव राजस्थान नर्स-दाई, स्वास्थ्य-वीक्षक और सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रेशन विधेयक, १६६४ के संबंध में अभी प्रस्तुत हुआ है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये और उसके संबंध में जो निवेदन किया गया है कि यह बिल बहुत देरी से लाया गया है और इसके पूर्व जो ऑर्डिनेन्स लाया गया है उस पर सरकार के प्रति जो बातें कही गयी हैं उनके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति : वह तो मंत्री महोदय भी कह रहे थे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उसके संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बिल यहां पर प्रस्तुत किया गया है वह एक ऐसा बिल है कि जिसको बहुत पूर्व ही प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए था और वह अब आया है। इसके लिए मुझे यह निवेदन करना है कि जब यह बिल अब आया है तो

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

यह भी ऐसा जरूरी बिल था कि जिसका कि हमको स्वागत करना आवश्यक है। नर्सेज़ हेल्थ विज़िटर्स और मिडवाइव्ज़ की हालत अगर देखें तो राजस्थान में इनकी पहले ही बहुत कमी है और इसकी कमी को दूर करने के लिए जो कानून बनाया जा रहा है उसकी निहायत आवश्यकता थी और इस कमी को ही दूर करने के लिए और उनकी पूर्ति करने के लिए यह बिल यहां पर प्रस्तुत किया गया है। ऑर्डिनेन्स के संबंध में यह निवेदन करना था कि जो यह प्रस्तुत किया गया है उसका भी एक कारण था। जैसा कि बताया गया है कि ८ जनवरी को यह ऑर्डिनेन्स प्रस्तुत किया गया है और जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इस ऑर्डिनेन्स को नहीं लाते तो अगस्त के अन्दर नर्सेज़ वगैरह के इम्तिहान करना चाहते हैं जिसकी कमी की वजह से राजस्थान बहुत सफर कर रहा है तो यह एक ऐसी आवश्यकता थी जिसको महसूस करके सरकार ने इसके संबंध में ऑर्डिनेन्स जारी किया। अगर यह जारी नहीं किया जाता तो जो अगस्त में इम्तिहान होने वाले थे और उसके संबंध में जो आवश्यक कार्यवाही की जाने वाली थी वह पूरी नहीं होती और राजस्थान उसी तरह से सफर करता जिस तरह कि आज पिछले १५ साल से सफर करता आ रहा है। तो यह एक बहुत ही निहायत जरूरी बिल था। तो इस प्रकार की बात करना कि राजस्थान की सरकार ने इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स लाकर बहुत बड़ा गुनाह किया है या इस प्रकार की बातें की है कि जो लेजिस्लेटिव असेम्बली के लिए ठीक नहीं है तो इस प्रकार की बात करना मेरी समझ में ठीक प्रतीत नहीं होता क्योंकि इसकी आव-श्यकता महसूस करके ही इसको किया गया। दूसरा अर्ज यह है कि जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि रूल्स और रेगुलेशन्स की जब तक पूर्ति नहीं होती तब तक ऑर्डिनेन्स लाने से कोई उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। तो इसके लिए काफी समय चाहिए और जब तक यह ऑर्डिनेन्स नहीं आ जाता तब तक उसकी पूर्ति नहीं हो सकती थी। इसलिए ही ऑर्डिनेन्स आया है तो रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स भी बनेंगे और उसकी पूर्ति तभी हो सकेगी जब कि उसके ऊपर विचार करके प्रस्तुत किया जायेगा।

इसके संबंध में एक-दो बातें और निवेदन करना चाहता हूं। यह मिडवाइव्ज़, लेडी हेल्थ विज़िटर्स और ऑग्ज़ीलियरी नर्सेज़ वगैरह रजिस्टर्ड होती हैं और आजकल जैसी प्रणाली है कि बहुत सी ऐसी फ्रॉड सर्टिफिकेट्स वगैरह लेकर आ जाती हैं और जगह जगह पर स्थान प्राप्त कर लेती हैं क्योंकि यह एक बहुत बड़ी कमी राजस्थान में है जिसको हम महसूस करते हैं और उसको दूर करने के लिए हमारे जो इसके ऑफिसर्स हैं वे भी इस प्रकार के जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं उनको फौरन स्थान दे देते हैं उसकी वजह से जनता के स्वास्थ्य के संबंध में बहुत बड़ी हानि होती है। उसको मिटाने के लिए ही यह बिल यहां पर प्रस्तुत किया गया है। अगर उसके सम्बन्ध में जो कानूनी अधिकार सरकार को इस बिल के द्वारा दिया गया है कि उनके ऊपर जुर्माना किया जाय या उनको किसी प्रकार का दण्ड दिया जाय, वह मेरे ख्याल से बहुत कम है। सख्ती की पॉलिसी एडाप्ट नहीं की जायगी तो जितनी फोर्जरी आज हो रही है उसी

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

प्रकार की आयन्दा भी होती रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा जुर्माना रखा गया है कि ३००) रु० कर दिया जायगा या १००) रु० कर दिया जायगा तो पहली, दूसरी या तीसरी बार भी इस प्रकार की फोर्जरी करता रहे और १००), २००) रु० में मामला निपट जाय तो कोई इस प्रकार के लोगों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। इसमें तो इस प्रकार की पेनल क्लॉज़ निकालनी चाहिए कि जिसमें सजा होना जरूरी हो। सजा अगर नहीं रखेंगे तो यह फोर्जरी कभी भी मिट नहीं सकती और आज जिस प्रकार का हम अनुभव करते हैं कि अलग अलग इन्स्टीट्यूशन्स से नर्सेज़ वगैरह इस प्रकार का फोर्ज्ड सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं वह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से इस क्लॉज़ को आज सख्ती से नहीं देखा जायगा तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है।

दूसरा यह है कि यह कौंसिल बनाने के सम्बन्ध में जो ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उन्होंने निवेदन किया कि....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेडीकल कॉलेज के वह भी होने चाहिए तो कम से कम इस प्रकार की क्वालिफिकेशन के लोग आवश्यक हैं जिनका कि इस कौंसिल में होना जरूरी है, जिनका कि पढ़ाई के सम्बन्ध में, शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ न कुछ तजुर्बा हो। कोरा एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा शिक्षा के सम्बन्ध में काम नहीं देता है। तो मेरा यह सुझाव है कि कौंसिल में मेडिकल कॉलेज के प्रीन्सिपल्स का होना भी नितान्त आवश्यक है। अगर इस प्रकार के लोग नहीं होंगे जिनका कि शिक्षा और एडमिनिस्ट्रेशन से सम्बन्ध है, अगर दोनों का तजुर्बा नहीं होगा तो यह जो बात है जिसके सम्बन्ध में यह बिल आ रहा है और हम यह चाहते हैं कि नर्सेज़ और मिडवाइफ और दूसरे जितने हैं वे अच्छी शिक्षा लेकर राजस्थान की जनता की सेवा करें, यह पर्पज़ हल नहीं होगा।

इसलिए ये कुछ मेरे सुझाव हैं जिनके द्वारा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह इसको मानकर इसके सम्बन्ध में कुछ एमेंडमेंट किया जाय।

श्री सभापति : श्री मानसिंह।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आदरणीय सभापति महोदय, सदन के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। यह जो ऑर्डिनेन्स की सरकार को आदत है, इसका जरूर मैं विरोध करूंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, सभापतिजी, कि पिछली दफा यह तय हुआ था कि सदन के तीन सेशन्स होंगे; वे तीन सेशन्स नहीं बुलाये और ऑर्डिनेन्सेज़ की भरमार कर दी। कहा यह गया है कि काम नहीं सदन में। यदि काम नहीं है तो ऑर्डिनेन्स जारी क्यों किये गये? कहा यह गया कि काम नहीं है, लेकिन काम इतना होते हुए भी कुछ नहीं और ऑर्डिनेन्स जारी कर दिये। तो मैं इस ऑर्डिनेन्स के बारे में यह चाहता हूँ कि इसको तो बिल्कुल ही इस सदन में थ्रो आउट कर देना चाहिए।

(श्री मानसिंह महार)

दूसरा सुझाव जो सिलेक्ट कमेटी का है उसके बारे में भी मैं दो शब्द निवेदन करना चाहता हूँ । इसको पढ़ते हैं तो हमारे कानूनी लोग जो हैं, जो कानून से अधिक वाकिफ हैं वे लोग उसको अच्छा मानते हैं । उनके लिए गुन्जायश होती है, श्रीमान्, क्योंकि मुकदमेबाजी बढ़ती है तो कुछ कमाई करते हैं । ठीक बात है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं एक दूसरे नुक्तेनिगाह से इन चीजों को देखता हूँ । पहली चीज तो यह है कि इसका देहात पर क्या असर होगा । मैं निवेदन करूंगा कि इसमें जो प्रोवीज़न्स हैं उनमें दाइयों को टाल दिया है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय सभापति महोदय, एक पॉइन्ट है मेरा । अभी आपने कुछ सदस्यों के ऊपर आक्षेप किया है कि वकील वगैरह फायदा उठा सकेंगे; तो कई सदस्य यहां भी ऐसे हैं जो कि वकील हैं उनके खिलाफ यह एक प्रकार का आक्षेप है । इसलिए इस लफ्ज़ को हटा देना चाहिए ।

श्री मानसिंह महार : इसमें कोई गलत चीज नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपके पास भी वकील सहाब बैठे हुए हैं ।

श्री मानसिंह महार : उन वकील साहब को एतराज नहीं है । वे खोटे धन्धे नहीं करते हैं । एतराज तो इस प्रकार के खोटे धन्धे करने वालों को है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : केबिनेट में भी ज्यादा वकील हैं ।

श्री मानसिंह महार : तो चैयरमैन महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यह चीज होने को तो हुई, लेकिन मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि वे हवाई किले नहीं बनायें । उनको यह धन्धा नहीं करना चाहिए कि वे किसी प्रोविन्स से एक्ट उठा लाये और राजस्थान पर थोप दिया । आज राजस्थान की हालत यह है कि दौसा में लेडीज़ हॉस्पिटल है, मेटरनिटी हॉस्पिटल है किन्तु उसमें ७ वर्ष से लेडी डॉक्टर नहीं है । सात वर्ष से नहीं है और उसका कारण तो मंत्री भी अच्छी तरह से जानते हैं । उसके कारण दो ही हैं एक तो लेडीज़ डॉक्टर की कमी है और दूसरा उनका खुला पक्षपात भी है । ये दोनों ही कारण हैं, क्योंकि उनके मित्र वहां से हार गये इसलिए वहां पर लेडी डॉक्टर नहीं जायगी । अब वहां के लोग इस प्रकार से बिना पढ़ी-लिखी या कम पढ़ी-लिखी से अपना इलाज कराते हैं, तो उस पर यह कानून आकर अड़ गया । पहले राजस्थान में सब जगह योग्य नर्सेज़ भेजते और उसके बाद इस प्रकार का कानून बनाते तो कोई बात हो सकती है । यह तो विक्टीमाइज़ेशन होगा राजस्थान की जनता का । आप विक्टीमाइज़ करना चाहते हैं उन देहातों को जिन पर कि आपकी नाराज़गी है । वहां कोई हैं भी छोटे-मोटे जानकार, तो उनको हटा दिया जाय और उनका सोलहवीं शताब्दी में डाल दिया जाय । मैं यह समझता हूँ कि इसका घोर विरोध किया जाय, और इन बातों के लिए इसको सिलेक्ट कमेटी में ले जाया जाय ।

चैयरमैन महोदय, जब मैंने इसके फोर्मेशन को देखा तो पहला शब्द डाइरेक्टर

(श्री मानसिंह महार)

ऑफ मेडीकल एण्ड पब्लिक हैल्थ का है। वे उसके चैयरमैन होंगे । डाइरेक्टर श्री मेहता साहब का तो मैं बहुत ही पुजारी हूँ। मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही योग्य आदमी हैं, बहुत ही निष्पक्ष आदमी हैं....

एक माननीय सदस्य : अभी डाइरेक्टर कौन हैं ?

श्री मानसिंह महार : मैंने सुना है कि मेहता साहब आ गये हैं एज़ डाइरेक्टर होकर, इसलिए मैंने नाम लिया है, चैयरमैन महोदय, क्योंकि मैं ओझा साहब के लिए नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि वे मंत्री महोदय के हाथ की कठपुतली हैं एक प्रकार से। लेकिन मेहता साहब की बात है। वे निर्भीक और निडर ऑफिसर हैं। यह दुर्भाग्य है कि अभी अभी मेरे बीकानेर से आने वाले मित्र ने कहा तो मंत्रीजी ने बड़े जोम से कहा कि यह मुझ पर आरोप नहीं है। आप पर नहीं तो आपके भाई पर है, आप क्यों छिपाना चाहते हैं ? अगर मंत्रि-मंडल के एक सदस्य ने गलती की है तो उसको उसका खमियाज़ा उठाना पड़ेगा।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वास्थ्य मंत्री) : मेरा नाम आया तो मैंने कहा था।

श्री मानसिंह महार : आपका नाम नहीं होगा। मैं आपका नाम लेता हूँ। आप बैठिये, सुनिये। आपका मैं यह कहता हूँ कि डॉक्टरों के जो तबादले आप करते हैं राजस्थान में, वह आप सुन लीजिये, वह आप या तो कांग्रेस के एन० एल० एज़० के कहने पर करते हैं या आप पैसा लेकर करते हैं। आप बिठाइये इसकी कमेटी, मैं आपके चैलेन्ज को स्वीकार करता हूं। मैं साबित करूंगा कि म्युनिसिपैलिटीज़ के आदमियों के कहने पर आप करते हैं ...

श्री बरकतुल्ला खां : This is something which I would challenge. This is absolutely beyond the point. The charges against the Minister should go before the Privileges Committee. When he has charged that I am transferring by accepting bribes, then it should go before the Privileges Committee.

श्री मानसिंह महार : मैं इस चैलेन्ज को स्वीकार करता हूं।

श्री सभापति : Then you send this to the Privileges Committee.

श्री बरकतुल्ला खां : I would also request that such wild charges should not be made.

श्री मानसिंह महार : माननीय मंत्रीजी मोशन भेजें प्रिविलेज कमेटी में मेरे खिलाफ, फिर उनको मालूम पड़ेगा कि क्या क्या मामले सामने आते हैं। मुझे यह सब मन्जूर है। मैं इस चैलेन्ज को स्वीकार करता हूँ।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं चैलेंज देता हूं और कहता हूं कि माननीय मंत्री के ऊपर आरोप लगाये जायं, it is a fit case that it should go before the Privileges Committee.

Page No. 85

श्री मानसिंह महार : मैं दावे के साथ कहता हूं कि माननीय मंत्रीजी डॉक्टरों, लेडी डाक्टरों और उनके नीचे के जितने ऑफिसरान हैं उनके तबादले नाजायज़ तरीके से करते हैं। मैं फिर कहता हूं, १०१ दफा कह सकता हूं....

श्री बरकतुल्ला खां : अभी पैसे की बात आई थी और अब नाजायज़ तरीके की बात आई।

श्री सभापति : इस विषय में जो एग्रीव्ड हैं, जैसे आपके लांछन लगाने पर मंत्रीजी फील करते हैं कि वे एग्रीव्ड हैं तो वे प्रिविलेज कमेटी के सामने यह मोशन रख सकते हैं कि मेरे प्रिविलेज का ब्रीच हुआ है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : प्रिविलेज कमेटी को नहीं, वह मोशन हाउस में मूव करना पड़ेगा।

श्री सभापति : मोशन का नोटिस देना पड़ेगा।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : I rise on a point of order. The hon. Member from Amber has passed certain remarks which reflect on the hon. Health Minister. Therefore, I think it is a fit case for the Privileges Committee to consider whether the charges levelled by him are true. And since it has already come before the House it is not necessary for the Member concerned or the Member aggrieved to place it. It is already before the House and the Chairman can make this case over to the Privileges Committee.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापतिजी, प्रिविलेज का सवाल इस तरह हल नहीं होता। प्रिविलेज के सवाल के अन्दर....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : On a point of order...

श्री मुरलीधर व्यास : प्रिविलेज का प्रश्न इतना आता है कि मेम्बर अपनी बात कह सकते हैं और हमारे बोलने पर पाबन्दी नहीं लगाई जा सकती।

श्री निरंजननाथ आचार्य : चेअरमैन महोदय, आप इनको मना करेंगे, मैं समझता हूं कि जब एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है....

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार हमारे बोलने पर पाबन्दी नहीं लगाई जा सकती....

(शोरगुल)

श्री सभापति : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास : यह प्रिविलेज आपका नहीं है।

श्री सभापति : Order please ! That is not proper.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं आपसे....

श्री सभापति : Order please ! Please take your seat.

Page No. 86

श्री मुरलीधर व्यास : On a point of order, Sir. अभी आपने एक बात कही....

श्री निरंजननाथ आचार्य : The Chair is on its legs.

श्री मुरलीधर व्यास : आप सुनिये। सुनते नहीं हैं आप। जरा सुनने की कोशिश कीजिये।

(श्री भगराज चौधरी के खड़े होने पर)

श्री सभापति : Shri Bhag Raj will please take his seat. I am allowing Mr. Murli Dhar Vyas to speak.

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय सदस्य ने यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज करके कहा कि इस पर बोलने का अधिकार नहीं है। यदि ऐसा है कि इस मसले को कमेटी को सौंपा जाय तो मैं समझता हूं कि यह हमारा प्रिविलेज है, हमको बोलने का अधिकार है। हमारे कानों में किसी प्रकार की जो बात आती है उसको सदन में रखने का हमको अधिकार है और उसको रखा है। आप सोचते हैं कि यह आपके खिलाफ है तो प्रिविलेज का मोशन उठाया जा सकता है और उसके बाद सदन उस पर विचार कर सकता है। परन्तु यह कहना गलत है कि हमें बोलने का अधिकार नहीं है। हमें अधिकार है और यह अधिकार हर हालत में चेअर के हाथ में सुरक्षित है और इसे हटाने का अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं कि यह बात कही गई है वह गलत है।

श्री सभापति : That will do.

श्री भगराज चौधरी : What about my point of order ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय ...

श्री भगराज चौधरी : Unless the point of order is disposed of no Member can speak.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : What is that point of order ?

श्री भगराज चौधरी : The point of order is this that the Member has made a defamatory statement against the hon. Minister which reflects on the character of the hon. Minister. Therefore, it is a fit case for the House to enquire whether the charges levelled are correct or not.

श्री सभापति : I have already said that the aggrieved party can prefer a motion for the Privileges Committee and there the matter ends.

श्री भगराज चौधरी : No, Sir, it does not.

श्री सभापति : It does. Please take your seat.

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय....

श्री बरकतुल्ला खां : Sir, I will draw your attention to Rule 273.

Page No. 87

(श्री बरकतुल्ला खां)

"273. Procedure regarding allegation against a person.-- No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the, matter for the purpose of a reply."

He should atleast cite one or two cases where I have taken bribes.

It will be a bad day for the House if a Member accuses me for taking bribes and I accuse him for something else. What will be the end ? Therefore, whatever we say should be usbst antiated by something. Therefore this matter should go to the Privileges Committee whether the charges made by the hon. Member are correct or not.

श्री मानसिंह महार : माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : There is a regular procedure to bring the matters before the Privileges Committee and that should be adhered to.

श्री मानसिंह महार : माननीय सभापति महोदय, मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं कहूंगा...

श्री सभापति : You confine your speech to the business before the House.

श्री मानसिंह महार : बिल्कुल ! अब यह प्रिविलेज कमेटी को जायगा तो वहां मौका मिलेगा विचार व्यक्त करने का। लेकिन अलानूर साहब क्या बीमारी है, यह नहीं कहना चाहता। अब आगे चलना चाहता हूं....

श्री सभापति : Please do not bring down the decorum of the House.

श्री मानसिंह महार : अब मैं एक लफ्ज़ नहीं कहूंगा, यह मैं प्रार्थना कर दूं। अब मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे जो मेहता साहब थे उनको किस प्रकार से डिफेम किया गया क्योंकि वे मुख्य मंत्रीजी की जी-हुजूरी नहीं करते। और फिर इसमें भी कोई डाइरेक्टर को रखा जाता है तो वह भी मेहता साहब आ जायं तो मैं मंत्रीजी को आगाह करना चाहता हूं कि वे जो हुजूरी से बात नहीं कर सकेंगे, यह आप ध्यान में रख लें। वे डाइरेक्टर की जगह आ रहे हैं, यह मैंने अखबार में पढ़ा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बीकानेर कॉलेज की कमेटी कॉन्स्टीट्यूट हो गई, मैं वैसे इस मामले में आगे नहीं जाना चाहता था, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट की मैं थोड़ी डिटेल में जाना चाहूंगा....

श्री सभापति : अब आप इस कमेटी को छोड़िये। जो मोशन आपके सामने है उस पर बोलिये।

श्री मानसिंह महार : मैं अधिक समय और बातों में न लगा कर बिल्कुल टू दी

(श्री मानसिंह महार)

पोइन्ट आऊंगा और निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री इस बिल को सदन में रखने से पहले इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर करें। यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है, यह हम गांव वालों के लिए लाइफ एण्ड डेथ का सवाल है। आपने इसके अन्दर दाइयों को हटा कर एक चीज रख ली है, दाई को आपने डिफाइन नहीं किया है। इसलिए हर कोई दाई, दाई की डेफीनेशन में आ सकती है। चेअरमैन महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि वे अपने जवाब में बता दें कि 'दाई' का क्या स्कोप है? आपने कह दिया एग्जेम्प्शन के अन्दर, आपने बड़े प्रेम से कहा है :

"(v) any person who being an indigenous dai, attends on a case of labour."

देखिये, मैं आपको बताऊं कि "on a case of labour" कह देने से कुछ नहीं होता है। दाइयां कई तरह की होती हैं,इसलिए आप क्लीअर कट टर्म्स में लिख दीजिये तो हम मान लेंगे कि आपकी नीति साफ है, वर्ना क्या होगा, चेअरमैन महोदय, आप एक दाई को दाई करार दे देंगे जो आपके ग्रुप की होगी, जो आपकी इमदाद करेगी। वह दाई हो जायगी और उसनें न रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी और न कुछ। और कोई ऐसी दाई होगी....

श्री सभापति : ठीक है। आप यह चाहते हैं कि दाई की डेफीनिशन ठीक तरह हो जाय, इसलिए आप इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफ करना चाहते हैं।

श्री मानसिंह महार : जी हां, इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर करना चाहते हैं। और अगर मंत्री महोदय समझते हैं कि यह उचित है तो हम समझेंगे, लेकिन इसमें गुंजाइश है, पक्षपात की गुंजाइश है और आप पक्षपात शुरू से करते आ रहे हैं इसलिए हमें मजबूरन कहना पड़ेगा कि डेफीनिशन में खुलासा कर दें। इन शब्दों को कह कर क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं अपना स्थान ग्रहण करूं, मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री बरकतुल्लाखां : सभापति महोदय, ऑर्डिनेन्स को लेकर लम्बी-चौड़ी बहस हुई और उसके अन्दर यह कहा गया कि जैसे कोई चीज कॉन्स्टीट्यूशन के खिलाफ की गई हो। आर्टिकल २१३ कॉन्स्टीट्यूशन के अन्दर मौजूद है और इसलिए रखा गया है कि आर्टिकल के जरिये गवर्नमेंट को अधिकार है कि ऑर्डिनेन्स के जरिये जब जरूरत पड़े ...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point o? information, Sir.

श्री बरकतुल्ला खां : मैं आगे क्लीअर रहा हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of information, Sir, कॉन्स्टीट्यूशन में यह भी रखा हुआ है कि गवर्नर जब चाहे मिनिस्टर को निकालना तो वह निकाल सकता है, लेकिन गवर्नर रोज नहीं निकालता है। गवर्नमेंट को अधिकार है ऑर्डिनेन्स निकालने का और वह गवर्नर को रेफर करते हैं। यह सरकार की रेस्पोन्सिबिलिटी है, इस पर मैं कभी फिर बोलूंगा। लेकिन आप इसे लाइट

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

ढंग से और लाइट हार्टेड ढंग से ले रहे हैं यह जनतंत्रीय परम्परा के खिलाफ है ।

(हिअर, हिअर)

श्री बरकतुल्ला खां : मैं कह रहा था कि लाइट हार्टेडली नहीं ले रहे हैं, गवर्नमेंट कम से कम ऑर्डिनेन्स के राइट का इस्तेमाल करती है । यह राजस्थान गवर्नमेंट का ही नहीं हिन्दुस्तान की केन्द्रीय गवर्नमेंट....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हिन्दुस्तान गवर्नमेंट ने आज तक, इन सत्रह सालों में, कितने ऑर्डिनेन्स निकाले हैं ? सिर्फ दो बार निकाले हैं....

श्री सभापति : No more disturbance please. Let him continue.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप देख सकते हैं....

श्री सभापति : He is giving his reply.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह बहुत रिलेवेन्ट पोइन्ट है । जब भारत सरकार ने चार आर्डिनेन्स निकाले हैं, और आर्डिनेन्स निकाला तो इतना हंगामा हुआ सेन्टर गवर्नमेंट में—एक निकाला सोलापुर मिल के मामले में, सुप्रीम कोर्ट में हार गई, यह नहीं कि सेशन जज की अदालत में हार गये तो निकाल दिया ।

श्री बरकतुल्ला खां : इसमें लिखा है,

"In Article 213 of the Constitution..."

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : २१३ में यह नहीं है कि जब चाहा तब निकाल दिया ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस सदन को विश्वास में नहीं लेने की इच्छा सरकार की मालूम होती है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : That is not the meaning.

ऐसा नहीं है २१३ में ।

श्री बरकतुल्ला खां : और जब जरूरत होती है तो ऑर्डिनेन्स निकाला जाता है और निकाला जा सकता है । लेकिन ऑर्डिनेन्स का यह मतलब नहीं कि सदन के सामने वह चीज नहीं आती । सदन के सामने वह चीज आती है और जब वह सदन के सामने आती है तो सदन उस पर अपनी राय देता है और क्रिटिसाइज़ करता है । जहां तक इस ऑर्डिनेन्स का ताल्लुक है मैं यह कहूंगा कि गवर्नमेंट ने अपने पॉवर्स को एब्यूज़ नहीं किया है । मैं यह कहूंगा कि एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि यह चीज इतने अर्से से नहीं हो रही है और उसको दूर करने के लिए अगर जल्दी करते हैं तो कहा जाता है कि जल्दी क्यों की जा रही है । आखिर यह भी नहीं और वह भी नहीं तो क्या किया जाए ।

जहां तक इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन का संबन्ध है, रजिस्ट्रेशन का मतलब यह है कि

Page No. 90

बरकतुल्ला खां)

आज जितनी भी नर्सेज़ हैं, हैल्थ विजिटर्स हैं वे सब के सब ट्रेन्ड होते हैं।....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Point of information, Sir, क्या गवर्नर ने भी यह कहा था कि इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स की जरूरत नहीं है और इसको नहीं निकाला जाए।

श्री सभापति : इसकी जरूरत नहीं है।

श्री बरकतुल्ला खां : 'हां' या 'ना' में अगर कहते हैं तो फिर वही प्रिविलेज की बात है। ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसको डिपार्टमेंट वालों ने और लॉ डिपार्टमेंट ने और गवर्नर महोदय ने सब ने निकालने से मना किया था, मगर सरकार ने इसको निकाला।

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक प्रिविलेज़ का प्रश्न है इसके बारे में....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): बार बार यह प्रश्न सदन के सामने उठता है कि गवर्नर महोदय ने इससे डिएग्री किया था, फिर इसको क्यों जारी किया गया, हमारे अधिकारों का हनन किया गया। मैं यह कहूंगा कि यह डेमोक्रेसी की हत्या है और हमारे प्रिविलेजों का हनन किया जा रहा है।

श्री सभापति : अभी माननीय मंत्री महोदय का प्रिविलेज है। माननीय मंत्री कह रहे हैं, उनको आप सुन लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गवर्नर महोदय ने इस ऑर्डिनेन्स को जारी करने से, निकालने से डिसग्री किया था; इसके बारे में नहीं बताया। इसका कारण मेरी समझ में नहीं आता।

श्री सभापति : That would do.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तीन बार सदन में यह बात पूछी जाती है, मगर इसका कुछ उत्तर नहीं आता।

श्री सभापति : लेकिन मैं भी तीन बार कह चुका हूं, आप इसकी परवाह नहीं करते।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : Order please! Please take your seat.

श्री बरकतुल्ला खां : यह जो कौंसिल बनाई गई है इसका मतलब यह है कि अभी यहां के नर्सेज़ आदि एग्ज़ामिनेशन देने के लिये बाहर पंजाब और लुधियाना जाते है, अब इसके बनने से यहां एग्ज़ामिनेशन हो सकेगा.....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह पहले भी कह चुके हैं।

श्री सभापति : आप सुनने की भी कोशिश करें।

Page No. 91

श्री बरकतुल्ला खां : सभापति महोदय, मैं किसको सुनाऊं, सुनते नहीं सुनना नहीं चाहते, सुनने से पहले ही उठ कर खड़े हो जाते हैं।

मैं यह कहता हूँ कि इस कौंसिल के बन जाने से किसी को नुकसान हो जावेगा या दबाव हो जायेगा, यह चीज नहीं है। अब तक जो एग्ज़ामिनेशन्स पंजाब और लुधियाना में हुआ करते थे उसके बदले में यहां हुआ करेंगे और यह बॉडी (body) राजस्थान में बन गई है वही लेगी। इसके अलावा रजिस्ट्रार को जो अधिकार दिये गये हैं कि पहले रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के लिये जावेंगे और अगर वह रिजेक्ट करता है तो उसके बाद वह कौंसिल में अपील के तौर पर जा सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी में यही रखा जाता है कि अगर किसी नर्स या मिडवाइफ आदि की गलती हो तो उसको सजा दी जा सकती है। प्रोफेशनल कॉलेजेज़ में अगर कोई गलती करता है और यूनिवर्सिटी यह समझती है कि यह बड़ी भारी गलती है तो उस व्यक्ति की डिग्री छीन लेती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सत्याग्रह में भाग लिया था और उनकी डिग्री बार की यूनिवर्सिटी ने विथ्ड्रॉ कर ली। तो यह बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भी नियम है कि वे डिग्रीज़ को विथ्ड्रा कर लेते हैं। इस तरह का प्रोविज़न सब जगह रहता है।

आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने दाइयों की परिभाषा के बारे में कहा। मैं यह निवेदन करूंगा कि दाइयों का मतलब यह है कि जो मेटर्निटी केसेज़ को डील करती हैं। इसका मतलब यह है कि जो बच्चों को पैदा कराने के वक्त मौजूद होती हैं और उनको उसी स्कोप में लिया जाता है। दूसरी नर्सेज़ होती हैं जो बम्बई और दूसरी जगह से डिग्री लेकर आती हैं। मिडवाइव्ज़, लेडी हैल्थ विज़िटर्स आदि ऑल इंडिया मै० कौंसिल की डिग्री पास कर लेते हैं वे गांवों में जाकर अपना कार्य कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो आम भी कर सकती है....

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर) : मिडवाइव्ज़ और दाइयों में क्या अन्तर है ?

श्री बरकतुल्ला खां : मिडवाइव्ज़ की दो साल की ट्रेनिंग होती है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : दाई भी वही काम करती है।

श्री बरकतुल्ला खां : दाई तो घरों में जाकर बच्चे पैदा कराती है। मिडवाइव्ज़ होती है वह ट्रेनिंग पास होती हैं। इसमें इतना ही अन्तर है जैसा एक डॉक्टर और वैद्य में होता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : Where does the law clarify this distinction ?

श्री बरकतुल्ला खां : इसलिये जहां तक इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने का तालुक है, इस पर काफी वाद-विवाद हो चुका है, ऑर्डिनेन्स निकल चुका है और अगस्त में हम एग्ज़ामिनेशन दिलाना चाहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रामसिंहनगर): दाइयों की अज्ञानता से कइयों की मृत्यु हो

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जाती है इसके बारे में भी कुछ प्रकाश डालना चाहिये ।

श्री सभापति : Order please !

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): दाइयों के लिए आपने बताया है "attending on a case of labour; इसका अभिप्राय क्या है ?

श्री बरकतुल्ला खां : दाइयों के बारे में सभी जानते हैं कि दाइयों का फंक्शन क्या है क्योंकि दाइयों का काम सभी जगह होता है ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : attending on a case of labour" How are you going to confine them to attending a case of labour only.

श्री बरकतुल्लाखां : दाइयें बच्चे पैदा कराने में मदद कर सकती हैं, वे निमूनिया का इलाज नहीं कर सकतीं ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप निमूनिया का इलाज कर सकते हैं ।

श्री बरकतुल्ला खां : नर्सेज़ इन्जेक्शन दे सकती हैं, डॉक्टर कोई दवा प्रेस्क्राइब करे उसे दे सकती हैं, टेम्परेचर ले सकती हैं, चार्ट प्रिपेअर कर सकती हैं ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मैं आपके इस उत्तर से असंतुष्ट ही रहा हूं । मुझे इससे संतोष नहीं है ।

श्री सभापति : आप असंतुष्ट ही रहिये ।

अब मैं जो सतीशचन्द्र अग्रवाल ने....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप प्रश्न पुट अप कर रहे है । मैं रिप्लाई दूंगा ।

श्री सभापति : आप शोर्ट में ही कहें ।

(१२.०० मध्यान्ह)

श्रीसतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान नर्सेज़, मिड्वाइव्ज़, हैल्थ विज़िटर्स एण्ड ऑग्ज़िलियरी नर्स-मिड्वाइव्ज़ रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेन्स, १९६४ को संविधान के आर्टिकल २१३ के अन्तर्गत डिसएप्रूव करने के लिए मैंने संकल्प प्रस्तुत किया, उस सम्बन्ध में मैंने पहले निवेदन किया कि जहां तक विधेयक का सवाल है, उसकी भावना से मुझे विरोध नहीं, पर जो मुद्दे उस ऑर्डिनेन्स के सम्बन्ध में उठाये, मंत्री महोदय ने कहा कि कोई कार्यवाही दो महीनों में नहीं की तो ऐसी दशा में मेरा फिर निवेदन है कि स्वास्थ्य मंत्री महोदय इस विधेयक को सदन में पारित करायें, मैं इसके लिए तैयार हूं, इसमें मुझे आपत्ति नहीं, धाराओं से, मनसूबों से मुझे कोई विरोध नहीं पर जब ऑर्डिनेन्स के अन्तर्गत दो महीने तक कोई कार्यवाही नहीं की तो इस ऑर्डिनेन्स को क्यों नहीं विथ्ड्रॉ करें । आपके बिल को हम पारित कर देंगे, तो वे विचार कर लें, मेरे रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लें, फिर हम इस बिल को सदन में पारित करें । इस ऑर्डिनेन्स के तहत दो महीने तक कोई काम नहीं किया

Page No. 93

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

गया तो ऐसा आॅर्डिनेन्स जिसमें रूल्स वगैरह कुछ नहीं पेश किये उसको डिसएप्रूव कर देना चाहिये। यह बिल तो आज पास हो जायगा, आज नहीं तो कल हो जायगा। अगर इसको वे डिसएप्रूव नहीं कराते हैं, विथ्ड्रॉ नहीं करते हैं, यह हठधर्मी है; पता नहीं उनके दिमाग में यह डर किसी ने बैठा दिया है कि अगर मेरे रिज़ोल्यूशन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो पता नहीं इस बिल का क्या फेट होगा। मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस बिल को हम पास कर देंगे, बशर्ते कि वे मेरे रिज़ोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लें।

(१२.०२ म० प०)

इनका सदन से सदस्यों को निकालने सम्बन्धी जवाब बिल्कुल अन्कन्विन्सिंग है। मेरा प्रस्ताव मान रहे हैं।

सदन से सदस्यों को निकालने सम्बन्धी

श्री मुरलीधर व्यास : मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया है.... .. ....

श्री सभापति (श्री केसरीसिंह) : दे दिया है, अब आप मौन रहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : Point of Order.........

श्री सभापति : There can be no point of Order when the Chair is on its legs.

श्री मुरलीधर व्यास : Point of Order.........

श्री सभापति : There is no point of Order. It is ruled out.

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया है; प्रोसीजर को देख लें, कहीं नहीं है....

श्री सभापति : It is ruled out.

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो तानाशाही हो जायगी........

श्री सभापति : Order please !

प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने पेश किया है उसे स्वीकार किया जाय.........

श्री मुरलीधर व्यास : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है मेरा............

श्री सभापति : There can be no point of order when the question is being put. Please sit down.

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो तानाशाही हो जायगी। प्रश्न किया है तो मंत्री महोदय को उसका जवाब देना चाहिये। इस तरह दबायेंगे तो दबूंगा नहीं। मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है कि मंत्री महोदय को जो पूछा गया है उसका जवाब देना चाहिये........

श्री सभापति : That has been done. Mr. Murli Dhar Vyas, please take your seat, lest I may be compelled to take other measures.

श्री मुरलीधर व्यास : आपने प्रश्न कर लिया, उसके बाद मैंने पॉइन्ट ऑफ आर्डर रेज़ किया है।

Page No. 94

श्री सभापति : That connot be done.

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो तानाशाही है.... . यह प्रश्न किया है...........

(शोरगुल)

श्री सभापति : Shri Murlidhar Vyas, I am naming you now.

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री सभापति : No more disturbace. I now ask the hon. Member to withdraw from the House.

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है, मुझे पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाने का हक है।

श्री सभापति : Whatever he speaks now is expunged.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : माननीय सदस्य ने पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया है ....

श्री सभापति : Please take your seat.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया है वह करने दीजिये। पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर पुट अप होगा।

श्री सभापति : I have rejected it.

श्री मुरलीधर व्यास : × × × × × ×

श्री सभापति : You are doing exactly that; not only mine but of the whole House.

श्री मुरलीधर व्यास : ×××

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो आदेश दिया है, मेरी आपसे अपील है कि इस ऑर्डर को विथ्ड्रॉ कीजिये....

श्री सभापति : Order please ! सुनिये I probly would have done that, but the Member has defied the Chair and did a piece of indignity to the House and I am sorry I cannot withdraw my orders.

श्री मुरलीधर व्यास : ×××

श्री सभापति : I have rejected it. And now Sergeant, to please to help the Member out of the House.

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो चेयर के आदेश हों वे माने जाने चाहिये। लेकिन इस सदन की प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिये यह आवश्यक है कि कोई भी माननीय सदस्य पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाये तो चाहे वह रिजेक्ट कर दिया जाय पर उसको सुनने का मौका अवश्य दिया जाना चाहिये।

×××× अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

Page No. 95

श्री सभापति : When the Chair is on its legs and the question is being put there can be no point of order. I explained that to the Member. I asked him to take his seat I have done my best to be as lenient as possible.

श्री मुरलीधर व्यास × × ×

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप इस परिस्थिति पर विचार करें कि चेयर की ओर से कोई बात कही जा रही है और कोई माननीय सदस्य उस समय चेअर के नोटिस में कोई बात लाना चाहे तो ऐसी परिस्थिति में यदि इस प्रकार की व्यवस्था होगी कि माननीय सदस्य वह बात चेयर के नोटिस में लाने की स्थिति में नहीं रहे तो इस हाउस की मर्यादाओं को, जिनको कायम रखने की सदस्यों के ऊपर भी जिम्मेदारी है, चेअर की प्रतिष्ठा रखने के लिये उनको कायम रखना मुश्किल हो जायगा, इसलिये मैं चाहूंगा कि यह परिस्थिति पैदा नहीं होने दी जाय।

श्री सभापति : The best the Hon. member could do is to withdraw from the House.

श्री रामानन्द अग्रवाल : If you insist upon this we withdraw against this ruling.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, मुरलीधर जी ने कई बार पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाये....

श्री सभापति : जिन्हें मैंने रिजेक्ट किया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लेकिन पोइन्ठ ऑफ ऑर्डर को आपने डिस्करेज किया, आपने लिशन नहीं किया, आप चेयर पर खड़े हो गये। मान लीजिये माननीय सदस्य ने कोई गलती भी की हो तो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर के नाम पर कहना चाहते है तो सदन में स्वस्थ परम्परा कायम करने के लिये, सदन में सामन्जस्य पैदा करने के लिये आप उसे सुन लें।

श्री सभापति : Thank you very much for your advice. That will do. Sergeant ! please proceed to do your duty, Take the member out of the House.

(सशस्त्र सभापाल द्वारा श्री मुरलीधर व्यास को सदन के बाहर ले जाया गया)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : No. I will continue speaking. You can throw me outside the House. You cannot go in a dictatorial manner. I will continue to speak.

श्री सभापति : I am naming you now, Shri Handa.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने लगातार उनके पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर को डिस्अलाउड किया....

× × × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

श्री सभापति : Shri Handa, I now order you to withdraw from the House,

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Let me be thrown out from the House.

श्री सभापति : well than, Sergent ! help Shri Handa also out of the House.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सभापति महोदय, मैं तभी बैठूंगा जबकि मैंने बार बार कहा आपको सोचने के लिये कि इस प्रकार अस्वस्थ परम्पराएं कायम होंगी, आप गलत परम्पराएं स्थापित करना चाहते हैं, यह गलत परम्परा है........

(सशस्त्र सभापाल द्वारा श्री योगेन्द्रनाथ हांडा को सदन के बाहर ले जाया गया)

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सभापति महोदय, आपने सदन में यह अच्छी परम्पराएं नहीं डाली हैं.... मैं वाक आउट करता हूं।

(शोर–गुल,बहिर्गमन]

श्री हीराभाई (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय, आपको स्वस्थ परम्पराएं डालने का. अच्छे निर्णय देने का अधिकार है; पर पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर ही नहीं उठाने दें, यह हमारे अधिकारों के खिलाफ है। इस तरह की पार्लियामेंटरी प्रणाली चलती जायगी, प्रजातन्त्र का गला घोंटा जा रहा है, लोगों की आवाज को दबाया जाता है, मनमाने ढंग से व्यवस्था दे दी जायगी तो यह प्रजातन्त्र के ख्याल को बिलकुल दबा देने की बात होगी....

श्री सभापति : Thank you very much. that will do,

(श्री हीराभाई के खड़े रहने पर]

श्री सभापति : Shri Hira Bhai ! please take your seat, Otherwise I shall have to name you.

श्री हीराभाई : मैं चुप नहीं रहूँगा। आप किसी का गला घोंटते हैं।

श्री सभापति : Shri Hira Bhai I am naming you now.

श्री हीराभाई : आप किसी का गला घोंटते हैं और पोइंट ऑफ ऑर्डर रेज नहीं करने देते। उनकी बात भी सुननी चाहिये। यह न्यायपूर्ण बात नहीं है। इस तरह से चैलेंज नहीं होने चाहिए।

श्री सभापति : आपने बहुत कुछ कह दिया है। अब आप सदन से बाहर चले जायें। Sergeant ! please help the Member out of here.

श्री हीराभाई : मैं सही बात बराबर अर्ज करता रहूँगा। यह प्रजातंत्र का गला घोंटना है।

(सशस्त्र सभापाल द्वारा श्री हीराभाई को भी सदन से बाहर ले जाया गया)

श्री विटठ्ल : माननीय चेयरमैन महोदय, इस तरह से जो भी सदन का काम·

Page No. 97

(श्री विट्ठल)

काज होता है, उसके लिए आपका फर्ज होता है कि माननीय सदस्यों से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।

श्री सभापति : फर्ज आपका है कि आप बैठ जाएं।

श्री विट्ठल : सदस्यों को हक है, वे बोलेंगे....

श्री सभापति : Must I take the same action for you too ?

श्री विट्ठल : यह कह रहा हूं कि जो भी कोई....

श्री सभापति : आप अपना स्थान ग्रहण करलें।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभापति महोदय....

श्री सभापति : One at a time. Shir Vitthal ! please take your cheir.

श्री विट्ठल : हिन्दी में बोलिए आप।

श्री सभापति : कृपया अपना स्थान-ग्रहण करें। मेरा निवेदन है कि आप अपना स्थानग्रहण करें। वातावरण को ज्यादा न बिगाड़ें। मेरा नम्र निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपका फर्ज है कि बैठ जाइये।

श्री विट्ठल : इससे क्या वातावरण बनेगा ?

श्री सभापति : पहले अपना स्थान-ग्रहण कर लें। मैं सिर्फ दो बार और कहूंगा, नहीं तो मुझे बाध्य होकर वही स्टेप लेना पड़ेगा जो दूसरे माननीय सदस्यों के साथ लिया है।

श्री विट्ठल : ले लिया जाय, कोई बात नहीं।

श्री सभापति : तो फिर मेरा नवेदन है कि आप हाउस के बाहर पधारें।

(शोरगुल)

श्री विट्ठल : मैं कह रहा था कि ...

श्री सभापति : Sergeant ! please help him also out of the House.

(सशस्त्र सभापाल द्वारा श्री विट्ठल को सदन से बाहर ले जाया गया)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): आज की जितनी व्यवस्थाएं हैं वे तो....

श्री सभापति : एक व्यवस्था तो कैरी आउट होनी चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी जितनी व्यवस्थाएं हैं, हम उन्हें शिरोधार्य करते हैं; लेकिन मैं समझता हूँ कि जो परिस्थिति थी उनको ऐसे दृष्टिकोण से लेना, यह कोई उचित नहीं लगता। आपने माननीय सदस्यों के थोड़े से विरोध पर उनको बाहर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

निकलवाया, इसलिए मैं सदन छोड़कर अल्प-काल के लिए बाहर जा रहा हूँ।

(जनसंघ के सदस्यों द्वारा बहर्गमन)

श्री सभापति : With pleasure !

श्री मानसिंह महार : मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूँ। फिर भी समझता हूँ कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में विरोध पक्ष को थोड़ा लेटीट्यूड मिलना चाहिए।

श्री सभापति : बहुत दिया है।

श्री मानसिंह महार : आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, वे आप समझ सकते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार से एक के बाद एक को बाहर निकाला।

श्री सभापति : जब एक के बाद दूसरा भी वैसा ही करे तो और कोई रास्ता नहीं।

श्री मानसिंह महार : इसलिये मेरी पार्टी को मजबूरन सदन से अल्प समय के लिए बाहर जाना पड़ता है।

(स्वतंत्र पार्टी के सदस्यों द्वारा बहर्गमन)

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पार्लियामेंटरी डेमोक्रसी में कई बार अनप्लेजेंट मोमेंट्स आ सकते हैं जब कि ऑपोज़िशन वाले अपनी लिमिट से बाहर जा रहे हों और आप हमेशा सदन में एक साधारण सदस्य की हैसियत से बैठते हैं और आपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की व्यवस्थाओं को भी देखा है। मुझे कभी याद नहीं आता कि पिछले दो सालों में कि किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने ऐसी परिस्थिति पैदा की हो कि एक के बाद एक को, इस तरह से चार सदस्यों को सदन के बार जाने का आदेश दिया हो। मैं यह नहीं कहता कि आपमें उनसे कम काबलियत है, आसन पर जो भी विराजमान हैं उसकी काबिलियत पर शक नहीं करना चाहिए, लेकिस इसमें यदि आप सतर्कता से काम लेते तो शायद इस तरह की परिस्थिति अवश्य पैदा नहीं होती।

श्री सभापति : Thanks for the advice.

श्री मानिकचन्द सुराणा : मुझे दुःख है कि आपके आसन पर बैठने के बावजूद आपने भी सतर्कता से काम नहीं लिया, जिससे ये सब वाक आउट्स हुए और एक्सपल्शन के ऑर्डर्स रखे गए। इसलिए मैं दुख के साथ सदन से वाक आउट करता हूँ।

(श्री मानिकचन्द सुराणा द्वारा बहिर्गमन)

(१२. १५ म० प०)

राजस्थान नर्स-दाई स्वास्थ्य-वीक्षक और सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रेशन विधेयक १६६४

(पूर्व-क्रम से विचार विमर्श)

श्री सभापति : अब सदन के समक्ष प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार

Page No. 99

(श्री सभापति)

किया जाय । जो पक्ष में हों वे हां कहें जो विपक्ष में हों वे 'ना' कहें । 'ना' पक्ष जीता ।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह : हां पक्ष जीता । Ayes have it, Sir,

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Let there be a division.

श्री सभापति : You really want to press for division ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Yes, Sir,

श्री सभापति : Than let the bell be rung,

(मत विभाजन घंटी)

[१२, १७ म० प०]

श्री भैरोंसिंह (राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन किशनपोल, जयपुर) : Point of Order, उपाध्यक्ष महोदय, जो मोशन इस समय सदन के सामने है, उस पर अब मत-विभाजन होगा और मत-विभाजन की दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ मैम्बर्स यदि सदन के बाहर एक्सपेल किए गए हों, माननीय चैयरमैन द्वारा, तो जिस समय यह आज्ञा दी वह रूल्स के मातहत डिफेक्टीव थी रूल २६२ के मातहत:

"(1) The speaker may, if he deems it necessary, name a member who disregards the authority of the Chair or abuses the rules of the House by pesistently and wilfully obstructing the business there-of.

(2) If amember is so named by the Speaker, he shall forthwith put the question that the member (naming him) be suspended from the service of the House for a period not exceeding the remainder of the session,"

तो जब आसन ने एक्सपेल करने का आदेश दिया तब यह नहीं बताया कि कितने टाइम के लिए एक्सपेल किया जाय । ऐसी हालत में, जिन परिस्थितियों में उनको एक्सपेल किया गया उनको सदन में इस विषय पर अपने मत देने का अधिकार दिया जाय और सदन में आने की अनुमति दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : जब कोई मेम्बर सस्पेंड नहीं किया गया तो वह मत दे सकता है ।

प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ।

(मतदान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : हां पक्ष जीता ।

श्री भैरोंसिंह : Ayes have it,

(श्री भैरोंसिंह)

राज्य पक्ष के कुछ माननीय सदस्य : Noes have it.

(१२. २० म० प०)

श्री उपाध्यक्ष : 'Ayes' to 'Ayes' gallery and 'Noes' to 'Nase' gally.

(मत-विभाजन के पश्चात)

(१२. ३० म० प०)

सदन से बाहर निकाले गये सदस्यों द्वारा मत-विभाजन में भाग लेने विषयक औचित्य-प्रश्न

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, Sir, रूल २९१ साफ कहता है कि जिस किसी को भी निकाला जाता है उसे दिन भर के लिये निकाला जाता है। चैयरमेन द्वारा जो निकाला गया वह सही था या गलत, इस बारे में जाना नहीं चाहता। रूल २९१ में जो कहा है उनके अनुसार दिन भर के लिये निकाला जाता है। दिन भरके लिये निकाला गया तो उनके वोट नहीं गिनना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इस बारे में चेयर द्वारा रुलिंग हो चुकी है, वह सवाल अब नहीं आना चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : रुल २९१ कहता है : ... any member so ordered to withdraw shall do so forthwith and shall absent himself during the remainder of the day's sitting."

इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन की सीटिंग से विथ्ड्रॉ हुए। उसके बाद वोटिंग हुआ; उस वोटिंग के अन्दर उनको आने नहीं देना चाहिये। मामला आॅर्डिनेन्स का है। आने वाली पीढ़ी जब डॉक्टरेट करेगी तो वह इसको देखकर.... गलत प्रथा कायम होगी। अतः जिनको निकाला गया है उनके वोट को नहीं गिना जाय।

श्री रामकिशन (वैर) : औलाद तो कोई डॉक्टरेट लेने वाली नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा मतलब आने वाली पीढ़ी से हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जो आपत्ति उठायी गई है २९१ के तहत कि जो सदस्य बाहर निकाले गये हैं उनसे माननीय सदस्यों को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिये, में इसको बिल्कुल सत्य मानता हूँ। लेकिन मेरी जो मन्शा थी वह यह है कि इसके विरोध में जो सदस्य बहिर्गमन कर गये है उनको ईस मौके से चूक नहीं किया जाय इस दृष्टि से....

श्री भैरोंसिंह (किशपोनपोल, जयपुर): This is not accordance with your ruling,

श्री उपाध्यक्ष : अब प्रश्न यह है कि अगर मेरी रूलिंग का आशय जनरल तौर पर था उससे यह मतलब लिया जाय कि वे मेम्बर भी वोट दें चेयर को यह अधिकार

(श्री उपाध्यक्ष)

नहीं कि वे रूल्स के प्रकृतिल जायं; उसके जाने का अधिकार नहीं है।। इसलिये जो मेम्बर बाहर भेजे गये चाहे वे किसी कारण से भेजे गये हों इस रूल के तहत उनका वोट नहीं लिया जायगा।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : On a point of order, Sir, मैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल्स २९१ व २९२ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। रूल २९१ यह कहता है—

"The Speaker may direct any member whose conduct is, in his opinion, grossly disorderly, to withdraw immediately from the House, and any member so ordered to withdraw shall do so forthwith and shall absent himself during the remainder of the day's sitting."

This is the wording of Rule 291. But at the same time we cannot keep our eyes shut to the provisions of Rule 292, which says, "(1) The Speaker may, if he deems it necessary, name a member who disregards the authority of the Chair or abuses the rules of the House by persistently and wilfully obstructing the business thereof.

(2) If a member is so named by the Speaker, he shall forthwith put the question that the member (naming him) be suspended from the service of the House for a period not exceeding the remainder of the session."

Now the power which is given to the Speaker under Rule 292 is only limited to the extent that there may be a limit imposed for a particular period. A member may be suspended for a period not exceeding the remainder of the session. But a member may be suspended for an hour or 15 minutes also. The question now is whether the order passed by the Chair was under Rule 291 or under Rule 292. This is for consideration.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of order, Sir.......

श्री दुर्गालाल बाड़दार : My point of order stands. And when there is one point of order pending no other point of order can be raised.

The question is whether the order passed by the Chair was under Rule 291 or 292? The hon. Members who are suspended by the Chair were named by the Chair. My respectful submission is that there has been a ruling of the Chair on this point that those members who have not been suspended are permitted to remain in the House. Further proceedings of the House also indicate that they are entitled to give their votes and participate in the proceedings.

Under these circumstances, the subsequent direction which is to be given by the Chair is to be reconsid-

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

ered and it should be seen whether the order was passed under Rule 291 or 292. Correct interpretation is to be made by the Chair.

श्री उपाध्यक्ष : जो आपत्ति पेश हुई है।

श्री भैरोंसिंह : उस आपत्ति के साथ और भी बात सुन ली जावे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : On a point of privilege, Sir ..

श्री उपाध्यक्ष : जो आपत्ति इस समय पेश हुई है इस सदन में, वह इस विषय की है कि रूल २९१ को २९२ के साथ पढ़ा जावे। २९१ अलग परिस्थिति के लिये बना है और २९२ अलग परिस्थिति के लिये। यह इनके वर्डिंग्ज़ को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। जो आसन ने अभी अभी व्यवस्था दी थी वह व्यवस्था स्पष्ट है; यद्यपि यह नहीं कहा गया कि वह २९१ के अन्तर्गत है अथवा २९२ के, वह स्पष्टतया ही २९१ में समझी जावेगी क्योंकि वह एक तो उन्होंने मेम्बरों का नाम लिया और नाम लेने के साथ ही उनको विथ्ड्रॉ करने का तुरन्त आदेश दिया। अब यह शासन की मर्जी पर है कि वह तुरन्त आदेश जैसी परिस्थिति समझता है, दे अथवा न दे। पर जब आदेश दे दिया गया है तो वह २९१ से ही कवर होगा। यदि वह केवल नियम के लिये क्वेश्चन पुट करते तो क्वेश्चन पुट करने के साथ २९२ एक्शन में आ जाता और उसके मुताबिक कार्यवाही होती। पर चूंकि उन्होंने उसके पश्चात् क्वेश्चन नहीं पुट किया और उन्होंने तुरन्त ही यह आवश्यक समझा कि मेम्बर विथ्ड्रा कर जावें तो वह सारी कार्यवाही २९१ के अन्तर्गत ही समझी जावेगी और इसलिये जो २९१ की मंशा है वह बात फोर्स में समझी जानी चाहिये और उसी के मुताबिक कार्यवाही जायज़ होगी।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूँ कि विधान सभा के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पर कहिये।

श्री भैरोंसिंह : Let me say. जब रूल का इन्टरप्रिटेशन इस प्रकार से लिया है; मैंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन सदन के सामने पुट किया था। जिनको हाउस से एक्सपैल किया गया उनको हाउस में आने की अनुमति दी जावे और इस पर्टिक्यूलर ऑर्डिनेन्स के विषय में उनको मतदान करने की अनुमति प्रदान की जावे। चैयर ने अनुमति प्रदान कर दी। मेम्बर्स हाउस में आकर बैठ गये, लॉबीज़ में वोट देने को चले गये। लॉबीज़ में उनके वोट जहां उनके नाम लिखे हुए हैं वहां किस पक्ष में मतदान करना चाहते हैं वहां रेकॉर्ड करवा लिया। इसके बाद यदि चेयर की तरफ से यह रूलिंग होती है तो ऑटोमैटिकली उसका यह मतलब निकलता है कि जो मेम्बर हाउस में आकर बैठ गये हैं वे स्ट्रेन्जर हैं और इसके लिये उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये था जो नहीं लिया गया, और इसलिये नहीं लिया गया कि हाउस में आकर बैठने की अनुमति आपकी ओर से दे दी गई और उसके आधार पर

(श्री भैरोंसिंह)

लॉबीज़ में भी वे चले गये और मतदान भी किया और हाउस में बाद में आकर बैठे ।

. जो रूलिंग दी जा रही है उसका रिपर्कशन यह होगा कि आपको फिर इन मेम्बरों को एक्सपैल करने को कहना पड़ेगा । अगर यह कहते हैं तो माननीय मेम्बरों के मोरल का और कैरेक्टर का क्वेश्चन आता है । ये आपकी अनुमति से यहां आये । अब क्या आप उनसे यह कहेंगे कि हाउस से बाहर चले जाओ ? यह सम्भव नहीं होगा । इसलिये रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने जो रूलिंग दी है उसको २९१ में दें या २९२ में दें, इस स्थिति में आपने जो रूलिंग दी है पहले उसमें यदि रूल के कारण बाधा आती है तो उपाध्यक्ष महोदय को अधिकार है कि रूल्स के अन्तर्गत २९१ के रूल को रिलेक्स कर दें और फिर जो कुछ रूलिंग पहले दी उसकी महत्वता को बचाने के लिये रूल को रिलेक्स कर दें और अब जो आपके दूसरे रूलिंग से एक अनप्रेसीडेन्टेड चीज होने वाली है, एक बार आपकी अनुमति से हाउस में आ गये, वोट दे दिया और अब रूलिंग आपका उनको एक स्ट्रेन्जर के रूप में देखना चाहता है, तो इस प्रकार की अनप्रिसीडेन्टेड चीज क्रिएट न हो, इस सारी परिस्थिति को दूर करने के लिये इस रूल को रिलेक्स कर दिया जावे २९१ को और अनुमति देने की जो रूलिंग दी है उसके साथ लगी चेयर की प्रतिष्ठा और सदन की प्रतिष्ठा को प्रोटेक्ट किया जावे । यही मेरा निवेदन है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : On a point of privilege, Sir...

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : I have been asked to speak.

श्री उपाध्यक्ष : Order please !Let him (shri Ramanand Agarwal) say.

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर जिसको कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस सदन की प्रतिष्ठा को रखने के लिये भी, और जो उपाध्यक्ष महोदय आपकी ओर से रूलिंग दी गई उसके अनुसार ही मेम्बर यहां पर बैठे और वोट भी दिये । अब आपकी नियम २९१ के पॉवर की तरफ माननीय सदस्य नसीराबाद से आने वाले ने संकेत किया उस रूल के होते हुए भी, चैयर को यह अधिकार है कि रूल नम्बर ३०६ और ३०७ के तहत किसी भी रूल को रिलेक्स कर दें । रिजोइन्डर आपको है, जिसमें स्पेसिफिक रूल का मेन्शन न हो उनको मेन्शन करें । पहले स्थिति यह हो जाती है कि रूल २९१ यह कहता है कि जो मेम्बर के लिये एक बार बाहर जाने के लिये आदेश दे दिया गया वह सारे दिन बाहर रहेगा और स्थिति यह भी है कि उपाध्यक्ष महोदय ने यह रूलिंग दी कि उनको आने की इजाजत है और मतदान देने की भी इजाजत उनको आपने दे दी । तो ऐसी हालत में क्या यह रूलिंग रूल २९१ के विरुद्ध है ? मैं समझता हूँ कि नहीं । क्योंकि चेयर को रूल ३०६ के तहत यह अधिकार है कि किसी भी मेम्बर के कहने पर किसी भी रूल को सस्पेन्ड कर दे और माननीय सदस्य जयपुर से आने वाले ने जो रिक्वेस्ट की थी उसमें चाहे रूल ३०६ की ओर संकेत नाम से न

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

किया हो परन्तु जो उनकी रिक्वेस्ट थी वह ३०६ की तहत ही तो है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने जो पहली रूलिंग दी वह २६१ को सस्पेन्ड करते हुए ही तो वह रूलिंग दी है इसलिये उनकी उस रूलिंग में कोई असंगति नहीं है। २६१ के खिलाफ रूलिंग नहीं है। ३०६ के अन्दर एक माननीय सदस्य ने जो चेयर से अपने अधिकार प्रयोग करने के लिये कहा उसकी तहत ही वह अधिकार प्रयोग करके चेयर ने रूलिंग दी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर माननीय सदस्य (नसीराबाद) ने उठाया उसकी बुनियाद पर पहली रूलिंग को रिवाइज़ करना न तो उचित है और न ही यह जो रूल है वह उसके लिये आग्रह करता है कि उसके लिये होना ही चाहिये। मैं इसलिये समझता हूँ कि यह अनप्रिसीडेन्टेड होगा अगर इसे नहीं मानते हैं तो और इतना जो भी वातावरण अनप्लेज़ेन्ट सदन में बना, जिसमें कि हम सदस्यों को उन रूल्स की मर्यादाओं को कायम रखने के लिये अपना बोलने का अधिकार है और चेयर की ओर से भी उन गल्ती की जावे नियमों का उल्लंघन करने की; तो कर्त्तव्य हो जाता है हमारा भी कि हम इसे चेयर के नोटिस में लावें। इस अधिकार की रक्षा करने के लिये इस प्रकार की घटना हुई और इस सदन में कुछ माननीय सदस्यों को एक्शन लेना पड़ा। इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की स्थिति की पुनरावृत्ति न हो कि चेयर अपनी एक रूलिंग देने के बाद उस रूलिंग को बदले, इसमें न केवल उन्हीं माननीय सदस्यों की प्रतिष्टा का सवाल है बल्कि सबकी प्रतिष्ठा का सवाल है, सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है और स्वयं चेयर की एक बार की रूलिंग की प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर एक बार रूलिंग देकर चेयर उनको बुला ले और फिर चेयर गलती भी महसूस करे तो रूलिंग बदले और दूसरों की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने और ह्यूमिलियेशन की तरफ ले जाने की कोशिश करे तो यह कतई उचित नहीं होगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : on a point of privilege, Sir....

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग ट्रेज़री बेन्च से, इस विषय पर जो कुछ आज घटनायें हुईं उनके लिए कुछ कहना नहीं चाहते थे। गोया हम महसूस करते थे कि सदन की प्रतिष्ठा के लिए इस तरह की घटनायें न हों, तो इस सदन की प्रतिष्ठा और मान बढ़ेगा। मगर क्योंकि २६१ के नीचे कार्यवाही की गयी उसके बाद में आसन की तरफ से एक रूलिंग हुई इस बात को समझते हुए कि २६२ के मातहत जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पोइन्ट आउट किया था उसी को आसन ने सुनकर उन्होंने उन लोगों को आज सदन के बाहर २६१ के मातहत जाने के लिए कहा था और फिर उनको वोट देने की इजाजत दी। फिर उसके बाद में नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने २६१ के नीचे आपका ध्यान आकर्षित किया। उसके पीछे आपने फिर से रूलिंग दे दी कि मैं इन रूल्स के खिलाफ कोई कार्यवाही नही कर सकता और कोई रूलिंग दिया भी है और उसका इन्टरप्रिटेशन यह समझा गया है तो वह गलत है और मुझे अधिकार नहीं है।

(श्री मथुरादास माथुर)

इसलिए अंत में जो रूलिंग चेयर का है वह यह है कि:...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : Every ruling is final.

श्री मथुरादास माथुर : २६१ के नीचे ही यह समझा जाये और आखिर में जो थर्ड रूलिंग इस आसन से आया है पहला रूलिंग २६१ के नीचे बाहर जाने का आदेश, दूसरा रूलिंग आसन से उन सदस्यों को अन्दर आने की इजाजत और तीसरा रूलिंग कि नहीं वह वोट में हिस्सा नहीं ले सकते कि जो बाहर निकाले गये हैं और वे सदन के अन्दर पूरे टाइम तक नहीं ठहर सकते। इस तरह के आसन से ३ रूलिंग निकले हैं और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने ३०६ और ३०७ के नीचे ध्यान खींचा है। तो ३०७ तो इसके ऊपर एप्लाई नहीं होता है। रूल ३०७ तब लागू होता है जब कि उसमें लिखा गया है कि जो बातें अपने कानून के अन्दर और रूल्स के अन्दर स्पेसिफिक नहीं लिखी गयी हैं :

"All matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Speaker may, from time to time, direct..."

तो जब २६१ और २६२ रूल्स मौजूद हैं तो उसके बाद में इसमें जो स्पेसिफिकली प्रोवीज़न दिया गया है उसका स्पीकर साहब इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए ३०७ लागू होने का प्रश्न पैदा नहीं होता। अब रह गया रूल ३०६। इसमें जो अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह ध्यान आकर्षित किया है कि इसमें यह अधिकार है आसन को कि वे किसी भी नियम का सस्पेन्शन कर दें अगर कोई मोशन रखता है ; वह भी रूल अगर माननीय सदस्य ठीक से पढ़ें तो उसमें यह लिखा है :

"any member may with the consent of the Speaker-move..." पहला लफ्ज़ तो यह है कि स्पीकर साहब की कन्सेन्ट ले, जो कि इसमें नहीं ली गई, "...that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the House and if the motion is carried the rule in question shall be suspended for the time being..."

तो हाउस के सामने कोई भी मोशन किसी भी रूप में नहीं रखा गया है। केवल उन्होंने सुझाव रखा है और वह भी without the consent of the speaker ; तो न तो मोशन ही है और न कन्सेन्ट ही। फिर भी वह मोशन हाउस में वोटिंग के अन्दर डालना पड़ेगा। इसलिए चेयर को अधिकार नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह मोशन चेयर भी मूव कर सकती है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : ३०७ के नीचे ही कर सकती है, वर्ना ३०६ के नीचे चेयर को अधिकार नहीं है। इसके ऊपर एक नहीं सैकड़ों रूलिंग्ज़ लोक सभा में हो चुकी हैं कि कोई भी मोशन ३०६ के नीचे नहीं हो सकता। इसलिए ३०६ के नीचे मेम्बर के द्वारा मोशन होना चाहिए, स्पीकर की कन्सेन्ट होनी चाहिए, तब रूल को सस्पेन्ड किया जा

(श्री मथुरादास माथुर)

सकता है। ये रूल्स सदन ने बनाये हैं और उनको स्थगित करने के लिए सदन को ही अधिकार है, सदन ही उनको स्थगित कर सकता है। इसके लिए कोई दूसरी ऑथोरिटी नहीं हो सकती। अगर कानून के अन्दर जिक्र नहीं है तो उसको स्पीकर महोदय कर सकते हैं। इसलिए ३०६ का और ३०७ का यह मतलब है। इसलिए ३०६ को जो कोट किया है वह गलत है। ३०७ को भी गलत कोट किया गया है क्योंकि स्पेसिफिक प्रोवीज़न २६१ के अन्दर बाहर निकालने का है और इसलिए उसके अन्तर्गत यह रूलिंग दी है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि २६२ लागू होता है, वह कभी लागू नहीं होता है। इसलिए आपकी आखिरी रूलिंग ही स्टेण्ड करती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : On a point of parliamentary enquiry.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य....

श्री उपाध्यक्ष : आपको (श्री निरंजननाथ आचार्य को) बोलने दिया जाये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रश्न इससे लिंक्ड है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : There shall be no new point, till this is disposed of.

श्री निरंजननाथ आचार्य : This is linked. The point of privilege is linked with the point of order.

श्री भैरोंसिंह : There is no point of privilege, Sir.

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह इन्टर-लिंक्ड है। मेरा यह अर्ज करना है कि पहले आप मुझे सुन लें। This is a point of privilege, Sir, interlinked with the point of order.

श्री उपाध्यक्ष : I will request the Hon. Minister to discuss this matter in any manner he likes, but he should not name it as a point of privilege.

श्री निरंजननाथ आचार्य : This is inter-linked.

श्री भैरोंसिंह : दोनों एक साथ मूव नहीं किये जा सकते, पोइन्ट ऑफ ऑर्डर और पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज़ ...

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of order...

श्री भैरोंसिंह : जिस समय पहला पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : Point of order. Let it be treated as point of order.

श्री उपाध्यक्ष : He has just stated in support of the contentions which have been advanced from this side.

श्री भैरोंसिंह : तो उनका कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस समय सदन के सम्मुख २६१, २६२, ३०६ और ३०७ सारे रिलेवेन्ट प्रोवीज़न्स आ गये हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि रिलेवेन्ट प्रोवीज़न्स के आधार पर आपकी व्यवस्था हो गयी। इस आधार पर मैं अपना दृष्टिकोण इस संबंध में रखना चाहता हूँ। रूल ३०६ के प्रश्न पर वैधानिकता के बारे में बहुत कुछ कहा। २६१ और २६२ का विश्लेषण आसन की ओर से किया गया। उसके साथ ही मैं सिर्फ यह निवेदन करता हूँ कि आसन से एक व्यवस्था हुई और वापिस उस पर डिवीज़न हुआ २६१ में। वहीं पर एक प्रश्न और पैदा होता है और वह यह होता है कि २६१ के प्रोवीज़न्स के अन्तर्गत जिन माननीय सदस्यों को निष्कासित किया गया वे माननीय सदस्य २६१ के विपरीत वहां पर बैठ गये....

श्री भैरोंसिंह : Under the permission of the Chair.

श्री निरंजननाथ आचार्य : दूसरे २६१ के अन्तर्गत एक व्यवस्था दी गयी। उस २६१ की व्यवस्था नियमों के अन्तर्गत है और उसको इधर उधर नहीं किया जा सकता। उसके ही आधार पर यह मान लिया जाये।

"The Speaker may direct any member whose conduct is, in his opinion, grossly disorderly to withdraw immediately from the House and any member so ordered to withdraw shall do so forthwith and shall absent himself during the remainder of the day's sitting"

तो माननीय सदस्यों का यह कर्तव्य होता कि अपने आप वापिस विदड्रॉ कर जाते और २६१ की रेस्पेक्ट करते। तो दोनों दृष्टिकोण से माननीय सदस्यों का यहां बैठना और उसके पहले ही चले आना, दोनों ही प्रश्न प्रिविलेज के पॉइन्ट को रेज़ करते हैं। इसलिए माननीय सदस्यों का अभी बैठना और पहले चले आना, इस मसले पर आप, उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दें। दोनों ही प्रश्न एक साथ तय होने चाहिए।

(अनेक माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अभी नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सदन के सामने रेज़ किया है। यह प्रश्न केवल आज का ही नहीं है। हम इस सदन में इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। यह अच्छा नहीं लगेगा और इस सदन के लिए अच्छा नहीं होगा, जैसा कि गत सत्र में जो भूतपूर्व उपाध्यक्ष थे उनके रूलिंग को स्पीकर महोदय द्वारा ओवर राइड करना पड़ा और करेक्ट करना पड़ा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सदन में फिर ऐसा मौका न आये, इस प्रकार की व्यवस्था हो। इसलिए मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि इस सदन में इस बात पर बहुत गम्भीरता से विचार करें।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इस सदन में नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया है कि जिन सदस्यों को सदन से बाहर निकाल दिया गया उनके वोट को काउन्ट नहीं किया जाय। चार वोट्स काउन्ट करें या न करें, इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि इस बारे में क्या व्यवस्था हो और इसके बारे में सदन ऐसी परम्पराओं का पालन करे।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, उन सारी बातों पर नहीं जाता हुआ केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि डिवीज़न के बारे में जो रूलिंग आसन से हुई है, कौन सस्पेन्ड हुआ, कैसे हुआ, उसके अन्दर नहीं जाते हुए प्रश्न इस बात का है कि डिवीज़न के बारे में रूल २८६ है। वह यह कहता है कि इस सदन में क्योंकि आप डिवीज़न के लिए किसी प्रश्न को रख चुके हैं तो डिवीज़न के लिए रूल २८७ है। तो डिवीज़न होने की स्थिति में एज़' वाले 'एज़' वाली लॉबी में और 'नोज़' वाले 'नोज़' वाली लॉबी में जायेंगे, वहां पर स्टाफ का क्लर्क होगा वह उनके मेम्बर्स के डिवीजन नम्बर नोट करेगा, उनका वोट रेकॉर्ड करेगा और करने के बाद रुल २८७ यह कहता है :

"Where the Speaker directs under clause (c) of sub-rule (3) of rule 286 that the votes shall be recorded by the members going into the Lobbies, he shall direct the 'Ayes' to go into the Right Lobby and the 'Noes' into the Left Lobby. In the 'Ayes' or 'Noes' Lobby, as the case may be, each member shall state his division number and the division clerk, while marking off his number on the division list, shall simultaneously call out the name of the member.

(2) After voting in the Lobbies is completed, the division clerk shall bring the Division Lists to the Table when the votes shall be counted by the officers at the Table and the totals of 'Ayes' and 'Noes' presented to the Speaker."

जो टोटल होगा वह आपका प्रश्न होगा। आपको और क्या करना है : "The result of the Division shall be announced by the Speaker and it shall not be challenged."

अब प्रश्न इस बात का है कि आप, आपके सामने जो आधार है उस पर कुछ भी फैसला करें। इस समय २९१ और २९२ का सवाल नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि एज़ वाले मेम्बर्स एज़ लॉबी में और नोज़ वाले मेम्बर्स नोज़ लॉबी में गये। वहां जाकर डिवीज़न क्लर्क ने उन लिस्टों पर उनका वोट रेकॉर्ड किया और वोट रेकॉर्ड करके सदन की टेबल पर लाया गया और सेक्रेटरी साहब ने उसका टोटल किया और टोटल करके स्पीकर साहब को सब्मिट कर दिया गया और स्पीकर महोदय रूल २८७ (३) के तहत रिज़ल्ट को एनाउन्स करेंगे। उसके अलावा उसमें और कार्यवाही नहीं हो सकती है।

जो कुछ भी हो सकता है २९१ और २९२ के तहत, तो मैं माननीय विधि मंत्री से नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस समय यह सवाल खड़ा हुआ था

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उस समय उनको इसका एक्सेपशन लेना था। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने २६१ और २६२ का प्रश्न खड़ा किया था, उस समय उनको सोना नहीं चाहिए था और जागरूक रहना चाहिए था। उस समय आसन से व्यवस्था होने से पहले सदन को जानकारी देनी चाहिए थी कि २६१ और २६२ के क्या परिणाम होंगे ?

जहां तक डिवीज़न का सवाल है मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एज़ वाले मेम्बर्स एज़ लॉबी में और नोज़ वाले मेम्बर्स नोज़ लॉबी में जाने के बाद, उनका वोट रेकॉर्ड होने के बाद, टोटल होने के बाद, आपके पास में वे लिस्टें आवेंगी इसके अतिरिक्त और कोई अधिकार नहीं है आपके पास कि आप रिज़ल्ट को एनाउन्स कर दें।

एक बात, दूसरी ३०७ के बारे में थी उसके बारे में केवल मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि २६१ को माना जाय तो २६१ की डिटेल्ड वर्किंग के बारे में कुछ नहीं लिखा है, जब कि २६२ के बारे में लिखा है कि सस्पेन्ड किया जा सकता है। उस सस्पेन्शन को यह हाउस चाहे तो बदल सकता है। २६१ में कुछ नहीं लिखा गया है कि रिमेन्डर ऑफ दी डे बाहर रहेगा; तो बाद में स्पीकर चाहे तो उसको रेमिट कर सकता है या नहीं कर सकता, इस पर मैं कुछ नहीं कहता। वह केवल यह कहता है :

"The Speaker may direct any member whose conduct is, in his opinion, grossly disorderly to withdraw immediately from the House, and any member so ordered to withdraw shall do so forthwith and shall absent himself during the remainder of the day's sitting."

वह बाहर रहेगा लेकिन उसके बाद में क्या कुछ है, यह कुछ नहीं है कि अगर अन्दर आ जाय तो क्या होगा ? स्पीकर वह दे सकता है या नहीं। इसलिए २६१ में डिटेल्ड वर्किंग नहीं है। २६२ में सस्पेन्शन के बारे में मोशन के लिए लिखा गया है। २६१ में मोशन की व्यवस्था नहीं है; इसलिए ३०७ में लिखा है :

"All matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Speaker may, from time to time, direct."

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, कन्टेन्शन यह है कि आपको अधिकार है कि जिन रूल्स में डिटेल्ड वर्किंग की व्यवस्था नहीं है, जैसे कि २६१ में बाहर गये हुए मेम्बर के अन्दर आने की व्यवस्था नहीं है, तो आपको अधिकार है कि यदि आप चाहें तो डिटेल्ड वर्किंग के बारे में रेग्युलेट कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आसन के अधिकार को सीमित करना, आसन को नियमों में बांध कर रख देना, आसन को डिटेल्ड वर्किंग के बारे में कोई व्यवस्था नहीं दे सकना, मैं समझता हूँ बहुत ही गलत बात होगी; विशेषकर उन परिस्थितियों में जब कि आसन ने पहले एक बार यह व्यवस्था दे दी है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने गलत व्यवस्था दी है या सही दी है,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लेकिन आपकी व्यवस्था रूल्स के ऊपर पड़ती है। आपको व्यवस्था के आगे रूल्स की नहीं चल सकती है। आपने एक व्यवस्था दे दी है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी व्यवस्था को कांग्रेस दल के मेम्बर्स फ्लाउट न करें और एक माननीय सदस्य ने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ करके आपकी व्यवस्था को फ्लाउट किया है और आसन की व्यवस्था को फ्लाउट करने वाले मेम्बर्स के बारे में आप कहें कि वे सदन से बाहर चले जायं, नहीं तो मैं मोशन रखता हूँ कि उनको सस्पेन्ड किया जाय........

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): Mr. Speaker, Sir, to make the question more easy now and for the dignity of the House, in the interest of everybody here, on behalf of the Treasury Benches and on behalf of the members sitting on this side, I would like to say that we never wanted any member to remain outside the House......

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : हिन्दी में बोलें तो महरबानी होगी।

श्री रामकिशन (वैर) : हम भी समझ लेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय श्री बाढ़दार बोल रहे थे, उस समय आप समझ रहे थे ; यह बताता है आपका जस्टिस।

उपाध्यक्षजी, मैं यह अर्ज कर रहा था और आपकी आज्ञा चाहता हूँ कि रूल २९१ को फोर्थविद स्थगित कर दिया जाय, सस्पेन्ड कर दिया जाय और वह आज के लिए कर दिया जाय, फोर दिस इश्यू जिसके ऊपर कि चर्चा हो रही है, for the time being, कर दिया जाय। मैं अंग्रेजी में इसीलिए बोल रहा था कि जो इस क्लॉज़ के वर्डिंग्ज़ हैं उनको रिपीट कर देता। कुछ लोग समझते नहीं हैं और जो समझते हैं वे जान-बूझकर समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि :

"I move that Rule 291 be suspended for the time being, so far as this issue is concerned and I seek your consent and then I will formally move this motion."

श्री उपाध्यक्ष : The consent is given.

श्री भैरोंसिंह : I make an amendment that rule 291 be suspended and shall be deemed to have been suspended.........

श्री मथुरादास माथुर : Consent has been given to my motion. I move that Rule 291 be suspended for the time being.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूल २९१ के सस्पेन्शन के रीज़न्स क्या हैं, क्यों करना चाहते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : रीज़न्स पर मैं नहीं जाना चाहता। उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष : रीज़न्स कह चुके हैं।

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक ट्रेज़री बेन्चेज़ की मन्शा है वह यह है कि जो चेयर ने, आसन ने कार्यवाही की है बाहर निकालने की उस कार्यवाही को गलत कराने का प्रस्ताव नहीं रख रहा हूं। मैंने जो प्रस्ताव रखा है, चूंकि उसकी इजाजत दी गई है, इसलिए उसको पारित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव अभी माननीय योजना मंत्री ने किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(विराम)

२६१ उस वक्त तक के लिए स्थगित हुआ है। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि आसन का दायित्व यह है कि सदन में व्यवस्था का नियन्त्रण रहे और प्रजातन्त्रीय पद्धति की धारा को आप अविरल प्रवाहित रखें। इसके आधार पर अनर्गल आरोपण यदि आवश्यक कार्यवाही में आते हैं तो उसको भी किसी प्रकार से रोकें। उसका भी किसी प्रकार से विचार रख कर, ऐसी अवस्था में आसन यह उपयुक्त समझता है कि सदन की व्यवस्था, सदन की शांति किसी विशेष कार्य से स्थपित रहेगी तो वह रूल से भी कुछ इधर-उधर जा सकती है और उस बुनियादी दायित्व को वहन करते हुए आसन ने जो कुछ कदम उठाया था वह यह था। और फिर जब कि माननीय योजना मंत्री ने यह प्रस्ताव कर दिया है तो इससे सारी गुत्थी सुलझ जाती है और मैं समझता हूं कि सदन यथावत् अपना कार्य प्रारम्भ रखेगा और उसके पहले वोटिंग का जो नतीजा है उसको मैं यहां व्यक्त कर देना चाहता हूं......

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं फिर निवेदन कर देना चाहता हूं........

श्री उपाध्यक्ष : मैं पहले नतीजा व्यक्त कर दूं।

श्री भैरोंसिंह : फिर कॉम्प्लीकेशन्स क्रियेट होंगे, इसलिए मैं अर्ज कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : You are assured that there should be no complications.

श्री भैरोंसिंह : There will be complications.

श्री उपाध्यक्ष : There will be no complication.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय योजना मंत्री........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : विधि मंत्री........

श्री भैरोंसिंह : योजना एवं विधि मंत्री एवं भूतपूर्व गृह मंत्रीजी ने एक मोशन मूव किया, उसमें एक डिफेक्ट था। आपने पहली रूलिंग दी थी, उस रूलिंग को ओवर रूल कर दिया। फिर हाउस में कौनसी रूलिंग है जिसको हम मानें। अब माननीय योजना मंत्री, जो फाइनल रूलिंग आपकी हुई उस

(श्री भैरोंसिंह)

फाइनल रूलिंग पर हाउस में मोशन मूव कर रहे हैं ! फाइनल रूलिंग यह है कि इन मेम्बर्स को सदन में बैठने का अधिकार नहीं है। यह आपने रूलिंग दी है उसको मैं इन्टरप्रेट नहीं कर रहा हूं, ट्रेज़री बैंचेज़ ने इस प्रकार इन्टरप्रेट किया है। आपने रूलिंग दी है कि इन मेम्बर्स को सदन में बैठने का अधिकार नहीं है। अब इस रूल को रिलेक्स करके उनको बैठने का अधिकार देते हैं और इसलिए रूल को रिलेक्स करने का मोशन मूव हुआ है। उसके बाद २६१ है, जिसके अन्तर्गत बाहर रहना चाहिए, वह रिलेक्स होगा और फिर इनको बैठने का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन मोशन मूव करने से पहले ये मेम्बर्स सदन के अन्दर बैठे हैं और अपना वोट कास्ट कर दिया है उसको वेलिड करना पड़ेगा और इसलिए यह अमेंडमेंट इस मोशन में करना पड़ेगा, "shall be deemed to have been relaxed."

श्री उपाध्यक्ष : जो आपत्ति उठाई है वह मैं पूरी तरह समझता हूं। यह मोशन केवल एक सद्भावना की दृष्टि से और गुत्थी को सुलझाने के लिए किया है।

श्री भैरोंसिंह : सद्भावना रेकॉर्ड होती है।

श्री उपाध्यक्ष : जो व्यवस्था की जा चुकी है वह बाकायदा कायम है। मैंने इसी-लिए जो आसन का बुनियादी दायित्व है उसका संकेत किया था कि इस सदन में शांति और व्यवस्था का वातावरण कायम रहे, यह देखना आसन का कर्त्तव्य है। साथ ही न्यायसिद्ध सारी कार्यवाही जारी रहे और व्यवस्था रहे-यह देखना आसन का प्राथमिक कर्त्तव्य है। उस कर्त्तव्य के अनुसार ही माननीय सदस्यों को सदन में आने की इजाज़त दी थी और वोट देने के अधिकार की घोषणा की थी। वह अभी भी कायम है।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह हुआ कि दूसरी रूलिंग इफेक्टिव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : रूलिंग हुई दूसरे समय में तब मैंने २६१, २६२ को स्पष्ट करके यह कहा था कि सम्भवत: आसन ने जो पहले बहिंगमन के लिए कहा था वह शायद २६१ के अन्तर्गत था........

श्री भैरोंसिंह : आपको डेफीनिट होना चाहिए। हम शायद कह सकते हैं, लेकिन आपको डेफीनिट होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए इस बात का प्रश्न नहीं उठता है।

(१.१२ म० प०)

राजस्थान नर्स-दाई, स्वास्थ्य वीक्षक और सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रेशन विधेयक, १९६३

(पूर्व क्रम से)

जो वोटिंग का नतीजा है वह इस प्रकार से है-हां पक्ष ३१, ना पक्ष ५३।

(मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल का संकल्प था वह गिर गया।

[विभाजन के अनुसार 'हां' व 'ना' पक्ष के माननीय सदस्य :

(श्री उपाध्यक्ष)

'हां' पक्ष की सूची:

श्री अब्दुलजब्बार

श्री अभयसिंह

श्री भैरोंसिंह शेखावत

श्री चौथमल वर्मा

श्री चोसरसिंह बाबेल

श्री डूंगाराम राजोरिया

श्री दुर्गालाल बाढ़दार

श्री फतहसिंह

श्री गोपीलाल गोठवाल

श्री गोविन्दसिंह (कुम्भलगढ़)

श्री हरिशंकर

श्री हीराभाई

श्री केदारनाथ

श्री केसरीसिंह (पाली)

श्री कृष्णकुमार गोयल

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल

श्री मानिकचन्द सुराणा

रावत श्री मानसिंह महार (आमेर)

श्री मथुरेशबिहारी माथुर

श्री मावा

श्री मूलचन्द चौधरी

श्री मुरलीधर व्यास

मास्टर श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़)

श्री नाथूलाल करोल

श्री रामानन्द अग्रवाल

श्री रामकिशन

श्री रामसिंह

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

श्री उदयलाल वर्दिया

श्री विठ्ठल

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा

'ना' पक्ष की सूची

श्री अलदाराम मीणा

श्री बरकतुल्ला खां

श्री भगराज चौधरी

श्री भीखाभाई

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'

श्री भीमसिंह

श्री बृजसुन्दर शर्मा

श्री चतुर्भुज उपाध्याय

श्री दौलतराम सारण

श्री देवीलाल मीणा

श्री धर्माराम आर्य

श्री दिनेशराय डांगी

श्री गणेशलाल

श्रीमती गौरी पूनिया

श्री गिरधारीलाल व्यास

श्री गोकुलचन्द

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा)

श्री ज्ञानचन्द मोदी

श्री हनुमानसिंह चौधरी

श्री हरिभाऊ उपाध्याय

श्री हरिदेव जोशी

श्री हरिश्चन्द्र

श्री हजारीलाल शर्मा

श्री जगनसिंह

श्री जयकृष्ण शर्मा

श्री जेठमल बरबड़

श्री जुझारसिंह

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा

श्रीमती कमला बेनीवाल

श्री कानाभाई नुवाल

श्री केशरीसिंह जोजावर (खारची)

श्री किशनसिंह चाटड़

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत

श्री लालाराम

श्री मथुरादास माथुर

श्री मोहनराज

श्री मोतीलाल चौधरी

श्रीमती नगेन्द्रबाला

श्री नाथूराम मिर्धा

श्री निरंजननाथ आचार्य

श्री परसराम मदेरणा

श्री फूलचन्द जैन

श्रीमती प्रभा मिश्रा

श्री रघुनाथ बिश्नोई

श्री रामचन्द्र

श्री रामप्रसाद लड्ढा

श्री रविशंकर याज्ञनिक

श्री रूपाराम पंवार

श्री सांवलियाराम

श्री शंकरलाल जाट

श्रीमती सुमित्रा

श्री तेजाराम गहलोत]

श्री भैरोंसिंह : On a point of clarification, Sir, जिन मेम्बर्स को एक्सपेल किया था वे सब अलाउड हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : सब अलाउड हैं ?

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रवर समिति...........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उसका क्या हुआ । जो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर था, उसका डिसीज़न नहीं हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष : That has been finished.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूल आउट कर दिया नसीराबाद वालों का ।

Page No. 115

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : वह रिलेक्स किया है, बाई मोशन हाउस के द्वारा रिलेक्स किया है; पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर स्टेन्ड करता है और रूलिंग स्टेन्ड करती है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !!

प्रश्न यह है कि माननीय सदस्यों ने इस बिल को प्रवर समिति में भेजने के जो संशोधन पेश किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रवर समिति में भेजने के गिर गये।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, आपने केवल अभी तक कार्यवाही हुई है उसके लिए २९१ सस्पेन्ड किया था। और चूंकि कार्यवाही आगे चल रही है और माननीय सदस्य, जिनको हाउस से बाहर निकाला गया था, को अब सदन में बैठने का अधिकार नहीं है इसलिए वे इस सदन में स्ट्रेन्जर की तरह हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उनको बैठने का अधिकार है।

(विराम)

प्रस्तुत विधेयक के खण्ड २ से ५।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्लॉज़ ४ पर बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई अमेंडमेंट नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्लॉज़ ४ का विरोध करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड २ से ५ विधेयक के अङ्ग बनें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्लॉज़ ४ पर बोलना है। ४ का विरोध करना है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड २ व ३ विधेयक के अङ्ग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड २ व ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड ४

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : क्यूं मोड़ो करो फालतू।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज़ जो कौंसिल के कॉन्स्टीट्यूशन से सम्बन्धित है, इसके बारे में मुझे इतना ही निवेदन करना है कि इस कौंसिल के कॉन्स्टीट्यूशन में जितने भी सदस्य हैं वे लगभग सारे सरकारी अधिकारी हैं। मैं नहीं समझता, हमने बड़ी से बड़ी इन्स्टीट्यूशन बनाई है, ऑटोनोमस बोर्ड बनाये हैं लेकिन जितना सरकारी अधिकारियों का बाहुल्य इस कौंसिल

Page No. 116

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में रखा है उतना शायद हमने यूनिवर्सिटी की सीनेट और उनकी व्यवस्थाओं में भी नहीं रखा होगा। इतनी अधिक मात्रा में सरकारी अधिकारियों को इस कौंसिल का सदस्य रखा गया है, जितने भी सदस्य रखे हुए हैं उनमें से लगभग ६ तो एक्स-ऑफिशियो मेम्बर हैं, वे सरकारी अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त छः वे व्यक्ति हैं जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। वे छः अधिकारी भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले माननीय मंत्री के कृपा-पात्र और मर्जीदान, इच्छा के व्यक्ति होने वाले हैं। ६ प्लस छः बराबर १५, ये इच्छा के व्यक्ति हुए। इसके बाद में दो कोऑप्ट करने हैं। इनके कोऑप्शन का सवाल है, मैं समझता हूं, इनमें १५ सरकारी अधिकारियों की इच्छा के व्यक्ति के विरोध में कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। इस प्रकार सारी की सारी कौंसिल का जितना गठन होगा वह सब सरकारी अधिकारियों और मंत्री महोदय की इच्छा के व्यक्तियों के अलावा और किसी का नहीं हो सकता। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूँगा कि इस कौंसिल के गठन में जो इतने भारी सरकारी अधिकारियों को रखा है और सरकारी अधिकारियों को रखे जाने से इस प्रकार का ऑटोनोमस बोडी बनती है कानून के तहत, उन ऑटोनोमस बोडीज़ का एक तरह सरकारीकरण है। उसमें ब्यूरोक्रेसी छा जायगी। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सदन इस पर विचार करेगा, आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो इस प्रकार का रवैया है कि हम जिस प्रकार अनऑफिशियल लोगों को, गैर सरकारी लोगों को, इन संस्थाओं में रखने की व्यवस्था करते हैं, उस तरह इस क्लॉज़ ४ में नहीं किया है। और क्लॉज़ ४ के अन्तर्गत सारे के सारे सरकारी अधिकारी और सरकार के केवल कृपा-पात्र इस कौंसिल में आयेंगे और इसलिए यह कॉन्स्टीट्यूशन का क्लॉज़ है, फिलहाल मंत्री महोदय इसको डेफर कर दें क्योंकि हो सकता है कि उनको दिक्कत हो कि कैसी व्यवस्था हो, क्या करें; इसके बारे में वे रास्ता निकाल सकते हैं। फिलहाल इसको डेफर कर दें और अनडिस्प्यूटेड क्लॉज़ दस मिनट के बाद में पेश कर दें। उसके बाद उस पर विचार करलें और कोई रास्ता जिससे इन इन्स्टीट्यूशन्स को ज्यादा डेमोक्रेटिक और नॉन-ब्यूरोक्रेटिक बना सकें; इस सब के बारे में विचार करने के बाद इस क्लॉज़ पर विचार किया जा सकता है।

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,............

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय,............

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीराभाई।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४ के अन्तर्गत हम एक परिषद् का गठन कर रहे हैं। इसमें जब हम इस बात को देखें और परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होंगे उनको देखें तो हमें यह महसूस होता है कि इसको बनाना बिल्कुल बेकार सा होगा और यह सारी कार्यवाही सदन ने की वह एक तरह से बेकार है, क्योंकि वहां पर जो मुख्य सेवा संचालक अधिकारी है वह पहले से वही है। आखिर जब हम देखते हैं तो मालूम होता है कि एक सदस्य समाज कल्याण विभाग का अधिकारी है, बाकी दूसरे लोग होते हैं वे

Page No. 117

(श्री हीराभाई)

किन किन होस्पिटलों के हैं, मगर उन सब का जब वह बोर्ड बनता है तो उसका चेयरमैन होता है वह तो डाइरेक्टर महोदय ही होंगे और उनको जो अधिकार थे वे तो इस कानून बनने से पहले भी चले आ रहे थे। फिर इस परिषद् को बनाने का मकसद क्या रहा इसका मतलब तो सिर्फ यही होता है कि हम ऐसे आदमियों को लेना चाहते हैं जो हमारे कहने के मुताबिक काम करें और बोर्ड के गठन में उनको लिया जावे जो कांग्रेस सरकार के कहने के अनुसार और इशारों से चलें, यह बात बिल्कुल साफ है। इसलिये हम इस तरह से बोर्ड कायम करके उन लोगों द्वारा कांग्रेस पार्टी के लोग अपना मतलब हल करना चाहते हैं। इसलिये मैं यह समझता हूँ कि यह भावना बिल्कुल गलत है। मैं यह कहूँगा कि अगर इस प्रकार की परिषद् बनेगी तो क्या वह लोगों के हितों की रक्षा कर सकेगी। आपको चाहिये आपको चाहिये कि जो दूसरी जगहों के लोग हैं, चाहे वे डॉक्टर हों या और कोई हों, उनको लेना चाहिये। आप जिन किसी को लेंगे वे किसी न किसी बड़े हॉस्पीटल के डॉक्टर होंगे। आप यह कहना चाहते है कि हम विकेन्द्रीकरण के बजाय इस प्रकार के परिषद् के जरिये इन सर्विस के लोगों के अधिकार का एकीकरण करने जा रहे हैं। अभी तक जो काम चले आ रहे हैं वे यह हैं कि कहीं पर दवाइयों का इन्तजाम नहीं है और न दाईयों का इन्तजाम रहा है कहीं, दवाइयां भ्रष्टाचार में चली गई हैं, जिनके लिये अब तक कोई कार्यवाही नहीं होती है। अब आप इस बोर्ड को बनाकर और सदन को विश्वास में लेकर चलेंगे कि आयन्दा लोगों को इससे राहत मिलेगी और जनहित और जानों की रक्षा के लिए दाईयों का कार्य अच्छी तरह से चलेगा, तो ऐसे क्लॉजेज़ से मैं यह समझता हूँ कि यह एक राजनैतिक षडयंत्र है। गवर्नमेंट सर्विस रूल्स के अन्तर्गत मिनिस्टरों या मंत्रियों की बात क्या वे नहीं सुनते हैं। बोर्ड में भी उसी तरह से आपके इशारों से काम चलता रहेगा। मुझे इस बात का दुःख है कि यह कांग्रेस की सरकार है जो आज ऐसा करती है, मगर भविष्य में कोई दूसरी सरकार आवेगी तो आपको इसी कानून के जरिये कोसती रहेगी। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों का बोर्ड बनाया जावे जो जनता के हों। जनता के लोगों से डर रहेगा। सरकारी अफसरों से कोई डर नहीं रहा है।

(समय-समाप्तिसूचक घंटी)

इसलिये मेरा यही अर्ज करना है कि जनता के लोग इसमें हो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि कई ऑर्डिनेन्सेज़ हैं जिनको ६ तारीख तक पारित करना है। इसलिये एक रोज में एक बिल पास होना चाहिये। समय खतम होने जा रहा है। अगर रोजाना का रोजाना पास नहीं करेंगे तो ६ तारीख तक ये समाप्त नहीं होंगे। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय इतने समय तक के लिये बढ़ा दिया जाय जब तक यह बिल पास न हो जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह मंशा है कि सदन आज की कार्यावधि जब तक कि यह समाप्त न हो बढ़ा दी जाए।

(स्वीकृत)

सदन की आज की कार्यावधि बढ़ाई गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक ३२ दफा पड़े हुए है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप इस क्लॉज़ के भाग (२) को देखें तो आपको यह मालूम होगा कि इसमें कुछ पॉवर्स दी हैं और वह यह कि दो कोऑप्टेड मेम्बर्स इसमें होंगे। अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि इसमें सारा का सारा अधिकार दो कोऑपटेड मेम्बरों का है उसको बोर्ड को दे रखा है। अगर वे मेम्बर्स तीन महीनों में नहीं लिये जाते हैं तो उनको सरकार नोमीनेट करेगी। जितने रेगुलेशन्स के काम हैं वे सारे के सारे कौन्सिल को करने हैं। रजिस्ट्रार अपॉइन्ट करने का है। रजिस्ट्रार को पॉवर्स भी हैं। रूल्स जिसकी तहत बनेंगे जो सरकार के पास सबमिट होंगे और उनको एग्री करेगी। इन सब बातों को देखते हुए और जो प्रेसीडेन्ट है वह भी सरकार की तरफ से ही नोमीनेटेड होगा और जब तक वह मर न जावे या बीमार न हो जाये वही डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एन्ड हैल्थ सर्विसेज़ होंगे। वाइस-प्रेसिडेन्ट का इलेक्शन होगा और वह इलेक्टेड होगा। रजिस्ट्रार होगा उसका काम होगा कि वह जिन लोगों के पास सर्टीफिकेट नहीं होगा और बगैर रजिस्ट्रेशन के जो काम करते हैं उनको रोकेंगे और जिन लोगों के पास डिग्रीज़ हैं और जिनको रिकॉग्नाइज़ करना है करेगा। मैं यह कहूंगा कि यह बोर्ड निम्न दो बातों की पूर्ति नहीं करता :

(१) टेक्नीकल एक्सपर्ट इसमें होने चाहिये वे नहीं हैं।

(२) पब्लिक कैरेक्टर्स के लोग इसमें होने चाहिये वे नहीं हैं।

जहां तक टेक्निकल एक्सपर्ट (कैरेक्टर) का सवाल है, मैं यह कहूंगा कि जो मेडिकल कॉलेजों के प्रिन्सिपल्स और डीन हैं उनको निश्चित रूप से इसमें शामिल किया जाना चाहिये।

जहां तक पब्लिक कैरेक्टर का सवाल है, इसमें पब्लिक के आदमी होने चाहिये। मैं यह कहूंगा कि इस कौंसिल का एक तरह से आपने रिजिड सा ढांचा बना दिया है और यह कौंसिल लोगों को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। उसको ही अपीलें भी सुननी पड़ेंगी। इन सारी बातों को देखते हुए मैं तो यही कहूंगा कि पब्लिक के आदमियों को कोऑप्ट करना चाहिये। यह जो परम्परा सरकार की बनती जा रही है कि वह अपने हाथ में ज्यादा पॉवर्स रखना चाहती है, उनको चाहिये कि बजाय एन्टायरली ऑफिसर्स को रखने के पब्लिक के आदमियों को भी इसमें रखा जावे।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि मिड वाइव्ज़ और नर्सज़ की ट्रेनिंग तो होती ही है और ९० से ९५ पर्सेन्ट गवर्नमेंट एक्सपेन्सेज़ होते हैं। इसलिये यह बोर्ड जो बनेगा वह बिल्कुल ऐसा बोर्ड बनेगा जिसमें किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी क्योंकि ऑल इन्डिया मेडिकल कौंसिल ही इसके सिलेबस तैयार करती है। यह बोर्ड इसलिये बनाया गया है कि उनको यहां रीलीफ मिल जाएगा। इसमें सभी किस्म के लोगों को लिया गया है। इसमें मिशन हॉस्पिटल के रिप्रेजेन्टेटिव को लिया गया है। लिंजिया हॉस्पिटल, अजमेर के नर्सिंग सुप्रिन्टेन्डेन्ट को लिया गया है। डॉ० अमरचन्द, रेलवे

(श्री बरकतुल्लाखां)

हॉस्पिटल को इसमें लिया गया है। चाहे वे डाक्टर हों, चाहे नर्सिंग सुप्रिन्टेन्डेन्ट हों- उनको लिया गया है।

जहां तक प्रिंसिपल्स मेडिकल कॉलेजेज़ का सवाल है वे इस पोज़िशन में फिट-इन होते नहीं हैं क्योंकि उनका टीचिंग का दायरा नर्सिंग के टीचिंग से डिफरेंट है। नर्सेज़ के टीचिंग की बॉडीज़ हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्ज़ को भी इसमें लिया है, नॉन-ऑफिशियल्स को भी लिया है, जो रेल्वे के रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ हैं उनको भी लिया है जो राजस्थान के नहीं हैं। सिलेबस जो है वह ऑल इन्डिया कौंसिल का सिलेबस है उसी के माफिक है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उसकी कॉपी करेंगे ऐसा कहीं नहीं दिया है, अपने एग्ज़ामिनेशन्स होल्ड करेंगे ....

श्री बरकतुल्लाखां : यह तो ऑल इन्डिया कौंसिल एप्रूव करती है, उसके एप्रूव करने के बाद यह फंक्शन करती है। वैसे तो आप चाहें तो डाइरेक्टर जनरल ऑफ इन्डिया को मेम्बर बना दें, पर वे मुश्किल से मीटिंग्ज़ अटेन्ड कर पावेंगे और इसका वर्किंग नहीं होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये तो रूल्स बनायेंगे। रजिस्ट्रार सारे फंक्शन्स करता रहेगा। अगर इनको आप कर देंगे तो सिलेबस और रूल्स बनाने में मदद करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड ४ और ५ विधेयक के अंग बनें।

(विराम)

खण्ड ४ और ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड ६

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : समय हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : It has already been extended.

श्री मानिकचन्द सुराणा : No question was put; न 'हां' कराई और न 'ना' कराई।

श्री उपाध्यक्ष : It is only the sense of the House that is taken.

(विराम)

Shri Mohan Raj.

श्री मोहनराज (बाली) : [संशोधन इस प्रकार है : Sub-clause (4); Delete the words, "absent out of India or is."]

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ६ में मेरा जो संशोधन है वह इस प्रकार है। इसमें जो शब्द डाले हुए हैं :

"...absent out of India or is..." they should be deleted.

श्री मानिकचन्द सुराणा : कितना समय बढ़ाया है ?

श्री उपाध्यक्ष : जब तक यह बिल पास न हो जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसमें तो ३ घंटे लग सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : क्या किया जाय हाउस ने निर्णय लिया है।

श्री मोहनराज : जो भी सदस्यगण इसमें मनोनीत किये जायेंगे या सहवृत किये जायेंगे, उस समय जो व्यक्ति हिन्दुस्तान में नहीं हैं तो उनको मनोनीत या सहवृत नहीं किया जा सकता। इन शब्दों के यहां रहने के कारण कई योग्य व्यक्तियों की सेवाओं से वंचित रह जाना पड़ेगा। मनोनीत या सहवृत किये जाने वाले सदस्यों की लिस्ट देखी जाय तो वे कई संगठनों के प्रतिनिधि हैं। मान लीजिये ऐसा योग्य व्यक्ति जिसको इस कौंसिल का सदस्य रखना परमावश्यक है, मनोनयन या सहवरण के समय स्टडी टूर पर विदेशों में गया हुआ हो, ट्रेनिंग पर भेजा गया हो अथवा कुछ समय के लिये प्रतिनिधि मंडल का सदस्य बन कर हिन्दुस्तान से बाहर गया हुआ हो तो उसे नहीं लिया जा सकेगा और उसकी उपयोगी सेवाओं से बोर्ड को वंचित रहना पड़ेगा। महीने २० रोज के लिये बाहर गया हुआ हो और वह इस बिना पर सदस्यता से वंचित रख दिया जाय तो यह अन्याय होगा। तो यदि इन शब्दों को इसमें से हटा दिया जाय तो इससे परिषद कोई भंग नहीं हो जायगी, अपितु उसकी कार्यक्षमता बढेगी ही।

इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन शब्दों को हटा दिया जाय। इससे जो परिषद् बनाई जायगी वह और ज्यादा योग्य व्यक्तियों की सक्षम परिषद होगी।

मैं उम्मीद करता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जायगा।

मेरा दूसरा संशोधन क्लॉज़ ८ के सब-क्लॉज़ (२) में है।....

श्री उपाध्यक्ष : यह आप बाद में रखें।

श्रीमती प्रभा मिश्रा (उप-मंत्री, स्वास्थ्य) : जैसा कि अभी बताया गया स्टडी टूर पर या ट्रेनिंग पर बाहर जाने वाले योग्य व्यक्तियों की सेवाओं से वंचित रह जायेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी की स्टडी टूर या ट्रेनिंग कोई दो-चार रोज की नहीं होती, लम्बे समय की होती है और सरकार की पॉलिसी है कि जो भारत से बाहर गये हुए हों उनको नामजद या सहवृत नहीं किया जाय। इसलिये इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री भैरोंसिंह : मुझे ५ का विरोध करना है।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ ५ तो पास हो गया।

श्री भैरोंसिंह : क्लॉज़ ६ के सब क्लॉज़ (५) का।

माननीय उपाध्यक्ष, इसमें व्यवस्था की है कि किसी को उसके ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं और यह भी व्यवस्था की है कि उसे फिर ३ साल तक नोमिनेट या कोऑप्ट नहीं किया जा सकेगा। इसमें यह व्यवस्था की गई है :

(श्री भैरोंसिंह)

"(3) A member of the Council may be declared by the State Government, by notification in the official Gazette, to have ceased to be such member—

(a) if he submits his resignation in writing to the President of the Council, or

(b) if he dies, or

(c) if he has been absent out of India for more than one year continuously, or

(d) if he is absent from three consecutive meetings of the Council without reasonable excuse, or......"

आगे फिर लिखा है :

"(e) if he refuses to act or becomes incapable of acting or has been declared by a competent court to be an insolvent or to be of unsound mind or has been convicted of any such offence or subjected by a competent court to any such order, as implies a defect of character"

जिन मुद्दों को लेकर एक मेम्बर को ऑफिस से हटाया जा सकता है, वह क्लॉज़ ३ में अच्छी तरह दिया हुआ है, उसी चीज को फिर सब-क्लॉज़ (५) में रखना कि एक मेम्बर को रिमूव किया जा सकता है, इसमें कोई तालमेल नहीं है, यह रिडन्डेन्ट है। खण्ड ३, ४ और ५ जिस मंशा से रखे गये थे उसमें और इसमें कोई अन्तर मालूम नहीं होता। क्लॉज़ ५ से उसे रिमूव कर सकते हैं। जब कोई डिफ्रेंस नहीं है, मामूली सा डिफ्रेंस है :

"(5) The State Government may at any time, by notification in the Official Gazette, remove any member from his office, after affording him a reasonable opportunity of explanation, for any reason which the State Government may deem to be affecting the public interest adversely,"

यह इस प्रकार क्लॉज़ है जिसमें गवर्नमेंट को बहुत वाइड पॉवर्स मिलते हैं। नोमीनेट करना, नोमिनेट करने के बाद हटाना, ये दोनों व्यवस्थाएं हो सकती थीं वे दे दीं, अब फिर भी गवर्नमेंट सेटिस्फाइड नहीं है। हटाना ही तो सरकार चाहती है तो सरकार को इस प्रकार के वाइड पॉवर देने की न आज आवश्यकता है और न कभी रहेगी। जो भी नोमिनेटेड मेम्बर हैं उनके ऊपर इस तरह की तलवार लटकाये रखना इस बात का सुबूत है कि मेम्बर नोमीनेटेड या कोऑप्टेड हों वे अपनी मंशा के माफिक काम न कर सकें, सरकार की मंशा के माफिक काम करें। इसमें अधिकांश सारे के सारे लोग गवर्नमेंट के अफसर हैं, बाद में नोमीनेटेड हैं वे भी सरकार के ही आदमी होंगे कोऑप्टेड भी टैक्नीशियन्स होंगे। तो इनमें से कोई ऐसा नहीं हो सकता जो पोलिटिक्स में इन्वोल्ड हो जाय।

(श्री भैरोंसिंह)

ऐसी हालत में यह जरूरी नहीं है कि हम सरकार को वाइड पॉवर्स दें। यह एक प्रकार का कौंसिल के काम में अनड्यू इन्टर-फियरेन्स होगा। उदाहरण के लिए मिनिस्टर साहब कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन होना चाहिये या रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिये। वह यदि इस प्रकार से मूव करें और कौंसिल के कुछ मेम्बर्स इस बात के लिए एडेमेंट हो जायं कि हम तो रूल्स के अनुसार काम करेंगे और सरकार का कहना नहीं मानें तो सरकार ने अपने पास हथियार रखे हैं। इसलिए क्लॉज़ ६ से सब-क्लॉज़ (५) को हटा दिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, अगर माननीय सदस्य सब-क्लॉज़ (५) को पढ़ें और जो ऊपर सब-क्लॉज़ ३ (ई) दिया गया है उसमें प्रोवीज़ो है : "(e) if he refuses to act......"

यह तो सब्जेक्टिव है कि यदि एक आदमी कोई काम नहीं करे और "......or becomes incapable of acting, or has been declared by a competent court to be an insolvent or to be of unsound mind or has been convicted of any such offence or subjected by a competent court to any such order, as implies a defect of character:"

तो यह धारा सब्जेक्टिव है। इसलिए सब-क्लॉज (५) पब्लिक इन्ट्रेस्ट में रखा गया है। यह तो ऑब्जेक्टिवली पब्लिक इन्ट्रेस्ट में है।

श्री भैरोंसिंह : पब्लिक इन्ट्रेस्ट नहीं है। आप बताइये तो सही कि पब्लिक इन्ट्रेस्ट से क्या मतलब है ?

श्री मथुरादास माथुर : एक आदमी जिसको ड्यूटी डिस्चार्ज करनी है और वह कॉम्पीटेंटली डिस्चार्ज नहीं कर सकता है। अब बताइये कि कैसे वह हटेगा ? अनसाउन्ड माइंड नहीं है। सब कुछ ठीक है। कोई डिस्क्वालिफिकेशन इन्कर नहीं किया है। इसको हटाने के लिए शो कॉज़ नोटिस देंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी क्लॉज़ है।

श्री उपाध्यक्ष (श्री मोहनराज से) : Would you like to withdraw ?

श्री मोहनराज (बाली) : I want to withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री मोहनराज को अपने संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

इजाजत दी गई।

श्री मोहनराज : I withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड ६ एवं ७ विधेयक के अङ्ग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड ६ व ७ विधेयक में अङ्ग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड ८–श्री मोहनराज । (श्री मोहनराज से) आप खण्ड ८ व ६ पर अमेन्डमेन्ट मूव करिये ।

श्री मोहनराज : [संशोधन इस प्रकार हैं :—

(खण्ड ८)

Sub-clause (2) : Replace the words "so long as he continues to be the member of the Council." by the words "for the term of the Council.".

(खण्ड ६)

Sub-clause (1) : Insert the words "in accordance with regulations framed therefor" between the words "determine" and "and" occurring in the fourth line.]

क्लॉज़ ८ के सब-क्लॉज (२) में है : "Replace the words 'so long as he continues to be the member of the Council' by the words "for the term of the Council."

यह संशोधन मैंने इसलिए रखा है कि जो इस परिषद का अध्यक्ष है वह राज्य सरकार द्वारा मनोनीत है और जो उपाध्यक्ष है उसका चुनाव किया जायगा । जो भी परिषद् के सदस्य हैं उनमें से एक बार किसी का उपाध्यक्ष की जगह चुनाव हो जाता है तो चूंकि पदेन होने के नाते जब तक वह पद पर आसीन है तब तक कौंसिल का सदस्य रहेगा और जब तक सदस्य रहेगा तब तक उपाध्यक्ष भी रहेगा । ऐसी हालत में उनका चुनाव कौंसिल की अवधि तक होना चाहिये । दूसरे जो मेम्बर्स आते हैं नोमीनेटेड या कोऑप्टेड, उनकी अवधि तीन साल सरकार ने मानी है; अगर तीन साल के बाद में उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है तो एक नया व्यक्ति उपाध्यक्ष के पद पर आसीन किया जाता है । अगर तीन साल में चुनाव किया जाय । लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि अगर वह उपाध्यक्ष अपनी ही सदस्यता को जारी रखता है और सदस्यता से पृथक नहीं होता तो वह उपाध्यक्ष के पद पर कायम रहेगा, भले ही उसके अन्दर दूसरे मेम्बर्स आते रहें । इसलिए मेरा सुझाव था कि उपाध्यक्ष के पद का तीन वर्ष के बाद चुनाव होना चाहिये और चुनाव होने से जो नए लोग परिषद् में आएंगे उनकी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है । वे भी इस पद पर आसीन हो सकते हैं ।

क्लॉज़ ६ : इसमें मैंने कुछ और शब्द जोड़े हैं : "Insert the words 'in accordance with regulations framed therefor' between the words 'determine' and "and" occuring in the fourth line."

जिस तरह से यह क्लॉज़ बना हुआ है उसमें आप देखेंगे कि परिषद् एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी और वेतन तथा सेवा की अन्य शर्तें जो भी वह निश्चित करेगी कोई अधिकारी तथा कर्मचारी जो आवश्यक समझेगी नियुक्त कर सकेगी; यानी जो रजिस्ट्रार है वह सारे के सारे कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति एवं शर्तें खुद रजिस्ट्रार निश्चित करेगा । तो अगर एक एक रजिस्ट्रार को उन सारे कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति एवं शर्तें

(श्री मोहनराज)

निश्चित करने के अधिकार दिए जायं तो मेरे ख्याल से यह अधिकार उपयुक्त न होगा। इसके लिए मेरा सुझाव है कि इसके लिए जो भी नियम बनाए जायं इस कानून के अन्तर्गत उन अफसरों को, कर्मचारियों की नियुक्ति करे। किन शर्तों पर ? नियम और उप-नियम में निहित हैं उनके अनुसार नियुक्ति करे।

मेरा ख्याल है कि यह साधारण सा संशोधन है और माननीय मंत्रीजी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने जो एनेमोली बतायी है वह वास्तव में किसी हद तक सही है। लेकिन माननीय सदस्य ने इसको जिस तरह से रखा है वह एनेमोली उस तरह से हल नहीं की जा सकती। उसके बजाय एक छोटा सा क्लॉज़ में आपकी इजाजत से अमेंडमेंट के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं। उसके स्वीकर हो जाने पर जैसा कि माननीय सदस्य ने तीन साल वाली एनेमोली रह जायगी यह बताया वह एनेमोली दूर हो जायगी। अमेंडमेंट इस प्रकार है :

"In sub-clause (2) after the words 'so long as he continues to be member of the Council add the words 'or for a period of three years, whichever is earlier."

तो इससे वह तीन साल वाली एनेमोली समाप्त हो जायगी और माननीय सदस्य जो चाहते हैं वह इससे पूर्ति हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Mohan Raj. Would you iike to withdraw ?

श्री मोहनराज : मंत्री महोदय ने जो संशोधन रखा है उससे यह मांग पूरी हो जाती है, मैं अपने संशोधन विद्ड्रॉ करने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री मोहनराज ने जो संशोधन रखा है उनको विद्ड्रॉ करने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मोहनराज : मैं विद्ड्रॉ करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन उप-मंत्री, श्री रामप्रसाद लड्ढा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ८, यथा संशोधित एवं क्लॉज ९ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज ८, एज़ एमेंडेड व क्लॉज ९, विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड १०, ११, १२, १३ व १४ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड १०, ११, १२, १३ व १४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज १५, श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : [संशोधन इस प्रकार है : खण्ड १५ "Delete sub-clause (2)"] उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि १५ वें क्लॉज के सब-क्लॉज (२) को डिलीट कर दिया जाय।

इस संशोधन को पेश करने का मकसद मेरा यह है कि रजिस्ट्रार के द्वारा जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जायगा उनका ब्यौरा क्लॉज १३ में दिया गया है और क्लॉज १३ के (३) में यह दिया गया है कि जो नर्सेज़, मिडवाइव्ज़, हैल्थ विज़िटर्स या ऑग्ज़ीलियरी मिडवाइव्ज़ आज तक, इस एक्ट के प्रेस्क्राइब होने तक प्रेक्टिस करती आ रही हैं उन पर ये कन्डीशन्स डाली जावेंगी कि वे उन कन्डीशन्स को फुलफिल करेंगे तब ही उनका रजिस्ट्रेशन किया जायगा। मेरा निवेदन है कि क्लॉज १३ में जो रेस्ट्रिक्शन्स डालेंगे ऐसी मिडवाइव्ज़, नर्सेज़, हैल्थ विज़िटर्स, उन कन्डीशन्स को पूरा नहीं करती हैं और उनकी दरख्वास्तें आवेंगी रजिस्ट्रार के पास, तो १५ के प्रोविज़ों में यह डाला है कि जो दरख्वास्तें रिट्रक्टली रेगुलेशन के अन्तर्गत नहीं होंगी या जो ऑर्डर्स इस एक्ट के अन्तर्गत होंगे उनके अनुसार नहीं होंगी तो कौंसिल के निर्णय के लिए रजिस्ट्रार उनको रखेगा। इसके नीचे यह भी दे दिया है कि यदि रजिस्ट्रार स्वयं संतुष्ट न हो तो वह किसी दरख्वास्त को नामजूर कर सकता है। इस क्लॉज़ को हटाने का मेरा मतलब यह है कि इस प्रकार का अधिकार रजिस्ट्रार को न दिया जाय, बल्कि जो अधिकार कौंसिल को रखा है वह यह अधिकार उसके पास रहे, यह कौंसिल के लिए ही रखा जाय। कानून के अनुसार कौंसिल उनको मंजूर करेगी। लेकिन दरख्वास्त को नामंजूर करने का जहां प्रश्न आता है, विशेष तौर पर नर्सेज़ और मिडवाइव्ज़, हैल्थ विजिटर्स की जो आज तक प्रेक्टिस करती आयी हैं, हार्डशिप के केसेज़ हो सकते हैं, इसलिए ऐसे केसेज़ को फाइनल करने का अधिकार रजिस्ट्रार को न हो और प्रत्येक केस कौंसिल को सब्मिट किया जाय। आपने यह भी रखा है कि रजिस्ट्रार अपनी मर्जी से रख सकेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कानून के अनुसार कौंसिल के निर्णय के लिए ऐसे केसेज़ को रखना चाहिये और रजिस्ट्रार को उन केसेज़ को अपने तक ही समाप्त नहीं कर देना चाहिये। सारे प्रोसीजर को कंट्रोल करने के लिए ये अधिकार कौंसिल तक ही रहने चाहिये, इसीलिए मैंने संशोधन रखा है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस अमेन्डमेंट के सपोर्ट में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्लॉज़ १५, १६, २३ (२) कोरिलेटेड हैं। रजिस्ट्रार की यह ड्यूटी है कि एप्लीकेशन्स को कौंसिल के पास रख दे। उनको अधिकार यह नहीं दिया जाना

(श्री अब्दुलजब्बार)

चाहिये कि वह उनको समाप्त कर दे, कौंसिल के पास भेज दे। क्लॉज़ १६ में यह आता है कि कौंसिल उनको रिजेक्ट भी कर दे। प्रोविज़ो (२) में यह आता है कि मेजोरिटी चाहती हो तो उसको स्वीकार भी कर लिया जाय। आगे यह है कि सरकार को अपील कौंसिल के निर्णय की की जा सकती है और उसको वह स्वीकार कर सकती है। ये तीनों क्लॉजेज़ को-रिलेटेड हैं और इनको देखने की आवश्यकता है। यदि नहीं देखा गया इनको तो पूरी तरह से अनर्थ हो जायगा। फिर आगे भी आयगा कि क्वालिफाइड होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के अनुसार जब एप्लाइ करते हैं तो रिफ्यूज़ करने की आवश्यकता है। १५, १६ और २३ पर पूरी तरह से गौर किया जाना आवश्यक है। ऐसी एप्लीकेशन्स हों जो कि जनहित में आवश्यक हैं उन पर विचार किया जाना चाहिये। यदि उनको रजिस्ट्रार स्वयम् खत्म कर दें, तो यह ठीक नहीं। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, २१, २२ में अपील का प्रोवीज़न रखा है। रजिस्ट्रार की अपील कौंसिल को जाती है और कौंसिल की अपील गवर्नमेंट के पास आती है। अपील का प्रोवीज़न है। पहली स्टेज पर किसी को शिकायत नहीं हो, और रिजेक्ट हो जाती है तो आगे बढ़ाने में फायदा नहीं है। हमारे जितने फन्क्शन्स हैं, हमारे ऑल इन्डिया नर्सिंग एसोसियेशन के रूल्स बने हुए हैं, उनके अन्तर्गत करना पड़ता है। ऐसा डिस्क्रीशन नहीं है कि चाहे जिसको कर लें। फ्रेम वर्क में करना पड़ता है। उसमें ऐसा लेटिट्यूड नहीं है कि रिलेक्सेशन कर सकें। रजिस्ट्रार रिजेक्ट कर दे और एप्लीकेन्ट सेटिस्फाइड न हो तो आगे अपील में जा सकते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : १६ को रिलेट करता है।

श्री उपाध्यक्ष : रिलेट करने का प्रश्न नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार : Clause 19 says, "(1) The Council may prohibit the registration of any person as a nurse, midwife,... ....."

अब क्या होता है कि क्लॉज़ १६ में दिया है कि रजिस्ट्रार रिफ्यूज़ करता है तो कौंसिल के पास एप्रोच करते हैं। कौंसिल रिफ्यूज़ करती है तो उसके पास दुबारा जाने का भी अधिकार है। या तो रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन न करे और पॉवर देते हैं तो अकोर्डिंग टु प्रेस्क्राइब्ड प्रोवीज़न्स करते हैं। दो-तीन की मेजोरिटी से कौंसिल फिर उसको रेस्टोर कर सकती है। ऑल इन्डिया बेसिस पर इस कानून को न बनाया जाय, यह बात नहीं है, उसको बनाया जाय। वास्तव में यह है कि रजिस्ट्रार को आप पॉवर्स देते हैं कौंसिल के पास भी और गवर्नमेन्ट के पास भी रिवीज़न के पॉवर्स हैं इसलिए नजरसानी करने के लिए मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Surana. Would you like to withdraw your amendment ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यत्त महोदय, मुझे संशोधन विद्‌ड्रॉ करने की इजाजत दी जाय।

श्री उपाध्यत्त : क्या यह सदन की मंशा है कि श्री मानिकचन्द सुराणा को अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री मानिकचन्द सुराणा : I withdraw my amendment.

(२.०० म० प०)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड १५, १६, १७ व १८ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड १५ से १८ तक विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १६ और २० विधेयक के अङ्ग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड १६ व २० विधेयक में अङ्ग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड २१, श्री सुराणा

श्री मानिकचन्द सुराणा : [संशोधन इस प्रकार है :—

खण्ड २१

In Sub-clause (1)-(a) Delete the words and figures "section 15 or" occurring in the third line;

(b) Insert the words "the communication to him of" between the words "of" and "such" occurring in the fourth line."

खण्ड २२

Insert the words "the communication to him of" between the words "of" and "such" occurring in the fourth line."]

उपाध्यत्त महोदय, खण्ड २१ व २२ में एक से अमेन्डमेन्ट्स हैं। फर्स्ट अमेन्डमेन्ट सेक्शन १५ को डिलीट करने का है, चूंकि वह पास हो गया है, अत: मैं इसको वापिस लेता हूं।

दूसरा जो सब से महत्वपूर्ण अमेन्डमेंट मूव किया है वह अपील करने की अवधि के बारे में है। आपका ऑर्डर जिस व्यक्ति को कॉम्युनिकेट कर दिया जाय उस समय से यह अवधि शुरू की जानी चाहिये, उस वक्त से यह तीस दिन होने चाहिये। इसमें जो विदिन थर्टी डेज़ रखा है उसमें यह जोड़ा जाय।

"Insert the words 'the communication to him of' between the words

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

'of' and 'such' occuring in the fourth line."

इस ऑर्डर की इत्तला मिल जाय। उस व्यक्ति को इत्तला मिलने के तीस दिन तक उसको अपील करने का अधिकार है। मैं समझता हूँ, डॉक्टर्स को कानून का ज्ञान निहायत स्पष्ट रूप से कम होता है इसलिये उसको सफिशियेन्ट टाइम मिलना चाहिये। जब उसको ऑर्डर कॉम्युनिकेट हो जायगा, तीस दिन की अवधि उस दिन से मानी जायगी। उसको अनावश्यक रूप से कानूनी किताबें देखनी पड़ेंगी, हाईकोर्ट के जजमेन्ट को देखना होगा। मैं समझता हूँ, मेरे इस संशोधन को स्वीकार करने में मंत्री महोदय को कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा।

"within thirty days of the communication of the decision of appeal to the Council..."

मियाद किस तारीख से शुरू हो, इसमें यह प्रोवाइड किया गया है।

"within thirty days of such order or decision"

ऑर्डर और डिसीज़न की तारीख से तीस दिन होंगे। कॉम्युनिकेशन के लिये तीस दिन होने चाहिये। जैसे धारा १७ है जिसमें डेथ वगैरह का है उसके आधार पर रजिस्ट्रार को लिखते हैं उसमें ऑपोर्चुनीटी देने का सवाल नहीं है। जिस खतरे की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया है उस खतरे को, जब रूल्स बनेंगे "every such appeal shall be heard and disposed of in the prescribed manner."

रूल मेकिंग पॉवर है उसमें इस बात का ध्यान रखा जायगा। जो एनोमोली प्रस्तुत की है वह एनोमोली न रहे, इन जस्टिस इस आधार पर किसी को न हो इसका ध्यान रूल्स में रखा जायगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्लॉज़ १७ के अन्दर जो डैथ का रेफरेन्स दिया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने जैसा कि निवेदन किया रूल मेकिंग पॉवर्स जो हैं उसके अन्तर्गत इस एनोमोली को हम दूर करने का प्रयत्न करेंगे कॉम्युनिकेशन किन सूरतों में होना चाहिये वह प्रोवाइड कर दिया जायगा।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा): इससे कन्फ्यूज़न हो रहा है "ऑर्डर ऑफ कौंसिल।" क्लॉज १९ के तहत किस अधिकार की तहत कौंसिल उसको री-हीअर कर सकती है। रिवीज़न के पॉवर्स दे रहे हैं उसको स्पेसिफिक तौर से मेन्शन किये जाने चाहिये। कौंसिल के खिलाफ प्रोवीज़न है या तो रिवीज़न कर दिया जाय फैसले को रिव्यू कर सकते हैं। इसलिये यहां वर्ड 'रिव्यू' कर दिया जाना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें कोई एम्बीग्विटी नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्लॉज १७ जो है उसके अन्तर्गत रजिस्ट्रार को, फलां

श्री मानिकचन्द सुराणा)

आदमी मर गया है उसकी इत्तला देगा, रजिस्ट्रार कौंसिल को देगा, फिर अपील की क्या आवश्यकता है ? क्लॉज़ २१ में १७ का हवाला देने की क्या आवश्यकता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : The information might be wrong.

श्री मानिकचन्द सुराणा : मृत्यु की इत्तला भी गलत हो सकती है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Just possible. The provision should be there.

श्री मानिकचन्द सुराणा : अगर आपके कहने से यह भी मान लेते हैं कि गलत इत्तला हो जाय तो भी क्लॉज़ १७ में जो लिखा है उसकी डिफीकल्टी अराइज़ नहीं होती ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Provision should be there to meet any circumstance or difficulty that may arise in future. Law should be such which should accommodate all types of cases.

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : उसी शक्ल का दूसरा आदमी खड़ा किया जा सकता है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : रूल्स में आप स्पेसिफिक तौर से मेन्शन कर देंगे; इस आश्वासन के बाद मैं अपने संशोधन को वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री मानिकचन्द सुराणा को अमेन्डमेन्ट वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड २१, २२ व २३ विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

खण्ड २१, २२ व २३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

खंड २४

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : संशोधन इस प्रकार हैं :

Sub-clause (8) : Delete the first line i. e. "to permit any local authority to make bye-laws."]

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह इस क्लॉज़ के सब-क्लॉज़ (८) से संबन्धित है। क्लॉज़ २४ इस मुत्तल्लिक है कि कौंसिल से कुछ अधिकार लिये हैं रूल्स रेगुलेशन फ्रेम करने के लिये । इसके तहत यह कहा गया है राज्य का लोकल ऑथोरिटीज़ है ; पंचायतें या नगरपालिकायें हैं, वे उपनियम इस बात के लिये बना लेंगी तो अन-रजिस्टर्ड जो नर्सेज़ या कम्पाउन्डर्स हैं वे काम नहीं कर सकेंगे ।

Page No. 130

श्री मानिकचन्द सुराणा)

इस परिस्थिति में लोकल ऑथोरिटीज़ ठीक प्रकार से काम नहीं कर सकेंगी।

एक तरफ तो रजिस्ट्रेशन का इतना बड़ा दफ्तर खोला गया, नर्सेज़, मिडवाइव्ज़ और हैल्थ विज़ीटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिये। सब-क्लॉज़ (८) में यह रखा है कि पंचायतें और नगरपालिकायें इस संबंध में उपनियम बनायें और जो इस प्रकार से अन-रजिस्टर्ड होंगे वे प्रेक्टिस नहीं कर सकेंगे। जब कि हमारे यहां सात हजार पंचायतें हैं, १७५ नगरपालिकायें हैं, स्ट्रिक्टली उप-नियम न बना लें तब तक अन-रजिस्टर्ड प्रेक्टिस कर सकेंगे, तब तक उन अन-रजिस्टर्ड को भी प्रेक्टिस करने दी जायगी। मैं समझता हूं कि यदि हम आवश्यक कर दें कि पंचायतें और नगरपालिकायें उप नियम बनायेंगी तो यह पंचायतों और नगरपालिकाओं के साथ एक तरह की ज्यादती होगी। हम यह उम्मीद करेंगे कि ७००० पंचायतें उप-नियम बनायें और उन उप-नियमों की स्वीकृति सरकार से लें और फिर गजट में शाया करें और फिर अपने अपने लोकल अखबारों में इन उप नियमों को शाया करें-इससे मैं समझता हूं कि अनावश्यक वर्क को हम बढ़ायेंगे। इसलिए हमको तो स्पष्ट रूप से कौंसिल को ऐसी पॉवर्स देनी चाहिए कि जिससे राजस्थान स्टेट के प्रत्येक कौने में जितने भी अन-रजिस्टर्ड प्रेक्टीशनर्स हैं उनको स्पष्ट रूप से बंद किया जा सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो क्लॉज़ ८ की पहली लाइन है वह और उसके नीचे की जो दो लाइनें हैं "to permit any local authority to make byelaws" और उसके बाद में "within the areas subject to its authority and to provide for penalty for contravention of these bye-laws" को लिखकर आखिर तक यानी 'बाई-लॉज़.... एण्ड' तक यह शब्द निकाल दिये जाने चाहिये। यह एक सब्सटेन्टिव संशोधन है। यदि हमने क्लॉज़ ८ को जिस स्थिति में वह अभी है उसको बनाये रखा तो कानून पास करने की ही मंशा हमारी समाप्त हो जायेगी। राजस्थान की पंचायतें और नगरपालिकायें आज इस स्थिति में नहीं हैं कि आपके कानून के पास करते ही 'within a fortnight' या एक ही महीने में उप-नियम बनाकर उन पर आपकी मंजूरी ले लें और गजट में निकाल दें। ऐसी वास्तविक स्थिति को देखते हुए क्लॉज़ ८ में जो संशोधन मैंने पेश किया है उसको स्वीकार किया जाये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्षजी, जो संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है उसको तो स्वीकार करने में हम असमर्थ हैं। वास्तव में यह क्लॉज़ इसलिए रखा गया है कि यह एक पर्मिसिव क्लॉज़ है जिसमें लोकल ऑथोरिटीज़-जैसे म्युनिसिपैलिटीज़ और पंचायतें हैं उनको भी हम इस क्लॉज़ के तहत इजाजत दे सकते हैं कि वे अपने यहां पर इस संबंध में बाई-लाज़ बनायें और उनको अपने अपने क्षेत्र में लागू करें और उसके कॉन्ट्रावेन्शन के बारे में पैनाल्टी प्रोवाइड करें। तो एक तरह से लोकल ऑथोरिटीज़ को इस तरह का कार्य करने की इजाजत देने के लिए यह प्रावधान रखा गया है। मेरे ख्याल से इस प्रावधान के अनौचित्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता' क्योंकि इसके द्वारा तो लोकल बॉडीज़ को अधिकार ही दिये गये हैं। लेकिन एक स्थिति आ

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सकती है कि जो आपने पॉइन्ट आउट की। यह पर्मिसिव क्लॉज़ है। गवर्नमेन्ट उनको पर्मिट कर सकती है इसके तहत। मगर पर्मिट करने के बाद में भी वे जल्दी कानून नहीं बना सकतीं या बनाती ही नहीं हैं-वे रूल्स ही नहीं बनायें तो फिर इस संबंध में क्या हो, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए यह जो क्लॉज़ है इसको ज्यों का त्यों कायम रखते हुए इसके आगे इतना सा और जोड़ दें जिसे मैं प्रस्तावित करता हूँ कि अगर लोकल ऑथोरिटीज़ इस काम को नहीं कर सकेंगी तो उस सूरत में स्टेट गवर्नमेन्ट को यह अधिकार होगा कि वह लॉज़ और रूल्स बनाकर उनको एप्लाई कर सकती है। तो ऐसी सूरत में लोकल ऑथोरिटीज़ किसी चीज को नहीं करा सकती हैं तो उसको गवर्नमेंट करायेगी। तो लोकल ऑथोरिटीज़ को इस तरह अधिकार भी दे दिये जायेंगे और उनके द्वारा संचालन ठीक तरह से नहीं हो सकेगा तो गवर्नमेंट को अधिकार होगा कि वह रूल्स बनाकर इनको अधिकार दे सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : लोकल ऑथोरिटीज़ को अधिकार देकर आप प्रगतिशीलता का परिचय देते हैं, लेकिन साथ ही साथ यह नाजायज़ फट्टा लगा लें और रजिस्ट्रेशन को रौंगली यूज़ कर लें उनके लिये पनिशमेन्ट आपका कितना क्या है ?

श्री बरकतुल्लाखां : मेरे ख्याल से कोई प्रान्त ऐसा नहीं है कि जिसमें ऐसा प्रोवीज़न रखा गया हो।

श्री मानिकचन्दसुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि क्लॉज़ ८ में जो लोकल बॉडीज़ को अधिकार दिये हैं मुझे उनका विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि आप अनावश्यक रूप से उनका कार्य बढ़ा रहे हैं और उनके लिए लाजमी कर रहे हैं कि जब तक वे उप-नियम नहीं बना लें तब तक अन-रजिस्टर्ड प्रेक्टिशनर्स को वह रोक नहीं सकते और उनको दण्डित नहीं कर सकते। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ७००० पंचायतों का काम बेमतलब क्यों बढ़ा रहे हैं और क्यों म्युनिसिपैलिटीज़ के लिए जरूरी कर रहे हैं कि वे बाई-लॉज़ बनायें ? जब आप स्टेट गवर्नमेन्ट को अधिकार देते हैं कि अन-रजिस्टर्ड प्रेक्टिस नहीं कर सकते तो बात स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। एक तरफ तो हम एक्ट बनायें, रजिस्ट्रेशन करें और दूसरी तरफ पंचायतों को यह अधिकार दें कि यदि वह बाई-लॉज़ नहीं बनायें तो वहां अन-रजिस्टर्ड भी प्रेक्टिस कर सकते हैं....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अगर लोकल ऑथोरिटीज़ इस काम का समाधान नहीं कर सकती हैं तो गवर्नमेंट को अधिकार है कि वह बाईलॉज़ बना दे और इल्लीगल अगर कोई प्रेक्टिस करता हो या नियमों के विरुद्ध काम करता हो तो उसको रोके, उनकी सजा का प्रावधान करे, यह संशोधन मैं अभी प्रस्तुत कर देता हूँ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : तो कर दीजिए ना।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, जो अधिकार लोकल बॉडीज़ को देने के हैं वह तो देते नहीं हैं जैसे जमीनों के अलॉटमेंट आदि के........

कुछ माननीय सदस्य : यहां कहां जमीनों के अलॉटमेंट से इसका सम्बन्ध है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप तो उनको यह अधिकार देते हैं कि वह रूल्स और बाई-लॉज़ बनायें इस सम्बन्ध में कि रजिस्ट्रेशन का मिस-यूज़ होता है तो क्या हो। तो उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि यह तो आप मजिस्ट्रेट को ही अधिकार दे दीजिये। इसमें लोकल बॉडीज़ को दिक्कत देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें यह भी चीज हटा दीजिये कि जो रजिस्ट्रार हो वही रिपोर्ट करे, तभी यह हो. ....

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसका अमेन्डमेंट यह किया है कि अगर लोकल बॉडीज़ इस काम को करने में फेल हों तो गवर्नमेंट को अधिकार होगा और गवर्नमेंट उसमें सजा का भी और कोर्ट के सामने जाने का और कन्विक्शन होने का, पैनाल्टी होने का–सारे प्रावधान करते हुए गवर्नमेंट के हाथ में भी यह काम हो........

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप पेश कर दीजिए, मैं विदड्रॉ कर लूंगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: "After clause 24, add the following new clause 24A:—

"24A. Power of the State Government to prohibit unregistered nurses, midwives, health-visitors and auxiliary nurses-midwives.--The State Government may, by notification published in the Official Gazette, prohibit unregistered persons from practising as nurses, midwives, health-visitors and auxiliary nurse-midwives and any unregistered person practising in contravention of such notification shall be liable, on conviction by a Magistrate of the first class to a fine not exceeding three hundred rupees."

Also delete part (8) of clause 24-

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : यह तो जो पहले का प्रोवीज़न था उससे भी खराब हो गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने जो संशोधन पेश किया है उसके मुतल्लिक मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट ही क्यों नहीं पूर्ण अधिकार रखती कि पूरी स्टेट में ही कोई अनरजिस्टर्ड प्रेक्टिस नहीं कर सकता ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह इसलिये कि चूंकि हमने क्लॉज़ ८ में यह लिखा है : "(8) to permit any local authority to make bye-laws to prohibit un-registered person from practising as nurses, midwives, health visitors or auxiliary nurse-mid-wives within the areas subject to its authority......"

तो चूंकि क्लॉज़ ८ के अन्दर लोकल ऑथोरिटीज़ को अपने अपने एरिया के अन्दर जुरिस्डिक्शन दिया है इस तरह की कार्यवाही करने का और वह लोकल ऑथोरिटीज़ अपने अपने एरिया में इस काम को करने में नाकामयाब रहें तो स्टेट को अधिकार होगा कि उन उन एरियाज़ में उस उस प्रकार

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

की कार्यवाही कर सके। अब लैंग्वेज जो कि क्लॉज़ ८ में है उसी से इन कन्फर्मिटी लेनी पड़ेगी। एन्टायर स्टेट ऑफ राजस्थान इससे कवर हो जाता है क्योंकि all the areas are covered by local bodies.

चाहे पंचायत हो, म्युनिसिपैलिटी हो–सम्पूर्ण एरिया किसी न किसी लोकल ऑथोरिटी की परीधि में आ जाता है। जब सारे एरिया के लिए लिख दिया है तो सारी स्टेट के लिए हो जाता है। अब लैंग्वेज की दृष्टि से क्योंकि क्लॉज़ ८ के संदर्भ में यह चीज आ रही है हमने 'within the area' लिखा है, इसलिए इस क्लॉज़ के अन्दर भी वही लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बाकी सेन्स में सारा राजस्थान कवर हो जाता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : लेकिन आप प्रत्येक बॉडी के उप-नियम बनाने का इन्तजाम करेंगे। आप कितने समय में बनायेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : All the things are provided in the rules.

श्री मानिकचन्द सुराणा : आखिर ७००० पंचायतों के उप-नियम कितने समय में बना लेंगे ? मैं कहता हूं कि आप सारे झगड़े को क्यों मोल ले रहे हैं ? डाइरेक्टली आप इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते कि राजस्थान कौंसिल को अधिकार दें कि वे सारी स्टेट में अनूरजिस्टर्ड प्रेक्टिश्नर्स को प्रोहिबिट कर दे। मैं नहीं समझता कि इसमें क्या आइडिया साइकोलोजीकल मंत्री महोदय के साथ में है। यह तो एक तरह से पारकिन्सन लॉ की तरह है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वह अपना काम बढ़ाती है। यह क्लर्कों का काम बढ़ेगा....

इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें ज़िद की बात नहीं है। इसलिए यह जो है "to permit any local authority to make bye-laws" इन शब्दों को निकाल दिया जाय। स्पष्ट रूप से कौन्सिल को पॉवर्स दें कि वह इनको प्रोहिबिट कर दे।

श्री बरकतुल्लाखां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोकल बॉडीज़ के बीच में लाने की एक खास वजह थी और वह यह थी कि यह जनरली ख्याल किया जाता है कि लोकल बॉडीज़ के अपने रूल्स होंगे और उनको इन्फ्रिन्ज किया गया तो उस लोकल एरिया में कन्ट्रोल करने में आसानी हो जायगी। लोकल बॉडीज़ अपने तरीके से जब कि उनके रूल्स का इन्फ्रिन्जमेंट होगा तो they will come into the picture. उनको पिक्चर में लाने के लिये और इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेन्टेशन हो जाय इन सारीचीजों के लिए लोकल ऑथोरिटीज़ को पॉवर्स दी गई थीं। ये इसलिए नहीं दी गई थीं कि लोकल ऑथोरिटीज़ में जाकर वह पर्पज़ डिफीट हो जाय। इसलिए पर्पज़ यह था कि उनको इसमें कर दें जिससे कि जैसे कोई सेनिटेशन के लॉज़ को इन्फ्रिन्ज करता है तो वे उसकी कॉग्नीजेन्स ले लेते हैं, कोई बिल्डिंग लॉज़ को ब्रेक करता है तो कॉग्नीज़ेन्स ले लेते हैं, इसी तरह से दूसरे रूल्स को इन्फ्रिन्ज करता है तो उसका कॉग्नीज़ेन्स ले लेते हैं। इसी तरह से इसको मानकर कि कोई अन-रजिस्टर्ड तरीके से ऐसा काम करता है तो

(श्री बरकतुल्लाखां)

उनको इनके जरिये से कन्ट्रोल करना आसान होगा। इसी चीज को सामने रख कर हमारा यह सजेशन था कि इसको कर पायें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाभेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इतना सा निवेदन है कि म्युनिसिपल बॉडीज़ और लोकल बॉडीज़ के लिए यह प्रोवीज़न है कि वे अपने अस्पताल खोलें, दवाखाने खोलें, लेकिन कम्प्लीटली वे उसको भी नहीं करती हैं जो कि खुले रूप से उनकी ड्यूटीज़ हैं। फन्क्शन्स हैं, उनको भी डिस-चार्ज नहीं हैं करती हैं, और जहां कि एक गरीब इन्सान की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो यह परमावश्यक चीज है कि नर्सेज़ हों। लेडीज़ की डेथ रेट इन्क्रीज़ होती जा रही है, वह इस वजह से कि लोकल बॉडीज़ का इस पर ध्यान नहीं होता है। आज इस बिल को इसलिये लाया जा रहा है कि उन पर रेस्ट्रिक्शन्स इम्पोज़ किये जायं कि जो अन-जिस्टर्ड हैं या बिल्कुल डर्टी हैण्ड्स तथा तरीकों से करते हैं जिससे कि डेथ्स होती हैं उनको रोका जाय, तो यह उनके हाथ में देकर एक तलवार को तिनका बना रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर काफी बहस हो चुकी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्योंकि इससे अलग होगा तो एक्ट को पास करने की जो मन्शा है वह बेकार हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने दोनों एमेंड-मेंट्स को प्रेस करेंगे, २४ और २५ पर ?

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : मैं निवेदन करना चाहता हूं........

श्री बरकतुल्लाखां : इसको जरा हैप्पी वर्डिंग करके आपके जो एमेंडमेंट की स्प्रिट है उसको ले लूंगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ पर काफी बहस हो चुकी है। एक व्यू यह है कि लोकल ऑथोरिटीज़ को अधिकार दें कि वे कन्ट्रोल करें। अगर वे इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकें तो फिर गवर्नमेंट को अधिकार हैं। एक व्यू यह कहता है कि लोकल बॉडीज़ को बीच में न डालें और गवर्नमेंट को ही अधिकार हो कि वह इस सिलसिले में संस्था बनाकर उसके कॉन्ट्राविन्शन के आधार पर जो एक्शन लिये जाने का है वह लिया जाय। तो मैं समझता हूं कि इस क्लॉज के सब-क्लॉज़ ८ को डेफर कर दिया जाय जब तक कि इस प्रकार का ड्राफ्टिंग करके सदन के सामने प्रस्तुत करते हैं जिससे कि आपकी जो भावनाएं हैं उसकी पूर्ति हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : Clause 24 is deferred.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Sub-clause (8) of clause 24.

श्री उपाध्यक्ष : Clause 25 now.

श्री मानकचन्द सुराणा : क्लॉज़ २५ पर अर्ज करूं........

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले कह चुके हैं।

Page No. 135

श्री मानिकचन्द सुराणा : नहीं, साहब। २५ में मेरा यह संशोधन है कि सब-क्लॉज (२) को डिलीट कर दिया जाय। इसका कारण यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि क्लॉज़ २५ में ऐसी रिकॉग्नाइज़्ड इन्स्टीट्यूशन्स की व्यवस्था की है जो कि इन नर्सेज़ के लिए, मिडवाइफ के लिए इम्तिहान होल्ड करेंगी। सबक्लॉज़ (१) में यह कहा गया है कि जो इम्तिहान पास करेंगी उनके स्पेसिफिक सर्टीफिकेट्स भी वे रिकॉग्नाइज़्ड संस्थाएं जारी करेंगी। लेकिन सब-क्लॉज (२) में यह कहा गया हैं कि रिकॉग्नाइज़्ड संस्थाएं किसी भी प्रकार का कोई सर्टीफिकेट जारी नहीं करेंगी जब तक कि उस व्यक्ति या प्रार्थी ने फलां इम्तिहान पास किया है या फलां काम करने के काबिल है, जब तक कि उसका रजिस्ट्रेशन न हो जाय। अब प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रेशन तो होगा एग्ज़मिनेशन्स के सार्टीफिकेट्स के आधार पर और एग्ज़ामिनेशन होल्ड करेंगी रिकॉग्नाइज़्ड इन्स्टीट्यूशन्स, तो रिकॉग्नाइज़्ड इन्स्टीट्यूशन्स के लिए यह जरूरी है कि वह इम्तिहान पास करने का सर्टीफिकेट दें उस प्रार्थी को जो कि उसके इम्तिहान में पास हुआ है। इस प्रकार की व्यवस्था क्लॉज़ २५ (१) में की गई है "......and to issue such certificates as may be specified in the order of their recognition." उस रिकॉग्नीशन में जो भी सर्टीफिकेट्स वे संस्थाएं देंगी जिनको कि रिकॉग्निशन करने के साथ साथ उनको यह प्रदान किया गया है कि इस प्रोफॉर्मा में सर्टीफिकेट्स जारी करें, लेकिन सब-क्लॉज़ (२) में वह अधिकार आप संस्थाओं से छीन रहे हैं और यह कहना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन से पहले कोई सर्टीफिकेट नहीं दिया जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता है जब तक कि सर्टीफिकेट पेश नहीं कर दिया जाय। इसलिए यह एनोमोली है जो कि बिल्कुल बेमाने हैं। इसलिए सब-क्लॉज़ (२) बिल्कुल ही अनावश्यक है; जब कि आप कहते हैं कि सर्टीफिकेट रिकॉग्नाइज़्ड इन्स्टीट्यूशन्स जारी करेंगी और फिर वे कहते हैं कि सर्टीफिकेट जारी नहीं किया जायगा जब तक कि वे रजिस्टर्ड न हों।

श्री बरकतुल्लाखां : I agree, Sir.

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस सब-क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : I put the question.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय श्री मानिकचन्द ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री अब्दुलजब्बार : इस पर मंत्री महोदय का कुछ नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : He has agreed.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २५, संशोधनानुसार, विधेयक का अङ्ग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २५, यथा संशोधित, विधेयक में अङ्ग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २६ व २७ विधेयक के अङ्ग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २६ व २७ विधेयक में अङ्ग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ २८

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की इजाजत चाहता हूँ कि जो संशोधन मैंने मूव किया है उसको मूव न करूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड २८ एवं २६ विधेयक के अङ्ग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड २८ एवं २६ को विधेयक में अङ्ग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ३०।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : [संशोधन इस प्रकार है :

(a) Add the words at the end of sub-clause (1) "or in lieu of fine one month's simple imprisonment."

(b) In part (b) of sub-clause (2)-

(i) Insert the words "or one month's simple imprisonment" between the words 'rupees" and "in" occurring in the seventh line.

(ii) Insert the words 'or two month's simple imprisonment" between the words "rupees" and "in" occurring in the eighth line.]

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३० के संबंध में जो संशोधन मेरा है वह यह है कि जो यह राजस्थान नर्सेज़, मिड-वाइव्ज, हैल्थ विज़िटर्स एण्ड ऑग्ज़ीलियरी नर्स-मिडवाइव्ज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट बनेगा और उसके प्रावधान की जो भी खिलाफत या ब्रीच करेगा उसमें जो भी ऑफेन्स की पेनाल्टीज़ होंगी उसके सम्बन्ध में यह है-इसमें मैंने संशोधन रखा है कि जो लोग अन्-रजिस्टर्ड रूप से प्रेक्टिस करते हैं उनको पहली दफा ऑफेन्स करने पर फाइन किया जाय, दूसरी दफा ऑफेन्स करने पर फाइन किया जाय-इतना ही काफी नहीं है क्योंकि यह हमारे नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य से सम्बन्धित है और अन्रजिस्टर्ड प्रेक्टिशनर्स से जन-जीवन को खतरा हो सकता है, इसलिए सिर्फ दो सौ रुपये फाइन ही न किया जाय, बल्कि इस फाइन के ल्यू में, यदि फाइन न चुकाया जाय, दो महीने के सिम्पल इम्प्रिज़नमेंट की व्यवस्था की जाय। मेरा सैकिंड अमेंडमेंट भी इसी नेचर का है; आपने दो सौ रुपये के फाइन का प्रावधान किया है। मेरा निवेदन है कि जो फाइन रखा है, इसके ल्यू में, यदि फाइन न चुकाया जाय तो इम्प्रिज़नमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए और वह डिटरेन्ट पनिशमेंट होगा। इससे जो लोग

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

अन-रजिस्टर्ड रूप से प्रेक्टिस कर रहे हैं वे अपनी प्रेक्टिस बन्द कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि इसको स्वीकार करने में माननीय मंत्री को आपत्ति नहीं होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंह-नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा।

इसके सब क्लॉज़ (४) में है :

"(4) No court other than that of a magistrate of the first class shall try an offence punishable under this Act."

और सब-क्लॉज़ (५) में है :

"(5) No court shall take cognizance of an offence punishable under this Act or the rules or regulations made thereunder except on complaint made by the Registrar......"

तो यह एक काफी........

श्री अब्दुलजब्बार : "with the previous sanction of the council" यह भी पढ़ें आगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : All right. मेरे से पूर्व वक्ता ने जो कहा उनकी बात से मैं पूर्णतया सहमत हूँ। मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस प्रकार के ऑफेन्स अनरजिस्टर्ड नर्सेज़ वगैरह करें, लोगों को धोखा दें और रजिस्टर्ड का गलत फट्टा लगा लें और रजिस्टर्ड नहीं हों इसके लिए इसमें २००), २००) रु० की पेनाल्टी है। उसके बाद अगर रजिस्ट्रार लिखता है तो तभी कोर्ट कॉग्नीज़ेन्स ले सकती है। यह बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन है। जिसका समाज से गहरा ताल्लुक है, जिसका हमारे समाज पर गहरा इम्पेक्ट है, इस प्रकार के प्रेक्टिशनर्स से सारे समाज को हानि पहुँच सकती है। उनको रोका जाना नितान्त आवश्यक है और एक साइन्टिफिक बेसिस किया जाना जरूरी है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड प्रेक्टिशनर जन-जीवन से खिलवाड़ करता है तो इसके लिए ज्यादा सख्त कानून हो और इस ऑफेन्स को कॉग्नीज़ेबल ऑफेन्स बनायें, यह रजिस्ट्रार की मर्जी पर निर्भर नहीं हो। यह नहीं हो कि रजिस्ट्रार किसी की सिफारिश मान ले तो उसके लिए लिख कर नहीं भेजे और जिसकी सिफारिश नहीं हो उसके लिए लिख कर भेजे तो वह कॉग्नीज़ेबल हो जाये। मैं समझता हूं, यह गलत तरीका है और जो कानून का ब्रीच करता है, जो ऑफेन्स करता है उसका ऑफेन्स कॉग्नीज़ेबल होना चाहिए और कोर्ट के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को पॉवर होनी चाहिए कि वह डाइरेक्टली ट्राई कर सके, पुलिस उसका कॉग्नीज़ेन्स ले सके; तब इस प्रकार की इल्लीगल प्रेक्टिस बन्द होगी।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जो गैर-सनद के प्रेक्टिस करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक चीज का इसमें ख्याल रखा गया है कि जो ऑल इन्डिया मेडीसिन्स एक्ट है, राजस्थान मेडीसिन्स एक्ट है उसमें २००) रु० का फाइन रखा गया है। वे लोग झूठे तरीके से हिन्दुस्तान में डॉक्टरी

(श्री बरकतुल्लाखां)

की सनद दिखा कर प्रेक्टिस करते हैं, उन पर २००) रु० के फाइन का और एक बेचारी मिड-वाइफ झूंठी सनद दिखा कर प्रेक्टिस कर दे तो उसको इस तरह की सजा मिल जाय, यह उचित नहीं होगा और आज दिन तक कहीं भी स्टेट में कानून नहीं बना है जहां पीनल सजा दी गई हो। इसलिए जो लोग इस प्रकार के काम कर रहे हों उनके लिए हमने यह कानून रखा है और इसके अनुसार उनको सजा होगी। अगर इस प्रकार के केसेज़ ज्यादा हुए तो बाद में अमेंडमेंट होंगे। अभी तो यह शुरू किया जा रहा है। अगर ऑफेन्स बढ़ते हुए पाये जायेंगे तो बाद में अमेंडमेंट होगा। पहले से स्ट्रोंग कदम उठायें, जैसा कि संशोधन आया है, तो लोगों के साथ ज्यादती होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : नहीं साहब, हर किस्म के गिरे हुए काम इसकी आड़ में होते हैं। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अबोर्शन केसेज़ होते हैं और रेप केसेज़ को कंसील किया जाता है। इस तरह की प्रवृत्ति को आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : प्रोत्साहित कौन कर रहा है ? एक गलत डॉक्टर बन कर इलाज करता है तो २००) रु० का फाइन और अगर एक झूंठे तरीके से नर्स बन कर काम करे तो उसको सजा और फाइन-यह कहां का न्याय होगा ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उसमें भी कीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उसमें भी कीजिये।

श्री बरकतुल्लाखां : मैं मेडीसिन्स एक्ट बता रहा हूं, सेन्ट्रल एक्ट बता रहा हूं, उससे ज्यादा इस कानून को सख्त करना नामुनासिब होगा; ऐसा किसी स्टेट में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Would you like to press or withdraw ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Yes, Sir, I press it.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ३० पर श्री मानिकचन्द सुराणा ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३० विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३१ व ३२,३३,३४....

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : ३१ पर बोलना है।

Page No. 139

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : जाने दो। आप समझदार आदमी हैं।

श्री अब्दुल जब्बार : टाइम आपका लग रहा है, हमारा भी लग रहा है, ऐसी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Would you like to defer some clauses ?

श्री अब्दुलजब्बार : Clause 24.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Clause 24A may be put like this :

"Power of the State Govrnmedt to prohibit un-registered nurses, midwives, health visitors, auxiliary nurse-midwives.:

The State Government may by notification published in the official Gazette prohibit unregistered persons from practising as nurses. mid-wives, health visitors, Auxiliary nurses, midwives and any unregistered person practising in contravention of such notification shall be liable, on conviction by a Magistrate of the First Class to a fine not exceeding three hundred Rupees"

वह जो सब-क्लॉज़ (८) है, वह डिलीट होता है और नया क्लॉज़ २४ ए लगता है, जिससे जो माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठाई थी वह पूरी हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : I hope this is acceptable.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Yes.

श्री उपाध्यक्ष : सदन की इजाजत है ?

(हां की आवाज)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय लड्ढा साहब ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २४, यथा संशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : २४ ए इससे मतलब निकलता है। (८) को डिलीट कराया है और २४ ए नया लगता है।

श्री उपाध्यक्ष : नया क्लॉज़ है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पार्ट (८) पर आपकी तरफ से बहस थी उसको डिलीट करने का प्रश्न है और २४ ए नया एड कराया है।

श्री उपाध्यक्ष : I will put the question again.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४ए विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज़ २४ ए विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री रामप्रसाद लडढा : २४ ए संशोधित है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २४, यथासंशोधित विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४ ए विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २४ ए विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३१

श्री अब्दुलजब्बार : उपाध्यक्ष महोदय, यह मानने काबिल बात नहीं है क्योंकि एक बोर्ड में एक आदमी गलती करता है....

श्री उपाध्यक्ष : Would you like now, to speak ? But be very brief.

श्री अब्दुलजब्बार : ठीक है, हमें भी जल्दी है, हम भी भूखों मर रहे हैं। एक चीज डेमोक्रेटिक वे में बनती है तो उसकी व्यवस्था होना लाजमी हो जाता है। इस क्लॉज़ ३१ में है: "If at any time, it shall appear to the State Govt. that the Council has failed to exercise or has exceeded or abused a power conferred upon it..."

इस प्रकार चार्ज लगायें तो कौंसिल फेल हो जाती है। मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि मंत्री महोदय इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि एक कम्प्लीट ऑर्गेनाइज़ेशन को बदनाम नहीं कर सकते, उस पर पाबन्दी नहीं लगा सकते। कौंसिल का प्रेसीडेंट, चेअरमैन गलती कर सकता है, बेईमानी कर सकता है, रजिस्ट्रेशन में गलती कर सकता है, पर्टीक्यूलर चीज में गलती कर सकता है, तो उसके लिए अगर पूरी कौंसिल को आप जिम्मेदार ठहराते हैं-यह डेमोक्रेटिक वे में नहीं आता है। मेरा निवेदन है कि अगर कोई सदस्य करप्ट प्रेक्टिस करता है या करते हुए पाया जाय और उस पर चार्ज एस्टेब्लिश हो जाय तो उस पर चार्ज लगाया जाय।

इसमें कौंसिल को डिज़ोल्व करने की बात और सारे पॉवर्स सरकार अपने हाथ में लेने की बात कहती है यह भी अप्रजातान्त्रिक है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि किसी पर्टीक्युलर डिफॉल्टर के खिलाफ चार्ज लगाने की बात इसमें आनी चाहिये; इसलिये इसमें मेरा यह संशोधन है कि इसको स्वीकार किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : आप यह संशोधन दे रहे हैं।

Page No. 141

श्री अब्दुलजब्बार खां : मैं सजेशन दे रहा हूं ।

श्री बरकतुल्लाखां : मैं निवेदन करूंगा कि म्युनिसिपल एक्ट में भी यह प्रावधान है कि सरकार उसको सुपरसीड कर सकती है तो यह तो प्योरली नोमीनेटेड बॉडी है । इसमें सरकार को पूरा अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड ३१, ३२, ३३, ३४, ३५ और ३६ विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

खण्ड ३१ से ३६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, टाइटल, प्रिएम्बल आदि विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, टाइटल, प्रिएम्बल आदि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा (उप-मंत्री, स्वास्थ्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नर्सेज़, मिडवाइव्ज़, हैल्थ विज़िटर्स एन्ड ऑग्ज़िलियरी नर्स मिडवाइव्ज़ रजिस्ट्रेशन बिल, १९६४ पारित किया जाए ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ ।

(विराम)

सदन की बैठक कल ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही २ बज कर ४२ मिनट पर कल, दिनांक ३ मार्च, १९६४ के म० पू० ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, दिनांक २ मार्च, १९६४)

स्कम्भ स्कम्भ

१. तारांकित प्रश्नों के शीर्षक १

ग्राम पंचायत आकोदा की ऑडिट रिपोर्ट।

क्यूरेटरों की नियुक्तियां।

चारे की नीलामी-सिरोही।

महारानी सुदर्शना कॉलेज, बीकानेर।

ग्राम पंचायत नेठवा के सरपंच के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं गबन के आरोप।

अलवर-दिल्ली वाया तिजारा सरकारी बसें।

अध्यापकों की छुट्टियां।

हाई स्कूल सांगोद में विज्ञान की कक्षाएं।

घास की कटाई तथा मजदूरों की मजदूरी।

ग्राम बिलान्दरपुर के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध गबन एवं दुरूपयोग की रिपोर्ट।

जूनियर डिप्लोमा कोर्स के सेन्टर्स।

सांचोर में बीकानेर बैंक की शाखा।

पंचायत विभाग में असिस्टेन्ट इन्स्पेक्टरों की नियुक्तियां।

रुई के गोदाम में आग।

चावल का वितरण-जिला झुंझुनू।

कंजरों की कॉलोनी बसाने हेतु अनुदान।

कुंए के लिए रकम-ग्राम ढाबा।

चित्तौड़गढ़-बूंदी रोड पर बसें।

तकावी की किश्तों की वसूली-जिला उदयपुर।

विद्यालयों का परीक्षा-फल।

एनीकट एवं मेड़बन्दी।

कन्या माध्यमिक शाला-बड़ी सादड़ी।

हरिजनों को मकान बनाने हेतु अनुदान-जिला चूरू।

अध्यापकों के तबादले-झालावाड़।

२. अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक ६८

जयपुर-कोटा रूट पर यात्रियों को सुविधाएं।

कोटा ट्रांसपोर्ट कम्पनी के श्रमिकों की मांगें।

आबकारी एवं कर से आमदनी–निम्बाहेड़ा।

राज्य सरकार पर ऋण।

न्याय पंचायतों द्वारा मांगी गई धन–राशि।

बंध माधोसागर तक सड़क।

मेव आबादी वाले क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या।

पाली जिला सहकारी संघ।

भरतपुर जिले की ऋण-दात्री सहकारी समितियां।

बसों के परमिट- जिला झुंझुनू।

डेरी फार्म खोलने हेतु अनुदान–पंचायत समिति, सिवाना।

वन महोत्सव पर व्यय।

अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का वार्षिक अधिवेशन।

समाज कल्याण बोर्ड का वार्षिक खर्च।

३. स्थगन-प्रस्ताव ८३

बीकानेर मेडीकल कॉलेज में विद्यार्थियों के दो दलों में दिनांक २३ फरवरी, १९६४ को हुए झगड़े से उत्पन्न स्थिति एवं इस झगड़े के कारण राज्य सरकार द्वारा कॉलेज को अनिश्चित् काल के लिये बन्द कर दिये जाने से संबंधित सर्व श्री मुरलीधर व्यास, मानिकचन्द सुराणा, कृष्णकुमार गोयल, सतीशचन्द्र अग्रवाल, रामानन्द अग्रवाल एवं योगेन्द्रनाथ हाण्डा के स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई।

राजस्थान नर्स-दाई, स्वास्थ्य-वीक्षक और सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रेशन विधेयक, १९६४ ८४

(क) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा, ने निम्नांकित परिनियता (Statutory) संकल्प प्रस्तुत किया :—
"यह सदन राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित नर्स–दाई, स्वास्थ्य-वीक्षक और सहायक नर्स–दाई रजिस्ट्रेशन अध्यादेश, १९६४ (सं० २, सन् १९६४) को अस्वीकृत करता है।"

(ख) श्रीमती प्रभा मिश्रा, प्रभारी मन्त्री, ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाये।

सर्व श्री दुर्गालाल भाड़दार, मानिकचन्द सुराणा, योगेन्द्रनाथ हाण्डा, रामानन्द अग्रवाल, श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत एवं श्री मुरलीधर व्यास ने विधेयक को एक प्रवर समिति को सुपुर्द करने के संशोधन प्रस्ताव रखे।

वाद-विवाद के पश्चात् संकल्प एवं संशोधन प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकार किये गये एवं विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के बाद विधेयक सदन द्वारा संशोधित रूप में पारित भी किया गया।

मंगलवार, दिनांक ३ मार्च, १९६४ की कार्य-सूची

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, १९६४ (विचार-विमर्श एवं पारित)।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०४ का उत्तर देखिए)

ANNUAL EXPENDITURE ON EACH CENTRE

Name of Centre	1959-60	1960-61	1961-62	1962-63
Jaipur	18234/-	7917/-	11562/-	-
Jodhpur	30657/-	3818/-	23704/-	-
Kota	5648/-	1911/-	16767/-	18468/-
Udaipur	34707/-	4888/-	21142/-	21336/-
Ajmer	53838/-	19218/-	23752/-	19248/-
Bikaner	50018/-	9998/-	11112/-	17755/-
Total Rs.	1,93,102/-	47,750/-	1,08,039/-	76,807/-

परिशिष्ट

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF CANDIDATES ADMITTED, APPEARED AND PASSED AT THE JUNIOR DIPLOMA COURSE EXAMINATIONS

S.No.	Name of Institution	1959-60 Pt. I 1 No. of students admitted	2 No. of students appeared	Pt. II 3 No. of students passed	1-2-3	60-61 Pt. I 1-2-3	Pt. II 1-2-3	61-62 Pt. I 1-2-3	Pt. II 1-2-3	62-63 Pt. I 1-2-3	Pt. II 1-2-3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Commerce College Jaipur	26	16	4	-	22-5-5	13-13-12	13-10-7	5-4-2	21-18-10	10-8-4
2.	Govt. College, Kota	18	11	6	-	7-1-1	6—6—5	8—2-2	2-2-2	60-27-16	2-2-2
3.	Govt. College, Ajmer	29	19	13	-	40-15-13	12-12-9	34-20-14	12·11·8	82-67-27	15·15·13
4.	M.B. College, Udaipur	25	14	7	-	3—3— 2	6—6-2	3- 3- 1	3-3-2	19-18-6	3-3-1
5.	Dungar College, Bikaner	12	10	7	-	3-3-1	6-6-1	8 -8- 3	3-3-1	28-28-11	-3-
6.	S.M.K. Jodhpur	40	38	20	-	17-12-10	20-20·13	27-16- 7	9-9-7	39-33-11	6-6-3

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०६ का उत्तर देखिए)

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा १६५६ में चयन किये गये असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर्स, पंचायत की सूची :–

१.	श्री यादरामसिंह	२१.	श्री छोटेलाल
२.	,, रामेश्वरदत्त	२२.	,, रामजीलाल
३.	,, दानाराम	२३.	,, शशीभूषण
४.	,, घनश्यामलाल	२४.	,, गोपालवल्लभ
५.	,, 'रामस्वरूप	२५.	,, प्रतापसिंह
६.	,, लालसिंह	२६.	,, रत्नचन्द
७.	,, गोपाललाल	२७.	,, रामेश्वरलाल
८.	,, चन्द्रसेन चौबे	२८.	,, मोतीलाल
९.	,, बजरंगराज	२९.	,, रामकुवार
१०.	,, गजानन्द प्रसाद	३०.	,, हनुमानप्रसाद
११.	,, चैनसिंह	३१.	,, गजरामसिंह
१२.	,, मुकन्दचन्द	३२.	,, नन्नूसिंह
१३.	,, रामगोपाल	३३.	,, जमनालाल
१४.	,, प्रभूदयाल	३४.	,, देवीलाल
१५.	,, शम्भुसिंह	३५.	,, नटवरलाल
१६.	,, रामचन्द्र	३६.	,, गिरेन्द्रसिंह
१७.	,, रघुवीरशरण	३७.	,, नत्थीसिंह
१८.	,, आनन्दीलाल	३८.	,, लक्ष्मणदास
१९.	,, जगन्नाथप्रसाद	३९.	,, फतेहलाल
२०.	,, लल्लूनारायण	४०.	,, रामचन्द्र रणवा

४१.	श्री कल्याणमल	४८.	श्री नारायणसिंह
४२.	,, मोहनलाल	४६.	,, जोगीदास
४३.	,, नन्दकिशोरसिंह	५०.	,, प्रेमरतन
४४.	,, अयोध्याप्रसाद	५१.	,, सुगनलाल
४५.	,, बद्रीनारायण	५२.	,, फूलचन्द
४६.	,, शिवसिंह	५३.	,, फोजसिंह
४७.	,, बद्रीप्रसाद	५४.	,, बृजमोहनलाल

अस्थायी असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर्स जिन्हें पंचायत प्रसार अधिकारी नियुक्त किया गया

१.	श्री सवलसिंह	१८.	श्री रामचन्द्र
२.	,, नाथूराम	१६.	,, गनपतराम
३.	,, मुसद्दीलाल	२०.	,, बनवारीलाल
४.	,, राधेश्याम	२१.	,, प्रेमसुख
५.	,, स्वरुपनारायण	२२.	,, भूपेन्द्रकुमार
६.	,, खेतसिंह	२३.	,, दुर्गाप्रसाद
७.	,, रामचन्दर	२४.	,, सुरेशचन्द्र
८.	,, दिलीपसिंह	२५.	,, दीपचन्द
६.	,, जोरावरसिंह	२६.	,, गोपीकिशन
१०.	,, सेडूराम	२७.	,, भागीरथसिंह
११.	,, शिवसिंह	२८.	,, शम्भू पुरी
१२.	,, भीमसिंह	२६.	,, सूंडाराम
१३.	,, वैजसिंह	३०.	,, सुखदेव
१४.	,, रामनारायण	३१.	,, मुरलीलाल
१५.	,, दिलबारसिंह	३२.	,, दीनानाथ
१६.	,, विश्वम्भरदयाल	३३.	,, गनपतलाल
१७.	,, कैलाशचन्द्र	३४.	,, रामरतन

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२१ का उत्तर देखिए)

समाज कल्याण विभाग द्वारा सन् १९६३-६४ में छापर जिला चूरू के मेहतर परिवारों को मकान सहायता हेतु दी गई एक धनराशि की सूची

क्रमांक	प्रार्थी का नाम व पिता का नाम	रकम
१	२	३
१.	श्री सुन्दरलाल पुत्र श्री मोहन	७५०)
२.	,, आसूराम पुत्र सुखाराम	७५०)
३.	,, सूरजराम पुत्र गनेश	७५०)
४.	,, भंवरी स्त्री जीवन	७५०)
५.	,, हूलास पुत्र मेघा	७५०)
६.	,, विरधाराम पुत्र पानाराम	७५०)
७.	,, कस्तूर पुत्र मोतीराम	७५०)
८.	,, चोथमल पुत्र मंगूराम	७५०)
९.	,, कालूराम पुत्र मोतीराम	७५०)
१०.	,, सोहन पुत्र काना	७५०)
११.	,, सोहन पुत्र नखरया	७५०)
१२.	,, मानीराम पुत्र सुखाराम	७५०)
	योग:-	९०००)

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २८ का उत्तर देखिए)

जयपुर-कोटा मार्ग पर रुकने के स्थानों की सूची :

१.	जयपुर	२१.	बनथली
२.	सांगानेर	२२.	फूलीदा
३.	गोनेर रोड	२३.	पवांर
४.	बीलवा	२४.	देवली
५.	शिवदासपुरा	२५.	बासनी
६.	चाकसू	२६.	देवाखेरा
७.	कोथून	२७.	पेच की बावड़ी
८.	मूडीया	२८.	हिन्डोली
९.	बनस्थली	२९.	चत्तरगंज
१०.	निवाई	३०.	नयागांव
११.	फहानी	३१.	सतुर
१२.	बारोनी	३२.	तलासगांव
१३.	मोट्टूंगा	३३.	बूंदी
१४.	सोईला	३४.	रामगंज
१५.	टोंक	३५.	मांगला कि चौकी
१६.	नेदवास	३६.	घोड़ा पछाड़
१७.	छांन	३७.	तालेरा
१८.	बदनी	३८.	लंबा पीपल
१९.	नयागांव	३९.	बड़ा गांव
२०.	सारोली	४०.	कोटा सिटी

परिशिष्ट ५

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २९ का उत्तर देखिए) ।

१. वर्दी तारीख १५ सितम्बर तक दे दी जावेगी।

२. श्री नाथूलाल, कन्डक्टर को रिइन्स्टेट कर दिया जावेगा।

३. श्री अब्दुल कयूम, बस वाशर मैन को हैल्पर के तौर पर जगह होने पर वापस काम पर रख लिया जावेगा।

४. श्री अब्दुल गफूर चैकर को रिट्रेन्च करने का विचार ता० ३० अगस्त, १९६३ तक स्थगित रखा जावे। रिटेन्चमेन्ट करने के संबंध में यूनियन को पहिले कॉन्फिडेन्स में ले लिया जावे।

५. श्री जौरावर मल मेहता को १००–८–१८० के ग्रेड बारे में फिर विचार कर लिया जावेगा।

६. श्री शिवचन्द मेहता श्री जगदीशसिंह मिस्त्री इनके काम की रिपोर्ट करके उसके आधार पर इस केस का फैसला कर दिया जावेगा।

७. श्री मोतीलाल फिटर की बकाया ओवर टाइम के एवज में ता० १५ सितम्बर, ६३ तक २५) रु० माहवार के हिसाब से कन्सोलिडेटेड पैमेन्ट कर दिया जावेगा।

८. श्री नाथूलाल का टी० ए०, डी० ए० के बकाया बिल का १५ सितम्बर, ६३ तक पेमेन्ट कर दिया जावेगा, ओवर टाइम का यूनियन की सलाह से निपटारा कर दिया जावेगा।

९. श्री लाल ड्राइवर फैसले की नकल मंगवाये उसको देखकर निर्णय किया जावेगा।

१०. श्री विजय बहादुर सिंह ड्राइवर को जुर्माने के २०) रु० का पैमेन्ट इस केस में भी श्री लाल ड्राइवर के केस की तरह निर्णय किया जावेगा।

११. श्री सुबराती मिस्त्री, गरम कोट के एवज में कोई रकम काटी गई होगी तो वह वापस कर दी जावेगी।

१२. श्री पुरुषोतम लाल गुप्ता, भू० पू० स्टोर कीपर बारां ब्रांच की १००) रु० कटौती की रकम माफ कर दी जावेगी।

१३. श्री अलादीन भू० पू० ड्राइवर इकलेरा की एक माह की तनख्वाह काटकर इनके बकाया चुकते हिसाब का पैमेन्ट कर दिया जावेगा।

१४. वर्कशॉप वर्कर्स के बकाया ओवर टाइम अलाउन्स का ता० १५ सितम्बर, ६३ तक पैमेन्ट कर दिया जावेगा।

१५. चपरासियों व चौकीदारों को ओवर टाइम व एक्सट्रा ड्यूटी अलाउन्स का ता० १–८–६३ से ८) माहवार से पैमेन्ट कर दिया जावेगा।

१६. श्री गणेशलाल शर्मा व श्री मोहनलाल ओझा को एक्स्ट्रा ड्यूटी के एवज में १०) रु० माहवार फिक्स्ड अलाउन्स दे दिया जावेगा।

१७. वेलफेयर फन्ड की रकम १५ सितम्बर, ६३ तक बैंक में जमा करा दी जावेगी।

१८. रेस्ट रूम तथा कैन्टीन में किवाड़ व रोशनी की व्यवस्था १ सप्ताह में निश्चित रूप से कर दी जावेगी, रेस्ट रूम की भी शीघ्र व्यवस्था कर दी जावेगी।

१९. यूनियन के चन्दे की बकाया रकम का पेमेन्ट १५ सितम्बर, ६३ तक मिलवा दिया जावेगा।

२०. श्री मोहम्मद इशफाक ड्राइवर की ५०) रु० की सिक्योरिटी के मामले का अगली वर्क्स कमेटी की बैठक में विचार कर लिया जावेगा।

२१. श्री कालूराम कन्डक्टर बारां को ११ रुपये जुर्माने के दे दिये जाएंगे।

———

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३० का उत्तर देखिए)

सन् १९६२–६३ व १९६३–६४ में नाका निम्बाहेड़ा पर माह मई से अगस्त तक की आमादनी की सूची

महीने का नाम	सन् १९६२–६३		सन् १९६३–६४		अन्तर	
	रु०	न०पै०	रु०	न०पै०	रु०	न०पै०
माह मई	२१५८	००	५८२७	२०	३६६६	२०
,, जून	१६२८	००	५१३४	००	३४०६	००
,, जुलाई	१५२३	६२	६१६६	६०	४६४२	६८
,, अगस्त	२१७०	००	३७४३	५७	१५७३	५७
	७४७१	६२	२०८७१	३७	१३३६१	७५

परिशिष्ट ७

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३२ का उत्तर देखिए)

नाम पंचायत समिति	नाम पंचायत जिसके द्वारा न्याय पंचायत को मांगी गई रकम नहीं दी गई		वर्ष १९६३–६४	विशेष
१	२		३	४
कामां	१.	गढ़अजान	१९६३–६४	
	२.	लहेसर		
	३.	बिलग		
	४.	ऊभाका		
	५.	धिलावटी		
	६.	छिकुरवाड़ी		
	७.	सवलाना		
	८.	भौरी		
	९.	धाटमीका		
	१०.	कठौल		
	११.	जोतरुहल्ला		
	१२.	जोतरी पीपल		
	१३.	पापड़ा		
	१.	बौलखेड़ा	१९६३–६४	आंशिक भुग-तान किया गया
	२.	सुमहेरा		
	३.	ऊदाका		
	४.	सतवास		

१	२	३	४
	५. नौगावा		
	६. गामड़ी		
	७. खुरहरा		
	८. पाई		
	९. भण्डारा		
	१०. सहसन		
	११. बमनबाड़ी		
	१२. घोसिंगा		
	१३. सामलेर		
	१४. सोमका		
	१५. धौलेट		
	१६. नोन्हेरा		
डीग			
	१. पसोपा	१९६३-६४	
	२. गुहाना		
	३. परमदरा		
	४. धमारी		
	५. पास्ता		
	६. इकलेरा		
	७. बहज		
	८. बोराली चौथ		
	९. खेड़ा ब्रा०		

१	२	३	४
	१०. कोरेर		
	११. कांसोट		
	१२. श्रऊ		
	१३. बदनगढ़		
	१४. सिनसिनी		
	१५. श्योरावली		
	१६. जनूथर		
	१७. दांतलोठी		
	१८. दी दावली		
	१९. खोरी		
	२०. शीशवाड़ा		
	२१. पानहोरी		
	२२. बेडम		
	२३. ककड़ा		
	२४. जटेरी		
	२५. निगोई		
	२६. खोह		
	२७. मोरोली		
	२८. जाटोलीधूणा		

———

परिशिष्ट ८

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३४ का उत्तर देखिए)

पंचायत समिति कामां तथा नगर में मेव आबादी वाले क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या व प्रत्येक स्कूल में औसतन छात्र उपस्थिति की सूची

क्र०सं०	पंचायत समिति	स्थान स्कूल		औसतन छात्र उपस्थिति
१	२	३		४
१.	कामां	१.	सोनोखर	७८
		२.	बादीपुर	३०
		३.	लाडलाका	२६
		४.	जुरेहरी	६५
		५.	माई	६८
		६.	बमावमड़ी	५०
		७.	सहसन	६०
		८.	थलकाना	३०
		६.	घुसींगा	१२
		१०.	ऊंचेड़ा	२६
		११.	गावड़ी	३८
		१२.	जुरेहरा	११०
		१३.	नौगांव	२८
		१४.	मन्डारा	२५
		१५.	नन्देरा	११०
		१६.	बामनी	३८
		१७.	रोचवाड़ा	३०

१	२	३		४
		१८.	पथवारी	१५
		१९.	गुरीरा	२६
		२०.	परेही	३०
		२१.	खेड़लीनानू	१६
		२२.	ऊंमन	३०
		२३.	सवलाना	१४२
		२४.	इन्द्रोही	२६
		२५.	भिरार	१००
		२६.	घाटा	२०
		२७	पल्ला	२७
		२८.	बरोलीधाउ	७०
		२९.	बिलोंद	७८
		३०.	हिदरवाड़ी	२८
		३१.	करमूका	६५
		३२.	लुहेसर	३५
		३३.	गठीभीलपट्टी	२६
		३४.	प्रकाल	१२०
		३५.	कनवाड़ा	३०
		३६.	नहखारमण	३८
		३७.	सुहेरा	५०
		३८.	बदोला	२५
		३९.	लेवड़ा	२५

१	२	३	४
	४०.	मिलावटी	५७
	४१.	कलावटा	२०
	४२.	गटाजान	१८
	४३.	उदाका	३०
	४४.	सतवास	७७
	४५.	भ्रिलंग	३०
	४६.	कनवाड़ी	४५
	४७.	सहेड़ा	६७
	४८.	राधानगरी	३०
	४९.	सतवाड़ो	१००
	५०.	तिलकपुरी	२०
	५१.	ऊमाका	२१
	५२.	पाटमीका	१६
	५३.	फतेहपुर	१३
	५४.	धीमड़ी	२०
	५५.	मौरी	१८
	५६.	कठौल	२८
	५७.	दूखनका	४०
	५८.	सामका	३०
	५९.	भैसड़ा	१०
	६०.	सावलेर	६०
	६१.	जोतरूहल्ला	३०

१	२		३	४
		६२.	लिवासन	६०
		६३.	पापड़ा	५०
		६४.	खोहरा	२०
		६५.	धर्मशाला	१२
		६६.	खेडलीगुमानी	२०
		६७.	घोलेट	२०
		६८.	कामा शाला जैन जुरेन्रा	५६
२.	नगर	१.	नगर	२५२
		२.	थून	६०
		३.	दंदावल	३५
		४.	जगड़का	२६
		५.	फतहपुराकलां	२२
		६.	ऊड़की दल्ला	२७
		७.	मूडिया	४२
		८.	पाठका	२३
		९.	सैमलाकलां	२६
		१०.	झोतरेड़ी	२८
		११.	पीपलू	३८
		१२.	भटपुरा	२०
		१३.	बासडायना	५०
		१४.	जलालपुर	३०
		१५.	बामखुर्जो	२३

१	२	३		४
		१६.	झंझार	६६
		१७.	ठेकरी	२५
		१८.	खेडलानोश्राबाद	३५
		१६.	कामलपुर पट्टी	३५
		२०.	सिहावली	४८
		२१.	अलवानी	२५
		२२.	पालकी	२६
		२३.	खेरती	३५
		२४.	डोमराकी	१५
		२५.	गुलपाड़ा	५२
		२६.	रायपुर	२६
		२७.	ककराला	२२
		२८.	मुजापुरगढ़ी	२१
		२६.	पीपलखेड़ा	८५
		३०.	पथराली	४४
		३१.	पिपरौली	२४
		३२.	लाडमका	२६
		३३.	कान्होर	३५
		३४.	घघवाड़ी	२१
		३५.	पहाड़ी	१०२
		३६.	छपरा	३०
		३७.	गाजूका	६
		३८.	खण्डेला	६२
		३६.	गंगोरा	३३

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २७ का उत्तर देखिए)

JHUNJHUNU DISTRICT

S. No.	Name of route	Classification of route A B C	Total	Name of existing Operators and permit holders.
1	2	3	4	5
1.	Jhunjhunu-Nim-ka Thana	58 - 6	64	1. Shri Pushkar Lal S/o Manchand.
				2. M/s Pokarmal Jagatram
				3. M/s Ram Chandra Ramakant
				4. M/s Chiranji Lal Ramrichpal & Bheru Ram
				5. Shri Rameshwar Lal-Shah
				6. Ch. Moti Lal S/o Ganga Sahai
				7. M/s Nathu Singh Baldeo Singh
				8. M/s Balu Ram Gula Ram
				9. M/s Tahal Ram Mool Chand
				10. M/s Ziladara Arya Motor Tpt. Co.
				11. M/s Norang Lal Kabiruddin
				12. M/s Badri Pd. Anaram
				13. M/s Janta Tpt. Co-op. Socy.
				14. M/s Jhunjhunu Zila Yatayat Sahkari Samiti Ltd.
2.	Neemka Thana-Jhunjhunu			1. M/s Zamindari Tpt. Co-op. Socy.
	Khetri-Nizampur			2. -do-
	Khetri-Pachari			3. -do-

1	2	3	4	5
3.	1. Neemka Thana-Jhunjhunu			1. Matanhail Ex. Service Co-op. Society Ltd., Khetri
	2. Chirawa-Mahendra			2. -do-
4.	Bisau-Loharu	— - 51	51	1. M/s Loharu Tpt. Co. Ltd.
				2. Sh. Lath Sahib S/o Jokhi Ram
5.	Chirawa-Mahendra garh	— - 50	50	1. M/s Hira Lal Gokal Chand
				2. Partap Singh Jaswant Singh
6.	Mundawar-Churu Mohansar	— - 28	28	1. Kishar Dev
				2. M/s Vishwa Karma Motor Service
7.	Mandawa-Doond-lcd	— - 12	12	1. M/s Shanker Bus Union
				2. Sh. Shyam Sunder Surolia
				3. Ridhidev Shah, Mandawa
				4. Kashi Pd. Goyanka
8.	Khetri-Nizampur-extended upto Narnaul	18 - —	18	1. M/s Ziladara Arya Tpt. Cop. Socy.
				2. M/s Raghubir Singh Omprakash
				3. Shri Rameshar Lal Shah
				4. M/s Zialdara Arya Tpt. Cop. Socy.
				5. Rameshawr Lal Shah, Khetri
9.	Pilani-Loharu	15 - —	15	1. M/s Pilani Industrial Co-op. Ltd.
10.	Chirawa-Pilani-Loharu-Pilani-Chirawa			2. -do-
				3. -do-
				4. -do-
11.	Khetri-Satnali	— - 36	36	1. M/s Ram Kishan Shah & Co.
				2. Hari Singh S/o Jai Lal
				3. M/s Bujan Ram Bhagwan Ram
				4. Ch. Dharam Singh
				5. M/s Anil Tpt. Co.

Page No. 165

1	2	3		4		5
12.	Khetri-Surajgarh extended upto Rampura Beri	7	-	58	65	1. M/s Bujan Ram Bhagwan Ram 2. Lok Ram Girdhan 3. Mangi Lal Jagan Lal 4. Ramji Lal Bhagwan Sahai 5. Bajrang Lal Purohit 6. Jokhi Ram Ganpat Ram
13.	Nawalgarh-Udaipur	—	-	24	24	1. M/s Bhagwan Das Matadeen 2. Norang Rai 3. M/s Bishan Singh Raghbir 4. Shiv Kumar Kalu Ram 5. Bajranga Lal & Raghubir Singh 6. Shanker Motor Union.
14.	Nawalgarh-Gurha	2	-	22	24	1. Bhopal Singh, Niwai 2. M/s Prabhu Dayal Bajrang Lal 3. M/s Brijendra Singh Mahipal
15.	Nawalgarh-Inderpura	2	-	18	20	1. Sh. Basant Lal 2. Sanwar Mal Shanker Lal 3. Sheodan Singh
16.	Jhunjhunu-Nawalgarh	—	-	22	22	1. Jhabu Mal, Mukandgarh
17.	Jhunjhunu-Tamkore via Mandrella	—	-	28	28	1. M/s Modi Tpt. Co.
18.	Jhunjhunu-Kheri via Sullana	—	-	38	38	1. M/s Sheo Kumar Pooran Mal 2. M/s Ramkishan Ram Chandra 3. Nand Lal S/o Nokhi Ram 4. Jhabar Mal Mittal 5. M/s Mali Ram Pradeep Kumar

1	2		3		4	5
19.	Jhunjhunu-Suraj-garh	—	-	36	36	1. Gauri Shanker Dabu Lal 2. Satya Narain 3. Babu Lal Modi 4. Nathu Lal Modi 5. Rambilas Karudia
20.	Jhnnjhunu-Udaipur	—	-	25	25	1. Sh. Babu Lal Bhura Lal 2. Sh. Lachhu Ram S/o N.P. Singh 3. M/s Narain Singh Madan Singh
21.	Jhunjhunu-Bassau extended upto Churu via Misisar-Malsisar	—	-	44	44	1. Mali Ram Sharma 2. M/s Sivkumar Hardeo Ram Manna Lal 3. Sh. Kesri Singh
22.	Jhunjhunu-Loharu	—	-	49	49	1. Sh. Babu Lal Modi 2. M/s Loharu Tpt. Co.
23.	Jhunjhunu-Bissau Churu via Birami	—	-	34	34	1. Sh. Habib Mistri 2. Hanuman Singh Mistri 3. M/s Mannu Lal Shiv Kumar
24.	Jhuhjhunu-Sikar	40	-	—	40	1. Jain Tpt. Co. 2. Hama Kant Khetar 3: M/s Jhunjhunu Tpt. Co. 4. Stri Tpt. Co. 5. Sh. Nand Lal S/o Jokhi Ram 6. Sugan Chand 7. Parma Nand 8. M/s Mali Ram Pratap Kumar

1	2	3		4	5
25.	Jhunjhunu-Gudha extended upto Udaipur	22	-	— 22	1. M/s Radha Kishan Mam Chand 2. Bhopal Singh 3. Mukan Lal Pareek 4. Hanuman Singh 5. Nand Lal S/o Jokhi Ram 6. Ram Kishan Mali Ram Shah
26.	Jhunjhunu-Sadulpur via Tamkora	—	-	49 49	1. M/s Purshotam Lal Ramesh Kumar 2. M/s Jagmal Singh Chhotu Singh 3. Balu Ram Jeewan Ram
27.	Khetri–Pachori	12	-	15 27	1. M/s Mool Chand Nathu Ram Ram Kishan & Co., Khetri 2. M/s Zamindar Tpt. Co-op. Socy.
28.	Godha-Mukandgarh via Bhadkot-Jhankal	—	-	18 18	1. Sh. Hanuman Pd. Jangir 2. Bhim Raj Vishwa Nath 3. M/s Ex-Soldier Tpt. Cop. Socy. 4. Sh. Vishwa Nath 5. Sh. Nathmal Modi
29.	Mukangarh-Gudha via Nawalgarh–Jhankal	—	-	23 23	1. Jugal Kishore 2. Satya Narain Paras Ram 3. Moti Lal
30.	Mandawa-Nawalgarh via Tatr–Hanumangura Dundlod	6	-	12 18	1. Sh. Mahabir Pd., Mandawa 2. M/s Jangir Tpt. 3. Kishan Lal 4. Bhim Raj Mechanic
31.	Pacheri-Nizampur extended upto Bahror	6	-	16 22	1. M/s Onkar Mal Ramswaroop 2. Sh. Shivdshai Sharma 3. M/s Nathu Ram Jaman Lal

1	2	3	4	5
32.	Jhunjhunu-Chirawa via Sultana	— —	18	18	1. Babu Lal Modi 2. M/s Udai Ram Ram Deo
33.	Pilani-Chirawa	11	— —	11	1. M/s Pilani Industrial Corpn.Ltd.
34.	Jnunjhunu-Fateh-pur via Mandawa				1. Mahabir Pd. 2. Narain Singh 3. M/s Mundawa Tpt. Co. 4. Ranzir Khan 5. Ramavtar Yadav, Driver 6. Rama Nath Gokkar 7. Bachh Raj Rameshwar 8. Purshotam Lal Sanwar Mal 9. Prahlad Rai Modi
35.	Bagarh-Gurha	— —	34	34	1. Hanuman Singh Mistri 2. Capt. Tara Chand Kotwa 3. M/s Bakhtawarpura Tpt. Socy.
36.	Poonkh-Neemka-thana	— —	21	21	1. Mukhana Lal Samunder Singh 2. M/s Ramkumar Singh Guman Singh 3. M/s Behudhandi Sahkari Samiti
37.	Nawalgarh-Salasar via Lachamangarh	— —	41	41	1. Kashi Prasad 2. Panna Lal 3. M/s Mukband Ram Mahg Raj Soni 4. Sanwal Ram Jalan 5. Deen Dayal 6. Durga Datta Jallan 7. Inder Lal Dhananad 8. Durga Dutt Jallan

1	2	3	4	5
38.	Nimkathana-Gurha			1. Shri Ram Singh
39.	Jhunjhunu-Sadulpur via Bagar-Dabri-Mindrella	— -	45 45	1. M/s Kedar Mal Bilas Rai 2. Bahirn Mal
40.	Rasulpur-Chirawa	— -	29 29	1. Jangir Yatayat Sahkari Samiti Ltd. 2. M/s Mali Ram Mahabir Pd.
41.	Jhunjhunu-Narnaul			1. M/s Zamindra Tpt. Co-op. Socy. 2. The Matanhall Ex-Servicemen Tpt. Cop. Socy., Chirawa
42.	Jhunjhunu-Ramgarh	— -	34 34	1. M/s Bairu Singh Sardar Singh 2. M/s Raghubir Singh Hari Singh 3. Sh. Tara Chand S/o Phool Chand 4. M/s Jai Bharat Tpt. Co. 5. M/s Azad Transport Co.
43.	Jhunjhunu-Pacheri	— -		1. Sh. Jokhi Ram S/o Ganpat Ram
44.	Jhunjhunu-Dundlod Rly. Station	— -	25 25	1. Sh. Shoti Lal S/o Govind Ram 2. Pushkar Lal S/o Mam Chand 3. Shiv Chand Singh
45.	Mandrella-Chirawa via Jakhera-Dhatrawala Khuria	— -	20 20	1. Kedarmal Bilasah Raj
46.	Nua-Churu	7 -	25 32	1. Sh. mahadev Pd. Jangir
47.	Jhunjhunu-Mandrella	— -	20 20	1. Sh. Kalyan Singh Pawan Kumar
48.	Nawalgarh-Malasi	— -	38 38	1. Smt. Ladi Devi W/o Vaidya Shiv Bhagwan Tripathi 2. Smt. Durga Devi W/o Hari Narain

परिशिष्ट १०

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३८ का उत्तर देखिए)

पंचायत समिति सिवाना में डेरी फार्म खोलने हेतु दिये गये ऋण की सूची

क्रमांक	नाम	ऋण की रकम	खरीदे गये मवेशियों की संख्या- गाय	सांड	नियमित अवधि में मवेशी खरीदने का व ऋण उपयोगिता का प्रमाण-पत्र दिया गया
१	२	३	४	५	६
१.	श्री बख्तावर सिंह	४०००)	—	—	—
२.	,, सवाई सिंह	४०००)	२०	१	दिया गया
३.	,, सवा	४०००)	२०	—	—
४.	,, मोतीराम	४०००)	२०	—	—
५.	,, हेमराज	४०००)	२०	—	—
६.	,, तेजसिंह	४०००)	२०	१	दिया गया
७.	,, भैरोंसिंह	४०००)	२०	१	दिया गया
८.	,, मोहनलाल	४०००)	१६	१	दिया गया
९.	,, भूपतसिंह	४०००)	२२	—	दिया गया
१०.	,, मानाराम	४०००)	२०	१	—
११.	,, भूरसिंह	४०००)	२०	—	—
१२.	,, सवाईसिंह	४०००)	—	—	—
१३.	,, हुकमसिंह	४०००)	१५	१	—
१४.	,, दीपसिंह	४०००)	१६	१	—

परिशिष्ट. ११

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३६ का उत्तर देखिए)

S. No.	Name of District	No. of trees planted	No. of trees survived	No. of trees dead
1	2	3	4	5
1.	Ajmer	60100	36060	24040
2.	Alwar	60497	26728	33769
3.	Banswara	8023	5000	3023
4.	Barmer	26958	10737	16221
5.	Bikaner	4164	1986	2178
6.	Bundi	124065	86440	37621
7.	Bharatpur	200	150	50
8.	Bhilwara	20605	9979	10626
9.	Chittorgarh	82260	50537	31723
10.	Churu	74912	37687	37225
11.	Dungarpur	232050	102486	129564
12.	Ganganagar	230556	154236	36300
13.	Jaipur	137811	96904	40907
14.	Jalore	868	832	36
15.	Jaisalmer	No trees	planted	nil
16.	Jhalawar	102999	98340	4659
17.	Jodhpur	11450	7692	3768
18.	Jhunjhunu	17936	12868	5068
19.	Kota	99172	29196	66276
20.	Nagour	3801	2235	1556

1	2	3	4	5
21.	Pali	77353	36727	40626
22.	Sawai-madhopur	16452	8575	7877
23.	Sikar	63294	32766	30483
24.	Sirohi	50340	27350	22990
25.	Tonk	78915	61304	17611
26.	Udaipur	119690	73873	45817

S. No.	Name of District	No. of trees planted	No. of trees dead
1	2	3	4
1.	Ajmer	Information not received.	
2.	Alwar	-do-	
3	Banswara	9297	4113
4.	Barmer	Information not received.	
5.	Bikaner	-do-	
6.	Bundi	141266	19937
7.	Bharatpur	126313	26784
8.	Bhilwara	2029-6	9676
9.	Chittorgarh	47672	27674
10.	Churu	121392	63665
11.	Ganganagar	Information not received.	
12.	Dungarpur	110538	89146
13.	Jaipur	942725	397624
14.	Jalore	Information not received.	
15.	Jaisalmer	-do-	
16.	Jhalawar	355523	140707
17.	Jodhpur	Information not received.	
18.	Jhunjhunu	-do-	
19.	Kota	115575	54901
20.	Nagour	7843	5683

1	2	3	4
21.	Pali	Information not received.	
22.	Sawai-Madhopur	-do-	
23.	Sikar	77338	32277
24.	Sirohi	73871	49299
25.	Tonk	Information not received.	
26.	Udaipur	-do-	

Expenditure incurred by Panchayat Samities referred to in supplementary

S. No.	Name of District	Amount Rs. nP.
1	2	3
1.	Ajmer	38.61
2.	Alwar	10515.00
3.	Banswara	n i l
4.	Barmer	401.24
5.	Bikaner	547.47
6.	Bundi	1,300.64
7.	Bharatpur	206.75
8.	Bhilwara	Sharam Dan
9.	Chittorgarh	773.12
10.	Churu	1,377.11
11.	Dungarpur	n i l
12.	Ganganagar	28650.91
13.	Jaipur	1002.80
14.	Jalore	nil
15.	Jaisalmer	no trees planted
16.	Jhalawar	Sharam Dan
17.	Jodhpur	995.57
18.	Jhunjhunu	1405.75
19.	Kota	n i l
20.	Nagour	n i l
21.	Pali	856.38

1	2	3
22.	Sawai-Madhopur	nil
23.	Sikar	4990.32
24.	Sirohi	1080.37
25.	Tonk	8399.04
26.	Udaipur	278.62
		Rs. 62,819,70 nP.

*शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक २ मार्च, १६६४)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
४	१४	श्री कैसरीसिंह	श्री केसरीसिंह
६	२४	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूडावत	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
७	६	श्री हादत्तसिंह	श्री हरदत्तसिंह
२६	८	(कोलायात)	(कोलायत)
३२	१३	श्री स ीशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
३७	१८	उप-मंत्रिणी, वित्त	उप-मंत्री, वित्त
४६	६	उप, मंत्री सहकारिता	उप-मंत्री, सहकारिता
६२	१	ग्रश्न संख्या	प्रश्न संख्या
६५	शीर्ष	मती प्रभा मिश्रा)	(श्रीमती प्रभा मिश्रा)
६६	१५	(खानपुरा)	(खानपुर)
६७	७	श्री निरंनजनाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
६८	शीर्षक	अतारांकिन प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
६६	१०	परिशिस्ट	परिशिष्ट
७३	शीर्षक	२ मार्च, ६३	–२ मार्च, ६४–
८४	२१	श्री माणिकचन्द सुरागा	श्री मानिकचन्द सुराणा
८६	शीर्षक	रजिस्ट्रेशस	रजिस्ट्रेशन
६८	शीर्षक	वधेयक	विधेयक
१०२	शीर्षक	रजिस्ट्रेकेन	रजिस्ट्रेशन
१०३	शीर्ष	(श्रोमती प्रभा मिश्रा)	(श्रीमती प्रभा मिश्रा)
११६	अन्तिम से २	श्री मोतिलाल चौधरी	श्री मोतीलाल चौधरी
१२५	७	श्री निरजननाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
१३३	शीर्षक	स्वास्थ	स्वास्थ्य
१५३	१२	श्री मुरलीधर श्यास	श्री मुरलीधर व्यास
१५६	४	संकला	संकल्प
१६०	शीर्षक	रजिट्रेशन	रजिस्ट्रेशन
१७४	३	श्रौ मानसिंह महार	श्री मानसिंह महार

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१८२	अन्तिम से २	(रामसिंह नगर)	(रायसिंहनगर)
१८३	४	(र्चांदीकुई)	(चांदीकुई)
१८५	शीर्षक	२६ मार्च, ६४	२ मार्च, ६४
१८८	२१	श्री रामानन्द अगवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
१९१	२२	श्री हीराभाई (बांसवाडा)	श्री हीराभाई (कुशलगढ़)
१९२	१३	श्रीं हींराभाई	श्री हीराभाई
१९३ से १९६ तक	शीर्षक	राजस्थान नर्स दाई इत्यादि -२ मार्च, ६४- रजिस्ट्रेशन विधेयक	सदन से सदस्यों को -२ मार्च, ६४- निकालने सम्बन्धी
१९३	शीर्ष	(श्री विठ्ठल)	(श्री विठ्ठल)
१९६	अन्तिम से ३	श्रो सभापति	श्री सभापति
१९७	६ व १०	श्री सतीशचन्द्र अगवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
१९९	१	स्सदय	सदस्य
२०१-२२४	शीर्षक	नर्स दाई विधेयक -२ मार्च, ६४- सदन से बाहर निकालने विषयक	सदन से बाहर निकाले गये सदस्यों द्वारा -२ मार्च, ६४- मत विभाजन में भाग लेने विषयक औचित्य प्रश्न
२१०	शीर्षक	सदन से इाहर	सदन से बाहर
२१५	शीर्ष	(श्री सतीशचन्द अग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
२१८	शीर्षक	मिषयक	विषयक
२२०	शीर्षक	बाहर	बाहर
२२५	शीर्षक	स्वास्थ	स्वास्थ्य
,,	शीर्ष	(श्री उपाध्यक्ष)	(श्री उपाध्यक्ष)
२१६	६	श्री विठ्ठल	श्री विठ्ठल
२२७ से २३१ तक	शीर्षक	स्वास्थ	स्वास्थ्य
२३४	शीर्षक	विधेवक	विधेयक
२३५ से २३९ तक	शीर्षक	स्वास्थ	स्वास्थ्य
२५७	शीर्ष	श्री (मानकचन्द सुराणा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
२५८	शीर्षक	वधेयक	विधेयक
२६२	शीर्षक	रजिस्ट्रे केन	रजिस्ट्रे शन
२६७	५	(निम्बासेड़ा)	(निम्बाहेड़ा)
२६८	अन्तिम से ३	श्री मानकचन्द सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
२६८	शीर्षक	परिशि॰ट	परिशिष्ट

*नोट:– विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा ।